

आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2015-16



छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2015-16



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर



**छत्तीसगढ़
का
आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2015-16**

**आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर**

प्रावक्तथन

“छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16” नामक यह प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, समाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

“छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16” प्रकाशन को परिमार्जन एवं नवीनता प्रदान करने में श्री एन. के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, श्री अमित अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग, श्री देबाषीश दास, सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देशन में एवं प्रख्यात अर्थशास्त्रियों डॉ. हनुमंत यादव, विजिटिंग प्रोफेसर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉ. जे. एल. भारद्वाज, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, डॉ. रविन्द्र ब्रह्मे, प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में संचालनालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्होंने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र है।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2016

अमिताभ पाण्डा
आयुक्त, सह-संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय - सूची

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आर्थिक स्थिति – एक समीक्षा	01–06
2.	जनसंख्या	07–15
3.	राज्यीय आय	16–27
4.	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	28–48
5.	लोक वित्त	49–56
6.	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	57–70
7.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	71–99
8.	वानिकी	100–107
9.	खनिज	108–114
10.	उद्योग	115–130
11.	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	131–147
12.	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	148–165
13.	नगरीय विकास	166–179
14.	सामाजिक क्षेत्र	180–229
15.	राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ	230–235
16.	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	236–252

ଅଧ୍ୟାୟ




ଅଧ୍ୟାୟ ୧
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन

1 वैश्विक अर्थव्यवस्था:

तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से, वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय और आर्थिक संकट से बाहर आते हुए देखा जा रहा है। हाल के समय में अधिकांश विकास, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं ब्रिटेन जैसे देशों की असाधारण एवं निर्भीक मौद्रिक नीतियों के कारण हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह अवस्फीति की संभावनाओं को भी दर्शाता है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार, वैश्विक उत्पाद की वृद्धि तालिका में अंकित किया गया है। (Source : United Nations World Economic Situation and Prospects 2015, Global Outlook)



2 भारतीय अर्थव्यवस्था:

1.2 अरब जनसंख्या के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्यों के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद में विश्व का 10वां बड़ा एवं क्रय शक्ति अनुपात में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः 5.6, 6.6, 7.2 एवं 7.6 प्रतिशत अर्थात् निरंतर वृद्धि के साथ औसत वृद्धि 6.75 प्रतिशत रहा। आजादी के बाद पिछले साढ़े छह दशकों में, हमारे देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारा देश अनाज की आयात करने वाले देश के स्थान पर अनाज की निर्यात करने वाला विश्व का कृषि केंद्र बन चुका है। आयु संभाव्यता दुगुनी से अधिक, साक्षरता दर चार गुना एवं स्वास्थ्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे कम उम्र के कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। साथ ही, हमारा देश में शहरीकरण बहुत तेजी से होता जा रहा है। हर वर्ष करीब 10 लाख से ज्यादा लोग, रोजगार के अवसर की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में स्थानांतरित हो रहे हैं।

3 छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था :

छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सोलहवां बड़ा राज्य है। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण विस्तार का लिंगानुपात 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956) है, जो भारत संघ में 5वें स्थान को इंगित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता

दर 70.3% है। राज्य में शिशु मृत्यु दर सन 2000 में 77 प्रति हजार थी जो घटकर 46 हो चुकी है इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य की 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं मुख्यतः कृषि व लघु उद्योगों पर निर्भर है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र एवं गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसल बोया जाता है तथा बोये गये क्षेत्र के 31 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है।

3.1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए क्रमशः 6.0, 7.5 एवं 9.5 प्रतिशत के साथ सकल घरेलू उत्पाद 8.0 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योगसमूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर

3.1.1 कृषि:- इस क्षेत्र में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में वृद्धि क्रमशः 6.12, 2.89, 9.53 तथा 0.47, औसत वृद्धि 4.75 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण वृद्धि केवल 0.47 प्रतिशत होना संभावित है। जबकि वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक औसत आर्थिक वृद्धि 6.18 थी। जो लक्ष्य से अधिक है।

3.1.2. उद्योग:- विश्व बाजार में वैश्विक मंदी के कारण औद्योगिक उत्पाद के मांग में कमी आई है। इस कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम है। क्षेत्र में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में वृद्धि क्रमशः 4.42, 5.62, 7.20 एवं 7.07 तथा औसत वृद्धि 6.08 प्रतिशत दर्ज की गई। जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 7.50 से कम है। वर्ष 2015-16 के देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विश्लेषण उपरांत यह देखा जा रहा है कि लौह एवं इस्पात तथा सीमेंट की मांग में कमी के कारण उत्पादन कम हो रहा है साथ ही साथ मूल्य में भी कमी आ रही है। यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संगठित उद्योगों में लगभग 90 प्रतिशत मूल्य वर्धन इन दोनो क्षेत्रों से होता है।

3.1.3. सेवा:- तृतीयक क्षेत्र में मुख्य हिस्सेदारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ सेवा के क्षेत्र में नौकरियाँ उपलब्ध कराना है। वैश्विक मंदी के कारण जहाँ एक ओर औद्योगिक उत्पाद में कमी आई है वहीं पर दूसरी ओर बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में वृद्धि क्रमशः 7.10, 8.05, 7.76 एवं 9.81 तथा औसत वृद्धि 8.18 प्रतिशत दर्ज की गई। जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 9.50 से कम है।

3.1.4. सकल घरेलू उत्पाद:- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं

2015-16 में वृद्धि क्रमशः 5.79, 4.70, 7.85 एवं 7.07 तथा औसत वृद्धि 6.35 प्रतिशत दर्ज की गई। जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 8.00 से कम है।

3.1.5 GSDP में कृषि का योगदान

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में कृषि का योगदान 14 प्रतिशत है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पाँचवां हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है, जैसा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में अपेक्षित है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में कमी के संकेत हैं। स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 2011-12 में 18.10 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015-16 में 16.85 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2011-12 से लेकर 2014-15 तक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग समान बना हुआ था किंतु वर्ष 2015-16 में सूखे के कारण कृषि के योगदान में घटने की प्रवृत्ति आयी है।

4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर-15 में दिसम्बर-14 की स्थिति से ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 8.6, 3.7 एवं 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत मूल्य सूचकांक (CPI-AL) तथा (CPI-AL) जनवरी से दिसम्बर-15 का औसत क्रमशः 825 एवं 829 था जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 4.6 एवं 4.8 प्रतिशत अधिक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) दिसंबर-15 में दिसम्बर-14 की स्थिति से सम्पूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ के भिलाई केन्द्र में क्रमशः 5.88 एवं 4.97 प्रतिशत वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर-15 में दिसम्बर-14 की स्थिति में 0.7 प्रतिशत कमी हुई है।

4.2 वर्ष 2015-16 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड-ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 1410 एवं 1450 भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2014-15 में राशि रु. 8671.65 करोड़ से 63.10 लाख टन धान खरीदा गया। वर्ष 2015-16 में जनवरी 16 तक राशि रु. 8413.30 करोड़ से 59.17 लाख टन धान खरीदा गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 31 जनवरी 2016 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1303 तथा 11002 संचालित हैं। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 5948154 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

5.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.18 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल कर राजस्व में 31.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 24.17 प्रतिशत रही। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 34.66 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वर्ष 2015-16 में कुल गैर कर राजस्व रु. 21657.25 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रु. 12994.26 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति रु. 57956.46 करोड़ एवं राजस्व व्यय रु. 53729.82 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व अधिक्य रु. 4226.64 करोड़ दर्शाता है।

5.2 वर्ष 2014-15 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण सितंबर 2015 तक 3,386.34 करोड़ रु प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2014 की

स्थिति में 7,501.29 करोड़ रु. प्राप्त हुआ। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 3,413.38 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.1 वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय विक्रय संग्रहण सितंबर 2015 तक 432.79 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति में 940.92 करोड़ रु. की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 396.32 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.2 वर्ष 2014-15 में प्रवेशकर संग्रहण सितंबर 2014 तक 413.16 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति में 968.29 करोड़ रु. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 442.23 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2015 अंत की स्थिति में 51, शाखाओं की संख्या 2485 एवं एटीएम की संख्या 2639 है। जिनमें कुल जमा 105437.35 करोड़ रुपये है। प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 15/01/2016 की स्थिति में राज्य में 8991692 खाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत लोगों ने पंजीकरण कराया है जो जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर है।

6.2 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 248 है। वर्ष 2014-15 में बैंकों की अंशपूंजी 28029.23 लाख रु. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 1398.02 लाख रुपये रहा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की कुल 543 सहकारी समितियां सदस्य है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1976 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में राज्य के बैंकों ने 6039.3 करोड़ कृषि क्षेत्र में ऋण दिए हैं, जो लक्ष्य 9275 करोड़ का 65 प्रतिशत था।

7.1 वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 31% सिंचित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। शाकम्भरी योजना के तहत किसानों को 5 एच.पी. तक के विद्युत/ डीजल/केरोसीन चलित पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप-मंडियाँ कार्यरत है। प्रदेश में वर्तमान में दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं दो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

8.1 वर्ष 2014-15 में देश में 236554 करोड़ मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में 19415

करोड़ (8.2%) था। वर्ष 2015-16 में नवंबर अंत तक यह हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत होना संभावित।

8.2 31 मार्च 2015 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 134396 हजार मे.टन, लौह अयस्क का 29418 हजार मे.टन, चूना पत्थर का 23505 हजार मे.टन, बाक्साइट का 1565 हजार मे.टन, डोलोमाइट का 2438 हजार मे.टन तथा टिन का 24689 कि.ग्राम उत्पादन हुआ है।

8.3 विगत वर्ष 2014-15 में मुख्य खनिज से 3364.82 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 193.93 करोड़ आय हुआ है। विगत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में क्रमशः 11.12 प्रतिशत एवं 6.59 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह दिसम्बर तक रू. 2416 करोड़ राजस्व राय प्राप्त हो चुकी है। विगत वर्ष इसी अवधि में यह रू. 2424 करोड़ रही। इससे यह अनुमान किया जाता है कि वर्ष 2015-16 की राजस्व आय वर्ष 2014-15 के समतुल्य रहेगी। देश में खनिज के मांग में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। परंतु वर्ष 2015-16 के माह नवम्बर तक भारत एवं छत्तीसगढ़ के कुल खनिज उत्पादन के मूल्य का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ के योगदान में वृद्धि हो रही है।

9.1 एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है, जैसे:- मैटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क। नया रायपुर में 70 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 105.23 करोड़ है, जिसे 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना है। राज्य में दो रेलवे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आयेंगे।

10.1 राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 15931.293 मिलियन यूनिट (तापीय 15592.525, जलीय 326.361 एवं अन्य सह-उत्पादन 12.407 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। मार्च 2016 तक कुल स्थापित क्षमता 2424.70 मेगावाट है। इसमें 2280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य(सह-उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

10.2 वर्ष 2014-15 के माह अप्रैल से दिसम्बर की अवधि में 11892 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था जबकि वर्ष 2015-16 के समान अवधि में यह 11540 मिलियन यूनिट विद्युत रहा। जो कि विगत वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

10.3 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति में 18487 ग्राम विद्युतीकृत है। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 94.48 प्रतिशत रहा।

10.4 वर्ष 2014-15 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 42 लाख 96 हजार है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 6.31 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 28 लाख 51 हजार उपभोक्ता अर्थात् 66.36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जो विगत वर्ष के

ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है।

11 वर्ष 2014-15 में माह अप्रैल से सितम्बर की अवधि में महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि रु. 1383.22 के विरुद्ध राशि रु. 1219.61 करोड़ व्यय कर 538.72 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। इसी अवधि में वर्ष 2015-16 में कुल उपलब्ध राशि रु. 966.13 के विरुद्ध राशि रु. 564.96 करोड़ व्यय कर 203.82 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संकुचन से रोजगार में भी कमी होने की संभावना है

12 वर्ष 2014-15 में, राज्य में, चिन्हित 73848 बसाहटों में 1841 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों पायी गयी है, जिनमें से आयरन युक्त 1742 बसाहटें, सेलेनिटी युक्त 21 बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त 78 बसाहटें पाई गयी है। वर्ष 2014-15 में total sanitation campaign के अंतर्गत कुल 39128 शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 21395 BPL परिवार में एवं 17733 APL परिवारों में शौचालयों का निर्माण हुआ है।

11 वर्ष 2013-14 की स्थिति में राज्य में कुल पंजीकृत वाहनो की संख्या 406429 थी, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 423426 हो गयी है।

312313

2

312313




2. जनसंख्या

मुख्य बिन्दु

- जनगणना 2011 के जनसंख्या के आंकड़ें जनांकिकीय सुयोग के लक्षण दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 55 लाख किशोर एवं 50 लाख युवा हैं। साक्षरता में लैंगिक अंतर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों के किशोरों में यही अंतर न्यूनतम है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता में सर्वाधिक लैंगिक अंतर है। कुल जनसंख्या का केवल 4 प्रतिशत एवं कुल साक्षर जनसंख्या का केवल 6.6 प्रतिशत स्नातक हैं। छत्तीसगढ़ में किशोरों का लगभग 21 प्रतिशत कार्यशील के रूप में वर्गीकृत है तथा प्रति दो युवाओं में एक युवा कार्यरत है।
- अनुसूचित जाति वर्ग के किशोर आयु समूह में मुख्यतः सीमान्त कार्यकर्ता हैं, केवल 8.2 प्रतिशत किशोर ही मुख्य कार्यकर्ता हैं। लेकिन युवाओं में 55.3 प्रतिशत मुख्य कार्यकर्ता हैं।
- 15-19 आयु वर्ग में, कुल महिलाओं में से 15 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित हैं और इन महिलाओं में से 31 प्रतिशत महिलाएँ गर्भधारण कर चुकी हैं।


2.1 जनांकिकीय सुयोगः— जनगणना 2011 के जनसंख्या के आंकड़ें जनांकिकीय सुयोग के लक्षण दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ के जनसंख्या पिरामिड के आधार का संकुचन निम्न निर्भरता अनुपात को दर्शाता है। जन सांख्यिकीय विभाजन के इस प्रारंभिक चरण का अवलोकन करने पर, 10-19 आयु समूह का, कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुपात दर्शित होता है। इस विशेष वर्ग समूह को किशोर आयु समूह के साथ-साथ यौवन की शुरुआत के रूप में माना जाता है। एक उम्र समूह, जिसमें ज्यादातर किशोरों की संख्या सबसे अधिक हो, उनको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु, अगर उचित हस्तक्षेप के साथ अगर इनका सृजन किया जाए तो, अंततः यह छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। "युवा भारत" शब्द का उपयोग बहुत से लोगों द्वारा किया जाता है, जो सचमुच में भारत की जनसंख्या की विशेषता को परिभाषित करता है, उसी तरह "युवा छत्तीसगढ़" शब्द भी राज्य की जन सांख्यिकीय संरचना के साथ-साथ, गठन के बाद राज्य उसकी किशोरावस्था में पहुंच चुका है यह भी दर्शाता है।

2.2 छत्तीसगढ़ के किशोर एवं युवाः—किशोर एवं युवा 10 से 24 वर्ष के आयु समूह में व्याप्त हैं, इस के अंतर्गत 15-19 आयु समूह, किशोर एवं युवा दोनों के लिए उभयनिष्ठ हैं। जनसंख्या में किशोर 53 प्रतिशत एवं 47 प्रतिशत क्रमशः 10-14 एवं 15-19 आयु समूह में व्याप्त हैं, युवाओं के लिए भी उपरोक्त विवरण प्रयोज्य हैं।




छत्तीसगढ़ में लगभग 55 लाख किशोर एवं 50 लाख युवा हैं, जो की कुल जनसंख्या का क्रमशः 21.5 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत हैं। किशोर एवं युवा की कुल जनसंख्या का क्रमशः 78 प्रतिशत और 76 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। किशोर एवं युवा, जनसंख्या का ऐसा समूह है जो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की विशेषता को दर्शित करता है। वर्तमान जनसंख्या में, युवाओं की तुलना में किशोरों में कम लिंगानुपात, लिंग-भेद के पूर्वव्यापी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। परंतु, नगरीय क्षेत्र में किशोर एवं युवाओं के लिंग अनुपात में भारी अंतर, युवाओं का ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र अथवा अन्य राज्यों में शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्थानान्तरण को दर्शित करता है।

चित्र 4 रु.छ.ग. में किशोरों का आयु वितरण — 2011



चित्र 5 रु.छ.ग. में किशोरों का आयु वितरण — 2011



तालिका 1 ग्रामीण, शहरी अजा एवं अजजा का प्रतिशत

	जनसंख्या	ग्रामीण(प्रतिशत)	शहरी(प्रतिशत)	अजा(प्रतिशत)	अजजा
किशोर	5483855	78	22	14	31
युवा	4989339	76	24	13	30

तालिका 2 छ. ग. जन संख्या के किशोर एवं युवाओं में लिंगानुपात, 2011


	कुल	ग्रामीण	शहरी
किशोर	972	981	941
युवा	986	991	969

2.3 किशोर एवं युवाओं की साक्षरता:—तालिका 3 यह दर्शाता है कि, छत्तीसगढ़ में किशोरों की साक्षरता का स्तर युवाओं की तुलना में अधिक है, जिसे एक सकारात्मक झुकाव के रूप में देखा जा सकता है जो की गत कुछ वर्षों में शिक्षा प्रणाली में सुधारात्मक प्रगति को दर्शाता है, परंतु, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पुरुषों की तुलना में सभी प्रवर्गों में महिलाएं कम प्रशिक्षित हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में पुरुषों का शिक्षा का स्तर समान है। एक ध्यानाकर्षित तथ्य यह भी है कि, अनुसूचित जाति वर्ग में, ग्रामीण जनसंख्या, सीमांत रूप से शहरी जनसंख्या से अधिक साक्षर है। साक्षरता में लैंगिक अंतर मुख्यरूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों के किशोरों में यही अंतर न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता में सर्वाधिक लैंगिक अंतर है।

तालिका 3. छत्तीसगढ़ में किशोर एवं युवाओं में साक्षरता की स्थिति


		सभी			अजा			अजजा			अन्य		
		कुल	पुरुष	महिला									
किशोर	कुल	91.9	93.6	90.1	93.4	94.7	92.0	86.1	88.9	83.4	94.7	95.9	93.4
	ग्रामीण	90.8	92.9	88.7	93.4	94.9	91.9	85.4	88.4	82.5	94.0	95.6	92.3
	शहरी	95.7	96.2	95.2	93.3	94.0	92.6	94.1	95.0	93.2	96.5	96.8	96.1
युवा	कुल	87.5	92.0	82.8	89.4	93.4	85.2	78.6	85.5	72.0	91.6	95.0	88.2
	ग्रामीण	85.3	90.8	79.8	88.9	93.4	84.3	77.5	84.7	70.4	89.9	94.2	85.5
	शहरी	94.0	95.8	92.3	90.6	93.3	87.9	90.6	93.3	87.9	95.2	96.5	93.7

चित्र 6 पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर (पुरुष- महिला) छ. ग., 2011



इस सन्दर्भ में इंडेक्स ऑफ ओवरऑल एज्युकेशन के परीक्षण के लिए जनित सूचकांकों से यह दर्शित होता है कि छत्तीसगढ़, खराब प्रदर्शन वाले 10 राज्यों में से एक है। जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि राज्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। यद्यपि दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शिक्षा के केन्द्रों ने अब तक सब से बेहतर प्रदर्शन किया है, परंतु यहाँ पर, देश के सभी राज्यों से पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं, अतः इन इलाकों में उच्चतर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन देखा जा सकता है।

चित्र 7 : इंडेक्स ऑफ ओवरऑल एज्युकेशन




तालिका 4 विविध शैक्षणिक स्तर में किशोर एवं युवाओं का प्रतिशत

	कुल		ग्रामीण		शहरी	
	किशोर	युवा	किशोर	युवा	किशोर	युवा
साक्षर आबादी	5038670	4363368	3893389	3218553	1145281	1144815
साक्षर (औपचारिक शिक्षा के बिना)	1.0	2.0	1.0	2.1	0.8	1.6
साक्षर (प्राथमिक शिक्षा स्तर के नीचे)	21.6	6.4	23.2	7.1	16.2	4.4
प्राथमिक शिक्षा	38.3	22.3	39.2	24.5	35.4	16.3
मिडिल शिक्षा	24.5	34.3	24.6	37.5	24.3	25.4
मैट्रिक/माध्यमिक शिक्षा	10.8	18.2	9.3	16.5	15.9	23.0
उच्चतर माध्यमिक/इंटरमीडिएट/ सीनियर सेकेंडरी	3.6	12.8	2.6	10.2	7.1	20.0
नैर तकनीकी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
जो डिग्री के समतुल्य नहीं						
तकनीकी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जो डिग्री के समतुल्य नहीं	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	0.7
स्नातक तथा उच्चतर शिक्षा	0.0	3.4	0.0	1.7	0.0	8.4
अवर्गीकृत	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1

यद्यपि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि, युवा वर्ग में, 20 वर्ष से अधिक आयु (कुल युवा जनसंख्या का 48 प्रतिशत) के लोगों में से बहुत ही कम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह कुल किशोर जनसंख्या का 47 प्रतिशत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के है, जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा या तो पूरा कर लिया होगा या तो पूरा होने के कगार पर होगा। परंतु उपरोक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि, केवल 3.6 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक वर्ग में है। जिससे यह फलित होता है कि राज्य में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, जो उनके आयु के अनुसार आदर्श शिक्षा स्तर की तुलना में निम्न शिक्षा स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं।


छत्तीसगढ़ में किशोरों का लगभग 21 प्रतिशत कार्यशील के रूप में वर्गीकृत है तथा प्रति दो युवाओं में एक युवा कार्यरत है। प्रतिशत की परिभाषा में देखा जाए तो, अनुसूचित जाति कि तुलना में अनुसूचित जनजाति के अधिक लोग कार्यशील है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच यह अंतर किशोरों में 1.5 गुना है एवं युवाओं में 1.3 गुना है।




साक्षर जन संख्या में स्नातकों का प्रतिशत से भी उपर्युक्त सूचकांकों से पुष्टि होती है। कुल जनसंख्या का केवल 4 प्रतिशत एवं कुल साक्षर जन संख्या का केवल 6.6 प्रतिशत स्नातक है, जबकि छत्तीसगढ़ कि कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत 19-24 आयु वर्ग में एवं लगभग 20 प्रतिशत 19-29 आयु वर्ग में है।


चित्र 8: शिक्षित जनसंख्या में स्नातक प्रतिशत



यद्यपि, कुल किशोर कार्यकर्ता में से 43 प्रतिशत मुख्य कार्यकर्ता है, जबकि युवाओं में 56 प्रतिशत मुख्य कार्यकर्ता है। अनुसूचित जाति वर्ग के किशोर आयु समूह में मुख्यतः सीमान्त कार्यकर्ता है, केवल 8.2 प्रतिशत किशोर ही मुख्य कार्यकर्ता है। लेकिन युवाओं में 55.3 प्रतिशत मुख्य कार्यकर्ता हैं। किशोर एवं युवा में यह बड़ा विरोधाभास, यह प्रदर्शित करता है कि अनुसूचित जाति के किशोर बड़े परिमाण में अंशकालिक कार्य करते हैं। उक्त अनुच्छेदों से यह भी ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति की तुलना में अनुसूचित जाति की साक्षरता का स्तर बेहतर है। किशोरों के समूह में उच्चतर शिक्षा और सीमान्त कार्यशीलता दोनों को संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि किशोर अंशकालीन रोजगार के साथ-साथ शिक्षा भी जारी रखते हैं। अनुसूचित जनजाति में, किशोरों में 37 प्रतिशत एवं युवा में 49 प्रतिशत मुख्य कार्यशीलता बढ़ी है। जो यह दर्शाता है कि 20-24 आयु समूह के अधिकांश लोग मुख्य कार्यकर्ता हैं। मुख्य एवं सीमान्त कार्यशील व्यक्तियों का उनके कार्य वर्गानुसार वितरण निम्नानुसार दर्शित है :-



चित्र 11 कार्य श्रेणी के अनुसार किशोर एवं युवा कार्यकर्ता, छ. ग., 2011



Household Industry (HHI)											
MW		MaW		SC MW		SC MaW		ST MW		ST MaW	
Ado	You	Ado	You	Ado	You	Ado	You	Ado	You	Ado	You
1.9	1.7	1.4	1.2	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.0	1.2	0.9

MW: Main Workers; MaW: Marginal Workers; SC: Scheduled Castes; ST: Scheduled Tribes; CU: Cultivators; AL: Agricultural Labourers; HHI: Household Industry; OW: Other Workers Ado: Adolescent; You: Youth

2.5 किशोर/युवा विवाह एवं प्रजननता :-कुल 1280391 महिलाएँ 15-19 आयु वर्ग में एवं 1196119 महिलाएँ 20-24 आयु वर्ग में है। 15-19 आयु वर्ग में, कुल महिलाओं में से 15 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित है और इन महिलाओं में से 31 प्रतिशत महिलाएँ गर्भधारण कर चुकी है जिसके परिणाम स्वरूप 86 हजार से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि, 15 से 19 आयु वर्ग के 4.3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा 2 से अधिक बच्चों को जन्म दिया गया है।

तालिका 5 छ.ग. में युवाओं में विवाह एवं प्रजनन दर

		15-19	प्रतिशत	20-24	प्रतिशत
	Total Women	1,280,391	100.0	1,196,119	100.0
Total Women	Total Never Married Women	1,094,129	85.5	352,865	29.5
	Total Ever Married Women	186,262	14.5	843,254	70.5
	Parity 0	128,627	69.1	260,060	30.8
Total Ever Married Women	Parity 1	41,327	22.2	307,511	36.5
	Parity 2	8,297	4.5	196,287	23.3
	Parity 3	3,421	1.8	59,398	7.0
	Parity 4	4,590	2.5	12,385	1.5
	Parity 5	0	0.0	2,825	0.3
	Parity 6	0	0.0	1,356	0.2
	Parity 7+	0	0.0	3,432	0.4
	Total Child Ever Born Person	86,544		976,414	
	Total Child Ever Born Male	44,668		496,808	
	Total Child Ever Born Female	41,876		479,606	
	Mean Child Ever Born Person	0.07		0.82	
	Mean Child Ever Born Male	0.03		0.42	
	Mean Child Ever Born Female	0.03		0.40	

निम्न तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 15-24 आयु वर्ग के 38000 महिलाएँ या तो विधवा या परित्यक्ता या तलाक शुदा है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा विधवाओं की संख्या अधिक है।

तालिका 6 छ.ग. में युवाओं में विवाह स्थिति

	Total	Rural	Urban
अविवाहित	3498846	2565634	933212
विवाहित	1452530	1175080	277450
विधवा	14913	11983	2930
परित्यक्ता	18295	15324	2971
तलाकशुदा	4755	3959	796

३१३१३

३

३१३

३१३१३

3. राज्तीय आय

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानकर सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर आकलन की नवीन श्रृंखला शुरू।
- वर्ष 2015–16 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 25144714 लाख रू. जो वर्ष 2014–15 से 12.76 प्रतिशत अधिक।
- वर्ष 2015–16 के स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 20218017 लाख रू. जो वर्ष 2014–15 से 7.07 प्रतिशत अधिक।
- राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि (स्थिर भाव – अग्रिम अनुमान) कृषि 0.47, उद्योग 7.07, सेवा 9.81 प्रतिशत अनुमानित।
- इसी अवधि में अखिल भारत के स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 7.6 प्रतिशत वृद्धि जिसमें कृषि क्षेत्र का 1.1, उद्योग में 7.3 एवं सेवा में 9.2 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित।
- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमान अनुसार 81756 रू. वहीं अखिल भारत के लिए यह 93231 रू. अनुमानित।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा नवीन श्रृंखला अंतर्गत आधार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 परिवर्तित कर राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 (A) तैयार किये गए हैं। यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 (System of National Accounts 2008) में हुए परिवर्तनों, नवीन सर्वेक्षित आंकड़ों एवं अध्ययनों पर आधारित है। यह परिवर्तन प्रतिवर्ष होने वाले पुनरीक्षित अनुमान से भिन्न है। प्रतिवर्ष आंकड़ों का पुनरीक्षण अद्यतन आंकड़ों के आधार पर वैचारिक ढांचे में परिवर्तन किये बिना तैयार किया जाता है। कोषक में दिए गए प्रतिशत गत वर्ष के अनुमान दर्शाते हैं। नवीन पद्धति में एक प्रमुख परिवर्तन है कि वर्ष 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य से ऑकलित किए गए हैं। जहाँ पुरानी पद्धति में इन्हें मूल भावों (Basic Price) पर ऑकलित किया जाता था। नवीन पद्धति में प्राथमिक स्तर पर मूल भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऑकलित करके उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ऑकलित किया जाता है।


सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2015-16)

3.1 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2015-16 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकांकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2015-16 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव में स्थिर मूल्य में (आधार वर्ष 2011-12) पर रु. 20218017 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2014-15 से 7.07 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। उद्योग समूहवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ : उद्योग समूहवार भागीदारी : स्थिर भाव (2011-12) (लाख रु.में)

उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15(Q)	2015-16 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	2685950	2850360	2932703	3212257	3227211
उद्योग	7016612	7326445	7738552	8296098	8882620
सेवाएँ	5140421	5505498	5948676	6410450	7039198
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार मूल्य पर)	14842983	15682302	16619931	17918806	19149029
उत्पाद शुल्क (जोड़)- सब्सिडी	964400	1040858	889202	964184	1057070
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	15807383	16723160	17509133	18882990	20218017

उद्योग समूहवार भागीदारी : स्थिर भाव





तालिका 3.2 स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर

उद्योग समूह	2012-13	2013-14 (P)	2014-15(Q)	2015-16 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	6.1	2.9	9.5	0.5
उद्योग (ब)	4.4	5.6	7.2	7.1
सेवाएँ (स)	7.1	8.1	7.8	9.8
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	5.8	4.7	7.9	7.1

तालिका 3.3 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा—स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर

उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15(Q)	2015-16 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	18.1	18.2	17.7	17.9	16.9
उद्योग	47.3	46.7	46.5	46.3	46.3
सेवाएँ	34.6	35.1	35.8	35.8	36.8



3.2 कृषि (फसलें) क्षेत्र में -0.77 (13.04) प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में कमी होने की संभावना है, तथा पशुपालन अंतर्गत 2.56 (-1.60) की वृद्धि हुई है। वानिकी क्षेत्र में 0.61 (-0.67) प्रतिशत एवं मत्स्य क्षेत्र में 7.90 (10.25) प्रतिशत बढ़ना संभावित है। इस प्रकार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों समूहों में 0.47 (9.53) प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। विनिर्माण क्षेत्र में 5.99 (7.41), विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 18.66 (28.88), निर्माण क्षेत्र में 5.41 (0.50) प्रतिशत वृद्धि होना सम्भावित है। उद्योग समूह में 7.07 (7.20) प्रतिशत एवं सेवा समूह की पूर्ण वृद्धि 9.81 (7.76) प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान कुल अर्थव्यवस्था में बाजार मूल्य पर 7.07 (7.85) प्रतिशत वृद्धि आंकलित है।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015-16 के अग्रिम अनुमान प्रचलित मूल्यों पर रु. 25144714 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2014-15 के रु. 22298959 लाख से 12.76 प्रतिशत अधिक है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2014–15 (त्वरित)

3.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2014–15 के लिए स्थिर मूल्यों पर त्वरित अनुमान रु. 18882990 लाख है। जो की वर्ष 2013–14 के अनुमानों से 7.85 प्रतिशत कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि आंकलित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2014–15 बाजार मूल्य प्रचलित भावों पर रु. 22298959 लाख है। जो की पिछले वर्ष 2013–14 की तुलना में 13.00 प्रतिशत अधिक है।

3.4 वर्ष 2014–15 के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि स्थिर भाव पर 13.04 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2013–14 की तुलना में अधिक है, जबकि वर्ष 2013–14 में यह वृद्धि 3.24 प्रतिशत थी। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में जहाँ वर्ष 2013–14 में यह वृद्धि 4.43 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2014–15 में 7.41 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2014–15 में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 1.98 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी। इसी प्रकार विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 28.88 (9.22) प्रतिशत वृद्धि हुई है। निर्माण गतिविधियां वर्ष 2014–15 के दौरान धीमी गति रही, अतः इस क्षेत्र में वृद्धि 0.5 (3.19) प्रतिशत दर्ज की गयी। जबकि औद्योगिक समूह क्षेत्र में 7.20 (5.62) प्रतिशत वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2014–15 के दौरान 7.76 (8.05) वृद्धि आंकलित है।

3.5 तृतीयक (सेवा) क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते हैं। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित भाव में लगभग 36.68 (36.51) प्रतिशत रही, और लगातार इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती रही। वर्ष 2011–12 में 34.63 प्रतिशत एवं वर्ष 2012–13 में इसकी 35.43 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वर्ष 2014–15 में अधिकतम हिस्सेदारी 10.67 प्रतिशत स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र का है, जिसमें कि 8.57 (7.96) प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय स्थान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.02 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 21.81 (17.24) प्रतिशत वृद्धि हुई। संचार क्षेत्र में वृद्धि 20.39 (24.28) प्रतिशत हुई। कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र की वृद्धि 13.47 (14.88) प्रतिशत थी।


3.6 निवल राज्य घरेलू उत्पाद— वर्ष 2014–15 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (बाजार मूल्य) पर अनुमानों के अनुसार रु. 16879315 लाख था जो कि वर्ष 2013–14 के अनुमान रु. 15643039 लाख की तुलना में 7.90 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित भावों में वर्ष 2014–15 बाजार मूल्य पर आय का अनुमान रु. 20726341 लाख आंकलित है, जो कि वर्ष 2013–14 के रु. 18369806 लाख की तुलना में 12.83 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रति व्यक्ति आय

3.7 प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जीवन निर्वाह का स्तर मापा जाता है। वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) बाजार मूल्य पर रु. 81756 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय रु. 73758 थी। जो की 10.84 की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की प्रति व्यक्ति आय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 प्रति व्यक्ति आय

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
प्रति व्यक्ति आय	55177	61356	66438	73758	81756



तालिका 3.5 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घेरलू उत्पाद प्रचलित भावों पर

(लाख रु. में)

क्र.सं.	उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	2685950	3180908	3585457	4265241	4777835
1.1	फसलें	1798258	2140927	2395705	2898953	3210202
1.2	पशुपालन	226704	255035	296509	351296	416891
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	426205	503309	569582	629509	721981
1.4	मछली उद्योग	234783	281637	323661	385483	428761
	उद्योग (ब)	7016612	7632393	8264780	9082838	9862472
2.	खनन तथा उत्खनन	1970258	1923021	2078135	2157598	2270298
3.	विनिर्माण	2435032	2817915	2976318	3241542	3485145
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	709991	970686	1079519	1380946	1630765
5.	निर्माण	1901330	1920771	2130807	2302752	2476264
	सेवाएँ (स)	5140421	5932758	6815264	7733180	8838986
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	932617	1233977	1446757	1762308	1985909
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	583708	683340	795478	901144	1037078
8.	वित्तीय सेवा	537699	609344	676094	739057	813950
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1755211	1919629	2072466	2250056	2460775
10.	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	1331186	1486468	1824469	2080615	2541274
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	14842983	16746059	18665501	21081259	23479292
12.	उत्पाद कर—उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1067500	1217700	1665422
13.	सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	15807383	17883859	19733001	22298959	25144714
14.	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490
15.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	61305	68256	74117	82427	91469

तालिका 3.6 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घेरलू उत्पाद स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर

(लाख रु. में)

क्र.सं.	उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	2685950	2850360	2932703	3212257	3227211
1.1	फसलें	1798258	1923736	1986080	2245153	2227953
1.2	पशुपालन	226704	237979	251439	247427	253760
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	426205	449230	428281	425419	428000
1.4	मछली उद्योग	234783	239415	266903	294258	317498
	उद्योग (ब)	7016612	7326445	7738552	8296098	8882620
2.	खनन तथा उत्खनन	1970259	1923176	2072369	2113426	2169869
3.	विनिर्माण	2435032	2660179	2777958	2983749	3162448
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	709991	955984	1044095	1345597	1596686
5.	निर्माण	1901330	1787106	1844131	1853326	1953616
	सेवाएँ (स)	5140421	5505498	5948676	6410450	7039198
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	932617	1144798	1267751	1471902	1567547
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	583708	657183	739668	807914	926816
8.	वित्तीय सेवा	537699	597241	618887	675796	725460
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1755211	1741686	1763428	1800022	1879124
10.	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	1331186	1364590	1558942	1654816	1940251
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	14842983	15682302	16619931	17918806	19149029
12.	उत्पाद कर-उत्पाद अनुदान	964400	1040858	889202	964184	1068988
13.	सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	15807383	16723160	17509133	18882990	20218017
14.	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490
15.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	61305	63826	65764	69800	73547

तालिका 3.7 छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घेरलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12) प्रचलित भावों पर

(लाख रु. में)

क्र.सं.	उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	2496387	2959930	3329738	3957115	4437853
1.1	फसलें	1646143	1963201	2187845	2647429	2931673
1.2	पशुपालन	221527	249016	289638	344425	410020
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	421532	497684	563058	622985	715457
1.4	मछली उद्योग	207185	250029	289197	342276	380703
	उद्योग (ब)	6112670	6601599	7118541	7776950	8366320
2.	खनन तथा उत्खनन	1732435	1689652	1793090	1843662	1924544
3.	विनिर्माण	2096873	2457605	2602042	2847754	3070828
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	471685	634688	708675	914860	1044976
5.	निर्माण	1811676	1819654	2014733	2170673	2325972
	सेवाएँ (स)	4653886	5376539	6172587	7002099	8005227
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	868351	1155150	1348181	1642232	1850597
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	489851	577303	682176	772614	888979
8.	वित्तीय सेवा	529208	598550	663828	725649	799183
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1609432	1747425	1878710	2039697	2229341
10	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	1157044	1298111	1599692	1821907	2237127
11.	योग (अ+ब+स) नि.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	13262943	14938068	16620866	18736164	20809400
12.	उत्पाद कर—उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1067500	1217700	1665422
13.	सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	14227343	16075868	17688366	19953864	22474822
14.	जनसंख्या (हजार में)	25785	26201	26624	27053	27490
15.	प्रति व्यक्ति आय (रु.)	55177	61356	66438	73758	81756

तालिका 3.8 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घेरलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि-प्रचलित भावों पर

क्र.सं.	उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	18.43	12.72	18.96	12.02
1.1	फसलें	19.06	11.90	21.01	10.74
1.2	पशुपालन	12.50	16.26	18.48	18.67
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	18.09	13.17	10.52	14.69
1.4	मछली उद्योग	19.96	14.92	19.10	11.23
	उद्योग (ब)	8.78	8.29	9.90	8.58
2.	खनन तथा उत्खनन	-2.40	8.07	3.82	5.22
3.	विनिर्माण	15.72	5.62	8.91	7.52
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	36.72	11.21	27.92	18.09
5.	निर्माण	1.02	10.94	8.07	7.53
	सेवाएँ (स)	15.41	14.88	13.47	14.30
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	32.31	17.24	21.81	12.69
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	17.07	16.41	13.28	15.08
8.	वित्तीय सेवा	13.32	10.95	9.31	10.13
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	9.37	7.96	8.57	9.37
10.	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	11.66	22.74	14.04	22.14
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	12.82	11.46	12.94	11.38
12.	उत्पाद कर-उत्पाद अनुदान	17.98	-6.18	14.07	36.77
13.	सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	13.14	10.34	13.00	12.76
14.	जनसंख्या (हजार में)	26201	26624	27053	27490
15.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	11.34	8.59	11.21	10.97

तालिका 3.9 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घेरलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि-स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर

क्र.सं.	उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	6.12	2.89	9.53	0.47
1.1	फसलें	6.98	3.24	13.04	-0.77
1.2	पशुपालन	4.97	5.66	-1.60	2.56
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	5.40	-4.66	-0.67	0.61
1.4	मछली उद्योग	1.97	11.48	10.25	7.90
	उद्योग (ब)	4.42	5.62	7.20	7.07
2.	खनन तथा उत्खनन	-2.39	7.76	1.98	2.67
3.	विनिर्माण	9.25	4.43	7.41	5.99
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	34.65	9.22	28.88	18.66
5.	निर्माण	-6.01	3.19	0.50	5.41
	सेवाएँ (स)	7.10	8.05	7.76	9.81
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	22.75	10.74	16.10	6.50
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	12.59	12.55	9.23	14.72
8.	वित्तीय सेवा	11.07	3.62	9.20	7.35
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	-0.77	1.25	2.08	4.39
10	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	2.51	14.24	6.15	17.25
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	5.65	5.98	7.82	6.87
12.	उत्पाद कर-उत्पाद अनुदान	7.93	-14.57	8.43	10.87
13.	सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	5.79	4.70	7.85	7.07
14.	जनसंख्या (हजार में)	26201	26624	27053	27490
15.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.	4.11	3.04	6.14	5.37

तालिका 3.10 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घेरलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण-प्रचलित भावों पर

क्र.सं.	उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	18.10	18.99	19.21	20.23	20.35
1.1	फसलें	12.12	12.78	12.83	13.75	13.67
1.2	पशुपालन	1.53	1.52	1.59	1.67	1.78
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	2.87	3.01	3.05	2.99	3.07
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.68	1.73	1.83	1.83
	उद्योग (ब)	47.27	45.58	44.28	43.08	42.00
2.	खनन तथा उत्खनन	13.27	11.48	11.13	10.23	9.67
3.	विनिर्माण	16.41	16.83	15.95	15.38	14.84
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	4.78	5.80	5.78	6.55	6.95
5.	निर्माण	12.81	11.47	11.42	10.92	10.55
	सेवाएँ (स)	34.63	35.43	36.51	36.68	37.65
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	6.28	7.37	7.75	8.36	8.46
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	3.93	4.08	4.26	4.27	4.42
8.	वित्तीय सेवा	3.62	3.64	3.62	3.51	3.47
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	11.83	11.46	11.10	10.67	10.48
10	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	8.97	8.88	9.77	9.87	10.82
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

तालिका 3.11 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण-स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) पर

क्र.सं.	उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(Q)	2015-16 (A)
1.	कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	18.10	18.18	17.65	17.93	16.85
1.1	फसलें	12.12	12.27	11.95	12.53	11.63
1.2	पशुपालन	1.53	1.52	1.51	1.38	1.33
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	2.87	2.86	2.58	2.37	2.24
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.53	1.61	1.64	1.66
	उद्योग (ब)	47.27	46.72	46.56	46.30	46.39
2.	खनन तथा उत्खनन	13.27	12.26	12.47	11.79	11.33
3.	विनिर्माण	16.41	16.96	16.71	16.65	16.51
4.	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य	4.78	6.10	6.28	7.51	8.34
5.	निर्माण	12.81	11.40	11.10	10.34	10.20
	सेवाएँ (स)	34.63	35.11	35.79	35.77	36.76
6.	व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	6.28	7.30	7.63	8.21	8.19
7.	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	3.93	4.19	4.45	4.51	4.84
8.	वित्तीय सेवा	3.62	3.81	3.72	3.77	3.79
9.	स्थावर संपदा, अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	11.83	11.11	10.61	10.05	9.81
10.	लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएँ	8.97	8.70	9.38	9.24	10.13
11.	योग (अ+ब+स) स.रा.घ.मूल्य वर्द्धन आधार मूल्य पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

312345

7

പ്രൊഫ്. നരേന്ദ്ര
കൃഷ്ണമൂർത്തി


4. मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर-15 में दिसंबर-14 की स्थिति से ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 8.6, 3.7 एवं 6.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत मूल्य सूचकांक (CPI-AL) तथा (CPI-AL) जनवरी से दिसंबर-15 का औसत क्रमशः 825 एवं 829 था जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 4.6 एवं 4.8 प्रतिशत अधिक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) दिसंबर-15 में दिसंबर-14 की स्थिति से सम्पूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ के भिलाई केन्द्र में क्रमशः 5.88 एवं 4.97 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर-15 में दिसंबर-14 की स्थिति में 0.7 प्रतिशत कमी हुई है।
- वर्ष 2015-16 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड-ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः 1410 एवं 1450 भारत सरकार द्वारा घोषित।
- 31 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 5948154 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2014-15 में राशि रु. 8671.65 करोड़ से 63.10 लाख टन धान खरीदा गया।
- वर्ष 2015-16 में जनवरी 16 तक राशि रु. 8413.30 करोड़ से 59.17 लाख टन धान खरीदा गया।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 31 जनवरी 2016 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1303 तथा 11002 संचालित है।

4.1 मूल्य:- आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।


4.1.1 भारत में मूल्य स्थिति:- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2014 में 124.1, 118.4 एवं 121.9 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2015 में 134.8, 122.8 एवं 130.2 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। दिसम्बर 2014 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 120.3, 118.4 एवं 119.4 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2015 में 127.9, 124.0 एवं 126.1 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। इस अवधि में, बिंदु से बिंदु आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए जहां छ.ग. में 8.6, 3.7 एवं 6.8 रही, वहीं भारत में 6.3, 4.7 एवं 5.6 थी। अतः न केवल वर्ष 2014 की स्थिति में छ.ग. में तीनों क्षेत्र में सूचकांक का स्तर भारत के स्तर से अधिक था, बल्कि परवर्ती एक वर्ष में भी मुद्रास्फीति दर भी अधिक रहा, फलस्वरूप दिसंबर 2015 की स्थिति में छ.ग. एवं भारत के सूचकांक का अंतर बढ़ गया है। (विस्तृत विवरण – परिशिष्ट 4.1, 4.2 एवं 4.3)




तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

भारत / राज्य	दिसंबर-2014			दिसम्बर-2015			वार्षिक वृद्धि (%)		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
छ.ग.	124.1	118.4	121.9	134.8	122.8	130.2	8.6	3.7	6.8
भारत	120.3	118.4	119.4	127.9	124	126.1	6.3	4.7	5.6

4.1.3 :- श्रम ब्यूरो द्वारा जारी (CPI-IW) मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, संगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से विकसित 78 चुने हुए केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है। भारत के जनवरी से दिसंबर 2015 तक का औसत CPI-IW 261.4 एवं भिलाई केंद्र में 291.1 था एवं यह पिछले वर्ष के संबंधित आवधि की तुलना में 5.88 प्रतिशत एवं भिलाई केंद्र में 4.97 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट -4.5)






4.1.2 :- श्रम ब्युरो, भारत सरकार तीन प्रकार के मासिक सूचकांक—कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL), ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तैयार करता है। (CPI-AL) एवं (CPI-RL) का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु किया जाता है। सारणी 4.3 में CPI-AL एवं CPI-RL की शृंखला दर्शाई गई है। भारत के कृषि श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का जनवरी से दिसंबर 15 तक का औसत 825 था, जो कि गत् वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार भारत के ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) 829 है जो गत् वर्ष की तुलना में 4.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। परिशिष्ट 4.4 में विस्तृत जानकारी दर्शित है।

4.1.4 थोक मूल्य सूचकांक :-भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05) तैयार किया जाता है, जो शासन की व्यापार, राजकोषीय एवं अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं पुनरीक्षण में प्रमुख निर्धारक है।

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक जो माह दिसम्बर 2013 में 179.6 एवं माह दिसम्बर 2014 में 178.7 था वह माह दिसम्बर 2015 में 177.4 हो गया है। जोकि दिस.14 से दिस.15 की अवधि में बिन्दु से बिन्दु मुदास्फीति में 0.7 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। इसी अवधि (दिस.13 से दिस.14) में 0.5 प्रतिशत कमी थी। यद्यपि (दिस.14 से दिस.15) अवधि में प्राथमिक वस्तुओं के समूह में मुदास्फीति (+) 5.48 प्रतिशत थी तथापि ईंधन एवं ऊर्जा समूह के लिए (-) 10.07 प्रतिशत एवं विनिर्माण उत्पाद के लिए (-)1.38 प्रतिशत मुद्रास्फीति होने के फलस्वरूप सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक में 0.7 प्रतिशत ह्रास परिलक्षित हो रहा है। क्षेत्रवार थोक मूल्य सूचकांक निम्नांकित चार्ट में दर्शाया गया है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.6)



उपर्युक्त दिए गए परिच्छेद से यह दृष्टिगत होता है कि दिसंबर 2014 की तुलना में दिसंबर 2015 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु थोक मूल्य सूचकांक में 0.7 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। समान अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि व थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में ह्रास होने के कारण को इस प्रकार समझा जा सकता है—

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खपत योग्य आवश्यक वस्तु व सेवाओं पर केंद्रित होता है जबकी थोक मूल्य सूचकांक देश के अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर केंद्रित होता है। थोक मूल्य सूचकांक में तीन क्षेत्र शामिल है यथा, प्राथमिक वस्तु समूह (वेटेज 20.1), ईंधन-ऊर्जा समूह (वेटेज 14.9), एवं विनिर्मित वस्तु समूह (वेटेज 65.0)। साधारणतः प्राथमिक वस्तु समूह के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं (वेटेज 8.2) के थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगभग समानता दर्शाता है। इसलिए सम्पूर्ण थोक मूल्य सूचकांक में 0.7 प्रतिशत ह्रास किन्तु इसके अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के समूह के थोक मूल्य सूचकांक में (+) 8.2 प्रतिशत वृद्धि के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.6 प्रतिशत वृद्धि असंभव नहीं है।

थोक मूल्य सूचकांक के प्राथमिक क्षेत्र के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यतः दाल समूह (55.6 प्रतिशत वृद्धि), मसाले समूह (21.7 प्रतिशत वृद्धि) एवं फल-सब्जी समूह (10.3 प्रतिशत वृद्धि) के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्य सामग्री समूह में 8.2 वृद्धि परिलक्षित हुई।

उपमोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माण-सीएसओ (आधार वर्ष 2012)

परिशिष्ट 4.1

माह	राज्य	खाद्य एवं पेय		मादक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश		विविध		सामान्य सूची					
		शा.	समी.	शा.	समी.	शा.	समी.	शा.	समी.	शा.	समी.	शा.	समी.	शा.	समी.				
जन-13	भारत	105.5	105.9	105.6	105.1	106.4	105.8	106.2	100.3	105.5	105.4	105.5	104.0	103.7	103.9	105.1	104.0	104.6	
फर-13	भारत	106.3	107.2	106.6	105.7	107.0	106.4	106.8	100.4	106.2	105.7	106.0	104.3	104.3	104.4	105.8	104.7	105.3	105.3
मार्च-13	भारत	106.6	107.3	106.9	106.6	107.5	107.0	107.3	100.4	106.1	106.0	106.1	104.6	104.9	104.7	106.0	105.0	105.5	105.5
अप्रैल-13	भारत	107.1	108.8	107.7	107.5	108.0	107.7	107.9	100.5	106.5	106.4	106.5	104.6	105.1	104.8	106.4	105.7	106.1	106.1
मई-13	भारत	108.1	111.1	109.2	108.6	108.6	108.3	108.5	100.5	107.5	107.2	107.4	104.8	104.9	104.8	107.2	106.6	106.9	106.9
जून-13	भारत	110.6	115.0	112.2	109.0	109.5	108.9	109.3	106.6	108.5	108.0	108.3	105.5	106.1	105.8	108.9	109.7	109.3	109.3
जुलाई-13	भारत	113.1	117.5	114.7	109.8	110.3	109.5	110.0	107.7	109.5	108.6	109.2	106.5	107.3	106.9	110.7	111.4	111.0	111.0
अग-13	भारत	114.9	119.6	116.6	110.7	112.4	111.1	110.2	108.9	109.9	109.3	109.7	107.5	108.3	107.9	112.1	112.7	112.4	112.4
सित-13	भारत	117.8	119.2	118.3	111.7	112.9	111.1	111.9	109.7	111.1	109.5	110.5	108.7	109.4	109.0	114.2	113.2	113.7	113.7
अक्टू-13	भारत	119.8	120.8	120.2	112.2	113.5	112.5	112.8	110.5	111.6	109.7	110.9	109.1	109.4	109.2	115.5	114.0	114.8	114.8
नव-13	भारत	122.5	122.9	122.6	112.8	114.1	113.0	113.8	111.1	112.6	110.0	111.6	109.8	109.6	109.7	117.4	115.0	116.3	116.3
दिस-13	भारत	118.7	117.8	118.4	113.6	115.0	113.7	114.8	110.7	112.8	110.4	111.9	110.1	109.8	110.0	115.5	113.3	114.5	114.5
जन-14	भारत	116.0	115.5	115.8	114.0	115.5	113.7	115.4	111.6	113.0	111.0	112.2	110.6	110.5	110.6	114.2	112.9	113.6	113.6
फर-14	भारत	115.3	115.2	115.3	114.2	116.2	114.7	115.9	112.5	113.2	111.1	112.4	110.9	111.0	110.9	114.0	113.1	113.6	113.6
मार्च-14	भारत	116.2	116.0	116.1	114.6	116.7	115.2	116.4	113.2	113.4	110.9	112.5	111.3	111.4	111.3	114.6	113.7	114.2	114.2
अप्रैल-14	भारत	117.2	118.2	117.6	115.4	117.6	116.0	117.0	113.9	113.4	110.9	112.5	111.5	111.4	111.5	115.4	114.7	115.1	115.1
मई-14	भारत	118.2	120.0	118.9	116.3	118.3	116.8	116.2	114.3	113.4	111.1	112.5	111.8	111.7	111.8	116.0	115.6	115.8	115.8
जून-14	भारत	119.5	122.0	120.4	117.3	119.0	117.8	118.3	113.9	114.4	111.2	113.2	112.3	112.2	112.3	117.0	116.4	116.7	116.7
जुलाई-14	भारत	123.3	127.1	124.7	118.0	121.0	118.8	120.3	114.8	115.3	111.6	113.9	113.1	113.5	113.3	119.5	118.9	119.2	119.2
अग-14	भारत	125.3	128.9	126.6	118.8	123.0	119.9	119.6	115.5	115.4	111.8	114.0	113.5	113.9	113.7	120.7	119.9	120.3	120.3
सित-14	भारत	125.3	126.7	125.8	119.5	124.3	120.8	121.3	116.1	115.8	111.8	114.3	113.7	113.6	113.7	120.9	119.2	120.1	120.1
अक्टू-14	भारत	125.1	125.8	125.4	120.0	124.3	121.1	122.3	116.7	116.4	112.0	114.7	114.0	113.7	113.9	121.0	119.1	120.1	120.1
नव-14	भारत	124.9	125.4	125.1	120.8	125.8	122.1	122.9	117.1	117.3	112.6	115.5	114.1	113.4	113.8	121.1	119.0	120.1	120.1
दिस-14	भारत	123.3	124.0	123.6	121.7	126.4	123.0	122.0	116.5	117.4	113.0	115.7	114.2	113.4	113.8	120.3	118.4	119.4	119.4
जन-15	भारत	122.8	123.5	123.1	122.7	127.4	124.0	122.5	117.3	118.4	113.4	116.5	114.5	113.4	114.0	120.3	118.5	119.5	119.5
फर-15	भारत	122.8	123.7	123.1	124.2	128.1	125.2	120.6	118.1	120.0	114.0	117.7	115.0	113.2	114.1	120.6	118.7	119.7	119.7
मार्च-15	भारत	123.1	123.9	123.4	124.7	128.8	125.8	120.9	118.6	120.6	114.4	118.3	115.5	113.8	114.7	121.1	119.1	120.2	120.2
अप्रैल 15	भारत	123.6	124.6	124.0	125.7	130.1	126.9	124.1	119.2	121.2	114.7	118.7	116.0	114.2	115.1	121.5	119.7	120.7	120.7
मई 15	भारत	124.4	126.1	125.0	126.7	131.3	127.9	124.7	119.6	121.9	114.9	119.2	116.9	115.2	116.1	122.4	120.7	121.6	121.6
जून-15	भारत	126.6	128.5	127.3	128.2	132.1	129.2	125.7	119.0	122.6	115.1	119.8	117.9	116.0	117.0	124.1	121.7	123.0	123.0
जुलाई-15	भारत	127.5	129.5	128.2	129.4	133.1	130.4	126.1	119.9	123.0	115.3	120.1	118.1	116.3	117.2	124.7	122.4	123.6	123.6
अग-15	भारत	129.8	131.1	130.3	130.1	134.2	131.2	126.6	120.9	123.8	115.3	120.6	118.2	116.2	117.2	126.1	123.2	124.8	124.8
सित-15	भारत	131.0	131.5	131.2	131.0	134.7	132.0	127.2	121.6	123.7	115.1	120.4	118.8	116.2	117.5	127.0	123.5	125.4	125.4
अक्टू-15	भारत	131.8	132.6	132.1	131.5	135.3	132.5	127.8	122.4	124.4	114.9	120.8	119.2	116.5	117.9	127.7	124.2	126.1	126.1
नव-15	भारत	132.4	133.3	132.7	132.2	137.6	133.6	128.6	122.9	125.6	115.1	121.6	119.6	116.6	118.1	128.3	124.6	126.6	126.6
दिस-15	भारत	131.4	131.5	131.4	133.0	138.2	134.4	129.0	122.4	125.6	116.0	122.0	119.8	116.7	118.3	127.9	124.0	126.1	126.1

परिशिष्ट 4.2

उपमोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माण-सीएसओ (आधार वर्ष 2012)

माह	राज्य	खाद्य एवं पेय		मादक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि.		ईंधन एवं प्रकारां		विविध		सामान्य सूची						
		ग्रा.	श.	समी	ग्रा.	श.	समी	ग्रा.	श.	समी	ग्रा.	श.	समी	ग्रा.	श.	समी				
जन-13	छ.ग.	103.3	104.2	103.6	104.8	104.6	104.7	106.0	106.2	106.1	100.8	103.9	102.7	103.6	104.1	102.6	103.5	103.9	103.1	103.6
फर-13	छ.ग.	104.2	106.0	104.7	105.4	105.1	105.3	107.1	106.2	106.8	100.9	105.8	102.8	104.9	105.1	102.9	104.2	104.8	103.9	104.5
मार्च-13	छ.ग.	105.2	106.0	105.4	106.6	105.2	106.2	108.0	106.7	107.6	100.9	105.7	102.4	104.7	104.7	103.3	104.1	105.4	104.0	104.9
अप्रै-13	छ.ग.	104.9	106.9	105.5	106.0	106.3	106.1	106.2	109.4	107.3	100.9	108.1	103.8	106.9	104.6	102.8	103.8	105.3	104.5	105.0
मई-13	छ.ग.	105.5	110.0	106.8	108.6	108.0	108.4	107.1	109.7	108.0	101.0	109.4	104.7	108.0	104.9	102.7	104.0	106.0	105.7	105.9
जून-13	छ.ग.	111.1	115.0	112.3	110.0	109.4	109.8	109.6	110.2	109.8	106.5	113.1	104.7	110.7	105.6	103.3	104.6	109.8	108.8	109.4
जुला-13	छ.ग.	115.6	124.4	118.2	112.7	110.5	112.1	110.8	110.4	110.7	107.2	115.3	105.0	112.3	106.7	104.2	105.6	112.9	112.7	112.8
अग-13	छ.ग.	118.0	125.5	120.2	113.5	113.1	113.4	110.0	111.5	110.5	108.1	111.8	105.3	109.9	107.5	105.5	106.6	114.0	113.7	113.9
सित-13	छ.ग.	122.3	125.1	123.1	114.8	113.9	114.5	112.8	112.2	112.6	109.3	111.7	105.9	110.0	109.2	106.5	108.0	117.0	114.2	115.9
अक्टू-13	छ.ग.	126.2	126.6	126.3	116.7	114.7	116.1	115.3	113.4	114.7	110.2	117.3	105.4	113.9	110.8	106.3	108.9	120.3	115.0	118.2
नव-13	छ.ग.	130.6	131.5	130.9	117.1	115.1	116.5	115.8	114.2	115.3	111.1	114.8	106.6	112.4	111.1	106.4	109.1	122.6	117.1	120.5
दिस-13	छ.ग.	121.9	119.3	121.1	119.6	115.7	118.5	117.6	114.8	116.7	111.2	119.2	106.6	115.6	112.4	106.4	109.8	118.9	112.8	116.5
जन-14	छ.ग.	118.7	115.1	117.6	119.2	115.9	118.3	117.6	116.2	117.1	111.7	120.7	106.8	116.7	112.7	107.1	110.3	117.4	111.7	115.2
फर-14	छ.ग.	118.0	113.3	116.6	119.3	116.1	118.4	118.2	116.1	117.5	112.2	118.8	106.9	115.4	112.6	107.4	110.4	116.9	111.2	114.7
मार्च-14	छ.ग.	118.6	112.9	116.9	119.7	116.6	118.8	119.1	117.5	118.6	113.6	119.0	107.0	115.5	113.3	107.7	110.9	117.4	111.6	115.2
अप्रै-14	छ.ग.	118.7	115.1	117.6	120.4	116.8	119.4	120.9	118.1	120.0	113.7	119.8	107.0	116.1	114.2	107.5	111.3	118.0	112.4	115.8
मई-14	छ.ग.	117.9	118.7	118.1	120.0	116.9	119.1	120.6	119.4	120.2	114.5	120.2	107.2	116.4	113.8	107.9	111.3	117.4	114.0	116.1
जून-14	छ.ग.	120.8	120.5	120.7	123.1	117.5	121.5	120.5	120.7	120.6	114.5	119.4	107.6	116.0	113.8	108.4	111.5	119.0	115.0	117.5
जुला-14	छ.ग.	127.7	130.0	128.4	124.6	118.6	122.9	122.3	121.2	121.9	114.9	116.8	109.0	114.5	114.9	109.5	112.6	122.9	118.9	121.4
अग-14	छ.ग.	133.5	135.8	134.2	125.5	120.3	124.0	121.2	122.4	121.6	115.6	118.9	111.7	116.8	115.7	109.7	113.1	126.4	121.5	124.5
सित-14	छ.ग.	131.2	128.4	130.4	122.8	121.1	122.3	122.4	123.2	122.7	116.4	121.6	112.3	118.9	116.5	108.9	113.2	125.7	118.9	123.1
अक्टू-14	छ.ग.	128.6	126.6	128.0	124.9	121.4	123.9	123.7	124.4	123.9	117.0	120.8	114.0	118.8	118.0	108.7	114.0	124.7	118.5	122.3
नव-14	छ.ग.	128.0	125.5	127.3	125.7	124.3	125.3	124.1	124.7	124.3	117.9	121.6	119.3	120.9	116.8	108.3	113.1	124.3	118.6	122.1
दिस-14	छ.ग.	128.1	123.8	126.8	123.5	125.9	124.2	124.4	125.4	124.7	118.5	121.0	121.5	121.1	116.4	108.5	113.0	124.1	118.4	121.9
जन-15	छ.ग.	125.7	120.4	124.1	125.0	125.7	125.2	125.5	126.1	125.7	118.9	120.1	121.6	120.5	117.2	108.5	113.5	123.1	117.3	120.9
फर-15	छ.ग.	125.2	120.2	123.7	130.2	125.5	128.9	129.4	127.0	128.6	119.4	127.2	123.2	126.0	118.4	108.0	113.9	124.3	117.3	121.6
मार्च-15	छ.ग.	127.0	120.1	125.0	130.5	125.6	129.1	130.9	128.7	130.2	119.9	129.1	123.0	127.3	119.6	108.8	115.0	125.9	117.7	122.7
अप्रै-15	छ.ग.	127.8	121.9	126.1	131.2	127.4	130.1	131.3	130.4	131.0	120.2	132.3	123.4	129.7	121.0	109.5	116.1	127.1	118.8	123.9
मई-15	छ.ग.	129.4	123.4	127.6	133.6	127.1	131.8	135.9	131.2	134.4	120.8	132.8	123.1	130.0	123.7	110.3	117.9	129.1	119.7	125.5
जून-15	छ.ग.	132.6	125.2	130.4	133.3	127.0	131.5	137.2	131.2	135.2	120.3	135.7	125.7	132.8	125.1	110.9	119.0	131.5	120.6	127.3
जुला-15	छ.ग.	132.3	126.4	130.6	134.4	129.1	132.9	135.1	131.1	133.8	120.7	130.9	125.4	129.3	124.5	110.9	118.7	130.6	121.1	126.9
अग-15	छ.ग.	134.3	128.1	132.5	135.4	130.5	134.0	138.5	132.3	136.5	121.5	135.7	125.3	132.7	126.1	110.3	119.3	132.9	121.8	128.6
सित-15	छ.ग.	134.3	129.0	132.7	135.0	129.9	133.6	139.5	132.9	137.3	122.4	139.1	125.7	135.2	126.3	110.7	119.6	133.3	122.5	129.1
अक्टू-15	छ.ग.	137.7	134.1	136.6	133.6	130.9	132.8	141.6	134.3	139.2	122.5	143.8	126.0	138.6	127.4	111.3	120.5	136.0	124.6	131.6
नव-15	छ.ग.	140.1	134.4	138.4	134.1	130.9	133.2	144.5	134.8	141.3	123.2	144.7	125.5	139.1	127.7	111.1	120.6	137.7	124.8	132.7
दिस-15	छ.ग.	135.9	128.7	133.8	135.3	130.0	133.8	143.0	135.5	140.5	123.3	139.1	125.9	135.3	127.3	110.9	120.3	134.8	122.8	130.2

मुद्रास्फीति भारत एवं छत्तीसगढ़— सीपीआई के अनु. (सीएसओ) संयुक्त

वर्ष	माह	खाद्य एवं पेय		मादक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि. (श.)		ईंधन एवं प्रकाश		विविध		सामान्य सूची	
		भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.
2014	जन.	9.7	13.5	8.9	13.0	8.7	10.4	11.3	10.8	6.4	12.6	6.5	6.6	8.6	11.2
2014	फर	8.2	11.4	8.5	12.4	8.5	10.0	12.1	11.2	6.0	10.0	6.2	6.0	7.9	9.8
2014	मार्च	8.6	10.9	8.1	11.9	8.5	10.2	12.8	12.6	6.0	10.3	6.3	6.5	8.3	9.8
2014	अप्रैल	9.2	11.5	7.9	12.5	8.4	11.8	13.3	12.7	5.6	8.6	6.4	7.2	8.5	10.3
2014	मई	8.9	10.6	7.6	9.9	8.4	11.3	13.7	13.4	4.8	7.8	6.7	7.0	8.3	9.6
2014	जून	7.3	7.5	7.6	10.7	8.2	9.8	6.9	7.5	4.5	4.8	6.1	6.6	6.8	7.4
2014	जुलाई	8.7	8.6	7.7	9.6	8.3	10.1	6.6	7.2	4.3	2.0	6.0	6.6	7.4	7.6
2014	अगस्त	8.6	11.7	7.8	9.4	8.0	10.1	6.1	6.9	3.9	6.3	5.4	6.1	7.0	9.3
2014	सित.	6.3	5.9	7.9	6.8	7.3	9.0	5.8	6.5	3.4	8.1	4.3	4.8	5.6	6.2
2014	अक्टू	4.3	1.4	7.6	6.7	7.3	8.0	5.6	6.2	3.4	4.3	4.3	4.7	4.6	3.5
2014	नव.	2.0	-2.8	8.0	7.6	6.9	7.8	5.4	6.1	3.5	7.6	3.7	3.7	3.3	1.3
2014	दिस.	4.4	4.7	7.9	4.8	6.3	6.9	5.2	6.6	3.4	4.8	3.5	2.9	4.3	4.6
2015	जन.	6.3	5.5	8.3	5.8	6.2	7.3	5.1	6.5	3.8	3.3	3.1	2.9	5.2	5.0
2015	फर	6.8	6.1	9.2	8.9	6.4	9.5	5.0	6.4	4.7	9.2	2.9	3.2	5.4	6.0
2015	मार्च	6.3	6.9	9.2	8.7	6.3	9.8	4.8	5.6	5.2	10.2	3.1	3.7	5.3	6.5
2015	अप्रैल	5.4	7.2	9.4	9.0	6.1	9.2	4.7	5.7	5.5	11.7	3.2	4.3	4.9	7.0
2015	मई	5.1	8.0	9.5	10.7	6.0	11.8	4.6	5.5	6.0	11.7	3.9	5.9	5.0	8.1
2015	जून	5.7	8.0	9.7	8.2	6.3	12.1	4.5	5.1	5.8	14.5	4.2	6.7	5.4	8.3
2015	जुलाई	2.8	1.7	9.8	8.1	5.9	9.8	4.4	5.1	5.4	12.9	3.4	5.4	3.7	4.5
2015	अगस्त	2.9	-1.3	9.4	8.1	5.9	12.3	4.7	5.1	5.8	13.6	3.1	5.5	3.7	3.3
2015	सित.	4.3	1.8	9.3	9.2	5.9	11.9	4.7	5.2	5.3	13.7	3.3	5.7	4.4	4.9
2015	अक्टू	5.3	6.7	9.4	7.2	5.6	12.4	4.9	4.7	5.3	16.7	3.5	5.7	5.0	7.6
2015	नव.	6.1	8.7	9.4	6.3	5.8	13.7	5.0	4.5	5.3	15.1	3.8	6.6	5.4	8.7
2015	दिस.	6.3	5.5	9.3	7.7	5.7	12.7	5.1	4.1	5.5	11.7	4.0	6.5	5.6	6.8

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक

माह	सीपीआई-एल	सीपीआई-आरएल
जन.-14	757	759
फर.-14	757	759
मार्च-14	763	765
अप्रैल-14	771	773
मई-14	777	780
जून-14	785	787
जुलाई-14	799	801
अगस्त-14	808	810
सित.-14	811	813
अक्टू-14	813	815
नवंबर-14	813	816
दिस.-14	809	812
जन.-15	804	808
फर.-15	803	806
मार्च-15	803	807
अप्रैल-15	805	809
मई-15	811	816
जून-15	820	824
जुलाई-15	822	827
अगस्त-15	832	836
सित.-15	839	843
अक्टू-15	849	853
नवंबर-15	853	857
दिस.-15	853	857

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2001=100) मुद्रास्फीति दर

2007	6.72	7.56	6.72	6.67	6.61	5.69	6.45	7.26	6.40	5.51	5.51	5.51	6.38
2008	5.51	5.47	7.87	7.81	7.75	7.69	8.33	9.02	9.77	10.45	10.45	9.70	8.32
2009	10.45	9.63	8.03	8.70	8.63	9.29	11.89	11.72	11.64	11.49	13.51	14.97	10.83
2010	16.22	14.86	14.86	13.33	13.91	13.73	11.25	9.88	9.82	9.70	8.33	9.47	12.11
2011	9.30	8.82	8.82	9.41	8.72	8.62	8.43	8.99	10.06	9.39	9.34	6.49	8.87
2012	5.32	7.57	8.65	10.22	10.16	10.05	9.84	10.31	9.14	9.60	9.55	11.17	9.30
2013	11.62	12.06	11.44	10.24	10.68	11.06	10.85	10.75	10.70	11.06	11.47	9.13	10.92
2014	7.24	6.73	6.70	7.08	7.02	6.49	7.23	6.75	6.30	4.98	4.12	5.86	6.38
2015	7.17	6.30	6.28	5.79	5.74	6.10	4.37	4.35	5.14	6.32	6.72	6.32	5.88

छत्तीसगढ़: सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक) (आधार वर्ष 2001=100) केन्द्र मिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	औसत
2006	117	116	118	119	120	123	124	122	122	124	124	124	121.1
2007	125	125	125	125	128	129	137	136	136	137	138	137	131.5
2008	140	139	139	140	141	142	146	147	150	151	152	151	144.8
2009	151	151	151	154	156	158	164	168	170	172	173	171	161.6
2010	174	174	175	175	176	179	183	183	181	181	187	190	179.8
2011	194	189	192	193	196	198	216	218	221	221	220	219	206.4
2012	228	228	229	235	237	239	246	249	250	250	250	250	240.9
2013	251	251	251	257	261	269	272	274	272	275	276	269	264.8
2014	267	268	268	270	274	277	284	282	284	284	285	284	277.3
2015	279	277	278	283	287	288	296	298	302	302	301	302	291.1

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2001=100) मुद्रास्फीति दर

2007	6.84	7.76	5.93	5.04	6.67	4.88	10.48	11.48	11.48	10.48	11.29	10.48	8.57
2008	12.00	11.20	11.20	12.00	10.16	10.08	6.57	8.09	10.29	10.22	10.14	10.22	10.18
2009	7.86	8.63	8.63	10.00	10.64	11.27	12.33	14.29	13.33	13.91	13.82	13.25	11.50
2010	15.23	15.23	15.89	13.64	12.82	13.29	11.59	8.93	6.47	5.23	8.09	11.11	11.46
2011	11.49	8.62	9.71	10.29	11.36	10.61	18.03	19.13	22.10	22.10	17.65	15.26	14.70
2012	17.53	20.63	19.27	21.76	20.92	20.71	13.89	14.22	13.12	13.12	13.64	14.16	16.91
2013	10.09	10.09	9.61	9.36	10.13	12.55	10.57	10.04	8.80	10.00	10.40	7.60	9.94
2014	6.37	6.77	6.77	5.06	4.98	2.97	4.41	2.92	4.41	3.27	3.26	5.58	4.73
2015	4.49	3.36	3.73	4.81	4.74	3.97	4.23	5.67	6.34	6.34	5.61	6.34	4.97

परिशिष्ट 4.6

थोक विक्रय मूल्य

माह	सभी वस्तुएं	I प्रारंभिक वस्तुएं	II ईंधन एवं ऊर्जा	III उत्पादित वस्तुएं
	100.0	20.1	14.9	65.0
जन.-13	170.3	223.6	193.4	148.5
फर.-13	170.9	224.4	195.5	148.6
मार्च-13	170.1	223.1	191.6	148.7
अप्रैल-13	171.3	226.5	193.7	149.1
मई-13	171.4	227.3	191.9	149.3
जून-13	173.2	233.9	194.7	149.5
जुलाई-13	175.5	240.3	199.9	149.9
अगस्त-13	179.0	251.9	204.7	150.6
सित.-13	180.7	252.7	210.6	151.5
अक्टू-13	180.7	251.4	209.8	152.1
नव-13	181.5	254.9	209.6	152.3
दिस.-13	179.6	243.7	211.1	152.5
जन.-14	179.0	238.8	212.4	152.9
फर.-14	179.5	238.5	212.6	153.6
मार्च-14	180.3	239.4	214.2	154.2
अप्रैल-14	180.8	242.4	211.8	154.6
मई-14	182.0	246.8	212.1	155.1
जून-14	183.0	250.3	212.3	155.4
जुलाई-14	185.0	256.6	214.6	156.0
अगस्त-14	185.9	261.2	214.0	156.1
सित.-14	185.0	257.8	213.4	156.0
अक्टू-14	183.7	253.3	210.8	155.9
नव-14	181.2	250.8	200.1	155.2
दिस.-14	178.7	244.4	194.6	154.7
जन.-15	177.3	242.1	189.0	154.5
फर.-15	175.6	240.9	181.2	154.0
मार्च-15	176.1	239.0	188.0	153.9
अप्रैल-15	176.4	243.6	184.3	153.9
मई-15	178.0	244.2	192.1	154.3
जून-15	179.1	249.1	193.5	154.2
जुलाई-15	177.6	246.4	189.8	153.6
अगस्त-15	176.5	250.2	179.3	153.0
सित.-15	176.5	251.9	175.6	153.3
अक्टू-15	176.9	253.4	176.4	153.3
नव-15	177.6	256.5	177.9	153.0
दिस.-15	177.4	257.8	176.8	152.6

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने में भी उपयोगी है। यह संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित की जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानें विभिन्न एजेंसियों यथा – सहकारी संमिति, ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूह, वन रक्षा समिति एवं नगरीय निकाय द्वारा संचालित होती है। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1330 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11002 कुल 12232 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जो कि राज्य गठन के समय 6501 थीं। विस्तृत विवरण – परिशिष्ट 4.7 ।

4.2.1 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :-

छत्तीसगढ़ स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के हित में राशन की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके तहत 01 अप्रैल 2015 से प्राथमिक श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज मिल रहा है। अन्त्योदय परिवारों को मिलने वाले अनाज की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्हें पहले की तरह हर महीने 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवारों को सिर्फ एक रू. किलो में अनाज मिल रहा है।

तालिका क्र. 4.2.1 योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर						
क्र	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टी तेल	चना
1	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम 13.50 रु प्रतिकिलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम— 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम—2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर	अनुसूचित विकासखण्ड के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किग्रा 5 रु. प्रतिकिलो की दर से
2	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किला 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक	न्यूनतम 15 रु. एवं अधिकतम 17.20 रु. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	निरंक

4.2.3 राशनकार्ड :-

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी करते हैं। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 1519362 अन्त्योदय (गुलाबी), 55485 अन्त्योदय-गुलाबी (नि-शुल्क), 7606 स्पेशल गुलाबी, 4357398 प्राथमिकता (नीला), 8303 निःशक्त-जन (हरा) इस प्रकार कुल 5948154 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। जिसमें 14.7 प्रतिशत अनु. जाति, 32.3 प्रतिशत जनजाति तथा 47.6 प्रतिशत अ.पि.व. शेष 5.4 सामान्य वर्ग के परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 84.2 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 15.8 राशन कार्ड वितरित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.8., 4.9 एवं 4.10 में दर्शित है।

4.2.4 योजनांतर्गत वस्तुओं का वर्षवार आवंटन -

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वर्षवार सामग्रियों का उठाव तालिका 4.2.2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न सामग्री में उठाव में 14.4 प्रतिशत, शक्कर में 38.4 प्रतिशत, दाल में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहीं आयोडाईज्ड नमक एवं चना के उठाव में कमी आई है।

तालिका 4.2.2 सामग्रियों का वर्षवार उठाव				(मात्रा टन में)
क्र	सामग्री	वर्ष	वर्ष	वर्ष
		2013-14	2014-15	2015-16 (जनवरी 2016 तक)
1	चावल	2273514.7	2400919	1136076
2	गेहूँ	34820.92	239212	539722
3	खाद्यान्न	2308335.6	2640131	1675798
4	शक्कर	53246.65	73675	54683
5	नमक	1064714.4	137305	56688
6	चना	446994.6	60312	22050
7	दाल	69724.33	79358	

4.2.4 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य – भारत एवं छत्तीसगढ़ – उद्देश्य एवं स्थिति

न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ-साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा- भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

फसल / किस्म	विपणन वर्ष				
	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
धान-सामान्य	1080	1250	1310	1360	1410
धान- ग्रेड-ए	1110	1280	1345	1400	1450
गेहूँ			-	-	-
ज्वार	980	980	1500	1530	1570
बाजरा	980	980	1250	1250	1275
मक्का	980	1175	1310	1310	1325
रागी	-	-	1500	1550	1650
अरहर	-	-	4300	4350	4625 (रु-200 बोनस सहित)
उडद	3300	-	4300	4350	4625 (रु-200 बोनस सहित)
मूंगफली	2700	-	4000	4000	4030
मूंग	3500	-	4500	4600	4850 (रु-200 बोनस सहित)
सोयाबीन काली	1650	-	2500	2500	-
सोयाबीन पीली	1690	-	2560	2560	2600
सूर्यमुखी	2800	-	-	-	3800
राई व सरसों	1050	-	-	-	-

यद्यपि CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को शासन द्वारा यथावत स्वीकार किया जाता है। तथापि विशेष परिस्थितियों यथा- किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.2.3. में दर्शित है। वर्ष 2015-16 में देश में दलहन के उत्पादन में भारी कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा तुअर, मूंग एवं उडद दालों के प्रति क्विंटल रु. 200 बोनस की घोषणा की गई है।

राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है।

वर्ष 2014-15 में राशि रु. 8671.65 करोड़ मूल्य की 63.10 लाख टन धान खरीदा गया वहीं 31 जनवरी 2016 की स्थिति में वर्ष 2015-16 में राशि रु. 8413.3 करोड़ मूल्य की 59.17 लाख टन खरीदा गया। यह उल्लेखनीय है कि भुगतान के समय कृषि के लिए दिए गए ऋण की भी वसूली की जाती है। वर्ष 2014-15 में राशि रु. 1847 तथा वर्ष 2015-16 में यह राशि रु. 1846 करोड़ की ऋण वसूली की गई। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के धान खरीदी के आंकड़ों

के विश्लेषण से यह दृष्टिगत है कि जहां धान मोटा एवं पतला के खरीदी में क्रमशः 4% एवं 6% कमी देखी गई है वहीं धान सरना के खरीदी में 10% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में सामान्य तथा 'ए' श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य क्रमशः रु. 510 एवं रु. 540 प्रति- क्विंटल था। वर्ष 2014-15 में सामान्य तथा 'ए' श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य क्रमशः रु. 1360 तथा रु. 1400 प्रति क्विंटल था। जिसमें वर्ष 2015-16 में 50/- प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।

4.2.5 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण :-

खरीफ वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया। प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली जाती है। किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4.2.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :-

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:-

(1) पीडीएस-आनलाईन व्यवस्था :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 12332 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है।

(2) चावल उत्सव :- राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित है, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

(3) कॉल सेंटर :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से काल सेंटर संचालित किए जा रहा है। जिसका दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

(4) जनभागीदारी वेबसाइट:- जनभागीदारी वेबसाइट (www.khadya.nic.in/citizen) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई-मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. हेतु 34,507 मोबाईल नंबर पंजीकृत है।

(5) ई-केरोसिन योजना:- उचित मूल्य दुकानों को केरोसिन आबंटन एवं प्रदाय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा ई-केरोसिन योजना अगस्त 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर से उचित मूल्य दुकानों से संलग्न राशनकार्डों की संख्या के आधार पर ऑनलाईन दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 98 थोक केरोसिन डीलर एवं 12332 उचित मूल्य दुकान संचालकों के मोबाईल नंबर दर्ज कर इनका डाटाबेस तैयार किया गया है। थोक केरोसिन डीलर द्वारा ऑयल डिपो से केरोसिन उठाव के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर से विभागीय सर्वर में उठाव किए गए केरोसिन की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती है।

4.2.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई-इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई-गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई. निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

परिशिष्ट : 4.7 जिलेवार शहरी एवं ग्रामीण दुकानों की संख्या 31-01-2016

क्रमांक	जिला	शहरी दुकानों की संख्या	ग्रामीण दुकानों की संख्या	ग्रामीण दुकानों की संख्या
1	बस्तर	42	364	406
2	बीजापुर	11	172	183
3	दन्तेवाड़ा	18	125	143
4	कांकेर	19	424	443
5	कोंडागांव	15	306	321
6	नारायणपुर	5	97	102
7	सुकमा	7	143	150
8	बिलासपुर	172	665	837
9	जांजगीर-चाम्पा	44	630	674
10	कोरबा	64	390	454
11	मुंगेली	13	351	364
12	रायगढ़	71	767	838
13	बालोद	21	421	442
14	बेमेतरा	22	386	408
15	दुर्ग	311	290	601
16	कवर्धा	18	458	476
17	राजनांदगांव	70	798	868
18	बलौदा बाजार-भाटापारा	26	614	640
19	धमतरी	33	358	391
20	गरियाबंद	7	332	339
21	महासमुंद	31	546	577
22	रायपुर	182	409	591
23	बलरामपुर	5	415	420
24	जशपुर	13	427	440
25	कोरिया	57	289	346
26	सरगुजा	42	400	442
27	सूरजपुर	11	425	436
	कुल योग	1330	11002	12332

परिशिष्ट : 4.8 जिलेवार राशन कार्डों का प्रकार

क्रमांक	जिला	अन्त्योदय (गुलाबी)	अंत्योदय—गुलाबी (एकल निःशुल्क)	स्पेशल गुलाबी	प्राथमिकता (नीला)	निरूशक्तजन (हरा)	योग
1	बस्तर	49828	679	254	131350	7	182118
2	बीजापुर	25744	11	297	37327	26	63405
3	दन्तैवाड़ा	30263	91	136	39335	643	70468
4	कांकेर	36612	494	132	119574	209	157021
5	कोंडागांव	35087	531	128	90769	10	126525
6	नारायणपुर	16710	104	216	13053	5	30088
7	सुकमा	33561	78	105	35589	7	69340
8	बिलासपुर	125984	6574	462	368366	673	502059
9	जांजगीर—चाम्पा	97095	6874	347	360725	1265	466306
10	कोरबा	63190	2969	296	182966	6	249427
11	मुंगेली	52621	1681	181	146021	193	200697
12	रायगढ़	105045	3790	546	270139	176	379696
13	बालोद	31259	1242	205	126562	738	160006
14	बेमेतरा	45528	4299	407	151608	295	202137
15	दुर्ग	77105	2728	333	243188	1090	324444
16	कवर्धा	65856	1268	153	156176	48	223501
17	राजनांदगांव	75498	1197	371	226976	243	304285
18	बलौदा बाजार—भाटापारा	63201	3898	229	260455	243	328026
19	धमतरी	45917	1068	306	120203	244	167738
20	गरियाबंद	48172	1575	216	118494	251	168708
21	महासमुंद	58461	3527	330	232267	949	295534
22	रायपुर	65383	4318	313	273017	651	343682
23	बलरामपुर	54403	1365	334	119020	37	175159
24	जशपुर	56865	1206	170	140218	52	198511
25	कोरिया	40231	923	228	99152	22	140556
26	सरगुजा	64740	1279	611	156777	123	223530
27	सूरजपुर	54998	1716	300	138064	97	195175
योग		1519357	55485	7606	4357391	8303	5948142

परिशिष्ट : 4.9 क्षेत्रवार एवं वर्गवार राशन कार्डों का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिला	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1	बस्तर	4809	2710	7519	114950	4777	119727	32505	6413	38918
2	बीजापुर	2479	524	3003	51725	2537	54262	4619	1084	5703
3	दन्तेवाड़ा	2339	2142	4481	48459	3924	52383	6969	3602	10571
4	कांकर	7492	875	8367	82664	2022	84686	32153	4923	37076
5	कोंडागांव	5232	993	6225	87699	4137	91836	22627	3170	25797
6	नारायणपुर	861	269	1130	23077	1390	24467	2993	812	3805
7	सुकमा	1079	543	1622	55952	2223	58175	5356	1661	7017
8	बिलासपुर	85556	17283	102839	115599	7148	122747	186219	52683	238902
9	जांजगीर-चाम्पा	113237	11829	125066	50416	2921	53337	241144	33954	275098
10	कोरबा	18786	9384	28170	109588	7982	117570	58054	32321	90375
11	मुंगेली	54794	2479	57273	20259	884	21143	99833	9749	109582
12	रायगढ़	55561	8946	64507	126829	6954	133783	145276	24109	169385
13	बालोद	12730	2879	15609	45286	3289	48575	81255	10700	91955
14	बेमेतरा	35726	2633	38359	9174	806	9980	133443	11658	145101
15	दुर्ग	24414	27676	52090	10249	9524	19773	107307	103635	210942
16	कवर्धा	29068	4300	33368	44840	1297	46137	124554	11476	136030
17	राजनांदगांव	25168	9529	34697	76486	3965	80451	140434	37693	178127
18	बलौदा बाजार-भाटापारा	76173	5837	82010	42182	1701	43883	175554	19224	194778
19	धमतरी	10985	2766	13751	43526	3140	46666	86408	16439	102847
20	गरियाबंद	16461	1413	17874	62340	857	63197	79628	5138	84766
21	महासमुंद	39101	5083	44184	81241	1949	83190	145280	14924	160204
22	रायपुर	46298	23836	70134	9229	7818	17047	144045	82138	226183
23	बलरामपुर	9669	291	9960	107079	1424	108503	38628	2961	41589
24	जशपुर	11342	1575	12917	119282	4505	123787	47707	4462	52169
25	कोरिया	9038	3426	12464	66542	4458	71000	32307	14981	47288
26	सरगुजा	11925	2178	14103	123862	6912	130774	53440	15417	68857
27	सूरजपुर	11154	686	11840	89641	1798	91439	76372	5381	81753

परिशिष्ट : 4.10 जिलेवार राशनकार्ड एवं सदस्यों की जानकारी

स.क्र	जिला	कुल राशनकार्ड	कुल सदस्य	डीजीटाईज्ड राशनकार्ड	डीजीटाईज्ड सदस्य
1	बस्तर	182118	673101	182118	673101
2	बीजापुर	63405	233512	63405	233512
3	दन्तेवाड़ा	70468	233843	70468	233843
4	कांकेर	157021	614245	157021	614245
5	कोंडागांव	126525	498296	126525	498296
6	नारायणपुर	30088	124479	30088	124479
7	सुकमा	69340	220837	69340	220837
8	बिलासपुर	502059	1704527	502059	1704527
9	जांजगीर-चाम्पा	466306	1570432	466306	1570432
10	कोरबा	249427	908740	249427	908740
11	मुंगेली	200697	703553	200697	703553
12	रायगढ़	379696	1232925	379696	1232925
13	बालोद	160006	693760	160006	693760
14	बेमेतरा	202137	787283	202137	787283
15	दुर्ग	324444	1269751	324444	1269751
16	कवर्धा	223501	759580	223501	759580
17	राजनांदगांव	304285	1222340	304285	1222340
18	बलौदा बाजार-माटापारा	328026	1221732	328026	1221732
19	धमतरी	167738	710434	167738	710434
20	गरियाबंद	168708	575643	168708	575643
21	महासमुंद	295534	979142	295534	979142
22	रायपुर	343682	1298912	343682	1298912
23	बलरामपुर	175159	608483	175159	608483
24	जशपुर	198511	755019	198511	755019
25	कोरिया	140556	464331	140556	464331
26	सरगुजा	223530	762659	223530	762659
27	सूरजपुर	195175	641666	195175	641666
	कुल -	5948142	21469225	5948142	21469225

परिशिष्ट 4.11 जिलेवार धान खरीदी की जानकारी (दिनांक 31-01-2016) (क्विंटल/रु. में)

क्र. जिले का नाम	वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		धान मोटा	धान पतला	धान सरना
	कुल धान	कुल भुगतान	कुल धान	कुल भुगतान			
1 बस्तर	855742	1182122995	417215	596266956	217385	199831	0
2 बीजापुर	253408	344725693	158438	223534238	155006	3432	0
3 दन्तेवाड़ा	44608	60800387	19591	27659917	18671	919	0
4 कांकेर	1820616	2536172060	1327310	1915761241	215505	1106352	5453
5 कोंडागांव	513129	716542904	350853	507629334	27673	323179	0
6 नारायणपुर	80950	113034680	54167	7839048	3800	50367	0
7 सुकमा	166179	226013346	156983	221358589	156666	317	0
8 बिलासपुर	3607460	4972101489	3497288	4997715872	1341257	1663495	492536
9 जांजगीर-चाम्पा	5984163	8138479587	6371944	8984441492	2711750	12	3660182
10 कोरबा	917145	1249214240	820357	1158254325	712632	38777	68947
11 मुंगेली	2305682	3148779974	2526402	3579392164	1213266	429119	884018
12 रायगढ़	3564898	4851421488	3990766	5629652825	2744119	66816	1179831
13 बालोद	4113366	5678986024	3322242	4748109640	894103	1593725	834414
14 बेमेतरा	3765836	5135564740	3974716	5616941444	1490563	314811	2169341
15 दुर्ग	3120373	4274547808	2803676	3975802364	812902	565494	1425280
16 कवर्धा	1930761	2662491376	2043214	2918627575	623628	942399	477187
17 राजनांदगांव बलौदा	4901481	6762357360	2942634	4203828202	906773	1367864	667997
18 बाजार-भाटापारा	5300717	7276530464	5566556	7904805245	1644691	1399029	2522836
19 धमतरी	3394193	4713627016	3212563	4602812902	692472	1827477	692614
20 गरियाबंद	2333273	3210809456	1586110	2253964908	458636	438745	688729
21 महासमुंद	5933762	8135196768	5799294	8218925950	3130977	1048043	1620274
22 रायपुर	4350208	5957537816	4475681	6340973493	1280148	756586	2438947
23 बलरामपुर	717157	1003386752	794602	1151782239	9776	784827	0
24 जशपुर	537887	739216776	624872	889058630	425137	199735	0
25 कोरिया	538423	753708048	212236	307732980	216	212020	0
26 सरगुजा	915186	1281012932	1107253	1605130692	9661	1097592	0
27 सूरजपुर	1137648	1592100940	1017430	1475007386	6646	1010784	0
योग	63104248	86716483120	59174391	84133561080	21904059	17441745	19828587

34343

5

विप
काल

5. लोक वित्त

मुख्य बिन्दु

- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.18 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल कर राजस्व में 31.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 24.17 प्रतिशत रही।
- कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 34.66 प्रतिशत अनुमानित है।
- गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है।
- वर्ष 2015-16 में कुल गैर कर राजस्व रू. 21657.25 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 12994.26 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति रू. 57956.46 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 53729.82 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व अधिक्य रू. 4226.64 करोड़ दर्शाता है।

5.1 बजट 2015-16:- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र भी होता है। बजट 2015-16 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। बजट में राजस्व अधिक्य रू. 4226.64 करोड़ के अनुमान के बावजूद पूंजीगत व्यय में 39 प्रतिशत वृद्धि हेतु वित्तीय घाटे में 18.51 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो 2014-15 में रू.(-) 5767.97 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में रू.(-) 6835.66 करोड़ अनुमानित है। बजट सारांश सारणी 5.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

क्र	मद	2013-14 (लेखा)	2014-15 (पु.अ.)	2015-16 (आ.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	32050.26	49041.45	57956.46
2	राजस्व व्यय	32859.57	46665.43	53729.82
3	राजस्व अधिक्य (+) या घाटा (-)	-809.31	2376.02	4226.64
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ	8427.73	5935.99	6978.95
5	पूंजीगत व्यय	4574.19	7918.64	11000.25
6	ऋण एवं अग्रिम	1323.83	450.36	282.87
7	कुल प्राप्तियाँ	40477.99	54977.44	64935.41
8	कुल व्यय	38757.59	55034.43	65012.94
9	बजट घाटा	1720.40	-56.99	-77.53
10	वित्तीय घाटा (-)	-5057.28	-5767.97	-6835.66


स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.= आय-व्ययक अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियाँ – वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.18 प्रतिशत वृद्धि के साथ रू. 57956.46 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर राजस्व रू. 36299.21 करोड़ अनुमानित है जबकि 2014-15 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 27593.66 करोड़ अनुमानित रहा अर्थात् कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 31.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी तरह गैर-कर राजस्व में 0.98% वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व का 2014-15 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 21447.79 करोड़ रुपये की तुलना में 2015-16 में रू. 21657.25 करोड़ अनुमानित है। विवरण सारणी 5.2 में है।

सारणी 5.2 राजस्व प्राप्तियाँ (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियाँ
2011-12	17032.69	8834.69	25867.38
2012-13	20251.81	9326.28	29578.09
2013-14	22222.93	9827.33	32050.26
2014-15 (पु.अ.)	27593.66	21447.79	49041.45
2015-16 (आ.अ.)	36299.21	21657.25	57956.46

स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.= आय-व्ययक अनुमान




5.3 कर राजस्व:— वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल कर राजस्व में 31.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 24.17 प्रतिशत रही। विगत पांच वर्षों में राज्य के कर राजस्व में औसत 20.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 10.81 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जबकि केन्द्रीय करों के कर राजस्व में 71.26 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 55.33 प्रतिशत अनुमानित है एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 34.66 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों का कर राजस्व का विवरण सारणी 5.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2011–12	10712.25	6320.44	17032.69	62.89	37.11	—	—	—	—
2012–13	13034.21	7217.60	20251.81	64.36	35.64	21.68	14.19	2321.96	897.16
2013–14	14342.71	7880.22	22222.93	64.54	35.46	10.04	9.18	1308.50	662.62
2014–15 (पु.अ.)	18126.76	9466.90	27593.66	65.69	34.31	26.38	20.13	3784.05	1586.68
2015–16 (आ.अ.)	20085.85	16213.36	36299.21	55.33	44.67	10.81	71.26	1959.09	6746.46

स्रोत:— छत्तीसगढ़ आय-व्यय, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय-व्ययक अनुमान

■ राज्य का स्वयं का कर राजस्व ■ केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ■ कुल कर राजस्व




5.4 गैर-कर राजस्व :- गैर-कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर-कर राजस्व रु. 21657.25 करोड़ अनुमानित है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में गैर-कर राजस्व की प्रवृत्ति को सारणी 5.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता का गैर कर राजस्व में प्रतिशत	राज्य के गैर कर राजस्व का कुल गैर कर राजस्व में प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2011-12	4776.21	4058.48	8834.69	54.06	45.94	-	-	-	-
2012-13	4710.33	4615.95	9326.28	51.51	49.49	1.38	13.74	65.88	557.47
2013-14	4726.16	5101.17	9827.33	48.09	51.91	0.34	10.51	15.83	485.22
2014-15(पु.अ.)	15128.81	6318.98	21447.79	70.54	29.46	220.11	23.87	10402.65	1217.81
2015-16(आ.अ.)	12994.26	8662.99	21657.25	60.00	40.00	14.11	37.09	2134.55	2344.01

स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय-व्ययक अनुमान




5.5 राजस्व व्यय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लगातार पांच वर्षों में वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से अधिक रखा गया जो राजस्व घाटा को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछले पाँच वर्षों का विवरण सारणी 5.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.5.1 राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2011-12	25867.38	22628.05	3239.33	87	-	-	-	-
2012-13	29578.09	26971.84	2606.25	91	14	19	3710.71	4343.79
2013-14	32050.26	32859.57	809.31	103	8	22	2472.17	5887.73
2014-15(पु.अ.)	49041.45	46665.43	23760.2	95	53	42	16991.19	13805.86
2015-16(आ.अ.)	57956.46	53729.82	4226.64	93	18	15	8915.01	7064.39


स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय-व्ययक अनुमान



सारणी 5.5.2 राजस्व व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2013-14 (लेखा)	1350.52	2751.86	8558.81	578.6	19619.78	32859.57
2014-15 (पु.अ.)	1864.77	2529.16	10058.51	619.64	31593.35	46665.43
2015-16 (आ.अ.)	2081.3	3780.64	11011.33	635.47	36221.08	53729.82

स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक, पु.अ.=पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.=आय-व्ययक अनुमान




5.6 राजस्व प्राप्तियां- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल व्यय के 89.15 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है, यह भाग 2014-15 के पुनरीक्षित अनुमान में 89.11 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण सारणी 5.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.6 राजस्व प्राप्तियां (राशि करोड़ में)

क्र.	मद	2013-14 लेखा	2014-15 (पु.अ.)	2015-16 (आ.अ.)
(1)	कर राजस्व			
	(i) आय एवं व्यय पर कर	4402.87	5316.10	9333.62
	(ii) सम्पत्ति एवं पंजीगत लेन देनो पर कर	1223.58	1717.42	1846.64
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	16596.48	20560.14	25118.95
(2)	गैर कर राजस्व			
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	5101.17	6318.98	8662.99
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	4726.16	15128.81	12994.26
	कुल (1+2)	32050.26	49041.45	57956.46

स्रोत:- छत्तीसगढ़ आय-व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय-व्ययक अनुमान



5.7 राज्य की वित्तीय स्थिति— राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण सारणी 5.7 में दर्शाया गया है:—

सारणी क्रमांक 5.7.1 राज्य की वित्तीय स्थिति बारहवीं योजना				
क्र.	मद	2013-14 लेखा	2014-15 (पु.अ.)	2015-16 (आ.अ.)
I	राजस्व प्राप्तियां	32050.26	49041.45	57956.46
(i)	राज्य के स्वयं का राजस्व (A+B)	19443.88	24445.74	28748.84
(A)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	14342.71	18126.76	20085.85
(B)	राज्य के स्वयं का गैर- कर राजस्व	5101.17	6318.98	8662.99
(ii)	केन्द्र से प्राप्तियाँ(A+B)	12606.38	24595.71	29207.62
(A)	केन्द्रीय करों में हिस्सा	7880.22	9466.9	16213.36
(B)	सहायता अनुदान	4726.16	15128.81	12994.26
II	पूंजीगत प्राप्तियाँ	8427.73	5935.99	6978.95
III	कुल प्राप्तियां (I+II)	40477.99	54977.44	64935.41
IV	आयोजनेत्तर व्यय (A+B+C)	19259.89	19750.74	25513.42
(A)	राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान के साथ	19245.75	19719.47	25499.65
(B)	ऋण एवं अग्रिम	14.88	18.95	1.45
(C)	पूंजीगत व्यय	-0.74	12.32	12.32
(D)	ब्याज भुगतान	1350.52	1864.77	2081.30
V	आयोजना व्यय	19497.70	35283.69	39499.52
	राजस्व व्यय	13613.82	26945.96	28230.17
	पूंजीगत व्यय	4574.93	7906.32	10987.93
	ऋण एवं अग्रिम	1308.95	431.41	281.42
VI	कुल व्यय	38757.59	55034.43	65012.94
VII	राजस्व व्यय	32859.57	46665.43	53729.82
VIII	पूंजीगत व्यय	4574.19	7918.64	11000.25
IX	ऋण एवं अग्रिम	1323.83	450.36	282.87
X	राजस्व घाटा/आधिक्य	-809.31	2376.02	4226.64
XI	राजकोषीय घाटा	-5057.28	-5767.97	-6835.66
XII	प्राथमिक घाटा	-3706.76	-3903.20	-4754.36

सारणी क्रमांक 5.7.2 राज्य के राजकोषीय सूचक बारहवीं योजना				
क्र.	राजकोषीय सूचक	2013-14 लेखा	2014-15 (पु.अ.)	2015-16 (आ.अ.)
I प्राप्तियाँ				
(i)	राजस्व प्राप्तियाँ/कुल प्राप्तियाँ (%)	79.18	89.20	89.25
(ii)	पूजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियाँ (%)	20.82	10.80	10.75
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (%)	60.67	49.85	49.60
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (%)	39.33	50.15	50.40
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	73.76	74.15	69.87
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व(%)	26.24	25.85	30.13
(vii)	केन्द्रीय करों में हिस्सा/केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	62.51	38.49	55.51
(viii)	सहायता अनुदान/केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	37.49	61.51	44.49
II व्यय				
(i)	आयोजनेत्तर व्यय/कुल व्यय %	49.69	35.89	39.24
(ii)	आयोजना व्यय/कुल व्यय %	50.31	64.11	60.76
III व्यय/प्राप्तियाँ				
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ %	102.53	95.16	92.71
(ii)	कुल व्यय/कुल प्राप्तियाँ %	95.75	100.10	100.12
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ %	4.21	3.80	3.59

स्रोत: वार्षिक योजना 2013-14, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

34343

9

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ

6. संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- बैंक राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है एवं यह निवेश हेतु धन उपलब्ध कराने का स्रोत है। छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2015-16 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 725460 लाख रुपये अनुमानित है।
- राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2015 अंत की स्थिति में 51, शाखाओं की संख्या 2485 एवं एटीएम की संख्या 2639 है। जिनमें कुल जमा 105437.35 करोड़ रुपये है।
- प्राथमिक क्षेत्र में आबंटित ऋण में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 15.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री जन.धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 15/01/2016 की स्थिति में राज्य में 8991692 खाते हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत लोगों ने पंजीकरण कराया है जो जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर है।
- राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 248 है। वर्ष 2014-15 में बैंकों की अंशपूंजी 28029.23 लाख रु. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 1398.02 लाख रुपये रहा।
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की कुल 543 सहकारी समितियां सदस्य है।
- विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1976 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।
- वर्ष 2013-14 में राज्य के बैंकों ने 6039.30 करोड़ कृषि क्षेत्र में ऋण दिए हैं, जो लक्ष्य 9275 करोड़ का 65 प्रतिशत था।

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

आर्थिक विकास की नई मिसाल यह है कि यह बचत दर, निवेश पर प्राप्तियां एवं वित्तीय मध्यस्थता की लागत पर निर्भर करता है। वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र भारत के संदर्भ में पूंजी बाजार के अलावा इन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य सुस्त पड़ी बचतों को उत्पादक निवेशों में, कर्ज देकर गतिशील बनाना है। बैंक राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है एवं यह निवेश हेतु धन उपलब्ध कराने का स्रोत है।


मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSME) की गतिविधियों को प्रारंभ करने एवं बनाए रखने हेतु पूंजी बाजार से धन लेना कठिन एवं जोखिम भरा होता है, अतः इस क्षेत्र में बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण एवं सहायक है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र जहां लघु एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक इत्यादि कार्य, बिना निम्न ब्याज दर पर कर्ज प्रदाय किए नहीं हो सकते। इसमें बैंकों की प्रमुख भूमिका है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, जो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 6.1 बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	537699	597241	618887	675796	725460
वृद्धि (प्रतिशत)		11.07	3.62	9.2	7.35
हिस्सा (प्रतिशत)	3.62	3.81	3.72	3.77	3.79

बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी (लाख)



6.1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती है। जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। जहां 31 मार्च 2014 की स्थिति में बैंक शाखाओं की संख्या 2334 थी वहीं 31 मार्च 2015 की स्थिति में बढ़कर 2454 हो गई इसमें लगातार वृद्धि होते हुए 30 सितंबर 2015 की स्थिति में 2485 शाखाएं हैं। इस प्रकार बैंक शाखाओं की संख्या में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 120 तथा वर्ष 2015 के प्रारंभिक 6 माह में 31 की वृद्धि हुई।



- सितंबर 2015 की स्थिति में बैंक जमा राशि 105437 करोड़ था जो कि सितंबर 2014 की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक था।
 - सितंबर 2015 की स्थिति में क्रेडिट (अग्रिम) 70071.31 था जो कि सितंबर 2014 की तुलना में 6.53 प्रतिशत अधिक था।
 - अप्रैल-सितंबर 2015 अवधि में जमा राशि की तुलना में क्रेडिट (अग्रिम) में इस कम वृद्धि से क्रेडिट (अग्रिम) तथा जमा राशि के अनुपात में 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। तथापि यह 60 प्रतिशत के बेंचमार्क से अधिक था।
 - क्रेडिट (अग्रिम) के स्वरूप के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम की राशि अप्रैल-सितंबर 2014 की स्थिति में रु. 28745.5 करोड़ से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2015 के रु. 33135.6 करोड़ हुआ अर्थात् कुल 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही यह भी देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिक क्षेत्र के उधार में भी वृद्धि हुई है।
 - इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 10.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कृषि अग्रिम का स्वरूप धीमा किन्तु स्थिर गति से बढ़ता हुआ पाया गया। अप्रैल-सितंबर 2015 अवधि में यह 12.45 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
 - साथ ही अप्रैल-सितंबर 2014 से अप्रैल-सितंबर 2015 की अवधि में महिलाओं हेतु प्रदत्त क्रेडिट (अग्रिम) में भी 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितंबर 2015 की अवधि में रु. 3992.11 करोड़ राशि स्वीकृत की गई जबकि वर्ष 2014-15 में रु. 3765 करोड़ स्वीकृत किया गया था।

विभिन्न जिलों में साख जमा गतिविधियां :-


परिणामों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि साख जमा अनुपात में विभिन्न जिलों में अंतर है। 27 जिलों में से 9 जिलों सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बिलासपुर में से साख जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है।

सारणी 6.2 राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	मार्च 2014	मार्च 2015	अप्रैल -सितंबर 2014	अप्रैल -सितंबर 2015	प्रतिशत वृद्धि (अप्रैल -सितंबर)
1	2	3	4	5	6	7
1	बैंकों की संख्या	51	49	51	51	-
2	शाखाओं की संख्या	2334	2454	2417	2485	2.81
3	ATM की संख्या	2310	2481	2395	2639	10.18
4	कुल जमा	92771.84	105022.49	96314.75	105437.35	9.47
5	कुल अग्रिम	58630.88	67690.99	65775.82	70071.31	6.53
6	साख-जमा अनुपात प्रतिशत	63.2	64.45	68.29	66.46	-1.83
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	26794.09	30146.88	28745.52	33135.55	15.27
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	45.7	44.54	43.70	47.29	-
9	कृषि में अग्रिम	8918.79	9773.61	10644.78	11735.07	10.24
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	15.21	14.44	16.18	16.75	-
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	10902.1	14310.18	12578.63	15080.67	19.89
12	अन्य कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम	5991.18	7925.81	6795.91	8722.93	28.35
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	10.22	11.71	10.33	12.45	-
14	महिलाओं को अग्रिम	3088 23	3765 12	3253 65	3992 11	22 70



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38, 40, 44, 48 52 एवं 60वीं बैठक प्रकाशन,



तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति (राशि करोड़ रुपयाँ में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999-2000	1045	6116	2379	38.91
2000-2001	1042	7458	2966	39.77
2001-2002	1036	9605	4219	43.93
2002-2003	1039	11443	4474	39.1
2003-2004	1319	15454	9101	58.89
2004-2005*	1331	17605	11269	64.01
2005-2006*	1334	22053	12684	57.52
2006-2007*	1356	26014	15420	58.27
2007-2008*	1416	31618	19094	60.39
2008-2009*	1500	39437	23043	57.99
2009-2010*	1590	49379	27943	56.59
2010-2011*	1705	59032	33022	55.94
2011-2012	1912	70742	40135	56.73
2012-2013	2084	87339	49094	56.21
2013-2014	2334	92772	58631	63.2
2014-2015	2454	105023	67691	64.45
2015-2016 (सितंबर)	2485	105437	70071	66.46

6.2 वित्तीय समावेशन पर अवलोकन और प्रगति

6.2.1 वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की बड़ी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछड़ी हुई है। उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपये की रुपये डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रु. 30000 की एक जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15-08-2014 से 26-01-2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना कि अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है यह अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पहुँच पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत ऐसे खाते जो पहले नहीं थे, उनके लिए सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है और निगरानी के लिए जिलों और राज्यों में शामिल किया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपये डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिनके खातें 15.08.2014 से 26.01.2015 के बीच पहली बार खोले गए हैं उनको 30,000 रु के जीवन बीमा कवर उपलब्ध हैं।

6.2.3 रुपये कार्ड:-

रुपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रुपये कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपये कार्ड भारत में बैंकिंग उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है। जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतानसुविधा देता है जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देशों जो

अपने स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली के साथ कतार में है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBA लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका में दर्शित है :-

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन-धन योजना प्रगति

स्थिति	प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	रूपे कार्ड जारी खाते	रूपे कार्ड जारी प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	6031431	89	1214103	18
30/09/2015	7826718	3793846	48	6445477	82	1487076	19
15/01/2016	8991692	4922705	55	6818457	76	2462700	27

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :-

छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमों को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई है। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :-

शिशु ऋण योजना: कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।

किशोर ऋण योजना : इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।

तरुण ऋण योजना : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता है।

तालिका 6.5 मुद्रा बैंक – भारत एवं छत्तीसगढ़ की प्रगति (दिनांक 15-01-2016) (राशि रु करोड़ में)

योजना	ऋण राशि	स्वीकृति की संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
शिशु	ऋण 50 हजार तक	342978	728.85	678.28
किशोर	ऋण 50 हजार से 5 लाख तक	18555	367.11	326.54
तरुण	(ऋण 5 से 10 लाख तक)	3513	286.03	265.34
छत्तीसगढ़		365046	1381.99	1270.16
भारत		21846539	88549.22	84654

उपरोक्ता तालिका से यह स्पष्ट है कि योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी – स्वीकृत ऋण संख्या 1.7 प्रतिशत, स्वीकृत राशि 1.6 प्रतिशत तथा वितरित राशि 1.5 प्रतिशत है।

6.2.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण हैं

- (1) सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।
- (2) आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।
- (3) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NAC H-APBS)।
- (4) पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :- (15 जनवरी 2016 तक)

सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है तथा जनवरी, 2016 माह तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 9.59 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 46.63 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 25 हजार से अधिक जनसंख्या (अटल पेंशन योजना) से जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत लोगों ने पंजीकरण कराया है जो जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान पर है।

6.3.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :- यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जो 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रु है जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक-वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रु के वार्षिक प्रिमियम पर 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रु प्राप्त होगा।

6.3.2 सुकन्या समृद्धि खाता :- यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है, यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। इस योजना में निवेश करने पर आप 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त करने

के पात्र हो जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जावेगी।

6.3.3 अटल पेंशन योजना :- यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रु. 1000 से रु. 5000 व्यय करके इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो कर कोष्ठ के भाग नहीं है। यह योजना समाज के लोगों जैसे - सुरक्षा गार्ड वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है।

6.3.4 पेंशन योजना :- यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (FRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्त के पश्चात की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लागू किया गया है, कि उसमें आयकर अधिनियम में मांग यह है कि योजना का उक्त 80 की धारा 1961 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रु तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है का कर लाभ प्राप्त होता है।

तालिका 6.6 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं


क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	दावा दर्ज	दावा भुगतान
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	959149	529	435
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4662402	79	38
3	अटल पेंशन योजना	25114	—	—

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1. ऋण सहायता:- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के लिए दी गई वित्तीय सहायता रु. 4693.00 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई जो पिछले वर्ष के रु. 4273.00 करोड़ की तुलना में 9.8% की वृद्धि दर्शाता है।

अ-आर.आई.डी.एफ.सहायता- राज्य सरकार को वर्ष 2014-15 मंजूर किया गया जिसमें से रु. 783.58 करोड़ वितरित किया गया। राज्य में 27 लाइवलीहुड कॉलेज के निर्माण के लिए आई.आर.डी.एफ. निधि से वर्ष 2015-16 में राशि रु. 218.95 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत रु. 14.16 करोड़ वितरित किया गया है।

के दौरान प्रथक्करण से रु. 1135.95 करोड़ का



ब-पुनर्वित्त सहायता- वर्ष के दौरान नाबार्ड ने उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण के लिए बैंकों को रु. 1822.94 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता दी जो पिछले वर्ष रु.1265.80 करोड़ थी यह 44.01% वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2015-16 में रु. 658.68 करोड़ पुनर्वित्त सहायता वितरित की जा चुकी है।

स-मार्कफेड को सहायता- नाबार्ड ने राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान खरीदी हेतु रु. 2000 करोड़ का वित्त पोषण किया है।

द-नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (नीडा)- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रावधान हेतु बिजली उपकेंद्र तथा वितरण पद्धति की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 59.13 लाख वितरित किए गए।

6.4.2. संस्थागत विकास संबंधी पहलें:-

हथकरघा क्षेत्र के पुनर्जीवन, सुधार एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों को 56 बुनकरों हेतु ऋण संबंधी छूट में रु. 1761720 वितरित किया गया।

6.4.3. विशेष विकासात्मक पहलें:-

अ. आदिवासी विकास निधि के तहत विकास- वर्ष 2014-15 के दौरान 05 परियोजनाएं मंजूर की गईं जिसमें 5000 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए तथा टीडीएफ से रु. 22.48 करोड़ की सहायता मंजूर की गई, जिसमें रु. 1.90 करोड़ अनुदान के रूप में हैं।

ब. वाटरशेड विकास- वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्ण कार्यान्वयन चरण के लिए 05 वाटरशेड परियोजनाओं को रु. 5.01 करोड़ अनुदान सहायता मंजूर की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान रु. 5.76 करोड़ वाटरशेड विकास निधि से जारी किया गया है। अभी तक 14 जिलों में कुल 55 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 61892 हेक्टेयर के उपचार क्षेत्र एवं 20264 परिवारों को कवर किया गया है।

स. नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकान्स)- वर्ष 2014-15 के दौरान, नेबकान्स छत्तीसगढ़ में रु. 5.68 करोड़ रूपए का व्यवसाय अनुबंध किया। NABCONS छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।

द. स्वयं सहायता समूह- 2014-15 के दौरान 11183 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ एवं 12166 स्वयं सहायता समूहों को नाबार्ड की पहल के तहत बैंक से जोड़ा गया है।

इ. संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी)- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में 6387 संयुक्त देयता समूह का गठन हुआ एवं वर्ष 2014-15 तक कुल 15189 गठित किए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 में 2367 जेएलजी का गठन किया गया है।

सहकारिता

6.5 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक:— वर्ष 2014-15 में बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 248 है। वर्ष 2014-15 में बैंकों की अंशपूंजी 28029.23 लाख रु. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 1398.02 लाख रुपये रहा। वर्ष 2014-15 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूंजी क्रमशः 495041.95 लाख रुपये एवं 758338.66 लाख रुपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2014-15 में 405945.87 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 389430.64 लाख रुपये अल्पकालीन एवं 16515.23 लाख रु. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 219898.85 लाख रुपयों का रहा। वर्ष 2014-15 में जिला सहकारी बैंकों की 203 शाखाओं को 10824.14 लाख रुपये का लाभ हुआ है, एवं 45 बैंकों को हानि हुई है।

6.5.1 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां :- राज्य में वर्ष 2014-2015 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2013 -2014 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2014-2015 में 26.36 लाख हो गई है। समिति के कुल सदस्यों में से 3.86 लाख अनुसूचित जाति, तथा 8.54 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2014 -15 में 30661.85 लाख रुपये थी। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2014-2015 में 289725.83 लाख रु. कुल ऋण वितरित किए गए जिसमें से 290698.29 लाख रुपये का अल्प ऋण वितरित किया गया एवं 5511.05 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं।

तालिका 6.7 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (राशि लाख में)

विवरण	2014-15	2015-16 (सितं 15)
बैंक संख्या	7	7
शाखाएं	248	249
सदस्य (हजार)	11037	11039
अंश पूंजी		
(1) कुल	28029.23	28622.11
(2) शासकीय	1398.02	1398.02
अमानतें	495041.95	450785.59
कार्यशील पूंजी	758338.66	793330.98
ऋण वितरण		
(अ) कुल	405945.87	324604.48
(ब) अल्पकालीन	389430.64	320573.61
(स) मध्यकालीन	16515.23	4030.87
ऋण बकाया		
(अ) कुल	219898.85	401720.71
(ब) अल्पकालीन	177393.92	359300.91
(स) मध्यकालीन	42504.93	42419.80
कालातीत ऋण	103305.40	92016.49
लाभ		
(अ) बैंक संख्या	203	84
(ब) राशि	10824.14	4963.58
हानि		
(अ) बैंक संख्या	45	21
(ब) राशि	6823.88	1342.54

टीप - दिनांक 07-10-2014 को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में संविलियन हो गया है। स्त्रोत-आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

तालिका 6.8 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां


विवरण	इकाई	2014-15	2015-16 सित. 15
1	2	3	4
समितियाँ	संख्या	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	2636.45	2671.57
अनुसूचित जाति	हजार	386.08	392.47
अनुसूचित जनजाति	हजार	854.13	863.24
कुल ऋणी सदस्य	हजार	1626.41	1690.46
अनुसूचित जाति	हजार	233.91	258.59
अनुसूचित जन जाति	हजार	488.14	532.18
कुल अंशपूजी	लाख रू.	30661.85	32047.78
कुल ऋण वितरण	लाख रू.	289725.83	247122.34
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	290698.29	246078.64
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	5511.05	1073.66
कुल ऋण बकाया	लाख रू.	187082.83	337952.67
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	150697.19	301091.09
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	27746.15	28374.88
कालातीत ऋण	लाख रू.	73911.37	80921.57

स्रोत- आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़

तालिका 6.9 प्रदेश के 1333 सहकारी समितियों के रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की वर्षवार जानकारी (राशि लाख में)

अल्पावधि कृषि ऋण वितरण (खरीफ-रबी)

क्रमांक	वर्ष	अल्पावधि ऋण वितरण लक्ष्य	अल्पावधि कृषि ऋण वितरण	कृषकों पर प्रभारित ब्याज दर	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	2000-01		19084.61	14.16%	
2	2001-02	21930	15242.12	14.16%	69.50%
3	2002-03	23000	26022.7	14.16%	113.14%
4	2003-04	30030	24304.86	14.16%	80.94%
5	2004-05	31100	33446.4	9%	107.54%
6	2005-06	37880	35283.83	9%	93.15%
7	2006-07	40800	45697.77	7%	112.00%
8	2007-08	65000	58819.63	6%	90.49%
9	2008-09	110500	78687.51	3%	71.21%
10	2009-10	130000	94646.02	3%	72.80%
11	2010-11	150000	111674.3	3%	74.45%
12	2011-12	180000	148126.1	3%	82.29%
13	2012-13	210000	203350.4	1%	96.83%
14	2013-14	300000	253524.7	1%	84.51%
15	2014-15 (31.12.14)	310000	249892	0%	80.00%



6.6 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ :- विपणन संघ की कुल 543 सहकारी समितियां सदस्य हैं।

तालिका 6.10 वर्षवार खाद वितरण :-

वर्ष	वितरण लक्ष्य (मे.टन)	खाद वितरण (मे.टन)	राशि (लाख में)
2012.13	842000	697680	88897
2013.14	928100	660501	81330
2014.15 (दिसं 14)	813082	585325	70502

6.7 धान उपार्जन:- राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1976 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।

तालिका 6.11 धान उपार्जन

वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन)	उपार्जन पर व्यय राशि (लाख में)
2012-13	7136860	286478
2013-14	7972157	441880
2014-15 (दिसं 14)	3005883	176914


तालिका 6.12 शक्कर उत्पादन (शक्कर कारखाना)

क्र.	विवरण	वर्ष	शक्कर उत्पादन विक्टल में
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा	2012.-13	270210
		2013-14	385510
		2014-15 (फरवरी 15)	184400
2	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. बालोद	2012-13	69090
		2013-14	81332
		2014-15 (फरवरी 15)	37830
3	मां महामाया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. अंबिकापुर	2012-13	153050
		2013-14	215120
		2014-15 (फरवरी 15)	121600

6.8 किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2013-14 में 3.42 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया, जिससे मार्च 2014 अंत तक 22.53 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। क्रेडिट सीमा 4469.17 करोड़ (ASLBC) है।

वर्ष 2013-14 में राज्य के बैंकों ने रू. 6039.3 करोड़ कृषि क्षेत्र में ऋण दिए हैं, जो लक्ष्य रू. 9275 करोड़ का 65 प्रतिशत था।



तालिका 6.7 किसान क्रेडिट कार्ड

क्र.	वर्ष	किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
1	2000-01	55994
2	2001-02	151352
3	2002-03	270140
4	2003-04	351588
5	2004-05	533815
6	2005-06	682194
7	2006-07	783949
8	2007-08	852170
9	2008-09	945588
10	2009-10	1046767
11	2010-11	1223457
12	2011-12	1418490
13	2012-13	1585646
14	2013-14	1803706
15	2014-15, As on 29 Oct. 2014	1936470

ଅକ୍ଷର

L

ଲିପି

ଫିଲ୍ମ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର

7. कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2014–15 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचाई स्रोत में से लगभग 31% सिंचित है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है।
- शाकम्भरी योजना के तहत किसानों को 5 एच.पी. तक के विद्युत / डीजल / केरोसीन चलित पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वयं हितग्राही की सहभागिता क्रमशः 30%, 30% एवं 40% है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप-मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में वर्तमान में दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं दो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है।
- राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 31 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 64 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी।

राज्य गठन के पश्चात्, कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल की प्रतिशतता 31% है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत किसानों के लिए सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु “शाकम्भरी योजना” प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 60 प्रतिशत (35 प्रतिशत केन्द्रांश + 25 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है एवं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत (25 प्रतिशत केन्द्रांश + 15 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है।

तालिका 7.1 फसल उत्पादन (000 मे.टन)

क्र.	फसल	13-14 पूर्ति	14-15 अनु पूर्ति	वृद्धि/कमी प्रतिशत	15-16 लक्ष्य
खरीफ					
1	धान	6716.4	7565.12	12.64	7654.5
2	मक्का	412.18	411.97	-0.05	423
3	अरहर	90.07	82.72	-8.16	97.98
4	मूंग	9.91	9.03	-8.88	13.53
5	उड़द	71.33	71.08	-0.35	76.26
6	मूंगफली	57.61	67.75	17.60	77.55
7	सोयाबीन	180.08	127.49	-29.20	199.08
8	रामतिल	21.76	19.55	-10.16	26.1
9	अन्य	49.82	58.08	16.58	66.88
महायोग		7609.16	8412.79	10.56	8634.88
रबी					
1	धान	767.98	898.74	17.03	385.5
2	मक्का	119.81	139.91	16.78	166.6
3	गेहूं	221.09	225.89	2.17	236
4	चना	422.15	411.72	-2.47	412.2
5	मटर	26.7	26.82	0.45	29
6	तिवड़ा	222.81	209.88	-5.80	232.75
7	राई-सरसों	85.15	79.49	-6.65	90
8	अलसी	31.47	28.9	-8.17	33.95
9	अन्य	177.39	161.67	8.86	191.43
महायोग		2074.55	2183.02	5.23	1777.43

स्रोत:- संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़


तालिका 7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

योजना का नाम	इकाई	14-15 पूर्ति	2015-16 लक्ष्य		2015-16 पूर्ति (सितं. 15)	
			संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
शाकम्भरी	कूप	संख्या	208	450	194	4012.00
	पंप	संख्या	22085	23500	9545	
किसान समृद्धि नलकूप		संख्या	6062	4350	1740	141.60
लघुत्तम सिंचाई तालाब		संख्या	52	60	1800	58
हरित क्रांति विस्तार योजनांतर्गत निर्मित	तालाब	संख्या	10	10	250	-
	चेकडेम	संख्या	175	390	4000	-

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 7-1 कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	1798258	1923736	1986080	2245153	2227953
वृद्धि (प्रतिशत)		6.98	3.24	13.04	-0.77
हिस्सा (प्रतिशत)	12.12	12.27	11.95	12.53	11.63



7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :

प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। अनाज फसलें यथा-धान, गेहूं, रागी एवं कोदो-कुटकी के लिए रु. 500 तथा दलहन फसलों के लिए रु. 1000 अनुदान का प्रावधान है।

तालिका 7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

क्र.	विवरण	इकाई	13-14 पूर्ति	14-15 पूर्ति	15-16 कार्यक्रम
बीज उत्पादन कार्यक्रम					
1	खरीफ	हेक्टेयर	36941	33331	38340
	रबी		16451	10452	10540
	योग (खरीफ+रबी)		53392	43783	48880
प्रमाणित बीज उत्पादन					
2	खरीफ	क्वि.	529957	653268	850000
	रबी	क्वि.	181206	89726	135000
	योग (खरीफ+रबी)		711163	742994	985000
प्रमाणित बीज वितरण					
3	खरीफ	क्वि.	766788	726326	741650
	रबी	क्वि.	110166	120548	125000
	योग (खरीफ+रबी)		876954	846874	866650

7.4 रासायनिक एवं जैविक खाद वितरण :

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान-प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :-

तालिका 7.4A खाद वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग
2013-14								
खरीफ पूर्ति	285.03	115.93	41.49	442.45	60	24	9	93
रबी पूर्ति	72.24	46.72	6.25	125.21	41	27	4	72
योग (खरीफ+रबी)	357.27	162.65	47.74	567.66				
2014-15								
खरीफ पूर्ति	357.27	162.65	47.74	567.66	64	34	11	109
रबी पूर्ति	141.79	81.67	22.67	246.13	74	43	12	129
योग (खरीफ+रबी)	499.06	244.32	70.41	813.79				
2015-16 कार्यक्रम								
खरीफ पूर्ति	321.23	155.87	52.75	529.85	67	32	11	110
रबी लक्ष्य	141.79	81.67	22.67	246.13	73	42	12	127
योग (खरीफ+रबी)	463.02	237.54	75.42	775.98				

तालिका 7.4 B कल्चर वितरण

वर्ष	कल्चर वितरण खरीफ (पैकेट संख्या)				कल्चर वितरण रबी (पैकेट संख्या)			
	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग
2012-13	372600	915320	162550	1450470	289208	540695	73440	903343
2013-14	385155	1108160	203900	1697215	446000	714295	102050	1265345
2014-15	1212140	386353	240347	1838840	669062	341379	90935	1101376
2015-16 लक्ष्य	1288500	421900	289600	2000000	700000	350000	100000	1150000

7.5 कृषि यांत्रिकीकरण :

विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण करके, उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है, जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु रु. 10 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 422 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में योजनांतर्गत राशि रु. 1500 लाख का प्रावधान करके प्रदेश में 186 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.6 जैविक खेती का संवर्धन कार्यक्रम :

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2013-14 में जैविक खेती की विशेष योजना प्रारंभ की गई। किसानों को, इसे अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जैविक कार्यशाला/मेला, कृषक प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शन आदि गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 27 जिलों के कुल 86 क्लस्टर का चयन किया गया है तथा वर्ष 2015-16 में 10 कृषक प्रशिक्षण एवं 5000 एकड़ क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतित राष्ट्रीय कृषि योजना एवं उपयोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नानुसार अधोसंरचना विकास एवं कार्यों की वर्ष 2008-09 से अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

- 04 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला।
- उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- राजनांदगांव में एक पौध संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- रायपुर में एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला।
- तीन नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर।
- राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।
- 92 विकासखंड स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र स्थापित।
- 360 कृषक सूचना केन्द्र निर्मित।

7.8 कृषि अभियांत्रिकी :

कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है (वर्ष 14-15, 15-16 सितंबर तक) —

तालिका 7.5 योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति										
क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 15 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाकम्भरी									
(क)	कूप निर्माण	संख्या	460	208	3500	2992.31	450	158	1400.00	680.90
(ख)	डीजल/विद्युत पंप	संख्या	23500	22085			23500	8461		
2	कस्टम हायरिंग योजना									
(क)	डोजिंग कार्य	घंटे	17000	11768			19000	5442		
(ख)	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	17500	13281	220	155.56	22000	7592	131.00	90.09
(ग)	यील्ड टेस्ट*	संख्या	-	31			-	11		
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना									
(क)	पावर टिलर का वितरण	संख्या	-	-			75	7		
(ख)	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	1125	1455	152.25	128.13	4688	1852	843.40	129.81
(ग)	हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों वितरण	संख्या	2050	2119			8100	6708		
4.	कृषि श्रमिक दक्षता	संख्या	1111	1094	500	492.64	1222	783	220.00	121.16
5.	किसान समृद्धि योजना	संख्या	4350	4000	1585.00	1372.93	4350	1857	634.00	313.73
6.	कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	संख्या	100	102	1000	932.50	186	39	650.00	-

रिमार्क :-* शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

7.8.1 शाकम्भरी योजना: राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों के लिए स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु "शाकम्भरी" योजना चलायी जा रही है, जिसमें किसानों को 5 एच.पी. तक के पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

7.8.2 भू-जल संवर्धन हेतु कूप एवं नलकूप पुनर्भरण की योजना : इस योजनांतर्गत प्रति कूप एवं नलकूप के पुनर्भरण हेतु लगने वाले कार्य/सामग्री को वास्तविक लागत या अधिकतम व्यय पर रु. 10000 का 50% अर्थात् कुल रु. 5000 शासकीय अनुदान देय है, शेष राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 2015-16 में योजनांतर्गत राशि रु. 250.00 लाख की राशि प्रावधानित है।

कृषि विपणन

- 7.9 कृषि उपज मण्डियाँ:** कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना, निर्धारित समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मण्डियाँ एवं 118 उप-मण्डियाँ कार्यरत हैं।

तालिका 7.6 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	अंतर (%)
आवक	टन	9426298	10179396	8735603	7.99
आय	लाख रू.	18846.23	16364.81	22090.97	-13.17
बोर्ड शुल्क	लाख रू.	2369	1869	2534	-21.11

7.10 छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों को दी जा रही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं:

1. किसानों के उपज का सही तौल हेतु मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन की स्थापना की गई है।
2. छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को कृषि संकाय के अध्ययन हेतु बजट में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
3. राजनांदगाँव मंडी में स्थित किसान शॉपिंग मॉल में कृषि आदान, खाद, बीज, पेस्टीसाईट, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स टॉकीज, रेस्टॉरेंट तथा गार्डन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4. गौशालाओं हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
5. कृषक कल्याणमुखी योजनांतर्गत " कृषक कल्याण कोष" की स्थापना की गई है, जिसमें माह मई 2015 में संशोधन अनुसार सकल आय का 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है।
6. समर्थन मूल्य अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा क्रय धान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 329 धान उपार्जन केन्द्रों में मण्डी बोर्ड द्वारा रूपए 43.70 करोड़ की लागत से 1316 चबूतरों का निर्माण कराया गया है।

7.11 छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड की उपलब्धियाँ :-

- अ. **फल सब्जी मंडी** :-दुर्ग, राजनांदगाँव, रायगढ़, तुलसी (रायपुर), बिलासपुर, पखांजूर में फल सब्जी मंडी की स्थापना की गई।
- ब. **आदर्श मंडी** :-धमतरी, कुरुद, राजनांदगाँव, कवर्धा, मुंगेली में आदर्श मंडी की स्थापना की गई।
- स. **किसान शॉपिंग मॉल**:- राजनांदगाँव मंडी में किसानों (विक्रेताओं) तथा मंडी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है। जहाँ किसानों को खाद तथा कृषि उत्पाद से संबंधित सामग्री का विक्रय प्रारंभ हो गया है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.12 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी : छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 117 उद्यान तथा 01 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र बना है।

7.12.1 राज्य पोषित योजनाएँ :-

● **फल विकास कार्यक्रम-** वर्ष 2014-15 में 3599.08 हेक्टेयर में आम के पौधे रोपित किये गये है, जिस पर 200.12 लाख रु. व्यय हुए एवं वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 15 तक 2102.45 हेक्टेयर क्षेत्र में आम के पौधे रोपित किये गये हैं।

तालिका 7.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय वर्ष 2014-15

क्र.	विषय वस्तु	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मे.टन)
1	फलोद्यानों का रकबा	225766	2154889
2	सब्जियों का रकबा	414440	5697974
3	मसालों का रकबा	91115	640027
4	औषधि एवं सुगंधित फसलों का रकबा	7953	55193
5	पुष्प के अंतर्गत रकबा	10270	47589

इस योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में 87610 एवं वर्ष 2015-16 में 53721 पौधों को कलम बांधने के उपरांत संकरण किया जा चुका है।

● **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना :-** वर्ष 2014-15 में 613.63 हेक्टेयर हेतु किसानों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 73.65 लाख व्यय हुए। वर्ष 2015-16 में 851 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अद्यतन 545.50 हेक्टेयर पूर्ति की जा चुकी है।

● **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना :-** यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 1540 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरुद्ध 971.18 हेक्टेयर हेतु कार्य सम्पादित किया जा चुका है। जिस पर कुल राशि 998.95 लाख व्यय हुई है। वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 117.50 हेक्टेयर हेतु कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

7.13 राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम : (योजनान्तर्गत प्रगति) :-

हाइटेक नर्सरी :- 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रु. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2015-16 में एक हाइटेक सार्वजनिक क्षेत्र एवं एक हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र हेतु स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014-15 में दो हाइटेक रोपणी की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर अद्यतन 199.79 लाख व्यय हुआ है।

लघु नर्सरी :- 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में लघु रोपणी की स्थापना पर शत प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रु. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2015-16 में पाँच लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014-15 में पाँच लघु रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर अद्यतन 75.00 लाख व्यय हुआ है।

अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर :- अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु.10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापना

पर शत प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2015-16 में 20 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014-15 में 20 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर अद्यतन 200.00 लाख व्यय हुआ है।

क्र.	योजना का नाम	2014-15		2015-16		सितं.15
		क्षेत्रफल हे	व्यय लाख	क्षेत्रफल हे.	लक्ष्य प्राप्ति हे.	
1	फलोद्यान विकासयोजना	5110	1211.91	2563	1229.75	
2	पुष्प विकास योजना	1055	294.38	2240	1055.00	
3	मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना	2175	270.75	2300	1620.00	
4	सब्जी क्षेत्र विकास योजना	3285	297.00	6000	5200.00	

सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन :- ओपन पालिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापना पर शत-प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 250 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014-15 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 100 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूर्ण किया गया जिस पर अद्यतन 32.38 लाख व्यय हुआ है।

सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास :- सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 20 टैंक का निर्माण एवं 235 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए, जिस पर कुल 638.25 लाख राशि व्यय हुए एवं वर्ष 2015-16 में 25 सामुदायिक टैंक, 50 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह सितम्बर 2015 तक 14 सामुदायिक टैंक, 26 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :

यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से संचालित है इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए केन्द्र सरकार का 30 प्रतिशत हिस्सा और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्सा, कुल 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन करेगा।

7.15 ड्रिप सिंचाई योजना की प्रगति :- इस योजनांतर्गत ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसानों को कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में हितग्राहियों को 745.14 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 2152 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है।

7.16 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति –

वर्ष 2014-15 में सामान्य योजना में 500 हेक्टेयर क्षेत्र फलोद्यान कार्यक्रम, सब्जी क्षेत्र विस्तार 750 हेक्टेयर, जैविक खेती 1000 (संस्था) तथा 44800 (संख्या) फसल प्रदर्शन एवं 89000 सब्जी मिनिकीट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुए जिस पर कुल 4561.11 लाख रु. व्यय हुए। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 27000 फसल प्रदर्शन एवं 28800 सब्जी मिनिकीट वितरण एवं 400 हेक्टेयर सब्जी क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में कार्ययोजना राशि सामान्य योजना में रु. 4300.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना में माह सितंबर 2015 तक 1431.30 लाख व्यय हुए हैं, जिसमें फल, पुष्प, सब्जी, मसालों आदि का क्षेत्राच्छादन किया जा रहा है।

7.17 जल संसाधन

7.17.1 भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल : छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के समय शासकीय स्रोतों से, 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्रोतों से जल की उपलब्धता की मात्रा में सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. एवं भू-जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी., इस प्रकार कुल 59926 मि.घ.मी. आंकी गई है। प्रदेश के कुल 146 विकासखंडों में से 125 विकासखण्ड भू-जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 18 विकास खण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में तथा 01 विकासखण्ड अत्यधिक दोहन श्रेणी में आकलित है।

7.17.2 सृजित सिंचाई क्षमता : राज्य निर्माण के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थीं तथा 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। मार्च 2015 तक 19.29 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 6.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। सिंचाई का प्रतिशत 31 हो गया है।

7.17.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं : वर्तमान में 08 वृहद, 35 मध्यम एवं 2432 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 520 एनीकेट निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 04 मध्यम एवं 565 लघु सिंचाई योजनाएं, तथा 215 एनीकेट निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 04 निर्मित वृहद योजना में नहर लाईनिंग के कार्य चल रहे हैं।

निर्माणाधीन योजना :

7.17.3.1 वृहद परियोजनाएं :-

- **खारंग जलाशय परियोजना** : बिलासपुर जिले की इस परियोजना में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नहरों की लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 15 तक लाईनिंग कार्य से 15000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।
- **मनियारी जलाशय परियोजना** : मुंगेली जिले की इस परियोजना में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 15 तक लाईनिंग कार्य से 13000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

7.17.3.2 मध्यम परियोजनाएं :-

- **घुमरिया नाला बैराज**: घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगाँव जिले के छुरिया तहसील के जोशीनमती ग्राम के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रु. 47.79 करोड़ एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य लगभग 100 प्रतिशत, मुख्य नहर कार्य 100 प्रतिशत तथा लघु नहरों के कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
- **सूखा नाला बैराज** :- यह मध्यम परियोजना राजनांदगाँव जिले के डोंगरगाँव तहसील के बहमनीकनेरी ग्राम के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत रु. 91.54 करोड़ है। इसकी परिकल्पित सिंचाई क्षमता 6270 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत तथा नहर कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 में 2500 हेक्टेयर खरीफ एवं 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।
- **मोंगरा बैराज फेस- II** : इस योजना के द्वितीय चरण में दांयी तट नहर निर्माण प्रस्तावित है। मुख्य नहर का कार्य 100 प्रतिशत एवं लघु नहरों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है शेष कार्य प्रगति पर है। इससे खरीफ 765 हेक्टेयर एवं रबी 125 हेक्टेयर, कुल 890 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है, जिससे अंबागढ़ चौकी विकासखण्ड के 8 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे। मार्च 2015 तक कुल 625 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है।

7.17.3.3 लघु सिंचाई योजनाएं : वर्तमान में 565 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से मार्च 2016 तक 80 लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7.17.4 एनीकट : वर्तमान में 215 एनीकट निर्माणाधीन है, जिसमें से मार्च 2016 तक 100 एनीकट पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7.17.5 सृजित सिंचाई क्षमता का वास्तविक उपयोग : प्रदेश में खरीफ फसल हेतु 11.88 लाख हेक्टेयर तथा रबी फसल हेतु 1.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। कुल सिंचाई क्षमता का 68 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है। उपयोग की जा रही सिंचाई क्षमता में वृहद परियोजनाओं का 89 प्रतिशत, मध्यम परियोजनाओं का 77 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का 53 प्रतिशत योगदान है।

7.18. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना :- छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42 कि.मी. नीचे कोरबा स्थित बैराज के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत-प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 173180 हेक्टेयर रबी, कुल 4,20,580 हेक्टेयर है।

वर्ष 2015-16 में हसदेव बांगो परियोजना से 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, इस वर्ष अल्पवर्षा की स्थिति में भी 2,26,750 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है।

7.19 केलो परियोजना :- यह परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़ - अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले के (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों को 22,810 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना से नवंबर 2015 तक 9570 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। योजना से रायगढ़ शहर में पेयजल 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के पास स्थापित उद्योग हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 598.91 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31-03-2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना के मुख्य एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति माह नवंबर 2015 तक क्रमशः 99% एवं 80% है। परियोजना की लागत रु. 598.91 करोड़ है, जिसके विरुद्ध अब तक कुल राशि रु. 460.06 करोड़ व्यय की जा चुकी है।

7.20 समोदा बैराज :- महानदी पर समोदा औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रु. 76.50 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 91% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रु. 69.68 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 36 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित है।

7.21 शिवरीनारायण बैराज :- महानदी पर शिवरीनारायण औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रू. 122.61 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 87% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रू. 107.33 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 94.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित है। बैराज के निर्माण से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

7.22 साराडीह बैराज :- महानदी पर साराडीह औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रू. 399.13 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 88% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रू. 350.05 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 350.33 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित है। बैराज के निर्माण से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

7.23 बसंतपुर बैराज :- महानदी पर बसंतपुर औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रू. 233.60 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 93% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रू. 219.18 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 192.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष आबंटित है। बैराज के निर्माण से 985 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

7.24 मिरौनी बैराज :- महानदी पर मिरौनी औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रू. 348.37 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 96% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रू. 335.82 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 55.00 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष आबंटित है। बैराज के निर्माण से 830 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।


7.25 कलमा बैराज :- महानदी पर कलमा औद्योगिक बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना की लागत रू. 182.03 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 94% निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2015 तक राशि रू. 170.55 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज से 300.96 मि.घ.मी. वार्षिक जल औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित है। बैराज के निर्माण से 311 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को स्वयं के साधन से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

पशुधन

7.26 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर, 2012 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.50 करोड़ पशुधन तथा 1.80 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

तालिका 7.9 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	226704	237979	251439	247427	253760
वृद्धि (प्रतिशत)		4.97	5.66	-1.60	2.56
हिस्सा (प्रतिशत)	1.47	1.46	1.45	1.32	1.27



7.26.1 गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकास:- पशु संगणना 2012 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.34 लाख है। राज्य में वर्ष 2015-16 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 251 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयाँ, 275 पशु चिकित्सालय, 795 पशु औषधालय, 10 मु. ग्रा. खण्ड, 100 मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2014-15 में 5.02 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.61 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समीक्षा अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.50 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 0.34 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 22.77 लाख पशुओं का उपचार, 17.81 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.32 लाख पशुओं में बधियाकरण एवं 242.03 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 2.29 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.20 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। जिससे 0.69 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन एवं 0.10 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है। तथा 8.04 लाख पशुओं का उपचार, 9.54 लाख पशुओं को औषधी प्रदाय, 0.89 पशुओं में बधियाकरण एवं 81.67 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

7.26.2 बकरी विकास : प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 32.25 लाख बकरियाँ हैं। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा, रायपुर जिला तथा रामपुर (ठाठापुर), कबीरधाम जिले में की गई है।

7.26.3 सूकर विकास : वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.39 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालकों को वर्ष 2014-15 में सूकरत्रयी अनुदान (2 मादा तथा 1 नर सूकर) हेतु वितरण राशि रु. 88.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 977 सूकरत्रयी के विरुद्ध राशि रु. 86.27 लाख व्यय कर 958 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु राशि रु. 23.50 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 671 नर सूकर के विरुद्ध राशि रु. 23.50 लाख व्यय कर 656 नर सूकर अनुदान प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में सूकरत्रयी वितरण हेतु राशि रु. 96.75 लाख आबंटन के विरुद्ध 1075 सूकर स्त्री एवं नर सूकर हेतु राशि रु. 24.99 लाख के विरुद्ध 714 नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह सितंबर 2015 तक सूकर स्त्री वितरण में रु. 22.57 लाख व्यय कर 263 इकाई एवं नर सूकर वितरण में 4.93 लाख व्यय कर 140 सूकरों का वितरण किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला सरगुजा एवं परचनपाल जिला बस्तर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है और अभी जशपुर जिले के कुनकुरी में एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है।

7.26.4 शत-प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :- प्रदेश में वर्ष 2006-07से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत-प्रतिशत अनुदान पर सांड प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सितंबर 15 तक कुल 5088 सांड विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में रु. 51.76 लाख के परिव्यय से 255 सांडों का वितरण किया गया है। वर्ष 2015-16 में सितंबर 15 तक राशि रु. 17.86 लाख व्यय कर 77 सांडों का वितरण किया गया है। शेष सांडों का वितरण कार्य प्रगति पर है।

तालिका 7.10

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	275
पशु औषधालय	795
चल चिकित्सालय	25
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जाँच चौकियाँ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	251
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

7.26.5 कुक्कुट विकास : प्रदेश में पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में 179.55 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में 7 कुक्कुट एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को रंगीन चूजों का वितरण, आहार एवं औषधि घर पहुँचा कर प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2014-15 में राशि रु. 175.99 लाख व्यय कर 6518 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 15 तक राशि रु. 73.32 लाख व्यय कर 2715 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

7.26.6 केन्द्रीय योजना (एस्काड) : केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढीकरण प्रचार-प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1181.50 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई, जिसके विरुद्ध भारत शासन से प्रथम किस्त राशि रु. 455.98 लाख विमुक्ति हुई है।

7.26.7 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि :-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, विभाग के लिये वर्ष 2014-15 में कुल 09 योजनाओं हेतु राशि रु. 2056.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी जिसके विरुद्ध राशि रु. 2035.93 लाख व्यय की गई है।

वर्ष 2015-2016 में कुल 09 योजनाओं हेतु राशि रु. 2156.10 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रु. 700.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है एवं अक्टूबर 2015 तक रु. 551.45 लाख व्यय कर लिया गया है।

7.26.8 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान ईकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2014-2015 में कुल 175 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2015-2016 में कुल 175 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रॉ प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रु. 950 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.26.9 ग्रामोत्थान योजना :- राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रूप में जोड़ना है।

वर्ष 2015-16 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 36.66 लाख राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि रु.15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/- प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,37,700 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रु.29.91 लाख प्रदाय किया गया है। वर्ष 2014-15 में कुल 1.40 लाख कृत्रिम

गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरुद्ध रु. 29.37 लाख प्रावधानित है। अक्टूबर 2015 तक 15.81 लाख खर्च किया गया है।

7.26.10 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :- छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय-भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई। अभिकरण को राष्ट्रीय गौवंशीय-भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनान्तर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-02 से वर्ष 2015-16 तक कुल बंटन रु. 3752.14 लाख प्राप्त हुए। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

1. पशु संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुंच विहीन गांवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के सांडों का प्रदाय।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढीकरण।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढीकरण।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
7. 1396 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया गया है।
8. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण राष्ट्रीय गौवंशीय/भैसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारु गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
9. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु रु. 6.57 करोड़ का अनुमोदन।

7.26.11 केन्द्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम योजना (NCPB) :- केन्द्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम योजनांतर्गत मादा वत्स को ब्रुसलोसिस रोग से बचाने हेतु 0-4 माह एवं 4-8 माह उम्र के मादा वत्सों का सर्वेक्षण कार्य उपरांत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, किया जाता है। वर्ष 2015-16 में पुर्नवैधित राशि रु. 124.65 लाख भारत शासन से विमुक्ति हुई है।

7.26.12 पशु उत्पाद उपलब्धता :-वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के 27 जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 270 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1231 हजार टन दुग्धोत्पादन, 14732 लाख अण्डा उत्पादन एवं 37764 हजार कि.ग्रा. मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 130 ग्राम दूध, प्रतिवर्ष 57 अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.452 किलोग्राम होना पाया गया है।

बॉक्स क्र. 7.1


- **गौ सेवक प्रशिक्षण योजना :-** दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जहां पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, स्वर्णिम रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें ग्राम के ही 10 वीं पास बेरोजगार युवक को तीन माह सैद्धांतिक एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि पशुओं को तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके। वर्ष 2014-15 तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- **पशु माता महामारी योजना :-** पशु माता महामारी योजना अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 4732, सामान्य ग्राम खोज 16099, डे-बुक निरीक्षण कार्य 4010 पशु बाजार को भेंट 175, पशु उपचार 7716, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 190104, टीकाकरण 22588 सैंपल कलेक्शन 3569, पशु जन जागरण शिविर 33 का कार्य किया गया।
- सितम्बर 2015-16 तक स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 2362, सामान्य ग्राम खोज 6154, डे-बुक निरीक्षण कार्य 2064, पशु बाजार को भेंट 96, पशु उपचार 2391, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 78463, टीकाकरण 2694, सैंपल कलेक्शन 1870, पशु जन जागरण शिविर 03, का कार्य किया गया।

मत्स्य विकास

7.27 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.57 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.48 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जो कुल जलक्षेत्र का 94.00 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

तालिका 7.11 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	234783	239415	266903	294258	317498
वृद्धि (प्रतिशत)		1.97	11.48	10.25	7.90
हिस्सा (प्रतिशत)	1.52	1.47	1.54	1.57	1.59



7.27.1. मत्स्य बीज उत्पादन :- वर्ष 2013-14 में समस्त स्रोतों से 12203.00 लाख स्टैंडर्ड फ़ाई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष 2014-15 में 13514.00 लाख स्टैंडर्ड फ़ाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 10.74 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर 2014 तक 11719.69 लाख स्टैंडर्ड फ़ाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 12501.19 लाख स्टैंडर्ड फ़ाई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया। जो गत वर्ष की तुलना में 6.67 प्रतिशत अधिक है।

7.27.2. मत्स्योत्पादन :- वर्ष 2013-14 में राज्य में समस्त स्रोतों से 284959 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2014-15 में 314164.66 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.24 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 176533.00 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

7.27.3. मछुआ सहकारिता :- राज्य में वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 15 तक समितियों की संख्या 1315 है। जिनकी सदस्य संख्या 43833 है। इन समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

7.27.4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :- सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रु. 750, जाल बुनने एवं धागा के लिए रु. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रु. 100, इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रु. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5300 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क्र. 7.2

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रु. 1,00,000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 2,00,000 रु. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2014-15 में 210000 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2013-14 तक मछुआरों के लिए 400 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया। वर्ष 2014-15 में 400 आवास हेतु रु. 300 लाख प्रावधानित है।
- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2014-15 में 150.14 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक 43.98 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

7.27.5. मत्स्य पालन प्रसार :- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्य करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षों में अधिकतम 15000 रु. का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में 550 इकाईयाँ स्थापित की गई है जिसमें 2.96 लाख झींगा बीज संचयन कर 12915 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

7.27.6. अल्पअवधि बचत-सह-राहत योजना :- गैर मौसम में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की गई है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रु. 900 तथा शासन द्वारा अंशदान रु. 1800, इस प्रकार कुल रु. 2700 हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के 3 माह में 900 रुपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में 8000 मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा। वर्ष 2014-15 हेतु 8000 मछुआरों को लाभान्वित किया गया।

7.27.7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 18.11 लाख रु. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिलों – रायपुर, दुर्ग, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, कांकेर, नारायणपुर एवं कोण्डागौव में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 27 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

तालिका 7.12 प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2015-16 माह सितंबर 15 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रु. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		59295.00	56032.00	214.44	180.87
	स्टेण्डर्ड फ़ाई	लाख	14900.00	12501.19	-	-
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	9752.66	7463.23	-	-
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	340595.62	156713.04	9.90	-
4.	विभागीय आय	लाख रु.	282.00	130.51	-	-
5.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रु.	74.05	275.93	-	-
6.	प्रशिक्षण (विभाग)	संख्या	6000	2344	164.98	64.50
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	110.00	43.98	-	-

तालिका 7.13 केन्द्र प्रवर्तित योजना

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रु. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रु.	455	92.46	-	-
	ब. अनुदान	लाख रु.	100	8.41	-	-
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	19	-	-
		हे.	-	15.96	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्घटना बीमा	संख्या	210000	91070	-	-

अनुलग्न - 7.1 भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13789836	13789836
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	6352407	6352413	6331274	6315530
3	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नहीं है				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	725341	734443	737574	741102
	ब. ऊसर व गैर-मुस्तकिल भूमि	292142	289748	289487	288458
	उप-योग - 3	1017483	1024191	1027061	1029560
4	पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	863069	861064	881678	886890
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।	901	893	1113	983
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	351848	357856	349080	350739
	उप-योग - 4	1215818	1219813	1231871	1238612
5	पड़ती भूमि				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	257186	265167	253685	258211
	ब. चालू पड़ती भूमि	269999	256783	260222	267183
	उप-योग - 5	527185	521950	513907	525394
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर				
	उप-योग 4+5	1743003	1741763	1745778	1764006
7	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	4676943	4671469	4685723	4680740
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	986733	1019386	1011984	1046983
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5663676	5690855	5697707	5727723

स्रोत:-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

अनुलग्न - 7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2015

क्र.	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य अकृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
				अ. ऊसर व गैर-मुस्त किल भूमि	ब. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुतकील व दीगरघारा गाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती (2 साल से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	2940	380	46703	21576	35081	94	5530	15020	164113	61064	225177
2	बलौदाबाजार	467697	133397	5700	31239	13228	32587	6	5181	11408	234951	56719	291670
3	गरियाबंद	585494	384850	3409	23009	3719	25914	21	1800	2637	140135	26813	166948
4	महासमुन्द	496301	140602	6472	37191	5820	29816	114	3031	5278	267977	35145	303122
5	धमतरी	408193	204136	1884	30069	2296	20724	60	1157	1337	146530	87221	233751
6	दुर्ग	231999	0	4426	35868	12781	19088	183	3905	8602	147146	43291	190437
7	बालोद	352700	97795	4897	32231	9784	20258	61	3758	6546	177370	80195	257565
8	बैजतरा	285481	64	12	24367	5242	23248	13	4540	2290	225705	128015	353720
9	राजनांदगांव	802252	258677	18300	50626	22985	54525	132	25802	27473	343732	103228	446960
10	कबीरधाम	444705	189440	10000	16779	3893	28645	67	4827	4872	186182	81529	267711
11	बस्तर	405215	83068	20539	25971	38359	28155	3	10549	12153	173295	5723	179018
12	कोंडागांव	605073	410452	16313	10608	18316	8562	2	5196	4051	131573	6350	137923
13	नारायणपुर	692268	638494	1757	3221	6829	3489	0	3107	2362	33009	590	33599
14	कांकर	643268	278303	18976	31504	10530	63141	23	14876	13385	212530	18510	231040
15	दन्तैवाड़ा	341050	149014	27301	11196	26756	3874	0	9067	11245	102597	1846	104443
16	सुकमा	563579	353231	10884	14292	49141	27909	2	7251	10552	103440	1095	104535
17	बीजापुर	655296	494488	6494	18751	42933	8990	0	8829	8845	65966	83	66049
18	बिलासपुर	581849	218436	9061	30132	16811	47955	55	13678	11783	233938	57092	291030
19	मुंगेली	275036	113039	231	11634	621	17645	14	1404	2473	127975	81705	209680
20	जाजगीर	446674	89189	2349	36260	10894	37892	4	5107	7649	257330	28991	286321
21	कोरबा	714544	471530	30643	28690	14588	21548	29	7217	9428	130871	10208	141079
22	सरगुजा	501980	240443	5118	25275	0	45861	0	15664	10454	159165	23439	182604
23	बलरामपुर	601634	294531	1637	30701	0	87720	100	20876	10917	155152	25841	180993
24	सूरजपुर	499826	236038	1197	29007	0	53553	0	12587	10138	157306	23100	180406
25	कोरिया	597770	398017	12941	23443	0	33116	0	13300	11225	105728	12724	118452
26	रायगढ़	652774	207389	14354	57157	4878	64534	0	31114	19044	254304	32706	287010
27	जशपुर	645741	227967	53183	25178	8759	43060	0	27830	17044	242720	13760	256480
	योग राज्य	13789836	6315530	288458	741102	350739	886890	983	267183	258211	4680740	1046983	5727723

स्रोत:—आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

तालिका-7.3 जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

जिला	कुल					
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
कोरिया	115225	115849	118452	103741	103411	105728
सरगुजा	183077	182267	182604	159318	159353	159165
बलरामपुर	177930	178912	180993	152258	153016	155152
सूरजपुर	177918	181599	180406	155643	157830	157306
जशपुर	258136	255489	256480	244772	241687	242720
रायगढ़	299855	300516	287010	269312	269582	254304
कोरबा	141200	141565	141079	131060	131002	130871
जांजगीर-चांपा	316820	291616	286321	257821	257503	257330
बिलासपुर	289195	291360	291030	231823	232816	233938
मुंगेली	208007	208373	209680	127906	127870	127975
कबीरधाम (कवर्धा)	252164	254913	267711	185764	185825	186182
राजनांदगांव	442290	446628	446960	348620	348472	343732
दुर्ग	196506	193315	190437	147023	146977	147146
बेमेतरा	342383	354268	353720	224725	225413	225705
बालौद	255770	256093	257565	176810	177717	177370
रायपुर	221351	219818	225177	165491	165747	164113
बलौदा बाजार	280891	283102	291670	232892	233256	234951
गरियाबंद	161496	162523	166948	135403	136385	140135
महासमुंद	302057	301729	303122	267645	268014	267977
धमतरी	218425	224153	233751	135373	143381	146530
उत्तर बस्तर (कांकेर)	228071	230916	231040	210708	212406	212530
बस्तर	186078	185436	179018	180459	180002	173295
कोंडागांव	137489	137763	137923	131557	131786	131573
नारायणपुर	32966	33440	33599	32516	32969	33009
दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	102819	102458	104443	101230	100858	102597
सुकमा	97301	97389	104535	96273	96348	103440
बीजापुर	65435	66217	66049	65326	66097	65966
छत्तीसगढ़	5690855	5697707	5727723	4671469	4685723	4680740

स्रोत:—आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

अनुलग्न - 7.4 प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.0	अनाज									
1.1	धान	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9	3982.2	3987.7	4035.7
1.2	गेहूँ	93.2	95	94.8	109.1	103.7	104.8	102.2	105.0	103.2
1.3	ज्वार	6	7.7	5.3	5.6	5.7	5.3	6.2	5.2	5.0
1.4	मक्का	100.1	100.1	99.3	101.7	104.9	107.4	116.8	123.4	125.1
1.5	कोदो-कुटकी	161.1	151.9	145.5	137.1	127.9	121.6	111.1	102.0	91.6
1.6	जौ	3.5	3.4	3.1	3.1	2.3	2.9	2.8	2.7	2.5
1.7	छोटे अनाज	49.1	64.6	54.3	44.3	39.2	37.7	34.5	33.0	30.4
2.0	दालें									
2.1	चना	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2	267.9	289.7	293.3
2.2	तुअर	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9	51.9	52.8	55.3
2.3	उड़द	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1	102	98.7	96.9	95.9
2.4	मूग-भोठ	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4	15.5	15.2	16.4
2.5	कुल्थी	52.8	53	51.6	51.1	50.9	48.7	47.6	45.9	45.3
2.6	लाख (तिवड़ा)	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6	331.8	315.2	305.2
3.0	गन्ना	19.2	19.3	16	14.7	15.4	17.5	23	23.9	29.1
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7	29.4	29.2	29.1
4.2	रामतिल	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5	66.2	63.6	63.6
4.3	तिल	21.3	21.2	20	19.6	20.5	19.7	19.7	17.0	17.6
4.4	सोयाबीन	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2	101.5	107.8	102.9
4.5	अलसी	64.6	55.9	47.6	44.8	37	35.3	32.2	31.2	27.4
4.6	राई सरसों	54.5	51.4	52	52.3	50.2	49.2	47	47.5	46.6

स्रोत-आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न - 7.4 प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे. टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.0	अनाज									
1.1	धान	5441.5	5635	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2	11772.6	10654.1	11966.62
1.2	गेहूँ	94	104.6	97.4	118.92	121.7	135.1	143.2	140.8	153.3
1.3	ज्वार	5.2	7.2	6.3	6.8	8.2	4.1	4.5	3.3	4.2
1.4	मक्का	123.5	157.1	139.9	145.36	190.5	177.8	225.1	254.1	235.1
1.5	कोदो-कुटकी	30	39.2	24.9	22.83	26	22.5	23.7	21.0	20.7
1.6	जौ	2.8	4	2.8	2.3	1.2	2.2	1.3	2.4	2.7
1.7	छोटे अनाज	6.9	16.8	9.5	9.3	8.9	10.5	9.7	8.3	8.9
2.0	दालें									
2.1	चना	193.5	212.4	190.3	230.18	239.6	260.7	304.9	221.6	311.2
2.2	तुअर	22.9	26.3	28.4	27.61	23.9	23.7	31	29.4	35.1
2.3	उड़द	34.5	35.1	32.4	29.2	30.6	30	31.4	30.0	30.1
2.4	मूँगमोठ	4.3	4.2	4	3.94	4.2	3.9	4.2	4.0	4.2
2.5	कुल्थी	16.6	16.9	16.1	14.13	14.6	14.4	14.3	14.1	14.3
2.6	लाख (तिवड़ा)	225.2	553	211	193.19	223.6	206.8	159.9	174.0	297.9
3.0	गन्ना	20.3	27.3	22	35.35	18.4	45.4	37.3	23.8	76.1
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	37.7	40	37.7	45.06	35.9	37.9	40.5	42.3	40.8
4.2	रामतिल	12.8	12.8	12.6	10.9	12	11.4	11.7	11.6	11.3
4.3	तिल	6.4	6.7	6.1	8.64	6.9	7.6	5.7	4.8	8.0
4.4	सोयाबीन	64.2	83.6	79.9	77.83	112.4	84.6	126.1	111.9	50.1
4.5	अलसी	16.2	17.1	13	13	9.8	13.6	13.4	11.9	11.2
4.6	राई सरसों	21.8	20.6	19.7	21.68	20.8	21.8	23.9	27.0	24.6

स्रोत—आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न - 7.6 प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615

स्रोत : आयुक्त, भू-अमिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

* भू-अमिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न - 7.7 सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710

स्रोत:- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न - 7.8 छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षात 30 जून 2015

क्र	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो	संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	165229	138720	85%	26509	73%
2	बलौदाबाजार	118539	111460	47%	7079	41%
3	गरियाबंद	59510	46977	34%	12533	36%
4	महासमुन्द	109195	99047	37%	10148	36%
5	धमतरी	165452	111367	76%	54085	71%
6	दुर्ग	114319	92560	63%	21759	60%
7	बालोद	113579	93018	52%	20561	44%
8	बेमेतरा	137467	89334	40%	48133	39%
9	राजनांदगांव	112974	82999	24%	29975	25%
10	कबीरधाम	99398	64643	35%	34755	37%
11	बस्तर	6376	6376	4%	0	4%
12	कोंडागांव	6003	6003	5%	0	4%
13	नारायणपुर	352	352	1%	0	1%
14	कांकेर	30909	30909	15%	0	13%
15	दन्तेवाड़ा	338	338	0%	0	0%
16	सुकमा	1362	933	1%	429	1%
17	बीजापुर	3434	3434	5%	0	5%
18	बिलासपुर	106667	86813	37%	19854	37%
19	मुंगेली	68828	63511	50%	5317	33%
20	जाजगीर	214126	202022	79%	12104	75%
21	कोरबा	8368	8368	6%	0	6%
22	सरगुजा	16934	15884	10%	1050	9%
23	बलरामपुर	14849	14125	9%	724	8%
24	सूरजपुर	23102	18297	12%	4805	13%
25	कोरिया	9097	8084	8%	1013	8%
26	रायगढ़	70931	62788	25%	8143	25%
27	जशपुर	9599	9348	4%	251	4%
	योग राज्य	1786937	1467710	31%	319227	31%

स्रोत:- आयुक्त, भू अभिलेख

34343

8

पुस्तक

8. वानिकी

मुख्य बिन्दु

- छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85 प्रतिशत है।
- राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2014-15 (Q) में 425419 लाख तथा 2015-16 (अनुमानित) 428000 लाख है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2014-15 में 2.37 प्रतिशत व 2015-16 में 2.24 प्रतिशत है।
- राज्य के 07 वनमंडल- धमतरी, जशपुर, बस्तर, धरमजयगढ़, राजनांदगांव, कांकेर व रायपुर में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई।
- कैम्पा योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र हेतु क्रमशः कोरबा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा वनमंडल में कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
- वनमंडल धमतरी एवं कोण्डागांव में हर्बल गार्डन व बस्तर वनमंडल लामनी पार्क में इन्टरप्रिंटेशन सेन्टर स्थापित किया गया है। जिसका रखरखाव कैम्पा योजना के अधीन है।


- 8.1** भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी.(43.13 प्रतिशत) संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है।
- 8.2** वानिकी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है, यदि इसे पूर्ण ढंग से लठ्ठा, इंधन की लकड़ी का संग्रहण, गैर इमारती लकड़ी एवं वनोत्पाद से ग्रामीण आय तथा जीवन निर्वाह आरंभ करने की दृष्टि से अवलोकित किया जाए। वन कार्बन अवशोषण कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वन पर्यावरण सेवाओं तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों को लाभान्वित करने का भी स्रोत है (यथा-बहाव कृषि के लिए वाटरशेड संरक्षण, वनाधारित मनोरंजन एवं पर्यटन)। अतः बहुत अधिक वन क्षेत्र न केवल राज्य को, बल्कि पूरे देश को उसके महत्वपूर्ण आच्छादन द्वारा भी लाभ पहुंचाता है।

- 8.3** पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	426205	449230	428281	425419	428000

वृद्धि (प्रतिशत)	5.4	4.66	-0.67	0.61
हिस्सा (प्रतिशत)	2.87	2.86	2.37	2.24



8.4 विभाग की योजनाएं/कार्यक्रम:- राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वन क्षेत्रों का डिजिटिजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है—

- **पथ वृक्षारोपण :-** योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। सितम्बर 15 तक 106.08 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- **वनमार्गों पर स्पटा/पुलिया निर्माण:**— योजनांतर्गत वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर स्पटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्राम वासियों को आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके।
- **पौधा प्रदाय:**— योजनांतर्गत जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार-प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु पौधा प्रदाय योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें एक रूपये प्रति पौधा की दर से अधिकतम 1000 पौधे एक हितग्राही को दिए जाएंगे।
- **हरियाली प्रसार:**— योजनांतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे साथ ही साथ आगामी 2 वर्षों के लिए रखरखाव हेतु 1 रूपये प्रति पौधा की दर से अनुदान दिया जावेगा।
- **नदी तट वृक्षारोपण:**— योजनांतर्गत राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू-क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जाएगा।
- **बांस वनों का पुनरोद्धार:**— योजनांतर्गत बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिरों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है जिससे करील (कोपल) प्राप्त होते है एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **भू एवं जल संरक्षण:-** योजनांतर्गत भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है।

सारणी 8.2 गानिकी योजनावार विवरण एवं प्रगति (वित्तीय उपलब्धि करोड़ में)

योजना	वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		व्यय (सित 15 तक)
	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय प्राक्धान	लक्ष्य	
पथ वृक्षारोपण योजना	5.82	वृक्षा रोपण 83 किमी रखरखाव 220 किमी	6.60	वृक्षा रोपण 75 किमी रखरखाव 300 किमी	1.07
बिगड़े वनों की सुधार योजना	124.74	214270 हे. में रखरखाव	147.00	150000 हे. में रखरखाव	40.41
वनमार्गों पर स्पटा/पुलिया निर्माण योजना	17.64	381	19.50	300	14.84
पौधा प्रदाय योजना	1.09	30.55 लाख पौधे	1.10	30.55 लाख पौधा	0.00
हरियाली प्रसार योजना	4.3	85.70 लाख पौधरोपण	60.00	251.97 लाख पौधरोपण	14.87
नदी तट वृक्षारोपण योजना	7.62	तैयारी 350 हे., रोपण 1275 हे.	8.50	तैयारी 200 हे रोपण 200 हे.	1.26
बांस वनों का पुनरोद्धार योजना	40.5	-	46.00	-	8.41
भू एवं जल संरक्षण योजना	19.43	-	21.45	उपचार 47000 हे भू-जल संरक्षण 75000 हे..	1.83

8.5 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम:— छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। सितंबर, 2001 से औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य हेतु किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 7 परियोजना मण्डल हैं। वर्ष 2014 में 4887 हे. सकल क्षेत्र में सागौन, 120 हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण का कार्य कराया गया है जिसमें 7911150 सागौन एवं 187500 पौधे नीलगिरी के रोपित किए गए वर्ष 2015 में लगभग 5000 हे. शुद्ध क्षेत्र में सागौन रोपण कार्य प्रस्तावित है।

तालिका 8.3 वर्ष 2015 की स्थिति

निगम का वन क्षेत्रफल (हे.)	197322
सागौन	110741
बांस	6749
मिश्रित	1688
औषधीय	317

8.5.1 खदानी रोपण:— वर्ष 1990 से 2015 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 232.51 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2015 में 6.31 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2016 में 7.00 लाख पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

8.5.2 सड़क किनारे वृक्षारोपण:— माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा पथ वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 2016 में सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक संस्थानों को लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है। संस्थानों को लक्ष्य आबंटन एवं संस्थान से राशि प्राप्त होने पर ही पथ वृक्षारोपण किया जाएगा।

सारणी 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण उपलब्धि

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015
रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	135.45	102.5	20	112.52	220.4
रोपित पौधों की संख्या	261226	205000	40000	302975	1318960

8.5.3 बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य:— निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। विगत दो वर्षों में प्रगति निम्नानुसार है —

सारणी 8.5 बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	बारनवापारा— रायपुर	अंतागढ़— भानुप्रतापपुर	पानाबरस— राजनांदगांव	कोटा— बिलासपुर	कवर्धा— कबीरधाम	योग
2011-12	298	174	100	200	75	847
2012-13	136	448	565	242	...	1391
2014-15	198	341	250	270	114	1173

8.5.4 वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2015 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए हैं—

सारणी 8.6 वर्षा ऋतु के रोपण का विवरण

परियोजना मण्डल का नाम	गत वर्ष के शेष रूटशूट	वर्षा ऋतु वर्ष 2015 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे		
		कुल	बांस	कुल
बारनवापारा-रायपुर	300000	2400000	—	2400000
पानाबरस-राजनांदगांव	—	1545000	—	1545000
अंतागढ़-मानुप्रतापपुर	—	1260000	—	1260000
कवर्धा- कबोस्थाम	—	1800000	—	1800000
कोटा-बिलासपुर	45000	900000	—	900000
सरगुजा-अम्बिकापुर	—	3452000	—	3452000
योग	345000	11357000	—	11702000

8.6 छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड:— शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत राज्य बजट एवं यू.एन.डी.पी. योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य प्रचलित है—

(1) राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य—

- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय उद्यान का विकास किया गया जिसमें 250 औषधीय पादप को रोपित किया गया।
- बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों में दस मूल प्रजातियों का रोपण 100 हे., त्रिफला रोपण 485 हे, मेंहदी रोपण 100 हे. एवं मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 1803 हे. का कार्य कराया गया है।
- वर्ष 2014-15 में राज्य के दक्षिण कोण्डागांव, धमतरी एवं बस्तर वनमंडलों में औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण 200 हे. एवं दशमूल वृक्षारोपण 50 हे. हेतु भूमि तैयारी का कार्य कराया गया।
- नारायणपुर वनमंडल 05 हे. क्षेत्रफल अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य करने हेतु राशि रु. 30.00 लाख विमुक्त की गई है। इसमें 200 प्रजातियों का रोपण किया गया है।
- राज्य के 07 वनमंडलों धमतरी, जशपुर, बस्तर, धरमजयगढ़, राजनांदगांव, कांकेर एवं एस.एफ.आर. टी. आई. रायपुर में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। उक्त रोपणी हेतु वनमंडलों को कुल राशि रु. 52.50 लाख विमुक्त की गई है। वर्ष 14-15 में भी होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत 7 लाख पौधे तैयार कर लगभग 5.50 लाख पौधों का वितरण किया गया एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत संचालित कार्य—

- वनौषधि प्रजातियों के पर्याप्त एवं स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराने की दृष्टि से 17 शासकीय एवं 13 अशासकीय रोपणियों की स्थापना।

- धमतरी वनमंडल के अंतर्गत सांकरा में रु.36 लाख की लागत से औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- क्लस्टर आधारित 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य (25 क्लस्टर, 489 हे. क्षेत्र) कृषकों को रु. 34.69 लाख अनुदान राशि वितरित।

(3) यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत संचालित कार्य –

यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत राज्य के 7 वनमंडलों धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर तथा मरवाही में प्रत्येक वनमंडल अंतर्गत

तालिका 8.7 यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2014 (कैलेण्डर वर्ष)	68.00	68.00

200 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2015 तक औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर उनका अन्तःस्थलीय संरक्षण किया गया है एवं 02 वनमंडल धमतरी तथा दक्षिण कोण्डागांव में वर्ष 2013-14 में औषधीय पौध विकास क्षेत्र की स्थापना की गई। इन्ही 07 वनमंडलों के अंतर्गत औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्र के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण करने हेतु वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में लोक जैव विविधता रजिस्टर का निर्माण किया गया। यह परियोजना दिसम्बर 2014 में पूर्ण होकर समाप्त हो चुकी है। इसी परियोजना के तर्ज पर वर्तमान में किये गये कार्यों को कैम्पा परियोजना में समाहित कर संचालित किये जा रहे हैं।

(4) कैम्पा योजनांतर्गत नवीन कार्य—

वर्तमान में यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा परियोजनांतर्गत कार्यों को निरंतर करने हेतु वनौषधि के संरक्षण हेतु कैम्पा योजना अंतर्गत राशि रु 7.38 करोड़ की पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की गई एवं तदनुसार नये औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र के चयन हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

वर्तमान में कैम्पा योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र हेतु क्रमशः कोरबा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा वनमंडल में कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र का कार्य प्रगति पर है।

- **हर्बल गार्डन एवं इन्टरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना** – औषधीय पौधों के विकास एवं उनके महत्व तथा उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने हेतु वनमंडल धमतरी एवं दक्षिण कोण्डागांव हर्बल गार्डन एवं बस्तर वनमंडल में लामनी पार्क में इन्टरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई एवं कैम्पा योजना अंतर्गत रखरखाव का कार्य कराया जा रहा है।
- **ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ कार्यक्रम** – बोर्ड द्वारा वनों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक-युवतियों में औषधीय पौधों को पहचानने उनके वैज्ञानिक नाम जानने, औषधीय पौधों के संरक्षण, महत्व एवं विकास

हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम चरण का आयोजन कर कुल 48 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- **औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन कार्यदल की स्थापना**— छत्तीसगढ़ के वनों में औषधीय पौधों की सतत उपलब्धता बनाये रखने के संबंध में, लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य के मरवाही वनमंडल में स्थित आमाडोब (केंवची) तथा धमतरी वनमंडल में स्थित जबर्रा, औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्रों के पास विनाश विहीन विदोहन प्रक्षेत्र स्थापित किये गये हैं एवं प्रत्येक प्रक्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक-एक कार्यदल का गठन किया गया।
- कैम्पा परियोजना अंतर्गत स्थापित किये जा रहे नवीन एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में भी कार्यदल गठित कर विनाश विहीन विदोहन प्रक्षेत्र स्थापित करने की योजना है।
- **लोक जैव विविधता रजिस्टर** – औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्र के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण करने हेतु कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 नये एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में जैव विविधता समिति गठन कर कार्य करने की योजना है।
- **अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम** – वनौषधि संरक्षण क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय ग्रामीणों एवं वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों को औषधीय पौधों के महत्व एवं उनसे संबंधित जानकारी प्रदाय करने हेतु समय-समय पर अध्ययन प्रवास का आयोजन किया जाता है।
- वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन से संबंधित रणनीति तैयार करने से संबंधित अध्ययन कार्य विभिन्न संस्थानों द्वारा कराया गया।
- वनमंडलों की कार्ययोजना में वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन पर विशेष बल देने हेतु बनाये गये बोर्ड के प्रस्ताव पर भारत शासन द्वारा उन प्रस्तावों को मान्य करते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड में शामिल किया गया।
- **वन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में वनौषधियों का अध्ययन** – वन प्रबंधन, वन संरक्षण एवं वन संवर्धन कार्यों में वनौषधियों को पर्याप्त महत्व मिले इस दृष्टि से वन विभाग के सहयोग से वनपाल एवं वनरक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में वनौषधियों संबंधित पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी।
- **प्रकाशन कार्य** – छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा विषय से संबंधित पुस्तकियों/ब्रोशर का सतत प्रकाशन किया जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 21 है। नवीन प्रकाशन निम्नांकित रूप से है – हर्बल छत्तीसगढ़ एवं पारंपरिक उपचार पद्धतियां, होम हर्बल गार्डन, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के प्रजातियों की जानकारियों का चक्र, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों की खेती।

8.7 लघु वनोपज सहकारी संघ- लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2014-15	25.00	03.26
2015-16	70.00	68.08

2014-15 से तथा महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली एवं लाख का संग्रहण वर्ष 2015-16 से प्रारंभ हुआ है। साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण निम्नांकित तालिका में देखा जा सकता है -

तालिका 8.8 प्रमुख वनोत्पाद				
मद	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15
संग्रहित तेंदूपत्ता	लाख मानक बैग	17.15	14.71	14.27
संग्रहित साल बीज	लाख क्विंटल	7.14	0.013	1.26
संग्रहित हर्रा	क्विंटल	29734.23	15803.06	34188.51
गौंद	क्विंटल	45.20	7.00	—
गौंद कुल्लू	क्विंटल	190.89	18.40	40.27
लाख	क्विंटल	—	—	—

तालिका 8.8.1 राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद					
मद	इकाई	2014-15		2015-16	
		उत्पादन	मूल्य (लाख रु में)	उत्पादन	मूल्य (लाख रु में)
तेंदूपत्ता	लाख मानक बैग	14.27	33474.84	13.01	34226.17
गौंद वर्ग-1 (कुल्लू)	क्विंटल	40.27	3.00	—	—
गौंद वर्ग-2 (धावडा, खैर, बबूल)	क्विंटल	—	—	—	—

नोट- एक मानक बोरा -50 हजार तेंदू पत्तियाँ

तालिका 8.8.2 अराष्ट्रीय वनोत्पाद (भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत)					
मद	इकाई	2014-15		2015-16	
		उत्पादन	विक्रय मूल्य (लाख रु में)	उत्पादन	विक्रय मूल्य (लाख रु में)
हर्रा	क्विंटल	34188.51	85.15	—	—
सालबीज	क्विंटल	125676.05	149.16	111982.510	—
महुआ बीज	क्विंटल	—	—	4879.229	—
इमली	क्विंटल	—	—	35102.880	148.80
चिरौंजी गुठली	क्विंटल	—	—	6329.280	—
लाख (कुसमी)	क्विंटल	—	—	2692.869	0.25
लाख (रंगीनी)	क्विंटल	—	—	1059.049	0.06

34343

6


सुविधा

9. खनिज

मुख्य बिन्दु


- भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 16 प्रतिशत है।
- छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।
- राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क भण्डार—दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिलों में है।
- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है।
- वर्ष 2014–15 में देश में 236554 करोड़ मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान में 19415 करोड़ (8.2%) था। वर्ष 2015–16 में नवंबर अंत तक यह हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत होना संभावित।
- राजस्व आय 2013–14 में 3210 करोड़, 14–15 में 3559 करोड़ तथा 15–16 में दिसंबर अंत तक 2416 करोड़ है।

MAHARASHTRA




- Lalite
- Deccan Trap
- Lameta Group
- Mahadeva Formations
- Undifferentiated Gondwana
- Parohet Formations
- Kemshi Formations
- Bankar Formations
- Raniganj Formations
- Talhar Formations
- Intertronic Basins
- Mharagadh Group
- Chilpi Group
- Abujnmar Group
- Nandgaon Group
- Unconsolidated Metamorphics
- Charnockite, Amphibolite Groups
- Sonakhem Group
- Balsalla Group
- Chola Nagpur Gondalio Complex
- Bengali Group
- Ganesh Group
- Deccan, minor metamorphic
- Deccan of Basalt

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वर्ष 2014-15 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 22.02%, लौह अयस्क 22.82%, चूनापत्थर 8.03%, डोलोमाइट 39.26%, बॉक्साइट 7.04% तथा टिन 100% रहा। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र-एकीकृत उद्योग यथा: लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।



तालिका 9.1 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
भागीदारी (लाख)	1970258	1923176	2072369	2113426	2169869
वृद्धि (प्रतिशत)		-2.39	7.76	1.98	2.67
हिस्सा (प्रतिशत)	13.27	12.26	12.47	11.79	11.33



9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, लौहअयस्क, बाक्साइट एवं टिन अयस्क, हीरा, स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टास्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, एम्बीलीगोनाइट आदि हैं। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर) मार्बल आदि पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.2- मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2014-15

मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रति	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	134396	944034	610208	8917545	22.0	10.6
लौह अयस्क (000 टन)	29418	929584	128909	2853366	22.8	32.6
चूना पत्थर (000 टन)	23505	48826	292810	521175	8.0	9.4
डोलोमाईट (000 टन)	2438	8259	6209	22518	39.3	36.7
बाक्साइट (000 टन)	1566	10488	22226	107693	7.0	9.7
टिन (कि.ग्रा.)	24689	152	24689	152	100.0	100.0
अन्य मुख्य खनिज		245		11232931		0.0
	योग	1941588		23655380		8.2

स्रोत-भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

तालिका 9.3— प्रमुख मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2015-16 (नवंबर 16)

क्र.	खनिज	इकाई	2015-16			
			छत्तीसगढ़		अखिल भारत	
			उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)
1	कोयला	000 टन	78821	553660	385352	5579354
2	लौह अयस्क	000 टन	14294	301804	92555	1435752
3	चूना पत्थर	000 टन	17107	42568	195498	388629
4	बॉक्साइट	000 टन	1363	7734	20717	102136
5	टिन सान्द्र	किलोग्राम	8812	54	8812	54

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्य:— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012-13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा जो कि 2013-14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014-15 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष वार तुलना से स्पष्ट होता है कि राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य देश के खनिज उत्पादन मूल्य का 8 प्रतिशत है। जिसका विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012-13	18401	233321	7.9
2013-14	19566	225660	8.7
2014-15	19416	236554	8.2
2015-16 नवंबर	9058	75069	12.1

स्रोत—भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन* कपया टेबल 9.2 को देखें

9.4 खनिज अन्वेषण कार्य:— वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1229 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 269 घन मीटर पिटिंग (Pitting) तथा 7272 मीटर ड्रिलिंग (Drilling) की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 6211 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 44341 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई। वर्ष 2014-15 में सितंबर अवधि एवं वर्ष सारणी 9.5 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

2015-16 की सितंबर अवधि की उपलब्धियों से यह प्रतीत होता कि वर्ष 2015-16 का लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा।	क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2014-15		2015-16 (सितंबर-15)	
				लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
	1	सर्वेक्षण / मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1000	1229	1000	538
	2	पिटिंग/ड्रेजिंग	घनमीटर	200	269	200	79
	3	ड्रिलिंग	मीटर	6000	7272	6000	3094
	4	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	20000	44341	20000	34832


9.5 खनिज उत्पादन:—

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादन:— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाइट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। मुख्य खनिज का

सारणी 9.6.1 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16 नवंबर
कोयला	113824	113958	117830	127095	134396	78821
लौह अयस्क	29320	30457	27963	29250	29418	14294
चूना पत्थर	19241	20465	20172	21217	23505	17101
डोलोमाइट	1593	1625	1970	2638	2438	—
बॉक्साइट	2110	2392	1818	1314	1566	1363
टिन (कि.ग्रा.)	60643	48765	47774	34862	24689	8812

1 में दर्शाया गया है।



9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादन:-

वर्ष 2014-15 में राज्य में ₹. 63436.31 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.6.2 में दर्शाया गया है।

खनिज का प्रकार	2013-14 उत्पादन		2014-15 उत्पादन	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)
पत्थर	5254639	15763.91	5497536	17866.99
मिट्टी	1531543	2450.47	1150587	1725.88
मुरुम	2080879	2705.14	4180175	6270.26
फर्शीपत्थर	302479	967.93	514562	926.21
ग्रेनाइट (घ.मी.)	405	8.1	146	3.21
चूना पत्थर	13613713	40841.14	11275003	36643.76

9.6 राजस्व आय: छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2014-15 में 19566.01 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रही है।

वर्ष	खनिज राजस्व करोड़
2014-15 दिसं. 14 तक	2423.72
2014-15	3558.74
2015-16 दिसं. 15 तक	2415.54

विगत वर्ष 2014-15 में मुख्य खनिज से 3364.82 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 193.93 करोड़ आय हुआ है। विगत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में क्रमशः 11.12 प्रतिशत एवं 6.59 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तालिका 9.6.2 एवं 9.8 यह दर्शाती हैं कि राज्य की राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आय में कमी आयी है। दिनांक 01 सितंबर 2014 से लौह अयस्क के रॉयल्टी दर में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से लौह अयस्क से राजस्व आय में वर्ष 14-15 में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिसके कारण कुल राजस्व आय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2015-16 दिसम्बर तक ₹. 2416 करोड़ राजस्व आय प्राप्त हो चुकी है। विगत वर्ष इसी अवधि में यह ₹. 2424 करोड़ रही। इससे यह अनुमान किया जाता है। वर्ष 2015-16 की राजस्व आय वर्ष 2014-15 के समतुल्य रहेगी।



तालिका 9.8 राजस्व आय विगत पांच वर्षों में (लाख रु.)					
वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
मुख्य खनिज					
कोयला	115775.20	128216.97	176464.10	188622.59	180819.56
चूना पत्थर	12446.99	12809.30	12883.85	14159.59	17079.73
लौह अयस्क	103149.01	117068.32	104539.62	95857.48	133698.69
डोलोमाइट	1135.06	1221.64	1373.73	1903.16	2226.87
बॉक्साइट	2602.54	3279.82	2317.89	2025.53	2549.40
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	40.07	20.58	54.96	70.17	51.74
सोपस्टोन	0.16	0.01	1.13	0.38	0.08
मोलिब्डेनम	0.87	2.99	3.19	1.64	1.95
फायरक्ले	1.03	3.05	2.40	4.17	3.53
क्वार्ट्ज	0	0.73	0.03	0.23	0.00
गेरू/चाईनाक्ले	0	0	0.02	0	0.22
टिनअयस्क	29.64	20.31	31.34	22.33	21.79
ग्रेफाइट	0	1.55	0	0	0.51
विविध आय	250.54	202.38	308.99	143.33	27.40
योग	235431.11	262847.65	297981.25	302810.60	336481.51
वृद्धि		11.64	13.36	1.62	11.12
गौण खनिज					
चूनापत्थर	4123.36	5745.24	7209.10	8576.64	9020.00
पत्थर	2368.30	1886.63	2660.09	3517.98	3680.60
फर्शीपत्थर	19.58	25.88	36.84	202.51	344.50
मिट्टी	259.37	252.69	200.50	208.29	156.48
मुरुम	521.71	356.83	281.98	237.22	476.54
रेत	2.59	0.22	4.53	3.04	18.03
ग्रेनाइट	3.40	4.30	9.48	4.05	2.18
विविध आय	2898.27	2185.64	3656.30	5444.24	5694.66
योग	10196.58	10457.23	14058.82	18193.97	19392.99
वृद्धि		2.58	34.44	29.41	6.59
कुल राजस्व	245627.69	273304.88	312040.07	321004.57	355874.44

स्रोत:- खनिज विभाग छा. नोट - अर्थदण्ड (0228) एवं विविध प्राप्तियों (0229) को छोड़कर

तालिका 9.9 मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर (राशि प्रति टन)							
क्र.	मुख्य खनिज	2009-10*	2010-11	2011-12	2012-13**	2013-14	2014-15***
1	कोयला	100.00	110.00	110.00	130.00	145.00	145.00
2	आयरनओर	300.00	360.00	360.00	360.00	300.00	450.00
3	बॉक्साइट	100.00	120.00	120.00	120.00	130.00	140.00
4	डोलोमाइट	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	75.00
5	लाईमस्टोन	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	80.00

स्रोत रु. - खनिज विभाग वेबसाइट

औसत रॉयल्टी मूल्य * W-e-f- 10 May 2012,** W-e-f- 13 August 2009, ***W-e-f- 1 September 2014



9.7 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड :- सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासनका एक उपक्रम है, जिसमें शत-प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है । सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है ।

तालिका 9.10 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज

स.क्र. जिला	खनिज
1 रायपुर	चूनापत्थर
2 बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3 गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4 दुर्ग	चूनापत्थर
5 बालोद	लौह अयस्क
6 बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रिड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7 राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टजसिलिका सेन्ड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
8 कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
9 धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध
10 महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
11 जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12 नारायणपुर	लौह अयस्क
13 कांकेर	लौह अयस्क, बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
14 कोण्डागांव	बाक्साइट
15 दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म) मात्रा में उपलब्ध)
16 बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
17 सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18 बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19 मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20 जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21 कोरबा	बाक्साइट, कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22 सरगुजा	बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
23 सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
24 बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25 कोरिया	कोयला
26 रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27 जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

343434

01

3434

10. उद्योग

मुख्य बिन्दु


- वर्तमान में 121 MOU प्रभावशील है जिसमें से 60 MOU के अंतर्गत परियोजनाएं विस्तारित हो चुकी है तथा शेष 61 MOU के अंतर्गत परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।
- राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है क्योंकि 1500 से अधिक राईस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 से अधिक खाद्यान्न तेल मिलें है।
- राज्य में दो रेल्वे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है जिसके पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आयेंगे।
- राज्य पुनर्गठन के बाद कोर सेक्टर के विकास पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप कोर सेक्टर के उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है।
- एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैसे:- मैटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क।
- इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग पार्क – नया रायपुर में 70 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 105.23 करोड़ है, जिसे 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना है।
- टसर धागाकरण योजनांतर्गत 102 महिला स्व-सहायता धागाकरण समूह कार्यरत हैं।

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य में स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचों की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि श्रमिकों की आधिक्यता को अवशोषित करके प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से लगातार घनात्मक वृद्धि रही है। किन्तु इस राज्य में जहाँ संगठित औद्योगिक क्षेत्र के लोहा, स्टील एवं सीमेंट उत्पादन का अधिकतम योगदान रहता है वहाँ वर्ष 2015-16 में लोहा एवं स्टील, सीमेंट उत्पादन में कमी के कारण वृद्धि में थोड़ी कमी आई है। यह औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से भी स्पष्ट होता है। (विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16 (A)
योगदान (लाख)	2435032	2660179	2777958	2983749	3162448
वृद्धि (प्रतिशत)		9.25	4.43	7.41	5.99
हिस्सा (प्रतिशत)	16.41	16.96	16.71	16.65	16.51



10.2 औद्योगिक नीति 2014-19 – राज्य में सुनियोजित विकास के लिये पंचवर्षीय कार्य योजना के आधार पर वर्तमान में “औद्योगिक नीति 2009-14” लागू की गई है। राष्ट्र में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा अपनी आगामी “औद्योगिक नीति 2014-19” अपनायी गई है।

उद्देश्य— औद्योगिक नीति 2014—19 के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं।

1. 'मेक इन इंडिया' की भांति राज्य में 'मेक इन छत्तीसगढ़' – इसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाले विनिर्माण को राज्य में प्राथमिकता से प्रोत्साहित करना।
2. राज्य के मूल निवासियों को स्व-उद्यम की ओर प्रेरित करना तथा उद्योगों में मूल निवासियों को नौकरी एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।
3. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में औद्योगिक विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा संतुलित औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करना।
4. कोर सेक्टर के स्थान पर नॉन कोर सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, कौशल आधारित उद्योग यथा— आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज, हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण, ऑटो मोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद आदि की स्थापना।
5. समाज के कमजोर वर्गों अनु.जाति / जनजाति, निःशक्त, सेवा निवृत्त सैनिक एवं नक्सल प्रभावित परिवारों तथा महिला उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन देना।
6. राज्य के स्थानीय नागरिकों के कौशल विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. औद्योगिक अधोसंरचना के निर्माण एवं संधारण में निजी क्षेत्र को भागीदारी देना।

रणनीति—औद्योगिक नीति 2014—19 के क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार रणनीति अपनाई जा रही है:—

- **Ease of Doing Business** के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों का सरलीकरण एवं स्व प्रमाणीकरण तथा आवेदन, स्वीकृति एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- प्रक्रियाओं की पूर्णता हेतु समय—सीमा का निर्धारण तथा समय—सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर **Deemed Approval** का प्रावधान है।
- कार्यों का ऑनलाईन निष्पादन तथा अनुश्रवण (**Execution and Monitoring**)
- निवेशकों की समस्याओं के निराकरण हेतु निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के साथ—साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन।
- औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये भू-क्रय हेतु पारदर्शी प्रणाली (**Transparent Procedure**)
- समयबद्ध अनुमतियों के लिये एकल खिड़की प्रणाली (**Single Window Procedure**) का विकास करना।

औद्योगिक अधोसंरचना हेतु कार्य योजना

- औद्योगिक भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये 10 हजार हैक्टेयर भूमि का भूमि बैंक (Land bank) विकसित करना।
- राज्य के समस्त जिलों में संभाव्य स्थानों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार।
- भूमि बैंक की न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि का आबंटन, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के माध्यम से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु।
- भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बहुमंजिला शेड/भवनों का निर्माण।
- प्रस्तावित रेल कॉरीडोर परियोजना तथा दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेलवे परियोजना के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना।
- राज्य द्वारा अथवा PPP मॉडल में विशेष पार्क जैसे फूड प्रोसेसिंग पार्क, इंजीनयरिंग पार्क, आईटी पार्क आदि की स्थापना।
- शासकीय खरीदी में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु प्रचलित छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में संशोधन पर विचार।
- राज्य के युवाओं में उद्यमिता विकास हेतु विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना।
- औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 'उद्योग मित्र' नामांकित करना।
- "मितान" एकल खिड़की प्रणाली का विकास।
- चिन्हांकित उद्योगों का प्रदेश में क्लस्टर पद्धति।
- ब्रांड विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का निर्माण।

10.3 आटोमोटिव उद्योग नीति-2012

राज्य में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिये आटोमोटिव उद्योगों (आटोमोबाइल- दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कम्पोनेंट्स उद्योग आदि) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु आटोमोटिव उद्योग नीति 01 नवम्बर, 2012 से प्रदेश में पाँच वर्षों के लिये लागू है। यह नीति प्रदेश में 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेंगी। नीति के अंतर्गत पात्र उद्योगों को निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन दिया जायेगा।

- i- **मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति:**— मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115 प्रतिशत तक अथवा 18 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो का लाभ मिलेगा। यह छूट ऑटोमोटिव उद्योग के संबंध में इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के समतुल्य राशि हो।
- ii- **केन्द्रीय विक्रय कर में छूट:**— यह छूट तत्समय प्रचलित दर के 50 प्रतिशत के रूप में 18 वर्ष की अवधि तक मिलेगी।
- iii. **प्रवेश कर भुगतान से छूट:**— परियोजना हेतु कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 100 प्रतिशत छूट आठ वर्ष की अवधि तक प्राप्त होगी।
- iv- **विद्युत शुल्क छूट:**— वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक इस छूट का लाभ प्राप्त होगा।
- v- **स्टाम्प ड्यूटी छूट:**— भूमि भवन, शेड प्रकोष्ठ के क्रय/पट्टे से संबंधित विलेखों पर 100 प्रतिशत छूट।
- vi- **पंजीयन शुल्क पर छूट:**— भूमि भवन, शेड प्रकोष्ठ पर शत प्रतिशत छूट।

नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि इकाई द्वारा तीन वर्षों में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये जाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर दी गई छूट निरस्त की जा सकती है।

10.4 राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश आकर्षित करने तथा निवेश के इच्छुक उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के लिये राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रु. 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में तथा रु. 10 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिये जिला समिति जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम – 2004 के अनुसार विभागीय सहमति/अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि निश्चित समयावधि में जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा उद्योगों की समस्याओं के निराकरण हेतु भी प्रयास किये जाते हैं।

उपलब्धियाँ—

मेगा परियोजनाओं के MoU की वर्तमान स्थिति

राज्य में उपलब्ध खनिज संपदाओं के दोहन हेतु कोर सेक्टर के विकास की नीति अपनाई गई थी। इस ही नीति के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्टील, सीमेंट, एवं एल्यूमिनियम परियोजनाओं के साथ एमओयू निष्पादित किये गये। वर्तमान में 121 एमओयू प्रभावशील हैं, जिनमें कुल रु 1,92,126 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित

तालिका 10.2 मेगा परियोजनाओं के MoU की वर्तमान स्थिति

क्रं.	विवरण	संख्या
1	कुल संपादित MoU	142
2	निरस्त MoU	21
3	प्रभावी MoU	121
4	उत्पादन प्रारंभ	36
5	स्थापना एवं चालू परियोजना का विस्तार प्रगति पर	15
6	स्थल चयनित	41
7	स्थल चयन कार्य प्रगति पर	29
8	121 प्रभावी MoU में प्रस्तावित विनियोजन (करोड़ रु.में)	1,92,126
9	वास्तविक विनियोग (करोड़ रु में)	24,500

स्रोत: <http://industries-cg-gov-in/>

है। निष्पादित 121 एमओयू में से 60 एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं प्रारंभ/ विस्तारित हो चुकी हैं तथा शेष 61 एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इन प्रभावशील एमओयू में अभी तक रु. 45,354 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु भी एमओयू का निष्पादन किया गया है, जिसकी परियोजना लागत 125 करोड़ रुपये है।

ऊर्जा विभाग द्वारा पावर संयंत्रों की स्थापना में भी कुल 73 एमओयू निष्पादित किये गये हैं। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 60 हजार मेगावाट है। इसमें से लगभग 20 हजार मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं जिनमें लगभग रु. 1,20,000 करोड़ का पूंजी निवेश होगा।

वैश्विक निवेश सम्मेलन— 2012

राज्य शासन द्वारा अब कोर सेक्टर के स्थान पर नॉन कोर सेक्टर यथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, हैल्थ केयर, पर्यटन, कौशल विकास, वनोपज पर आधारित उद्योग आदि में निवेश प्रोत्साहन की नीति अपनायी गई है। इस उद्देश्य से वर्ष 2012 में राज्य में प्रथम बार वैश्विक निवेश सम्मेलन—2012 (Global Investment Meet-2012) का सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों के लिये 275 एमओयू एवं 155 ईओआई (Expression of Interest- Eoi) का निष्पादन किया गया। कुल 275 एमओयू में रु. 83,784 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। निष्पादित एमओयू में से पाँच इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा अन्य 12 इकाइयों की परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के अंतर्गत निष्पादित एमओयू परियोजनाओं में रु. 242.72 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।

राज्य में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति—2012, ऑटोमोटिव उद्योग नीति—2012, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति— 2012—17

तथा 'सोलर पॉलिसी-2012' लागू की गई है। राज्य में 1500 से अधिक राइस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 से अधिक खाद्यान्न तेल मिलों की स्थापना से राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है।

10.5 रेलवे कॉरीडोर एवं बस्तर रेल परियोजना

राज्य में दो रेलवे कॉरीडोर – ईस्ट एवं वेस्ट कॉरीडोर की स्थापना प्रस्तावित है जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आर्येंगे। विस्तृत विवरण अध्याय 11 में है।

10.6 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना तथा उनको प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा स्वयं एवं विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अलग-अलग की जाती है। संचालनालय, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका 10.3 में दर्शित है :-

तालिका 10.3 औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण (दिस. 2014 की स्थिति में)			
क्रं	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (है. में)
1	2	3	4
1	राजनांदगांव	औ. क्ष. राजनांदगांव	19.12
		औ. क्ष. मोहारा	6
		औ. क्ष. सोमनी	10
		औ. क्ष. गटुला	4
		ग्रामीण कर्मशाला डोंगरगढ़	3
2	दुर्ग	औ. संस्थान दुर्ग	53.71
		औ. संस्थान भिलाई	221.51
		भारी औ. क्ष. भिलाई	1360.5
		हल्का औ. क्ष. भिलाई	716.14
3	बालोद	ग्रामीण कार्यशाला बालोद	1.5
4	रायगढ़	अर्धशासकीय औ. संस्थान रायगढ़	24.21
		ग्रामीण कार्यशाला पुसौर	2.5
5	कोरबा	औ. क्ष. कोरबा	100
6	जांजगीर-चांपा	औ. क्ष. चांपा	21.54
7	सरगुजा	अर्धशाहरीय औ. संस्थान, अंबिकापुर	23.45
8	कोरिया	औ. क्ष. चौनपुर	6.14
		ग्रामीण कार्यशाला बैकुण्ठपुर	0.24
		अर्धशासकीय औ. संस्थान, फ्रैंजरपुर	31.53
		औ. क्ष. गीदम रोड	33.75
		औ. क्ष. कुरन्दी	184.92
9	जगदलपुर	औ. क्ष. पंडरीपानी	12.05
		औ. क्ष. जगदलपुर	0.07
		अर्धशासकीय औ. क्ष. गम्हरिया	10
10	जशपुर	औ. क्ष. अजीरमा	15
11	सूरजपुर	औ. क्ष. कोण्डागांव	6.5
12	कोण्डागांव	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	5.25
13	नारायणपुर		

10.7 कोर सेक्टर में उत्पादन

राज्य पुनर्गठन के बाद प्रारंभिक वर्षों में अपनायी गयी औद्योगिक नीतियों

(2001, 2004, 2009) में कोर सेक्टर के विकास पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप कोर सेक्टर के उत्पाद स्टील, सीमेंट, ऐल्यूमिनियम तथा स्पंज आयरन आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

तालिका 10.4 कोर सेक्टर में उत्पादन

उत्पाद	उत्पादन	राष्ट्रीय उत्पादन में प्रतिशत
स्टील	15 मि. टन	30 प्रतिशत
सीमेंट	18 मि. टन	15 प्रतिशत
ऐल्यूमिनियम	3.5 मि. टन	30 प्रतिशत
स्पंज आयरन	10 मि. टन	12.47 प्रतिशत

स्रोत: <http://industries.cg.gov.in>

10.8 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम

औद्योगिक पार्क

एक स्थान पर एक ही प्रकार के उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (Chhattisgarh State Industrial Development Corporation-CSIDC) द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्कों का विवरण निम्नानुसार है:—

1. **मैटल पार्क** — रायपुर जिले के ग्राम रावांभाठा में मैटल पार्क की स्थापना की गई है। फेस-1 में मैटल पार्क की कुल 87.57 हैक्टेयर भूमि में से 19.93 हैक्टेयर भूमि पर मैटल पार्क स्थापित हो चुका है तथा भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

2. **इंजीनियरिंग पार्क** :- दुर्ग जिले में स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई के निकट ग्राम हथखोज में कुल 139.91 हैक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। पार्क में आबंटन योग्य भूमि 122.61 हैक्टेयर में 215 औद्योगिक भू-खण्ड है। वर्ष 2014 तक 39 इकाइयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है।

3. **मेगा फूड पार्क**:- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिपत्य में ग्राम बगौद, जिला धमतरी में कुल 68.68 हैक्टेयर भूमि पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। परियोजना की अनुमानित कुल लागत रु. 103.75 करोड़ है। इस औद्योगिक पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये कॉमन फैसिलिटी सेन्टर यथा- परीक्षण प्रयोगशाला, वेयर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, रॉ- मटेरियल व्यवस्था, पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की सुविधाएँ उपलब्ध होगी। इससे बड़े निवेशकों के साथ-साथ छोटे एवं नये उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग पार्क:- नया रायपुर के 70 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क में इलेक्ट्रॉनिक आयटम यथा- इलेक्ट्रॉनिक पैनल, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, होम थियेटर, यूएसबी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कमर्शियल लाईट, माइक्रो ट्रांसफार्मर क्वाइल, चार्जर, मोबाइल, सी. सी. टीवी कैमरा, टेलीविजन, कम्प्यूटर हार्ड डिवाइस आदि

तालिका क्र. 10.5 छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र (दिस. 2014 की स्थिति में)

क्र.	जिला	विकास केन्द्र/औ. क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हैक्टेयर में)
1	रायपुर	सिलतरा	872
		उरला	270
		भनपुरी	103.48
		रावांभाठा	37.18
		आमासिवनी (रायपुर)	10.04
2	दुर्ग	बोरई (दुर्ग)	192
3	बिलासपुर	सिरगिहटी (बिलासपुर)	235.76
		सरईपाली (बिलासपुर)	134.42
		तिफरा (बिलासपुर)	39.48
		रानी दुर्गावती औ. क्षे. अंजनी (पेण्डारोड)	10.89
4	महासंमुद	बीरकोनी (महासंमुद)	49
5	कबीरधाम	हरीनछपरा (कबीरधाम)	11
6	सरगुजा	नयनपुर गिरवरगंज (सरगुजा)	24.06
7	जंजगीर-चांपा	कापन	15.33
8	दंतेवाड़ा	टेकनार	9.02

स्रोत: प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2014-15

का निर्माण किये जाने हेतु इकाईयाँ स्थापित की जायेंगी। परियोजना की कुल लागत 105.23 करोड़ है। परियोजना हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान के रूप में रु. 50.00 करोड़ की राशि प्राप्त होने की संभावना है। परियोजना हेतु सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। परियोजना का क्रियान्वयन 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना है।

10.9.1 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण – इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तों) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2008–09 से 2013–14) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.6 में दिया गया है। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–14 में कुल उत्पादन में (-)21.2 प्रतिशत, कुल आदाय में (-)4.2 प्रतिशत हानि एवं लाभ में 88.4 प्रतिशत, सकल वैल्यू एडेड में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2013–14 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण सारणी 10.7 में दर्शित है।

तालिका 10.6 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रु.)

क्र.	विशेषताएं	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (P)	2013–14	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	1976	2358	2472	2441	2534	3.8
2	स्थायी पूंजी	3372131	3474615	5063241	6030773	6408052	6.3
3	कार्यशील पूंजी	3277255	3767631	3855561	4994654	5035782	0.8
4	पूँजी निवेश	4412078	4837395	6706860	7916990	8091611	2.2
5	बकाया ऋण	1584772	2147287	2598125	3930857	3318023	-15.6
6	कुल उत्पादन	6778083	7954481	9301415	10352834	8153091	-21.2
7	कच्चे माल का उपयोग	3673754	4765651	5750115	6183728	5976498	-3.4
8	ईंधन खपत	580792	617095	775441	879555	890129	1.2
9	कुल आदाय	5229752	6408069	7749533	8514861	8153091	-4.2
10	सकल वैल्यू एडेड	1548331	1546412	1551883	1837972	2157709	17.4
11	शुद्ध वैल्यू एडेड	1328067	1286739	1260536	1521724	2125353	39.7
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	728887	658883	1061518	1072289	1232281	14.9
13	सकल पूंजी निर्माण	815612	968007	1254107	1169576	1300026	11.2
14	लाभ	8670321	647719	543238	669450	1261218	88.4

SOURCE - MOSPI.NIC.IN

तालिका 10.7 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन

क्र.	सूचक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	2013-14 (P)	% वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	1707	1474	2048	2471	2529	2.4
2	कार्यशील पूंजी	1659	1598	1560	2046	1987	-2.9
3	पूंजी निवेश	2233	2051	2713	3243	3193	-1.5
4	बकाया ऋण	802	911	1051	1610	1309	-18.7
5	कुल उत्पादन	3430	3373	3763	4241	3217	-24.1
6	कच्चे माल का उपयोग	1859	2021	2326	2533	2359	-6.9
7	ईंधन खपत	294	262	314	360	351	-2.5
8	कुल आदाय	2647	2718	3135	3488	3217	-7.8
9	सकल वेल्सू एडेड	784	656	628	753	852	13.1
10	शुद्ध वेल्सू एडेड	672	546	510	623	839	34.5
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	369	279	429	439	486	10.7
12	सकल पूंजी निर्माण	413	411	507	479	513	7.1
13	लाभ	4388	275	220	274	498	81.5

10.9.2 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान :- उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण 2013-14 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग हैं- खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 3.11 प्रतिशत, 13.00 प्रतिशत एवं 74.1 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 10.8 में दर्शाया गया है-

सारणी 10.8 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रु.)

क्र.	विशेषताएं	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रु.)				उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
		All	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	2534	1032	163	560	40.7	6.4	22.1
2	स्थायी पूंजी	6408052	103651	626286	5076773	1.6	9.8	79.2
3	कार्यशील पूंजी	5035782	116977	51527	4979142	2.3	1.0	98.9
4	पूंजी निवेश	8091611	248738	720829	6268020	3.1	8.9	77.5
5	बकाया ऋण	3318023	100561	450322	2499023	3.0	13.6	75.3
6	कुल उत्पादन	10599069	872224	782896	7650560	8.2	7.4	72.2
7	कच्चे माल का उपयोग	5976498	516681	236653	4564115	8.6	4.0	76.4
8	ईंधन खपत	890129	34317	157174	654502	3.9	17.7	73.5
9	कुल आदाय	8153091	796087	461470	5816556	9.8	5.7	71.3
10	सकल वेल्सू एडेड	2445978	76136	318725	1834004	3.1	13.0	75.0
11	शुद्ध वेल्सू एडेड	2125353	65485	278729	1611082	3.1	13.1	75.8
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1232281	29006	49277	856149	2.4	4.0	69.5
13	सकल पूंजी निर्माण	1300026	44721	97154	1101827	3.4	7.5	84.8
14	लाभ	1261218	27205	226969	928921	2.2	18.0	73.7
15	कामगारों की संख्या	131032	16202	7413	74881	12.4	5.7	57.1
16	कुल नियोजित कर्मचारी	166236	21034	10674	93107	12.7	6.4	56.0
17	कामगारों को मजदूरी	252609	13538	12279	197093	5.4	4.9	78.0
18	कुल परिलब्धियां	483647	21461	32960	373242	4.4	6.8	77.2

स्त्रोत - उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 13-14 10 (NIC'08)= खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

10.10 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना:— नवीनतम उपलब्ध ASI 2013–14 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

सारणी 10.9 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रु.)						
विशेषताएं	2012–13			2013–14 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	222120	2472	1.1	224574	2534	1.1
स्थायी पूंजी	218026022	5063239	2.3	23743822	6408052	2.7
कार्यशील पूंजी	60341107	3855561	6.4	66297954	5035782	7.6
पूंजी निवेश	314411215	6706859	2.1	338520477	8091611	2.4
बकाया ऋण	107224700	2598125	2.4	122210561	3318023	2.7
कुल उत्पादन	602594536	9301415	1.5	657105223	8153091	1.2
कच्चे माल का उपयोग	392949410	5750115	1.5	423163017	5976498	1.4
ईंधन खपत	26754523	775441	2.9	29848676	890129	3.0
कुल इनपुट	501866586	7749533	0.2	549103143	8153091	1.5
सकल वैल्यू एडेड	100727950	1551883	1.5	108002080	2157709	2.0
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	35752621	1061516	3.0	35366189	1232281	3.5
सकल पूंजी निर्माण	44673315	1254105	2.8	42162180	1300026	3.1
लाभ	44426292	543238	1.2	45378942	1261218	2.8

10.11 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

सारणी 10.10 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक							
क्षेत्र	भारत (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		प्रतिशत वृद्धि			
		अप्रैल से नवम्बर	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	नव. 14
सामान्य सूचकांक	100	171.0	177.6	2.5	3.9	5.2	-3.2
खनन	14.16	121.2	123.8	2.5	2.1	4.0	2.3
विनिर्माण	75.53	179.1	186.0	1.5	3.9	4.7	-4.4
विद्युत	10.31	180.8	189.2	10.7	4.6	10.0	0.7

यद्यपि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के सामान्य सूचकांक में वृद्धि दिख रही है तथापि राज्य के लिए परिणामी मद की विस्तृत जानकारी से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई।

सारणी 10.11 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक – राज्य के लिए परिणामी मद

मद (एनआईसी-04)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
	नव 14	नव 15	2014-15	2015-16	नव 14	नव 15
खाद्य पदार्थ एवं पेय (15)	157.2	154.8	147.9	139.7	-1.5	-5.5
अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद (26)	156.9	150.6	166.3	164.4	-4.0	-1.1
मूल धातु उत्पाद (27)	179.1	186.0	1.5	3.9	4.7	-4.4
विद्युत (40)	174.3	175.6	180.8	189.2	0.7	4.6

ग्रामोद्योग (रेशम भाग)

10.12 प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य में दो प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर एवं मलबरी का उत्पादन होता है।

10.12.1 पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध है वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ डिंब समूह रियायती दर पर 1.00 रु. प्रति स्वस्थ समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रु. से 1400 रु. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2014 से संशोधित दर अनुसार 550 से 1680 रु. प्रति हजार निर्धारित किया गया है। उक्त योजना प्रदेश के 27 जिलों में संचालित 329 टसर केन्द्र एवं विस्तार केन्द्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में 499.00 लाख नग टसर पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 634.78 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ तथा योजनान्तर्गत 22525 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2015-16 में पालित कोसा उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 672.00 लाख नग के विरुद्ध माह सितम्बर 2015 तक 186.17 लाख नग कोसा उत्पादन किया गया, जिससे 17246 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित हुए।

तालिका 10.12 विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15 (सितं 14)	14-15	15-16 (सितं 15)
1	पालित टसर	लाख नग में	440.65	587.01	581.443	586.026	137.886	634.78	186.17
2	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	20596	16962	20872	18493	11094	22525	17246

10.12.2 नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना:-

वर्ष 2014-15 में नैसर्गिक ककून उत्पादन 657.86 लाख ककून का उत्पादन/संग्रहण कर 21469 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में नैसर्गिक टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 715.64 लाख नग के विरुद्ध माह सितम्बर 2015 तक कुल 239.784 लाख नग उत्पादन किया गया जिससे 9523 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित हुए हैं।

तालिका 10.13 विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15 (सितं.14)	14-15	15-16 (सितं.15)
1	लगाए गए कैम्प	संख्या	.	83	138	164	15	72	41
2	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग	870.08	1636.27	1999.77	2048.41	173.175	657.86	239.78
3	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	38802	52366	62869	83866	4438	21469	9523

10.12.3 टसर धागा करण योजना:- प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2520 रीलिंग एवं स्पीनिंग मशीन प्रदाय की गई हैं। योजनान्तर्गत 102 महिला स्व-सहायता धागाकरण समूह कार्यरत हैं। वर्ष 2014-15 में सांख्यिकी आधार पर 226.788 मि.टन. रॉ-स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 15-16 में सांख्यिकी आधार पर माह सित. 2015 तक 75.88 मि.टन रॉ-स्पन सिल्क एवं स्पन उत्पादन किया गया।

तालिका 10.14 विगत वर्षों में रा-सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण									
विवरण	इकाई	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15 (सितं.14)	14.15	15.16 (सितं.15)	
टसर रा-सिल्क एवं स्पन धागा	मि. टन	167.919	298.608	387.183	394.715	39.765	226.788	75.882	

10.12.4 ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी:-

जशपुर, सरगुजा, बस्तर एवं कांकेर जिले में प्रायोगिक रूप से अरंडी का पौधा रोपित कर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 में 9 एकड़ में अरण्डी रोपण का लक्ष्य के साथ 450 किलोग्राम ईरी कोसा उत्पादन का लक्ष्य है।

तालिका 10.15 विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	08-09	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	
1	ईरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	6127	7948	4354	2619	3174	2192	
2	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	370	728	488	333	294	292	
3	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	99	224	1190	186	185.5	78	

10.12.5 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना:- प्रदेश में 74 रेशम केन्द्र/रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 दिवस्टिंग यूनिट, 11 ककून बैंक एवं 04 यार्न बैंक संचालित हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 10.16 विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15 (सित.)	14-15	15-16 (सित.)
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	44484	52340	54488	64911	18482	66278	23198
2	लाभान्वित हितग्राही/श्रमिक	संख्या	1909	1629	2297	2596	1930	3457	1779

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.13 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 15107 करघों पर लगभग 45321 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष

तालिका 10.17 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	बुनकर समितियां	167	175	186	191
2	कार्यशील करघे	14690	14367	15107	15282
3	बुनाई रोजगार	44070	43101	45321	45846

रूप से रोजगार में संलग्न है। राज्य के चांपा-जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

10.13.1 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी:— नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो का आयोजन प्रदेश एवं देश के बड़े शहरों में किया जाता है। योजना के तहत विगत वर्षों में रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बम्बई, देहरादून, शिमला, दिल्ली, नैनीताल, अहमदाबाद, नासिक आदि विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया।

तालिका 10.18 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2011-12	2012-13	2013-14
1	आपूर्ति	64.77	102	106.12
2	धागा प्रदाय	23.86	40	49.23
3	बुनाई पारिश्रमिक	16.3	31.81	36.19
4	बुनाई रोजगार	25500	27000	30000

10.13.2 एकीकृत हाथकरघा विकास योजना:— एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजनांतर्गत प्रदेश के 10 क्लस्टर जिला रायपुर में मूंगझर, कटगी, जिला राजनांदगांव में छुईखदान, जिला जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह, भंवरपुर एवं जिला बिलासपुर में लोफंदी स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 573.98 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 4160

तालिका 10.19 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि		हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	
2009-10	51.68	56.00	107.68
2010-11	52.53	96.00	148.89
2011-12	60.00	192.00	252.00
2012-13	60.00	204.00	264.00
2013-14	61.00	.	61.00

बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। तालिका 10.20 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगतिवर्ष इकाई अनुदान लाख हितग्राही संख्या 2014-15 लक्ष्य 9721356.037776 उपलब्धि (सितं 14) 44101.323246 उपलब्धि (मार्च 15) 332916.57425642015-16 लक्ष्य 6461291.145165 उपलब्धि (सितं 15) 95177.958408

10.13.3 बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना:— योजनांतर्गत बुनकरों द्वारा वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष राशि रु. 50/- अंशदान दिया जाता है। बीमित बुनकर को प्रतिवर्ष अधिकतम राशि रु. 15000 तक की स्वास्थ्य लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010-11 में 3815 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए 4953 बुनकरों का बीमा कराया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

10.14 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण देकर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित योजनाओं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम — भारत सरकार पूर्व से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित कर रोजगार अवसर सृजन हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है।

इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

तालिका 10.20 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति				
वर्ष		इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2014-15	लक्ष्य	972	1356.03	7776
	उपलब्धि (सितं 14)	44	101.323	246
	उपलब्धि (मार्च 15)	332	916.574	2564
2015-16	लक्ष्य	646	1291.14	5165
	उपलब्धि (सितं 15)	95	177.958	408

- नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

10.14.1 कारीगरों को प्रशिक्षण योजना:-

तालिका 10.21 कारीगरों को प्रशिक्षण योजना की प्रगति

परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा

वर्ष	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2014-15 (मार्च 14)	उपलब्धि 12.41	63
2015-16	लक्ष्य 45.39	169

प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योग स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे-छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में

किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 10.22 परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना योजना

वर्ष	इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2014-15	लक्ष्य	465.9	6900
	उपलब्धि (सितं 14)	443	886
	उपलब्धि (मार्च 15)	2624	5248
2015-16	लक्ष्य	3797	7594
	उपलब्धि (सितं 15)	350	700

10.14.2 विभागीय खादी उत्पादन:- खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 8 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 407 ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 84 कारीगर बुनकर कार्य में लगे हैं। इन केन्द्रों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री 3 विभागीय संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

तालिका 10.23 विभागीय खादी उत्पादन योजना - उपलब्धि

वर्ष	उत्पादन
2014.15 सितं. 14	92.47
2014.15 मार्च 15	179.70
2014.15 सितं.15	114.15

10.14.3 बांसकला केन्द्र:- बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है।

तालिका 10.24 बांसकला केन्द्र योजना की प्रगति

वर्ष	उत्पादन लाख	विक्रय लाख
2014-15 (सितंबर 14)	उपलब्धि 6.04	3.30
2014-15 (मार्च 14)	लक्ष्य 13.02	13.15
2015-16 (सितंबर 15)	उपलब्धि 7.00	6.18

10.14.4 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भण्डार:- वर्ष 2014-15 हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों का कुल लक्ष्य रु. 360.00 लाख के विरुद्ध माह सितंबर 2014 तक राशि रु. 93.15 लाख का विक्रय हुआ एवं वर्षान्त (मार्च 2015) तक कुल राशि रु. 269.26 लाख विक्रय हुआ। वर्ष 2015-16 हेतु राशि रु. 360.00 लाख का विक्रय लक्ष्य निर्धारित है। जिसके विरुद्ध माह सितंबर 2015 तक राशि रु. 67.00 लाख का विक्रय हुआ है।

11. विद्युत एवं आधारभूत संरचना


मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में नियमित रूप से बढ़ रहा है। वर्तमान (2015-16) में GSDP में इसका योगदान 8.34% है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (2000) 1360 मेगावाट से बढ़कर (2015 तक) 2424.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 15 वर्षों में 78.23% वृद्धि हुई है।
- वर्तमान में उच्च एवं निम्नदाब विद्युत लाईन की लंबाई 265770 कि.मी. है।
- विद्युत वितरण हानि सतत कम हो रही है। जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जहाँ विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009-10 के 31.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 22.15 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2014-15 की स्थिति में राज्य के 19567 (2011 की जनगणना) ग्रामों से 18487 (94.48 प्रतिशत) ग्राम विद्युतीकृत है। शेष ग्रामों में 537 परम्परागत ऊर्जा स्रोत एवं 161 वन ग्राम गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकृत
- कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 42 लाख 96 हजार है।
- प्रदेश में कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग (कुल लंबाई 3078 कि.मी.)
- सर्वाधिक प्रतिशत योगदान ग्रामीण मार्ग 42.42 प्रतिशत है।
- अप्रैल से दिसंबर की अवधि में वर्ष 2014-15 की तुलना से वर्ष 2015-16 में वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या में 30.4 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं मालवहन में 9.9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

11.1 विकसित देशों के अनुभव के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति, निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत क्षेत्र की वृद्धि अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए आँकड़ों से परिलक्षित होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011-12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14(P)	2014-15(Q)	2015-16(A)
योगदान लाख रु. में	709991	955984	1044095	1345597	1596686
वृद्धि (%)		34.65	9.22	22.88	18.66
हिस्सा (%)	4.78	6.10	6.28	7.51	8.34



11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है तथा राज्य का माहौल उद्योगपतियों की सोच के अनुसार विकसित किया जा रहा है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 30.12.2015 की स्थिति में 12269 मेगावाट तापीय, 120 मेगावाट जलीय, 390 मेगावाट अक्षय उर्जा स्रोत इस प्रकार 12827 मेगावाट बिजली का उपयोग स्थापित हुआ है। इसमें न्यूक्लियर चालित शक्ति का भाग जो 48 मेगावाट है, सम्मिलित है।

तालिका 11.2 बिजली उपयोग का स्थापित क्षमता (MW) आर्बटित भाग सहित (31-12-15)

क्षेत्र	तापीय कोयला	न्यूक्लीयर	जल विद्युत	अक्षय ऊर्जा स्रोत	कुल
राज्यीय	2280		120	11	2411
निजी	8458			379	8837
केंद्रीय	1531	48			1579
कुल	12269	48	120	390	12827

11.1.2 स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोत्तरी निजी (तापीय) क्षेत्र में हो रही है। राज्य की स्वयं की तापीय एवं जलीय विद्युत क्षमता पिछले 15 वर्ष में लगातार बढ़कर दिसंबर 2015 की स्थिति में 2425 मेगावाट हो गई है (तालिका 11.4 में 14 मेगावाट – कवर्धा एवं सिकासार सम्मिलित नहीं है।)

निजी क्षेत्र द्वारा वृहद स्तर पर स्थापित क्षमता में वृद्धि के अलावा राज्य क्षेत्र में भी लगभग 4100 मेगावाट तापीय, 700 मेगावाट जलीय विद्युत स्थापित क्षमता में वृद्धि की जा रही है। एनटीपीसी का 1600 मेगावाट तापीय संयंत्र (लारा संयंत्र) वर्ष 2017 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा।

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.3 में दर्शाया गया है। (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :-

तालिका 11.3 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता						
क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (GHW)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 14 से दिसं. 14	अप्रैल 15 से दिसं. 15	अंतर प्रति.	अप्रैल 14 से दिसं. 14	अप्रैल 15 से दिसं. 15
राज्यीय	तापीय	11644	11227	-3.6	77.4	74.6
	जल विद्युत	248	313	42		
निजी	तापीय	14131	18242	29	42.4	38.0
केंद्रीय	तापीय	33376	34148	2.3	85.2	85.1
कुल		59399	63929	7.6		

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल:-

विगत वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2015-2016 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है -

(i) उत्पादन संकाय :-

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता

एवं विद्युत उत्पादन :-

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 15 वर्षों में अर्थात् मार्च, 2015 के अंत में बढ़कर 2424.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 2280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह-उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

तालिका 11.4 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	ताप विद्युत गृह		
1	कोरबा पूर्व -II	4 X 50 =200	1966-68
2	कोरबा पूर्व -III	2 X 120 =240	1976-81
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 X 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 X 210=840	1983-86
5	कोरबा पश्चिम विस्तार	1 X 500=500	2013
6	भोरमदेव सह-उत्पादन, कवर्धा	1 X 6 =6	2006
II	जल विद्युत परियोजना -		
1	मिनीमाता हसदेव-बांगो	3 X 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	2 X 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85=1.70	2003,2009
	योग	2424.70 MW	

जिला जांजगीर-चांपा के समीपस्थ ग्राम मड़वा - तेंदुभाठा में 2500 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की इकाइयों स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और इन इकाइयों द्वारा क्रमशः माह मार्च 2016 एवं मई 2016 से व्यावसायिक

उत्पादन संभावित है। इन इकाइयों के स्थापित होने पर राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता वर्तमान में स्थापित 2424.70 मेगावाट क्षमता से 41.24 प्रतिशत वृद्धि होकर 3424.70 मेगावाट हो जायेगी।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 15931.293 मिलियन यूनिट (तापीय 15592.525, जलीय 326.361 एवं अन्य सह-उत्पादन 12.407 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 3067.75 मिलियन यूनिट अधिक है इस प्रकार विद्युत

उत्पादन में 23.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 15926 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके एवज में संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 में

तालिका 11.5 खपत

विविध	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2013-14	8.55 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2014-15	78.07 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2014-15	0.804 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2013-14	0.770 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई

दिसम्बर 2015 तक 11531.291 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है। जिसमें 11226.488 मिलियन यूनिट तापीय, 300.543 मिलियन यूनिट जलीय एवं 4.26 मिलियन यूनिट अन्य सह-उत्पादन किया गया।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2014-15 :-

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 15931.293 मिलियन यूनिट (तापीय 15592.525 मिलियन यूनिट (PLF 78.07%), जलीय 326.361 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह-उत्पादन 12.407 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ। जो कि गत वर्ष के कुल विद्युत उत्पादन से 3067.75 मिलियन यूनिट अधिक है इस प्रकार से विद्युत उत्पादन में 23.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- निरंतर प्रयास एवं कंपनी के कुशल प्रबंधन द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली विद्युत खपत वित्तीय वर्ष 2014-15 में घटकर 8.55 प्रतिशत रही जो सर्वकालिक न्यूनतम है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोयले की आपूर्ति के लिए विगत एक वर्ष में एसईसीएल से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के अंतर्गत निर्धारित आबंटित कोयले की मात्रा को लगभग शत-प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 में विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट तेल खपत 0.21 मिली लीटर प्रति इकाई रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है। तथा यह बेहतर प्रबंधन के कारण घटकर वर्ष 15-16 (दिसंबर तक) में घटकर 0.186 मिली लीटर प्रति इकाई हो गयी है। यह ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में गंगरेल जल विद्युत गृह संयंत्र द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 47.582 मिलियन यूनिट हुआ (इससे पूर्व वर्ष 2013-14 में 43.348 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ था)।

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 8.847 मिलियन यूनिट हुआ (इससे पूर्व वर्ष 2013-14 में 8.269 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ था)।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में (6 मेगावाट कोजन संयंत्र) भोरमदेव सह – उत्पादन, विद्युत गृह कवर्धा में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक विद्युत उत्पादन 12.41 मिलियन यूनिट हुआ। (पिछला कीर्तिमान 8.65 मिलियन यूनिट का वर्ष 2010-11 में था।)
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य ताप विद्युत संयंत्रों के लिये 15926 मिलियन यूनिट रखा गया है, जिसके एवज में 31 दिसंबर 2015 तक कुल 11226.49 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है। जल विद्युत संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 291 मिलियन यूनिट रखा गया है जिसके एवज में जल विद्युत गृहों द्वारा 31 दिसंबर 2015 तक कुल 300.543 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया।
- **राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :-**
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), नई दिल्ली द्वारा ताप विद्युत गृहों के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 15280 (PLF 77%) मि.यू. रखा गया है जिसके एवज में 15592.525 (PLF 78.07%) मि.यू. उत्पादन के साथ स्टेट सेक्टर में द्वितीय स्थान पर रहा।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार छ.ग.रा.वि.उत्पा.क. मर्या. वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 दिसंबर 2015 तक (74.60% PLF) के साथ स्टेट सेक्टर में द्वितीय स्थान पर रहा।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत उत्पादन में विस्तार के लिये मड़वा – तेन्दुभाठा में 1000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र परियोजना अर्थात् 500 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है जिसमें प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन माह मार्च 2016 में एवं द्वितीय इकाई से माह मई 2016 में प्रारंभ होना प्रस्तावित है। इन इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित की स्थापित क्षमता (तापीय) 2280 मेगावाट से 3280 मेगावाट हो जायेगी, इस प्रकार उत्पादन कंपनी की तापीय क्षमता में 44 प्रतिशत की अभिवृद्धि होगी।

ऑक्जिलरी खपत –

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 8.55 प्रतिशत रही।

प्रदत्त विद्युत :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह-उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 14593.613 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 14259.219 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 324.688 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह-उत्पादन) द्वारा 9.706 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2014-15)

तालिका 11.6 विद्युत संयंत्र में ईंधन खपत				
विद्युत गृह का नाम	ईंधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत	
	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :-				
विद्युत गृह-2	1092565	3095.625	1.150	3.259
विद्युत गृह-3	1357663	3037.0	1.077	2.408
कोरबा पूर्व संकुल	2450228	6132.6	1.108	2.774
कोरबा पूर्व (2 X 250 मेवा)	—	—	—	—
जा.एस.पी. एम ता.वि. गृह	2703897	794.128	0.72	0.21
कोरबा पश्चिम :-				
विद्युत गृह-1	2279120	1797.798	0.718	0.566
विद्युत गृह-2	2111853	2401.042	0.717	0.815
कोरबा पश्चिम संकुल	4390973	4198.84	0.717	0.686
कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र. 5)	2456021	1403.93	0.700	0.400

11.3 पारेषण की उपलब्धि:-

उपकेन्द्र निर्माण :- वर्ष 2014-15 के अंत में उच्च दाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 92 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 13967 एम व्ही ए हो गई है जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3795 एम.व्ही.ए. थी।

तालिका 11.7 वोल्टेज एवं उपकेन्द्रों की संख्या				
क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		वर्ष 13-14 की स्थिति	वर्ष 14-15 स्थिति	
1	400के.व्ही. उपकेन्द्र	2	2	
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	16	19	
3	132 केव्ही उपकेन्द्र	64	70	
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1	
	योग	83	92	

मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है-

विद्युत लाईनों का निर्माण :-

वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाइने 5205.46 सर्किट कि.मी. थी वह वर्ष 2014-15 में 10687.77 सर्किट कि.मी. हो गई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपात वर्ष 2014-15 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 11.8 विद्युत लाईनों का विवरण

क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2014 की स्थिति	2014-15 में वृद्धि	31 मार्च 2015 की स्थिति	सितंबर 2015 की स्थिति
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 के.व्ही लाईनें	1266.78	271.34	1538.12	1651.01
2	220 के.व्ही लाईनें	3130.87	183.06	3313.93	3399.78
3	132 के.व्ही लाईनें	5299.96	175.76	5475.72	5604.13
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360	—	360	360

11.4 वितरण की उपलब्धि :-

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हरू-

11.4.1 उपकेन्द्र निर्माण:-

तालिका 11.9 वोल्टेज अनुपात एवं उपकेन्द्रों की संख्या

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या		
		2013-14	2014-15	2015-16 (दिसं. 15)
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	884	945	960
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	98972	113907	119911
	योग:-	99856	114852	120871

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए थी जो कि विगत पंद्रह वर्षों में बढ़कर वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 114852 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 14051 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि पंद्रह वर्षों के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 284 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 370 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :-

छ.रा.वि.मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह 15 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2014-15 में 260396 कि.मी. एवं 31-12-2015 की स्थिति में 265770 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2014-15 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 17931 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षान्त की स्थिति में कुल 260396 कि.मी. की विद्युत लाईनें विद्यमान थी। इस प्रकार वर्षावधि में 7.39 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से तेरह वर्षों की कार्यावधि में 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

11.4.3 वितरण हानि:—

वर्ष 2014-15 में वितरण हानि का प्रतिशत 22.15 रहा जो वर्ष 2013-14 की अपेक्षा 2.21 प्रतिशत कम है। वर्ष 2015-16 में और भी 1.41 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण तालिका नीचे दी गई है।

तालिका 11.10 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षवार वितरण हानि					
क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत अंश
1	2009-10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010-11	17435.98	12137.84	5298.14	30.39
3	2011-12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012-13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013-14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014-15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15

11.4.4 आर-एपीडीआरपी योजना:—

आर-एपीडीआरपी भाग-अ ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ऊर्जा क्षति के सही-सही आंकलन और इसे 15 प्रतिशत से कम करने हेतु आर-एपीडीआरपी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के भाग-अ में सूचना तकनीक के माध्यम से ऊर्जा क्षति की सही-सही गणना इस योजना में चयनित शहरों हेतु की जावेगी। परियोजना लागत- ₹. 226.81 करोड़ है।

आर-एपीडीआरपी भाग-ब: योजना के द्वितीय भाग में विद्युत हानि को कम करने के लिए विद्यमान विद्युत अधोसंरचना का उन्नयन एवं विस्तार कार्य किया जा रहा है। यह कार्य भी स्वीकृति के पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना है। परियोजना लागत- ₹. 710 करोड़ है।

11.4.5 सामान्य विकास कार्य:—

मण्डल द्वारा उप-पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए:—

तालिका 11.11 सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की उपलब्धि				
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि 14-15	उपलब्धि 15-16 (दिसं. 15)
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	143	50
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	366	245
3	सेवाओं के लिए वितरण लाईन	कि.मी.	63265 (कनवर्सन)	26469 (कनवर्सन)
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	2077	1087
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	344	294
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	160162	153496
i)	सिंगल फेस	संख्या	140119	137573
ii)	श्री फेस	संख्या	19886	15815
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	157	108

11.4.6 आगामी वर्ष हेतु उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली कार्यों का लक्ष्य:-

मण्डल द्वारा उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को ओर सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में एनर्जी ऑडिट के लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु आगामी वर्ष 2015-16 निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है:-

तालिका 11.12 विद्युत लाईन एवं उप-पारेषण केंद्र का विवरण			
क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	300
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	250
3	33/11 के. व्ही. उपकेंद्र	संख्या	42
4	33/11 के.व्ही उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि	संख्या	45
5	11/0.4 के.व्ही उपकेंद्र	संख्या	150
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	900
7	निम्न दाब लाईन	कि.मी.	100

11.5 ग्राम विद्युतीकरण :-

11.5.1 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति में 18487 ग्राम विद्युतीकृत है। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 94.48 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2011 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 1080 अविद्युतीकृत ग्राम हैं। अविद्युतीकृत ग्रामों में से 416 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य राज्य में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, 121 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से किया जाना प्रस्तावित है तथा 161 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, का विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। शेष 382 ग्रामों का विद्युतीकरण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आने के कारण वर्तमान में सर्वे का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

11.5.2 पंपों का ऊर्जाकरण :-

राज्य के किसानों को अधिक-से-अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत 9 वर्षों में (2006-15) लगभग 2,29,741 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है।

वर्ष 2014-15 में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट तथा राज्य में नदी नालों के किनारे पंपों के ऊर्जाकरण की योजना को शामिल कर 21000 कृषि पंपों के ऊर्जाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 30.12.2015 तक 14081 सिंचाई पंपों विद्युतीकरण विस्तार कार्य पूर्ण किया गया है। तथा दिनांक 30.12.2015 की स्थिति में प्रदेश में कुल 356662 पंपों को ऊर्जाकृत किया गया है। वर्ष 2015-16 में कृषि पंपों के ऊर्जाकरण हेतु रु. 155.60 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

कृषक जीवन ज्योति योजना :- राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 अश्वशक्ति से अधिक एवं 05 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 7500

यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। योजना का विस्तार करते हुए अस्थाई कृषि पम्पों पर भी उपरोक्तानुसार छूट देने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। वर्ष 2015-16 में 5 अश्व शक्ति तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु रु.1230 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। नवंबर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100 रु. प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती किसानी में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 99 हजार कृषक विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश में सूखाग्रस्त स्थिति निर्मित होने के कारण इस वर्ष 2015-16 में शासन द्वारा प्रदेश के 5 अश्व शक्ति तक के सभी पंप कनेक्शन उपभोक्ताओं को 1500 यूनिट प्रति पंप की अतिरिक्त खपत पर ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार में दिनोंक 31 मार्च 2016 तक छूट का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 3 अश्व शक्ति तक 6000 के स्थान पर 7500 एवं 3 से 5 अश्व शक्ति तक 7500 के स्थान पर 9000 यूनिट तक ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार में छूट का प्रावधान किया गया है।

11.5.3 बी.पी.एल. कनेक्शन (एकलबत्ती) –

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को बीपीएल (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को, जिनके घर कंपनी की विद्यमान लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है, उन्हें सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 44724 बी.पी.एल. कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किए गए हैं। इस प्रकार दिसम्बर 2015 की स्थिति में कुल बी.पी.एल. कनेक्शन की संख्या 1559550 है। जिन्हे मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के 40 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015-16 हेतु राज्य शासन के बजट में रु. 269 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एलईडी लैम्प वितरण योजना:— राज्य में घरेलू कनेक्शन में एलईडी लैम्प के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल उपभोक्ताओं को निःशुल्क एवं एपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को रियायती दर पर सशुल्क एलईडी लैम्प प्रदाय की योजना का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक बीपीएल कनेक्शनधारी को योजनांतर्गत अधिकतम 3 निःशुल्क 9 वाट के एलईडी लैम्प वितरण का प्रावधान है। प्रत्येक एपीएल कनेक्शनधारी को अधिकतम 5 सशुल्क एकमुश्त अथवा किशतों में भुगतान की सुविधा के साथ एलईडी लैम्प वितरित किया जाएगा।

11.5.4 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना):—

केन्द्र की भारत निर्माण योजना में सम्मिलित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मुख्य उद्देश्य सभी

ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत पहुंच उपलब्ध कराना है। वर्तमान में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राज्य वितरण कंपनी द्वारा चार जिलों – कोरबा, महासमुन्द, धमतरी एवं जॉजगीर-चोंपा में विद्युतीकरण के कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी 27 जिलों की योजना राशि रु. 1247.74 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

तालिका 11.13 राजीव गाँधी ग्राम विद्युतीकरण योजना

क्र	विवरण	2014-15		2015-16 (दिसं. 15)	
		प्रावधान	पूर्ण कार्य	प्रावधान	पूर्ण कार्य
1	अविद्युतीकृत/डी-इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	250	253	400	119
2	कुल पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण	2000	1725	1100	1795
3	कुल बी.पी.एल. आवासगृहों को दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	100000	112959	25000	40454

11.5.5 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना:-

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के 12 नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य – 1. विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, 2. विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित/उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना। 3. तंग गलियों एवं व्यस्त मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा भूमिगत केबलों का इस्तेमाल किया जाना। अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना। 4. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे सभी परिवारों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना।

वर्ष 2015-16 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रु. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिनके विरुद्ध 980 कार्यों के कार्यादेश जारी कर 462 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं।

11.5.6 मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना:-

ऐसे सभी अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे-टोले जो सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना योजना तथा अति महत्वपूर्ण संदर्भों के अंतर्गत आते हैं एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अथवा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल नहीं है, उन अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरों/टोलों को इस योजनांतर्गत विद्युतीकृत किया जा सकेगा।

वर्ष 2015-16 में प्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजनांतर्गत 16 ग्राम पंचायत विधायक आदर्श ग्राम योजनांतर्गत 90 ग्राम पंचायत चयनित किए गए हैं जिनमें शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने पर चरणबद्ध तरीके से इन मजरों-टोलों के विद्युतीकरण के कार्य

टर्न की/सेमी टर्न की आधार पर किए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 के बजट में राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना में रु. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.5.7 स्कूलों एवं अस्पतालों के विद्युतीकरण के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण:-

प्रदेश के सभी स्कूलों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदाय की योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2015-16 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रु. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के शासकीय भवनों में संचालित 47758 स्कूलों, 31553 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 4971 स्वास्थ्य केन्द्रों में से क्रमशः 38275 स्कूलों, 11833 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 4154 स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली कनेक्शन स्थापित है। शेष भवनों के शीघ्र विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

11.6 विद्युत उपभोक्ता:-

वर्ष 2014-15 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 42 लाख 96 हजार है जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 6.31 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 28 लाख 51 हजार उपभोक्ता अर्थात् 66.36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक हैं।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2014-15 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में बी.पी.एल. के 36.98 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 9.15 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2013-14 के अंत में क्रमशः 38.01 एवं 8.59 प्रतिशत था।

11.6.1 विद्युत उपभोक्ता का स्वरूप:-

तालिका 11.14 राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण 2014-15


विवरण	घरेलू	गैर घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
कुल विक्रय	27.10	12.87	39.69	18.32	2.02
ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	21.21	8.42	34.95	33.30	2.14

वर्ष 2014-15 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 17101.40

मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2013-14 की खपत से 13.52 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

कुल खपत में से वर्ष 2014-15 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 7.36 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 17.43 प्रतिशत आंकी गई, जो कि वर्ष 2013-14 में क्रमशः 6.96 एवं 16.69 प्रतिशत थी।

11.6.2 राजस्व संग्रहण:- वर्ष 2014-15 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य प्रभार के विरुद्ध कुल रूपये 8086.14 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। वर्ष 2014-15 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3265.25 करोड़ है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 11.15 में दर्शित है।



तालिका 11.15 बकाया राशि का विवरण करोड़ रु. में							
वर्ष	कुल बकाया राशि	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार					
		निम्नदाब उपभोक्ता	उच्च उपभोक्ता	राज्य शासन	सार्वजनिक उपकरण	रेल्वे	अन्य
2012-13	2588.66	323.33	2265.33	7.23	42.00	2106.34	433.09
2013-14	2907.69	323.13	2584.54	27.00	45.00	2360.96	474.73
2014-15	3265.25	323.67	3941.58	18.00	5.34	2610.23	—

परिवहन एवं संचार

11.7 देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी-रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबैंड (इंटरनेट सहित) सेवाएँ आदि प्रमुख हैं।

11.7.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है:-

तालिका 11.16 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (आधार वर्ष 2011-12)					
मद	2011-12	2012-13	2013-14 (P)	2014-15 (Q)	2015-16(A)
मागीदारी (लाख में)	281709	312165	344375	381780	428727
वृद्धि (प्रतिशत)		10.81	10.32	10.86	12.30
हिस्सा (प्रतिशत)	1.83	1.91	1.98	2.04	2.14

11.7.2 भूतल परिवहन :-

सड़क परिवहन:- छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों की व्यापकता है, जो न केवल देश के सभी राज्यों से बल्कि राज्य के जिला, तहसील एवं विकासखंड सभी बारहमासी सड़कों से भी सुनियोजित ढंग से जुड़ी हुई है। नवीनतम राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग (3078 कि.मी. की लम्बाई) छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरते हैं (लोनवि, छ.ग. शासन की वेबसाईट)। दिसम्बर, 2014 के अंत तक 4374 कि.मी. की राज्य राजमार्ग तथा 11,111 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 13674 कि.मी. ग्रामीण सड़क का नेटवर्क तैयार हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाए जा रहे हैं।

तालिका 11.17 राज्य में सड़क मार्ग का विवरण			
क्र.	विवरण	सड़को की लम्बाई (कि.मी.)	सड़को की कुल लम्बाई पर प्रतिशत
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	3073	9.53
2	राज्यमार्ग	4374	13.57
3	मुख्य जिला मार्ग	11111	34.48
4	ग्रामीण मार्ग	13674	42.42
	कुल	32232	100

स्रोत - छ.ग. लोनवि वेबसाईट

सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़को के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्ष 2014-15 में 3725 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए एवं 41 वृहद पुलों एवं 10 मध्यम पुलों का निर्माण किया गया और 114 वृहद पुल एवं 02 मध्यम पुल एवं 10 रेल्वे ओव्हर / अंडर ब्रिज प्रगति पर हैं। वर्ष 2015.16 में सितंबर 2015 तक 1385.00 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया एवं 11 वृहद पुलों एवं 06 मध्यम पुलों एवं 01 रेल्वे ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया तथा 149 वृहद पुल 10 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कार्य प्रगति पर हैं।

तालिका 17.18 वर्ष 14-15 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी (राशि करोड़ में)

क्र.	कार्य का नाम	कार्य	लागत
1	बिलासपुर में राज्य प्रशिक्षण केन्द्र	भवन	111.84
2	जिला अस्पताल पंडरी	भवन	14.24
3	आर.टी.ओ. कार्यालय रायपुर	भवन	7.50
4	शासकीय महाविद्यालय, अमरीकला, जिला बालोद	भवन	2.09
5	चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, रायपुर	भवन	3.19
6	बालक छात्रावास	भवन	0.63
7	रोजगार कार्यालय भवन, कोरबा	भवन	0.63
8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भाटापारा	भवन	2.12
9	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा, 100 सीटर बालक छात्रावास	भवन	1.82
10	जिला दुर्ग एवं कोरबा में पुलिस लाईन एवं प्रशासकीय भवन निर्माण	भवन	5.96
11	पैरी चौपल मार्ग पर तांदुला नदी पर पुल	पुल	4.50
12	रेल्वे क्रासिंग अकलतरा के पार रेल्वे ओवर ब्रिज	पुल	12.93
13	गरियाबंद कोचवाय मार्ग पर पैरी नदी पर जैजैपुर धमनी से भेंडीकोना-लालमाटी तक सोन नदी पर	पुल	2.46
14	नारायणपुर के खण्डसरा से सोरगांव मार्ग पर पुल	पुल	2.20

वर्ष 2015-16 में कुल राशि रु. 5056.34 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह सितम्बर 2015 तक रु. 1291.39 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण राज्य मार्ग एवं जिला मार्गों जिनकी लंबाई लगभग 916.40 कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण हेतु अनुमानित लागत रु. 2354.40 करोड़ की योजना पर 13 सड़कों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

बायपास मार्ग :- बायपास मार्ग के अंतर्गत 2014-15 में 06 बायपास प्रगति पर थे। वर्ष 2015-16 में 01 बायपास पूर्ण किया गया एवं 06 बायपास मार्ग प्रगति पर हैं।

रेल्वे ओव्हरब्रिज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 10 रेल्वे ओव्हर ब्रिज प्रगति पर थे। वित्तीय वर्ष 15-16 में 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कार्य पूर्ण तथा 10 कार्य प्रगति पर हैं।

एल.डब्ल्यू.ई. योजनांतर्गत केन्द्र शासन से 53 सड़क कार्यों के रु. 2905.17 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 20 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 20 कार्य प्रगति पर हैं। शेष 13 कार्यों के लिए निविदा कार्यवाही प्रगति पर हैं।

भवन कार्यों के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के आवासीय तथा गैर आवासीय भवन कार्य वर्ष 2014.15 में 296 भवन कार्य पूर्ण किए गए थे, तथा 600 कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यों हेतु वर्ष 2014.15 में रु. 616.68 करोड़ आवंटन के विरुद्ध रु. 476.01 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यों पर सितंबर, 2015 तक रु. 815.689 करोड़ आवंटन के विरुद्ध राशि रु. 293.839 करोड़ रुपये व्यय कर 187 भवन पूर्ण एवं 561 भवन के कार्य प्रगति पर हैं।

वाहन :- वर्ष 2014-15 में माह सितंबर 14 तक 243929 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 15) तक 443110 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 15 तक 300950 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनगणना 2011 अनुसार 15.6 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत परिवार क्रमशः दोपहिया मोटर वाहन एवं चारपाहिया वाहन उपलब्ध है। राज्य में परिवहन विभाग 27 कम्प्यूटराईज्ड कार्यालयों से संयोजित है। परिवहन विभाग की सभी प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड की जा रही है, जिससे इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी या नागरिकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जिसने वाहन एवं सारथी योजना सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर ली है।

11.7.3 रेल परिवहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो वृहद् मात्रा में कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों का परिवहन संपूर्ण देश तथा राज्य के अंदर करती है। राज्य में फैला हुआ अधिकांश रेलवे नेटवर्क दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे क्षेत्र के भौगोलिक कार्यक्षेत्र के अधीन है। भारतीय रेलवे का यह क्षेत्र बिलासपुर में केंद्रीकृत है, जो क्षेत्रीय मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली बंगाल-नागपुर रेलवे लाईन 1882 में पूर्ण हुई। लम्बी दुरी वाली रेलों मुख्य रेलवे जंक्शन रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर है। राष्ट्र का सर्वाधिक सामग्री छत्तीसगढ़ से लदाई किया जाता है, जिससे भारतीय रेल राजस्व का 1/6 भाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त करता है। राज्य के रेल नेटवर्क की लंबाई 1,108 कि. मी. है एवं मौजूदा रेलवे लाईन के विस्तार के साथ ही नई रेलवे लाईन भी बिछाई जा रही है। निम्नांकित नवीन रेलवे लाईनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है:-

1. दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाईन
2. पेंड्रारोड-गेवरारोड रेल लाईन
3. रायगढ़-मांड कोलरी से भूपदेवपुर रेल लाईन और
4. भरवाडीह-चिरमिरी रेल लाईन

11.7.4 वायु परिवहन

वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में वायु परिवहन अधोसंरचना न्यून है। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल (Airport) एक मात्र वाणिज्यिक विमानतल है। अप्रैल से दिसंबर की अवधि में वर्ष 2014–15 की तुलना से वर्ष 2015–16 में वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या में 30.4 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं मालवहन में 9.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि में केवल घरेलू (डोमेस्टिक) विमानतल में सम्पूर्ण देश के यात्रियों की संख्या में 21.7 प्रतिशत एवं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में 20.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। विस्तृत जानकारी – तालिका क्रमांक 12.19 में दर्शित हैं।

तालिका 12.19 विमानतल द्वारा यात्री परिवहन			
विमानतल	अप्रैल–दिसंबर 2014	अप्रैल–दिसंबर 2015	वृद्धि (प्रतिशत)
रायपुर (डोमेस्टिक)	6.85 लाख	8.93 लाख	30.4
देश के घरेलू (डोमेस्टिक) विमानतल	76.70 लाख	93.35 लाख	21.7
देश के सभी विमानतल (डोमेस्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय)	1027.46 लाख	1237.03 लाख	20.4
विमानतल द्वारा मालवहन			
विमानतल	अप्रैल–दिसंबर 2014	अप्रैल–दिसंबर 2015	वृद्धि (प्रतिशत)
रायपुर (डोमेस्टिक)	3030 टन	3329 टन	9.9
देश के घरेलू (डोमेस्टिक) विमानतल	20910 टन	21747 टन	4.0
देश के सभी विमानतल (डोमेस्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय)	461169 टन	482864 टन	4.7

इसी प्रकार मालवहन में रायपुर विमानतल में जहां अप्रैल–दिसंबर 2015 में 9.9 वृद्धि हुई वहीं संपूर्ण देश में सभी घरेलू विमानतलों में 4 प्रतिशत तथा देश के सभी (डोमेस्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय) विमानतलों में 4.7 प्रतिशत वृद्धि देखी गई।

राज्य सरकार ने जुलाई, 2013 में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (AAI) से द्वितीय घरेलू उड़ानों के लिए रायगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु अनुबंध–पत्र हस्ताक्षर कराए। राज्य में निम्नांकित हवाई पट्टियाँ उपलब्ध हैं :-

- 1 बिलासपुर विमानतल, बिलासपुर
- 2 जगदलपुर विमानतल, जगदलपुर
- 3 नंदिनी विमानतल, भिलाई
- 4 बैकुंठ हवाई पट्टी, बैकुंठपुर
- 5 जे.एस.पी.एल. हवाई पट्टी, रायगढ़
- 6 दरिमा हवाई पट्टी, अम्बिकापुर
- 7 कोरबा हवाई पट्टी, कोरबा
- 8 अगडीह हवाई पट्टी, जशपुर
- 9 डौंडी हवाई पट्टी, डौंडी, दुर्ग

11.7.5 जल परिवहन:— यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सी नदियां हैं जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं तथापि जल परिवहन यहां विकसित नहीं है। शबरी नदी (जिला सुकमा) पर मौसमी अल्प व्यासायिक गतिविधियाँ की जाती हैं।

संचार

11.8.1 डाक सेवाएं:—12 नवम्बर, 2001 को छत्तीसगढ़ डाक वृत्त की स्थापना हुई। मार्च 2014 के अंत में राज्य में 10 मुख्य डाक घर, 335 उपमुख्य डाकघर एवं 2799 शाखा कार्यालय कुल 3144 डाकघरों के विशाल नेटवर्क हैं।

11.8.2 टेलीफोन एवं ब्राडबैंड:— छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार सेवाएं (मोबाईल एवं ब्राडबैंड सहित) भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ ही विभिन्न निजी कम्पनियों जैसे एयरटेल, आईडिया सेल्युलर, रिलायन्स, वोडाफोन तथा टाटा आदि द्वारा प्रदाय की जा रही हैं। जनगणना 2011 अनुसार राज्य में 30.7% परिवारों को टेलीफोन व मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार के TERM के अनुसार राज्य में मार्च 2014 की स्थिति में 140.35 लाख मोबाईल उपभोक्ता हैं।

11.8.3 कुरियर सेवाएं:— छत्तीसगढ़ राज्य में निजी कम्पनियां कुरियर सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे—डीएचएल, फर्स्टफ्लाईट, ब्लूडार्ट, मधुर कोरियर इत्यादि।

3456789

12

13456789

123456789

12. ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा – वर्ष 2013–14 से राज्य में 100 दिवस के स्थान पर 150 दिवस का रोजगार आंबटन, अतिरिक्त कार्यदिवस का व्यय राज्य शासन द्वारा, वर्ष 2014–15 में 555 लाख मानव दिवस सृजित, 36515 युवकों को क्षमता विकास हेतु चिन्हांकन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान'– महिला स्व-सहायता समूह को 03% ब्याज पर ऋण।
- सामुदायिक निवेश कोष – प्रति स्वसहायता समूह रु.50–75 हजार अनुदान।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – 15–35 वर्ष के ग्रामीण BPL युवाओं को प्रशिक्षण।
- रोशनी कार्यक्रम – नक्सल प्रभावित 8 जिलों में क्रियान्वित, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (40 % महिलाओं को)।
- इंदिरा आवास योजना– वर्ष 2014–15 में 44,427 आवास का निर्माण।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – सितंबर 2015 तक 985 किलोमीटर लंबाई की 294 सड़कें पूर्ण, नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना – वर्ष 2014–15 में 1205.47 किलोमीटर मार्ग निर्मित, सितंबर 2015 तक स्वीकृत 656 कार्य में 224 कार्य पूर्ण कर 438.63 किलोमीटर मार्ग निर्माण।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना – वर्ष 2015–16 में सितंबर 15 तक 438.63 किलोमीटर सड़क निर्माण।
- स्वच्छ भारत मिशन – 7 सांसद आदर्श ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त।
- विधायक आदर्श ग्राम योजना – 25 ग्राम खुले में शौच से मुक्त घोषित।
- राज्य की निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत 820 ग्राम पंचायतों में से 214 ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित।
- विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर बहुकौशल प्रशिक्षण हेतु राज्य के 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन।
- राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार की LWE कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत 07 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित।
- राज्य में PPP योजना पर आधारित 42 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन हेतु 2.5 करोड़ ऋण।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 मिलियन है। जहां 76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा 10,971 ग्राम पंचायतें स्थापित हैं। प्रदेश के कुल 27 जिलों में से 13 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायत राज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग: कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग: ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारत: कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारत: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारत: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशको में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जन संख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ-सफाई,

तालिका 12.2 छत्तीसगढ़ के स्वस्थ सूचकांक वर्ष – 2013

सूचकांक	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर	24.4	25.8	17.9
सामान्य प्रजननक्षमता	89	95.7	60.7
कुल प्रजननक्षमता दर	2.6	2.8	1.8
सकल प्रजनन दर	1.6	1.3	0.9
सामान्य वैवाहिक प्रजननक्षमता दर	123.4	130.8	90
कुल वैवाहिक प्रजननक्षमता दर	4.5	4.5	3.9
शिशु मृत्यु दर	46	47	38
5 साल के नीचे मृत्यु दर	53	56	38
अशोधित मृत्यु दर	7.9	8.4	5.9

पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

निम्न तालिकाओं में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008-13- संस्थागत प्रसव(सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5
ग्रामीण	30.7	35.9	43	50.3	60.5	64.0
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3

तालिका 12.4 मृत्यु 2008-13- संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा – आजीविका परियोजनाएँ, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास (Rural Development) निम्नलिखित अवधारणाओं का समावेश है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान, पीने के पानी के साथ स्कूलों का संचालन, स्वास्थ्य सुविधाएँ सड़क, विद्युतीकरण आदि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
- सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ लागू करना।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व व्यक्तिगत परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SGH) के माध्यम से क्रेडिट और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। वर्तमान में प्रदेश के सभी 27 जिलों

में योजना प्रभावशील है। किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी होती है। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के वयस्क सदस्य को मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के अकुशल मजदूरी के लिये रोजगार की गारंटी दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 से योजनांतर्गत 100 दिवस के स्थान पर 150 दिवस का रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। कार्य उपलब्ध नहीं होने पर काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम-2013 बनाया गया है।

योजनांतर्गत वर्तमान में ₹0 159/- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था की गई है। योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। जिससे शिकायत की अद्यतन स्थिति www.mgnrega.cg.gov.in में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2012" बनाया गया है। पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि का वहन राज्य बजट से किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से 396 नवीन ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृति दी गई है जिसकी मानक लागत 14.15 लाख है (जिसमें महात्मा गांधी नरेगा से 8.15 लाख, राज्य बजट/मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से 5 लाख, बस्तर विकास प्राधिकरण/13 वे एवं 14 वे वित्त आयोग से 1 लाख) है।

वर्ष 2015-16 में ICDS एवं महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से 1416 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। प्रति आंगनबाड़ी लागत राशि रूपये 6.45 लाख में महात्मा गांधी नरेगा से राशि रूपये 5 लाख तथा ICDS मद से रूपये 1.45 लाख का प्रावधान है।

महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना अभिसरण अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी के कार्य लिये गये हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रत्येक 2500 क्रियाशील जॉबकार्ड के मान से एक बेयरफुट इंजीनियर रखे जाने का प्रावधान है। प्रदेश में कुल 1157 बेयरफुट इंजीनियर का चयन किया गया है। बेयरफुट इंजीनियर अपने निर्धारित क्षेत्र में

कार्यों का चिन्हांकन, प्रस्तावित कार्यों का तकनीकी सर्वे करना, प्राक्कलन तैयार करना एवं लेबर बजट निर्माण में सहयोग—जैसे कार्य करेंगे, जिसका सत्यापन संबंधित उप अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किया जायेगा।

PFMS (Public Finance Management System) भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक साफ्टवेयर है। जिसके माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत फंड फ्लो सिस्टम के कंट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत वर्ष 100 दिवस कार्य कर चुके परिवारों के क्षमता विकास के लिये Project LIFE-MGNREGA। (Livelihood in Full Employment) बनाया गया है। जिसके अंतर्गत 36515 युवकों को जो क्षमता विकास के लिये रूचि रखते हैं का चिन्हांकन किया गया है। जिनमें से 19715 मजदूरी में कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण के लिये, 10862 स्वरोजगार के लिये तथा 5968 आजीविका संवर्धन के लिये प्रशिक्षण हेतु चिन्हांकित किया गया है।

तालिका 12.5 महात्मा गांधी नरेगा

क्र.	जिला	इच्छुक युवा (युवा की संख्या)			कुल
		वेतन भोगी रोजगार	स्वतंत्र रोजगार	लाईवलीहुड उन्नयन	
1	बालोद	318	111	170	599
2	बलौदाबाजार	1288	282	89	1659
3	बलरामपुर	1050	90	203	1343
4	बेमेतरा	208	13	74	285
5	बस्तर	1748	347	54	2149
6	बीजापुर	187	174	261	622
7	बिलासपुर	1301	1388	187	2876
8	दंतेवाड़ा	171	8	2	181
9	धमतरी	2344	966	722	4032
10	दुर्ग	83	204	95	382
11	गरियाबंद	925	630	785	2340
12	जांजगीर—चांपा	817	367	702	1886
13	जशपुर	820	1294	190	2304
14	कांकेर	1155	215	105	1475
15	कबीरधाम	866	2015	278	3159
16	कोण्डागांव	159	15	3	177
17	कोरबा	18	11	70	99
18	कोरिया	453	950	98	1501
19	महासमुंद	1974	283	251	2508
20	मुंगेली	1077	456	499	2032
21	नारायणपुर	99	107	202	408
22	रायगढ़	172	268	83	523
23	रायपुर	1847	167	318	2332
24	राजनांदगांव	433	382	55	870
25	सुकमा	.	.	.	0
26	सूरजपुर	64	33	179	276
27	सरगुजा	217	82	259	558
	कुल	19715	10862	5968	36515

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 माह सितंबर 15 तक की प्रगति का विवरण तालिका क्रमोंक 12.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 12.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रगति				
वर्ष	उपलब्ध राशि (करोड़)	व्यय (करोड़)	मानव दिवस सृजित लाख	परिवारों को रोजगार लाख
2012-13	2610.79	2231.87	1194.34	26.37
2013-14	2146.70	2053.09	1299.19	25.12
अप्रैल 13 से सितंबर 13	1693.95	1341.85	666.53	19.83
अप्रैल 14 से सितं.14	1383.22	1219.61	538.72	17.16
2014-15	1885.00	1728.62	555.00	17.46
अप्रैल 15 से सितंबर 15	966.13	564.96	203.82	9.21

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" (NRLM)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 1.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य शामिल हैं। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था है।

योजना का विस्तार शनैः शनैः किया जा रहा है तथा शेष विकासखंडों में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जावेगा। वर्तमान में योजना के अंतर्गत प्रदेश के 29 विकासखंडों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।

सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund)

योजना में सामुदायिक निवेश कोष भी प्रावधानित है जिसमें समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना तैयार किए जाने पर योजना अनुसार प्रति समूह को 50-75 हजार रूपए अनुदान देने का प्रावधान है। यह राशि ग्राम संगठन के माध्यम से स्व-सहायता समूह को उपलब्ध कराई जाती है। तथा स्व-सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण पर यह राशि उपलब्ध कराता है। सामुदायिक निवेश कोष प्रारंभिक चरणों में केवल स्रोत एवं सघन विकासखंडों में प्रभावशील है। योजना के विस्तार के साथ इसका विस्तार सम्पूर्ण प्रदेश में किया जावेगा।

चक्रीय निधि (Revolving Fund)

स्व-सहायता समूह के गठन का मूल उद्देश्य समूह के सदस्यों को बचत तथा आंतरिक लेन-देन व स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है। विभाग द्वारा ऐसे समूह जो पंचसूत्र (नियमित बचत, बैठक, आंतरिक लेन-देन, ऋण वापसी तथा लेखा संधारण) का पालन करते हों, उन्हें राशि रु. 15,000/- एकमुश्त देने का प्रावधान किया गया है।

बैंक लिंकेज

महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व-सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व-सहायता समूहों को 03 % के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 51000 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व-सहायता समूह है।

12.5 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU & GKY)

पूर्व में संचालित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) लागू की गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजनावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल है। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15-35 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 75 % प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं (Formal Sector) में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 11 परियोजना लागत राशि रु. 137 करोड़ 37202 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत है।

12.6 रोशनी कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित जिलों हेतु विशेष परियोजना):

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 08 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा बलरामपुर शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशांसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जावेगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। लगभग 15000 युवाओं को आगामी 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जावेगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 03 परियोजना लागत राशि रु. 28 करोड़ 6329 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत है।

12.7 R&SETI (Rural Self Employment Training School)

बी.पी.एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में लीड बैंक के माध्यम से R-SETI की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक माह के प्रशिक्षण हेतु रु 4000/- तथा एक माह से अधिक के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रु 5000/- का प्रावधान है। युवाओं के रुचि के आधार पर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जा रहे हैं साथ ही उन्हें स्वरोजगार स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत विगत 02 वर्ष की उपलब्धि निम्नानुसार है:-

तालिका - 12.7 बिहान (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन)						
स. क्र.	वित्तीय वर्ष	सूचक	भौतिक प्रगति (संख्या में) लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय प्रगति (लाख में) लक्ष्य	उपलब्धि
1		स्व सहायता समूह (गठित)	5533	2528		
2		सक्रिय महिला (प्रशिक्षित)	1040	331		
3	अप्रैल 2014-सित. 2014	पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	5533	2157	6356.59	3383.05
4		ग्राम संगठन (गठित)	91	64		
5		संसाधन पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	85	60		
6		स्व सहायता समूह (गठित)	5533	3119		
7		सक्रिय महिला (प्रशिक्षित)	1040	511		
8	अक्टूबर 2014-मार्च 2015	पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	5533	2512	6356.59	3383.05
9		ग्राम संगठन (गठित)	92	79		
10		संसाधन पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	85	65		
11		स्व सहायता समूह (गठित)	6480	3749		
12		सक्रिय महिला (प्रशिक्षित)	54	425		
13	अप्रैल 2015-सित. 2015	पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	5506	3679	12064.36	2896.32
14		ग्राम संगठन (गठित)	240	234		
15		संसाधन पुस्तक संचालक (प्रशिक्षित)	240	133		

12.8 इंदिरा आवास योजना

आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है। पूर्व में इस योजना के केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 75:25 था किन्तु इस वर्ष से यह 60:40 हो गया है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है। हितग्राहियों को राशि स्टेट नोडल एकाउण्ट से FTO द्वारा सीधे इनके खातों में उपलब्ध करायी जाती है। आवास के निर्माण के साथ-साथ शौचालय बनाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए राशि रु. 12000 स्वच्छ भारत मिशन से अभिसरण के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2013-14 से सामान्य क्षेत्र में इंदिरा आवास की इकाई लागत रु. 70000 एवं डिफिकल्ट एरिया (पांच जिलों) के लिए रु. 75000- निर्धारित है। वर्ष

2015-16 में इंदिरा आवास निर्माण हेतु मनरेगा से कन्वर्जेंन्स अनिवार्य है। इसके तहत हितग्राही को मनरेगा से 90-95 दिनों की मजदूरी की राशि प्राप्त होगी।

योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में 44427 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया तथा राशि रु 28199.52 लाख व्यय हुई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह सितंबर तक राशि रु. 9339.06 लाख व्यय हुआ था तथा 21845 आवास पूर्ण किये गये थे। वर्ष 2015-16 में माह सितंबर 2015 तक कुल उपलब्ध राशि रु. 31854.18 लाख में से राशि रु. 7042.19 लाख व्यय हुआ तथा वर्ष 2015-16 के लिये 41924 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है माह सितंबर तक गत वर्ष के अपूर्ण आवासों सहित 22528 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

12.9 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाए। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों एवं मार्च 2011 में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता निर्धारण निम्नानुसार किये जाने का प्रावधान है:-

प्रथम प्राथमिकता- सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य।

दूसरी प्राथमिकता- सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें (आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें) को बारहमासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण

तीसरी प्राथमिकता- सभी मुख्य मार्गों (Through Routes) का उन्नयन

चौथी प्राथमिकता- सभी संपर्क मार्ग (Link Routes) का उन्नयन

योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 859 सड़कें, लंबाई 2648 कि.मी. पूर्ण कर रू. 925 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 में माह सितंबर 2014 तक 307 सड़कें, लंबाई 1109 कि.मी. पूर्ण कर रू. 359 करोड़ का व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सितंबर 2015 तक 294 सड़कें, लंबाई 985 कि.मी. पूर्ण कर रू. 329 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.10 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना

23 अप्रैल 2011 से लागू राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, को जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 526 सड़कें, लंबाई 1205.47 कि.मी. पूर्ण कर रू. 462.41 करोड़ का व्यय किया गया चालू वर्ष 2015-16 में सितंबर 2015 तक 123 सड़कें, लंबाई 438.63 कि.मी. पूर्ण कर रू. 116.62 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.11 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना

शहरों में गौरव पथ योजना के तर्ज पर गावों में सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण के लिए वर्ष 2012-13 से मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6 मी. चौड़ाई की सड़क बीच में 4 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.5 मी. चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.5 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण किया जाना है। योजना अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में गौरवपथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 1899 कार्य पूर्ण कर लंबाई 1205.47 कि.मी. का निर्माण पूर्ण किया गया तथा रू. 540.7 करोड़ का व्यय किया गया। चालू वर्ष 2015-16 में सितंबर 2015 तक स्वीकृत 656 कार्य में से 224 कार्य पूर्ण कर, लंबाई 438.63 कि.मी. निर्माण पूर्ण किया गया तथा रू. 40 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.12 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जा रहे (कुल विकासखण्ड-146 के 10971 ग्राम पंचायतों में) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना तथा निर्माण कार्यों का स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाता है तथा

किये गये कार्यों का समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार मूलक योजनाओं तथा अन्य विभागों के जमा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत है।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से संपादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (माह-सितम्बर)) :-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2014-15	114764	38976	3296.95	1084.34	871.39	
2	2015-16	62016	17050	1606.25	877.91	396.27	माह सितम्बर तक

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2014-15	8600	3430	1019.23	491.60	321.42	
2	2015-16	1982	458	190.41	35.27	20.75	माह सितम्बर तक

12.13 सांसद आदर्श ग्राम योजना :- 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत समस्त 16 ग्रामों में बेस लाईन सर्वे कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम विकास योजना तैयार की जा चुकी है। जिलों द्वारा तैयार किए गये VDP (ग्राम विकास योजना) में शामिल कार्यों की स्वीकृति हेतु संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी 16 सांसद आदर्श ग्राम की ग्राम विकास योजना में दर्शित ऐसे कार्य जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समग्र विकास योजना में लिए जा सकते हैं, उनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

ग्रामों में हुए नवाचार कार्यों, सामाजिक बदलावों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि आस-पास के ग्राम इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। राज्य कार्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के संकेतकों के माध्यम से मासिक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा रहा है।

SBM (स्वच्छ भारत मिशन) अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों में से 7 पंचायत ODF (खुले में शौच से मुक्त) हो चुकी है। शेष ग्राम पंचायतों ने दिसम्बर, 2015 अंत तक ODF करने का निर्णय लिया है। चयनित ग्रामों की सभी शासकीय संस्थाओं को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय ग्रामवासियों द्वारा लिया गया है। सभी 16 ग्राम पंचायतों को सघन विकास ग्राम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल किया गया है। कौशल विकास

एवं रोजगार हेतु 16 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, रोशनी परियोजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत शामिल करते हुए युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

12.14 विधायक आदर्श ग्राम योजना

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों से भी एक-एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया। जिसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 90 विधायकों द्वारा एक-एक ग्राम का चयन किया गया है। ग्राम के विकास के लिये समस्त चयनित ग्रामों का बेसलाईन सर्वे कार्य पूर्ण किया कर लिया गया है तथा ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। विधायक आदर्श ग्राम योजनांतर्गत संबंधित ग्रामों एवं प्रदेशवासियों की सुविधा हेतु "आदर्श" ग्राम की कुंजी" Ready Reckoner तैयार कर वेबपोर्टल के माध्यम से सर्वसंबंधित को उपलब्ध कराया गया है।

चयनित ग्रामों में से 15 ग्राम खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं तथा 10 ग्राम माह नवंबर, 2015 अंत तक खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। शेष 65 ग्राम पंचायतों के भी आगामी वर्ष में खुले में शौच से मुक्त कर लिया जाना प्रस्तावित है।

12.15 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

पूर्व संचालित निर्मल भारत अभियान के स्थान पर 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आई.ई.सी. के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं का बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ, सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किरायायती तथा उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु ₹. 12,000/ (₹. 10,000/- शौचालय निर्माण हेतु एवं ₹. 2,000/- पानी की व्यवस्था तथा हाथ धोने का प्लेटफार्म हेतु) प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि हेतु लाभित वर्ग के पात्र हितग्राही के अंतर्गत समस्त बी.पी.एल., अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा ए.पी.एल. लघु व सीमान्त कृषक, ए.पी.एल. ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन ए.पी.एल. परिवार, विकलांग व ऐसे ए.पी.एल. परिवार जिसमें महिला या विकलांग मुखिया हो आते हैं।

योजनांतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है:-

1. 150 घर परिवार तक के लिये रु. 7 लाख तक
2. 300 घर परिवार तक के लिये रु. 12 लाख तक
3. 500 घर परिवार तक के लिये रु. 15 लाख तक
4. 500 घर परिवार से अधिक के लिये रु. 20 लाख तक

इसके अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिये प्रस्तावित एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त पंचायतों को प्राथमिकता दी जावेगी।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex)

प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख का प्रावधान है। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार 30 प्रतिशत राज्य शासन से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) वित्तीय एवं भौतिक प्रगति –

वर्ष 2014–15 की वित्तीय प्रगति

उपलब्ध राशि रु. 11364.72 लाख के विरुद्ध रु. 1106.30 लाख दिनांक 30.09.2014 की स्थिति में एवं सम्पूर्ण वर्ष 2014–15 में रु. 2447.55 लाख व्यय हुये। वर्ष 2015–16 में की प्रगति (सितंबर 2015 तक) – दिनांक 30.09.2015 की स्थिति में उपलब्ध राशि रु. 12111.63 लाख के विरुद्ध रु. 11743.88 लाख व्यय हुये एवं 3367.75 लाख शेष है।

भौतिक प्रगति

योजनांतर्गत प्रथम चरण में समस्त सांसद/विधायक आदर्श ग्राम योजना तथा नल-जल की उपलब्धता वाले ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता से लिया जाना है। राज्य की निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत 820 ग्राम पंचायतों में से वर्तमान में 214 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त किया गया है। शेष ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक प्राथमिकता के साथ खुले में शौच मुक्त बनाया जा रहा है। साथ ही वर्तमान तक राज्य में कुल 1109 गांव एवं 446 ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त बन चुके हैं।

तालिका 12.10 स्वच्छ भारत अभियान प्रगति

क्र.	मद शौचालय निर्माण	लक्ष्य	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
			कुल प्रगति सितंबर 2014	कुल प्रगति मार्च 2015	लक्ष्य	कुल प्रगति सितंबर 2015
1	बी.पी.एल. व्यक्तिगत शौचालय	88609	12441	21395	243472	35745
2	ए.पी.एल. व्यक्तिगत शौचालय	111391	12105	17733	457001	35225
3	कुल व्यक्तिगत शौचालय	200000	24546	39128	700473	70970
4	शाला शौचालय	00	00	00	00	0
5	आंगनवाड़ी शौचालय	1416	00	00	00	17
6	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	177	3	4	39	00

12.16 छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)

वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में संचालित IWMP परियोजनाएं PMKSY के एक घटक के रूप में PMKSY-watershed development के नाम से संचालित होंगी, अब यह योजना कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA) द्वारा जलग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 जारी की गई है। वर्ष 2009-10 से राज्य में नवीन समान मार्गदर्शी सिद्धांत वर्ष 2008 (यथा संशोधित 2011) अनुसार एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक कुल 11.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु 1498.04 करोड़ की लागत से कुल 263 IWMP परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) की स्थिति में कुल उपलब्ध राशि 63.08 में से 49.08 करोड़ व्यय करते हुए 36,567 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र को उपचारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015) की स्थिति में कुल उपलब्ध राशि 24.55 करोड़ में से 13.11 करोड़ व्यय करते हुए 10,925 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

12.17 रोजगार एवं प्रशिक्षण :- छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना उपरांत प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण सेवा का संचालन समस्त जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से हो रहा है। योजनावार प्रगति का विवरण तालिका में दर्शित है।

तालिका -12.11 विभागीय योजनाओं का विवरण

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014-15 अप्रैल से सितंबर 14			वर्ष 2014-15 अप्रैल से मार्च 15			वर्ष 2015-16 अप्रैल से सितंबर 15		
		भौतिक उपलब्धि	प्राबधान	व्यय	भौतिक उपलब्धि	प्राबधान	व्यय	भौतिक उपलब्धि	प्राबधान	व्यय
1	बेरोजगारी भत्ता योजना	225000	43334	7298	225000	210830	22294	125000	-	-
2	जनजागरण योजना	5000	91	-	5000	285	-	5000	-	-
3	रोजगार मेला	16000	956	822	16000	5422	2120	16000	903	-
4	सेना भर्ती	7000	843	-	7000	3339	589	7000	47	-
5	युवा क्षमता विकास योजना	-	-	-	-	-	-	120000	-	-

12.18 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :

वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करना राज्य के प्रमुख दायित्वों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये

संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। संस्थाओं में संचालित योजना के क्रियान्वयन में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की जिम्मेदारी एवं आवश्यक व्यवस्था विभाग करता है। साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी करता है, जिससे वर्तमान में उद्योगों, प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दक्ष कामगार उपलब्ध हो सके। वर्तमान में विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:-

- (1) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training scheme)
- (2) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (Apprentice Training scheme)

उद्देश्य: कौशल विकास विभाग के अधीन संचालनालय, प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- (1) घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करते रहना।
- (2) व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना। तथा उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग के अनुरूप युवाओं के लिये प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- (3) रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष व्याप्त बेरोजगारी कम करना।
- (4) युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रुझान विकसित एवं पोषित करना।

12.18.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training scheme)

राज्य में स्थापित उद्योगों और प्रतिष्ठानों के मांग के अनुरूप प्रशिक्षित एवं दक्ष जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिल्पकारों को तैयार किया जाता है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिये नीति, मापदण्ड, स्टैण्डर्स, सिलेबस, परीक्षा प्रणाली, सर्टिफिकेशन आदि पूरे देश में एक समान है। इस हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

12.18.2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE):

युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के बहुकौशलीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश के 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है। राज्य में संचालित 22 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत

“सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस” के रूप में उन्नयन किया गया है। भारत सरकार, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मेंटर कौंसिल की अनुशंसा एवं प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित सी.ओ.ई. सेक्टर्स एवं माड्यूलस को समतुल्य सी.टी.एस. ट्रेड में परिवर्तित किया गया है।

12.18.3 केन्द्र सरकार की LWE योजना :

राज्य में नक्सल प्रभावित युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार की Skill Development पद 34 Districts effected by Left Wing Extremism (LWE) योजनान्तर्गत राज्य के 07 जिलों के क्रमशः सीतापुर, अम्बागढ़ चौकी, बकावण्ड, नरहरपुर, भैरमगढ़, कोंटा एवं नारायणपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ सत्र अगस्त 2014 से प्रशिक्षण संचालित है।

12.18.4 केन्द्र सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) योजना :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने एवं निजी भागीदार से संस्थाओं के कुशल प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा देश में 1396 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को “पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप”(पीपीपी) के माध्यम से उन्नयन करने की योजना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार उद्योग भागीदारों की अध्यक्षता में संस्थाओं के विकास एवं प्रबंधन हेतु “संस्थान प्रबंधन समिति” (आई.एम.सी.) का गठन कर प्रत्येक संस्थान प्रबंधन समिति को रूपये 2.5 करोड़ का दीर्घकालीन ब्याज रहित लोन दिया गया है, जिसे संस्थान प्रबंधन समिति, संस्था के विकास के लिये तैयार की गई आई.डी.पी. के अनुसार उपयोग कर सकेगी। यह राशि संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा 10 वर्षों के उपरान्त केन्द्र शासन को अगले 20 वर्षों में वापस की जानी है। योजनान्तर्गत राज्य में संचालित 42 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नयन करने गठित प्रत्येक आई.एम.सी. को ₹0 2.5 करोड़ का लोन दिया गया है।

12.18.5 स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव (SDI) योजना :

राज्य में संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न विभागों के द्वारा कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित हितग्राहियों को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव (SDI) योजना के लघु अवधि के MES कोर्सेस में कौशल प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य में संचालित 163 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 84 संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 16 जिलों में संचालित 40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विभागों एवं जिला कौशल प्राधिकरण द्वारा 1800 से अधिक प्रायोजित हितग्राहियों को MES कोर्सेस में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

12.18.6 संस्थाओं एवं सीट्स में प्रगति :

छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विभाग के अधीन वर्तमान में राज्य में कुल 163 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

संचालित है, जिनमें कुल 18184 सीटों पर प्रशिक्षण संचालित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं सीटों में वृद्धि की स्थिति निम्नानुसार है –

विवरण	2014-15	2015-16	वृद्धि का प्रतिशत
औ.प्र.संस्था	146	163	11.64
सीट्स	17140	18184	6.09

12.18.7 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (APP) :

भारत सरकार के शिक्षुता अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने (उत्तीर्ण) वाले प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादन/वास्तविक कार्य के साथ संलग्न कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू की गई है, जिससे उद्योगों में मांग के अनुरूप ही कुशल कारीगर तैयार हो सके एवं औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि हो साथ ही साथ नियमित रूप से उद्योगों को अपनी जरूरत के अनुसार कुशल कारीगर (टेक्नीशियन) मिलते रहें।

12.18.8 शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत शिक्षु नियोजन की स्थिति :

तालिका – 12.12 शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत शिक्षु नियोजन की स्थिति:						
विवरण	निजी प्रतिष्ठान			सार्वजनिक प्रतिष्ठान		
	2014-15	2015-16	वृद्धि	2014-15	2015-16	वृद्धि %
प्रतिष्ठानों की संख्या	106	148	39.62 %	28	34	21.43 %
निर्धारित स्थान	1180	1607	36.19 %	390	506	29.74 %
नियोजित शिक्षु	724	714	-1.38 %	69	68	-1.45%

12.18.9 शिक्षु प्रोत्साहन योजना :

शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा “शिक्षु प्रोत्साहन योजना” प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत राज्य में MSME (Medium Small Micro Enterprises) एक्ट के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों का सर्वे/रि-सर्वे कर Notify करते हुए शिक्षु प्रोत्साहन योजनान्तर्गत शिक्षु नियोजन की कार्यवाही किया जाता है। पंजीकृत प्रतिष्ठानों को अपने नियोजित कामगारों के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के अनुपात में क्रमशः न्यूनतम 03 एवं अधिकतम 10 शिक्षुओं को नियोजित किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षणरत शिक्षुओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्रदाय की जाती है। वर्ष 2014-15 में 2015-16 की स्थिति निम्नानुसार है –

12.18.10 स्टेट बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन:

महानिदेशालय, प्रशिक्षण, नई दिल्ली के राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्(एन.सी. व्ही.टी.) से सम्बद्धता प्राप्त व्यवसायों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को अखिल भारतीय

व्यवसायिक परीक्षाओं में एवं जिन व्यवसायों की सम्बद्धता प्राप्त नहीं होती है, उनके प्रशिक्षणार्थियों को राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.व्ही.टी.) अंतर्गत आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित कराई जाती है।

इसी प्रकार राज्य में स्थापित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षता अधिनियम 1961 के अंतर्गत शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अखिल भारतीय शिक्षु परीक्षा में सम्मिलित कराई जाती है। परीक्षाओं के संचालन के लिये राज्य शासन द्वारा संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, के प्रशिक्षण पक्ष के अंतर्गत 'स्टेट बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन'का गठन किया गया है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, स्टेट बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

विवरण	2014-15	2015-16	वृद्धि %
सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	31871	23798	- 25.33%
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	20551	10662	- 48.12%

बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति (राशि लाख में)

विवरण	2014-15	2015-16	वृद्धि का %
बजट प्रावधान	34123.80	60962.27	78.65 %
व्यय (नव.15')	17271.17	9648.83	- 44.13 %

34343

31

34343

34343

13. नगरीय विकास

मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहाँ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 (59.37 लाख) हो गया है।
- वर्ष 2015 अंत में – 12 नगर निगम, 44 नगर पालिका एवं 112 नगर पंचायत, कुल 168 निकाय
- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं – सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रॉसपोर्ट नगर योजना, हाट-बाजार समृद्धि योजना, सांस्कृतिक भवन योजना इत्यादि।
- स्वरोजगार योजना – सभी नगरीय निकायों में शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना, अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना
- स्वच्छ भारत मिशन – पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य अंतर्गत छ. ग. राज्य मॉडल को प्रधानमंत्री द्वारा पुरुस्कृत तथा आगामी 3 वर्षों में खुले में शौच प्रथा का पूर्णतया समापन का लक्ष्य।
- स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर ए.टी.एम. की स्थापना।
- नगर निगम क्षेत्र में जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर निर्धारण।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- 28 निकाय सम्मिलित। मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन- शेष 141 निकाय सम्मिलित।

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामीण से शहरों की ओर जाने की है।

अनुभव से यह स्थापित होता है कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास शहरीकरण से दृढ़ता से संबंधित है। सामान्यतया बड़े शहरों में बसने वाले लोगों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की दृष्टि से ही उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन-देने का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का हर संभव उत्पादन अधिक होता है। वास्तव में शहर के विकास का इंजन है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति

	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर		3.99	4.45	8.5	10.07	11.21	17.51
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर		26.44	38.28	46.2	36.43	31.49	31.8
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होना राज्य में कम औद्योगिकीकरण एवं गरीबी के स्तर का उच्च होना इत्यादि कारण है। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। छोटे ग्रामों की बहुलता गरीबी को पर्याप्त बढ़ावा देती है जबकि बड़े शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत

सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़के, दूरसंचार, जनप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है। नगरीय प्रशासन के लिए उक्त मूल आवश्यकताओं की पूर्ति एक दुरुह कार्य हो जाता है। भीड़ भरे उपनिवेश बिना उचित भौतिक अधोसंरचना जैसे आवास, स्वच्छता जनप्रदाय के शहरी क्षेत्रों में प्रायः गंदी बस्ती में परिवर्तित होने लगते हैं।

यद्यपि शहरीकरण अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी है, भारत में इसकी गति चिंता का विषय है। यू.एन. के शहरीकरण के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विगत 15 वर्षों से भारत शहरीकरण में काफी पीछे है। 1970-71 में शहरी क्षेत्र की जी.डी.पी. 37.7 प्रतिशत तेज गति से होने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशील है और नई योजनाएं जैसे अमृत, स्मार्टशहर, हेरिटेज शहरों का विकास इत्यादि का शुभारंभ किया गया है।

नगरीय छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13.1.1 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संकेतांक: 2013 (Health Indicators Chhattisgarh: 2013)

Indicators	Total	Rural	Urban
अशोधित जन्म दर (Crude birth rate)	24.4	25.8	17.9
सामान्य प्रजनन दर (General fertility rate)	89.0	95.7	60.7
कुल प्रजनन दर (Total fertility rate)	2.6	2.8	1.8
सकल प्रजनन दर (Gross reproduction rate)	1.3	1.3	0.9
सामान्य वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (General marital fertility rate)	123.4	130.8	90.0
कुल वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (Total marital fertility rate)	4.5	4.5	3.9
शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate)	46	47	38
पाँच वर्ष के अंदर शिशु मृत्यु दर (Under-five mortality rate)	53	56	38
अशोधित मृत्यु दर (Crude death rate)	7.9	8.4	5.9

तालिका 13.1.2 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले जीवित जन्मों का प्रतिशत (2008-13)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3

तालिका 13.1.3 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले मृत्यु का प्रतिशत (2008-13)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7

13.1 छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं।

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

13.2 नगरीय निकाय :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संकमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 168 है।

तलिका 13.2 नगरीय निकाय						
निकाय	वर्ष					
	2000	2003	2012	2013	2014	2015
नगर पालिक निगम	06	10	10	10	10	12
नगर पालिका परिषद्	20	28	32	33	44	44
नगर पंचायत	49	72	126	126	115	112
कुल योग	75	110	168	169	169	168

13.3 विभाग के दायित्व :-

- छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन,
- शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण,
- नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय,
- तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण,
- नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण,
- चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन,

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं :-

13.4 सरोवर धरोहर योजना :-शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 11.90 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 25 तालाबों के लिए रु. 719.17 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2015-16 में 5 तालाबों हेतु रु. 165.43 लाख की स्वीकृति से कुल स्वीकृत 590 परियोजनाओं में रु. 105.81 करोड़ व्यय कर 473 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.5 ज्ञानस्थली योजना :- राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5.25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 19 कार्यों हेतु रू. 135.47 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में कुल 02 कार्य हेतु रू. 129.21 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 1035 शाला भवनों में से रू. 3949.48 लाख व्यय कर 999 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.6 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :-राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 10.25 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14 कार्यों हेतु रू.217.23 लाख की स्वीकृति तथा वर्ष 2015-16 में कुल 03 कार्य हेतु रू. 209.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 183 परियोजनाओं के लिए राशि रू. 1041.32 लाख स्वीकृत किया जाकर 170 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.7 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :-राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनिनों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू.16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 46 कार्यों हेतु रू. 1317.15 लाख की स्वीकृत दी गई है। वर्ष 2015-16 में कुल 43 कार्यों हेतु रू.660.08 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 344 परियोजनाओं के लिए रू. 4062.93 लाख व्यय कर 279 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

13.8 मुक्तिधाम निर्माण योजना:-शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 8.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 कार्य हेतु रू. 457.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2015-16 में कुल 07 कार्य हेतु रू. 124.24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 266 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.9 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :-राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत रू. 46,000/-की लागत से छोटी दुकान, रू. 57000/-की लागत से बड़ी दुकान तथा रू. 6500/-की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित

न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत 2014-15 में 190 दुकानों हेतु 60.70 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत 7574 दुकान व चबूतरा पूर्ण किया जा चुका है।

13.10 महिला समृद्धि बाजार योजना :-राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनांतर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रु. 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी है। 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13.11 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :-प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 08 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल 08 निकायों में रु. 21.31 करोड़ की योजना के विरुद्ध व्यय राशि रु. 14.97 करोड़ की राशि जारी की गई है। 08 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

13.12 गोकुल नगर योजना:-नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रु. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 08 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

13.13 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :-वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगाने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रु. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014-15 में 07 कार्य हेतु 261.64 लाख स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2015-16 में कुल 03 कार्य हेतु रु. 166.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 146 हाट बाजार के लिए रु. 6446.12 लाख स्वीकृति उपलब्ध करायी गयी है तथा 92 परियोजना पूर्ण की गई हैं।

13.14 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :- वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्य हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग,

भिलाई, कोरबा में रु. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रु. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रु. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रु. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रु. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25.00 लाख रु. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगे। वर्ष 2014-15 में 14 कार्य हेतु रु. 418.89 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में कुल 07 कार्य हेतु रु. 94.13 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.15 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना :- नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजनांतर्गत अब तक 42 अन्नपूर्णा सामुदायिक केन्द्र के लिए रु. 6.75 करोड़ स्वीकृत कर 21 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

13.16 स्वच्छ पेयजल प्रदान हेतु वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना

समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना किये जाने की योजना प्रस्तावित है। वाटर एटीएम से टोकन राशि 01 रु. में 05 लिटर शुद्ध पेय जल प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु समस्त 12 नगर निगमों में 10-10, समस्त 44 नगर पालिकाओं में 02-02 तथा समस्त 112 नगर पंचायतों में 01-01 इस प्रकार कुल 321 वॉटर ए.टी.एम. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रति ईकाई वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना हेतु, परियोजना लागत रु. 22.47 करोड़ का क्रियान्वयन प्रगति पर हैं।

13.17 गौरव पथ योजना :- प्रदेश के नगरों में बढ़ते यातायात के दबाव एवं प्रमुख मार्गों के क्षमता में वृद्धि एवं सुदृढ़ विकास के दृष्टिकोण से नगरीय निकायों में राज्य प्रवर्तित गौरवपथ योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 01 नग गौरवपथ निर्माण हेतु राशि रु. 455.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

13.18 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

शहरों में बढ़ती हुई आबादी एवं प्रवासी नागरिकों को शौचालयों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वृहद् आकार के सर्वसुविधायुक्त उन्नत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (अनुमानित लागत राशि रु. 65,000/- प्रति सीट) प्रस्तावित है। नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में 50 सीटर 10-10 नग, नगर निगम, भिलाई, दुर्ग, धमतरी, बीरगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा में 25 सीटर 05-05 नग, नगर निगम, चिरमिरी तथा समस्त 44 नगर पालिका परिषदों में 25 सीटर 02-02 नग, समस्त 112 नगर पंचायतों में 15 सीटर 01-01 नग सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रु. 41.89 करोड़ रुपये अनुमानित है।

13.19 हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण/उन्नयन :-

राज्य में सड़क आवागमन हेतु यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें यात्रियों को समस्त सुविधाओं सहित, बस में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। नगर निगम रायपुर में राशि रु. 25.00 करोड़ की लागत से एवं 08 नगर पालिका निगमों (बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, बीरगांव, जगदलपुर, कोरबा) में 05-05 करोड़ की अनुमानित लागत से तथा शेष 17 जिला मुख्यालयों के नगरीय निकायों में 02-02 करोड़ की लागत से हाईटेक बस स्टैण्ड की स्थापना/उन्नयन प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रु. 99.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगमों में हाईटेक बस स्टैण्ड की स्थापना हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में 6500 लाख की राशि तथा नगर पालिकाओं में हाईटेक बस स्टैण्ड की स्थापना हेतु वर्ष 2015-16 में बजट में 3400 लाख की राशि प्रावधानित है।

13.20 राजीव आवास योजना- स्लम मुक्त भारत की ओर :-

भारत सरकार द्वारा झुग्गी मुक्त भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव आवास योजना प्रारंभ की गई है। आवास एवं अधोसंरचना हेतु लागत सीमा रु. 4लाख (05 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए) एवं रु. 5 लाख (05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए) निर्धारित है, जिसमें से अधोसंरचना एवं अन्य सुविधाओं हेतु 25% व्यय का प्रावधानित है। योजना का वित्तीय ढाँचा :

तालिका 13.3 – 05 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए

क्र.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	निकाय अंश	रिमार्क
1	आवासहेतु	75%	13.15%	10.12%	0%	हितग्राही अंश सामान्य वर्ग 12% आरक्षितवर्ग 10%
2	अधो संरचना हेतु	75%	15%	0%	10%	—

योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पायलेट डीपीआर

तालिका 13.4 एस एफसीपीए परियोजना राशि (लाख में)

क्र.	शहर का नाम	परियोजना	लागत	आवास संख्या	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	रिमार्क
		लालगंगा झुग्गी बस्ती	1359.95	300	243.52	199.84	64 पूर्ण एवं 32 आवासों का कार्य प्रगति पर
1	रायपुर	झोरापारा वार्ड 68 झुग्गी बस्ती	719.26	127	120.95	120.15	AS/TS प्रक्रियाधीन
		सतनामी पारा, साहूपारा, ब्रम्हदेवपारा वार्ड 7 झुग्गी बस्ती	2690.61	574	497.43	448.83	AS/TS प्रक्रियाधीन
2	भिलाई	घासीदास नगर, झुग्गीबस्ती वार्ड 15	6718.55	1600	1230.84	975.89	AS/TS प्रक्रियाधीन
		अशोक नगर, झुग्गीबस्ती वार्ड 42	3567.23	720	993.17	264.69	AS/TS प्रक्रियाधीन
3	बिलासपुर	मिट्टीटीला, वार्ड 02, झुग्गीबस्ती	1080.46	216	253.99	73.82	AS/TS प्रक्रियाधीन
		मिनीमाता झुग्गीबस्ती वार्ड 12	2035.60	456	495.61	140.61	AS/TS प्रक्रियाधीन
4	कोरबा	कुओंभाटा झुग्गी बस्ती वार्ड 12	1280.53	320	344.76	57.46	AS/TS प्रक्रियाधीन

13.21 स्वच्छ भारत मिशन :- भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर 2014 को देश में पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2019 की अवधि तक स्वच्छ भारत मिशन घोषित किया गया है, इस हेतु भारत सरकार द्वारा निजी शौचालय निर्माण हेतु "छत्तीसगढ़ राज्य के मॉडल" को इनोवेटिव प्रेक्टिस अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिनांक 25 जून 2015 को पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2014-15 में 12 नगर पालिक निगमों में से 03 नगर पालिक निगमों (बीरगांव, धमतरी एवं अंबिकापुर) तथा 44 नगर पालिका परिषदों में से 13 नगर पालिका परिषदों तथा 113 नगर पंचायतों में से 25 नगर पंचायतों को शत-प्रतिशत शौचालय विहीन परिवारों के लिए निजी शौचालय निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया गया है। शेष 09 नगर निगमों, 31 नगर पालिका परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों को इस वर्ष हेतु आंशिक लक्ष्य दिए गए हैं। **आगामी 03 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से सभी निकायों में खुले में शौच करने की प्रथा पूर्णतया समाप्त की जाएगी।**

13.22 उषा योजना

शहरी मानव संसाधन के सांख्यिकीय आंकलन हेतु भारत सरकार, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, द्वारा वित्त पोषित **USHA (Urban Statistics for Human Resources and Assessment)** योजनांतर्गत निकायों की स्लम बस्तियों के निवासियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे आधारित आंकड़ों का संग्रहण कर केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाना है। समस्त स्लम बस्तियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे, स्लम प्रोफाईलिंग कार्य एवं सेटेलाईट ईमेज के आधार पर जीआईएस सिटी बेस मैप पूर्ण किया जा चुका है। योजना में शामिल समस्त नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों का सीमांकन जीपीएस तकनीक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही शहरों की स्लम स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

जीआईएस आधारित संपत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा परियोजना

अ. निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार, समस्त सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाने एवं आम नागरिकों को ऑन लाईन संपत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं चिरमिरी नगर पालिक निगमों में जीआईएस आधारित संपत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्तमान में नगर पालिक निगम कोरबा में सर्वे कार्य प्रगति पर है तथा शेष 09 नगर पालिका में सम्पत्तियों का सर्वे कार्य किया जा चुका है, निकायवार सर्वे का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	निकाय	सम्पत्ति का अनुमानिक संख्या	सर्वेक्षण अनुसार कुल सम्पत्ति का संख्या
1	रायपुर	121900	202324
2	भिलाई	102000	149314
3	दुर्ग	26000	48351
4	राजनांदगांव	7200	32607
5	जगदलपुर	19000	23111
6	बिलासपुर	45000	57819
7	कोरबा	84000	75563
8	रायगढ़	9240	26359
9	अंबिकापुर	11540	19398
10	चिरमिरी	20390	22854
	कुल	446270	657700

अ. जीआईएस बेस मैप :-10 नगर निगमों के कुछ 900 वर्ग किलो मीटर में से 823.20 वर्ग किलो मीटर का ड्रॉपट बेस

मेप तैयार किया जा चुका है। निकाय स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त संस्था द्वारा फाईनल जीआईएस बेस मेप संबंधित निकायों में प्रस्तुत किया जावेगा।

ब. भवन अनुज्ञा मैनेजमेंट सिस्टम :-भूमि विकास अधिनियम – 1984, मास्टर प्लान एवं निकायों में प्रचलित भवन अनुज्ञा नियमों के आधार पर ऑन लाईन बीपीएमएस सॉफ्टवेयर एवं इस हेतु संचालित “हेल्प डेस्क” द्वारा सभी नगर पालिका निगमों (चिरमिरी एवं राजनांदगाँव को छोड़कर) भवन अनुज्ञा प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

स. प्रॉपर्टी टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीटीआईएस) :-

वर्तमान में प्रचलित एवं भविष्य में प्रस्तावित संपत्तिकर अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर निर्धारण हेतु तैयार किए गए ऑनलाईन पीटीआईएस सॉफ्टवेयर का आंतरिक परीक्षण किया जा रहा है।

13.22 “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन”

भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध करायी जाएगी। मिशन बेघर लोगों को आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हॉकर्स कॉर्नर विकसित किये जाएंगे।

मिशन में छत्तीसगढ़ के कुल 28 निकाय सम्मिलित किये गये हैं :-रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुरनगर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग राजनांदगाँव, भिलाई, कवर्धा, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, सुरजपुर, बलारामपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बलौदाबाजार, कोण्डागाँव।

योजना का प्रारंभ : यह योजना 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ की गयी है।

योजना के प्रमुख घटक :

- **सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास :** इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है। इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व-सहायता समूह बनाए जायेंगे, वही 10-20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10-20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को

सुलभ बनाने के लिए स्रोत संगठनों का चयन किया जाएगा। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।

- **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार :** इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोड़ा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाएंगी :-
- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।
- कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं पथ विक्रेताओं हेतु कार्यशाला पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 15,000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) व्यय प्रस्तावित है।
- **स्वरोजगार कार्यक्रम :** इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।
- व्यक्तिगत अधिकतम (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह अधिकतम (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान अग्रिम ऋण राशि की नियमित किस्तों में भुगतान पर इसका लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5-7 वर्ष के लिए प्रस्तावित है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों/क्षेत्रीय स्तरीय फेडरेशन के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3-7 दिन तक उद्यमिता उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जावेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नहीं है। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टॉस्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

- **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण:** इस घटक के अन्तर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन कर राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 02-04 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता:** इस घटक के पथ विक्रेताओं का उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन, कार्यशाला, बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान-पत्र विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस घटक पर आबंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी।
- **शहरी गरीबों के लिए आश्रम योजना:** इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रम भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50-100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रम भवन सभी मिशन नगरों में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/ अन्य के द्वारा किया जाएगा।
- **अभिनव/विशेष परियोजना:** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत अभिनव एवं विशेष परियोजनाओं में राज्य की आवश्यकता एवं समुदाय आधारित कल्याणकारी, जनहितकारी योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, अभिनव एवं विशेष परियोजना अंतर्गत नवाचार परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा, ताकि प्रयोगोपरांत सफल होने पर अन्य स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संगवारी-कामकाजी घरेलू महिलाओं के कौशल उन्नयन के माध्यम से जीवकोपार्जन परियोजना भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
- **वित्तीय संसाधन:**
 - भारत सरकार का अंशदान -75 प्रतिशत
 - राज्य सरकार का अंशदान- 25 प्रतिशत

मिशन के कार्यों में गति लाने हेतु निम्नानुसार संचालक मंडल/कमेटी का गठन किया गया है।

- **राज्य स्तर पर:**

अ. संचालक मंडल - माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में।

ब. राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति-माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में।

स. प्रबंधक मंडल- माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में।

द. राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति— प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में।

● **शहर स्तरीय मिशन प्रबंधन ईकाई स्तर पर :**

- अ. सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई—जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।
- ब. तकनीकी सलाहकार समिति— जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।
- स. शहर स्तरीय आजीविका केन्द्र संचालन समिति— जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।
- द. टॉस्कफोर्स समिति—सिटी प्रोजेक्ट, ऑफिसर (आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी) की अध्यक्षता में।
- इ. ग्रेडिंग कमेटी— सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में।

13.23 मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में प्रदेश के 28 निकायों (27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई नगर निगम) में संचालित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में सम्मिलित नहीं होने वाले शेष 141 निकायों हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 राज्य प्रवर्तित **मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन गठित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।** शेष 141 निकायों के शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। विस्तृत कार्ययोजना/परियोजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा प्रदान करते हुए राशि रुपये 15.00 करोड़ का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है।

केपीसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम

1. विभाग के अन्तर्गत नगरीय निकायों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण सह अध्ययन हेतु देश के विभिन्न प्रदेशों के उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों का अवलोकन कराया जाता है।
2. इसी अनुक्रम में वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में क्षमता विकास हेतु क्राम्प्रीहेन्सिव केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (CCBP)योजनांतर्गत 04 वर्षों के लिए राशि रु. 39.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. माह मई 2014 में निकायों के अधिकारियों द्वारा केरल राज्य के त्रिशुर, ऐल्लेपी, पालकाड, कोचिन, गुरुवायूर निकायों का भ्रमण कर केरला इन्स्टीट्यूट ऑफ एडमिनीस्ट्रेशन से विभिन्न योजनाओं की जानकारी का अवलोकन कर, सिटी बस सर्विस, सर्विस फार अरबन पुअर (कुटुम्बश्री), पार्किंग व्यवस्था, जल प्रदाय योजना का अवलोकन किया गया।
4. सिटी बस योजना से संबंधित दो राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साथ ही माह अक्टूबर एवं दिसम्बर 2014 में क्रमशः नई दिल्ली एवं अहमदाबाद हेतु अध्ययन सह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5. आगामी अप्रैल 2015 में केपासिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, अभियंताओं एवं कर्मचारियों को नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधन एवं उनमें वृद्धि के उपाय, सामान्य लेखांकित एवं निविदाएं एवं अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

विभाग की विशिष्ट योजनाएँ

निदान-1100

भारत सरकार द्वारा **जेएनएनयूआरएम सुधार कार्यक्रम** के अंतर्गत निकाय द्वारा दी जा रही सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के तंत्र स्थापना हेतु प्रतिबद्धता दी गई है। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु राज्य के समस्त **10 नगर पालिक निगम** में **06 मार्च 2012** को “ऑनलाईन जनशिकायत निवारण प्रणाली निदान-1100” का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में 02 मूलभूत नगरीय सेवाओं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं जल प्रदाय सेवा से संबंधित शिकायतों का निवारण निदान-1100 के माध्यम से किया जा रहा है शिकायत हेतु समय-सीमा संबंधित निकायों के सिटीजन चार्टर्ड अनुसार निर्धारित की गई है। आम नागरिक, 03 माध्यम अर्थात् **टोल-फ्री नंबर-1100**, निकायों में स्थित निदान-1100 की शिकायत **खिड़की** एवं **वेब साईट** के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस हेतु राज्य स्तर पर **सुबह 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक कॉल सेंटर** संचालित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र एवं भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार हेतु निविदा की कार्यवाही की जा रही है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य—

- नगर पालिक निगम क्रमशः बिलासपुर एवं कोरबा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य पीपीपी मॉडल पर किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र पर राज्य पीपीपी अनुशंसा समिति का अनुमोदन प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी।
- 121 नगर पंचायतों हेतु 715 अतिरिक्त सफाईकर्मियों की अस्थायी नियुक्ति तथा आवश्यक उपकरण क्रय हेतु राशि रुपये 48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यवाही पूर्ण होने पर इन पंचायतों में ठोस अपशिष्ट का डोर टू डोर कलेक्शन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
- राज्य की 32 नगर पालिकाओं एवं जिला मुख्यालय स्थित 6 नगर पंचायतों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य वैज्ञानिक रीति से किये जाने हेतु निकाय परक कार्ययोजना तैयार किये जाने का कार्य विशेषज्ञ सलाहकार के माध्यम से प्रचलित है। निजी आपरेटर चयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही आगामी 3 माह में संभावित है।

ଅଧ୍ୟାୟ

୮

ଝ

ଅକ୍ଷରାଳିପା

14. सामाजिक क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

शिक्षा

- वर्ष 2015 में शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर पंजीयन 80%।
- इन्स्पायर अवार्ड योजना – राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के दो विज्ञान मॉडलों का चयन।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा अनुदान– तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को 0% तथा 1% ब्याज पर।
- राज्य में 69 कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ, छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा, महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का लैंगिक अनुपात 1:1.2।
- वर्ष 2014-15 में आधारभूत विज्ञान संस्थान विभाग द्वारा 05 शा.महाविद्यालयों की स्थापना।
- बीपीएल छात्रवृत्ति योजना-वर्ष 2014-15 में 1276 स्नातक एवं 1767 स्नातकोत्तर विद्यार्थी लाभान्वित।

महिला एवं बाल विकास

- भारत का पहला One Stop Center (सखी) रायपुर में संचालित।
- विभिन्न अभिनव प्रयासों से कुपोषण का स्तर पिछले दशक से 16.62% कम, वर्ष 2015 में आंगनबाड़ी के माध्यम से 26.62 लाख हितग्राही लाभान्वित।
- “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का चयन।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 3% ब्याज पर महिला स्व-सहायता समूह को ऋण

स्वास्थ्य

- 27 जिला अस्पताल, 158 सामुदायिक, 801 प्राथमिक एवं 5167 उप स्वास्थ्य केन्द्र
- 16 New Born Stabilization Unit एवं 289 New Born Stabilization Care Unit संचालित।
- मार्च 2003 में कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10000 जनसंख्या से घटकर मार्च 2015 में 2.27।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

- ग्रामीण जल-प्रदाय कार्यक्रम-19716 ग्रामों में 257063 हैण्डपंप स्थापित।

समाज सेवा

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वर्ष 2014-15 में 549078 हितग्राही लाभान्वित, एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 675681 लाभान्वित।
- वर्ष 2014-15 में सुखद सहारा योजना – 250864, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना – 131285 एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना – 36329 हितग्राही लाभान्वित।
- निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना –वर्ष 2014-15 में 13150 तथा कृत्रिम अंग प्रदाय योजना – 2369 हितग्राही लाभान्वित।

अनु.जाति, जनजाति

- जनसंख्या: अजा- 12.82% एवं अजजा- 30.62%; 70.76% अजा एवं 59.09% अजजा साक्षर; 45.24% अजा एवं 52.82% अजजा कार्यशील हैं।

नागरिक पंजीयन

- छत्तीसगढ़ में जन्म पंजीकरण का स्तर 2011 में 55.1% से 2014-15 में 100% पहुंच चुका है।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

शिक्षा किसी राष्ट्र अथवा समाज के निर्माण का मुख्य आधार है। प्रबुद्ध, जागरूक एवं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही ज्ञान का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को किया जाता है। नवीनतम ज्ञान विज्ञान से अभिप्रेरित 21^{वीं} सदी में मानव संसाधन का विकास राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन उपरान्त कुछ ही वर्षों में सभी नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर उनके जीवन स्तर को उच्च बनाने का प्रयास शिक्षा विभाग कर रहा है। विशेषकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु शिक्षा प्रोत्साहन से समाज में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

स्कूल शिक्षा

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार बच्चों को प्रदान किया गया है। विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा स्कूल स्तर पर ही उनके सुदृढ़ भविष्य की नींव रखी गई है। समाज के सभी वर्ग तक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कार्य संचालन किया जा रहा है। मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हेतु अधोसंरचना के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जा रहा है।

14.1 राज्य के स्कूलों में पंजीकृत छात्र-छात्राएँ

तालिका 14.1 – 14 वर्ष तक आयु वर्ग का प्राथमिक शिक्षा में पंजीकरण								
वर्ष	शासकीय		निजी		अन्य		विद्यालय नहीं जा रहे	
	संपूर्ण भारत	छत्तीसगढ़	संपूर्ण भारत	छत्तीसगढ़	संपूर्ण भारत	छत्तीसगढ़	संपूर्ण भारत	छत्तीसगढ़
2006	73.38	84.18	18.73	8.46	1.32	0.08	6.57	7.27
2007	75.34	86.68	19.33	8.54	1.17	0.16	4.16	4.61
2008	71.81	84.77	22.63	10.33	1.30	0.26	4.27	4.64
2009	72.99	87.04	21.79	9.41	1.20	21.00	4.02	3.34
2010	71.80	87.59	23.73	10.09	1.04	46.00	3.43	1.86
2011	69.91	86.35	25.62	11.01	1.14	0.23	3.32	2.40
2012	67.00	83.80	28.30	13.50	1.20	0.10	3.50	2.60
2013	66.80	81.80	28.90	15.90	1.00	0.00	3.30	2.30
2014	64.90	80.00	30.80	17.80	1.00	0.10	3.39	2.00
2015	64.90	80.00	30.80	17.80	1.00	0.10	3.30	2.00

स्रोत: असर (ASER) surveys 2006–2014

14.2 विद्यालय नहीं जाने वाले छात्र-छात्राएं—

वर्ष	शासकीय		निजी	
	बालक संपूर्ण भारत	बालक छत्तीसगढ़	बालिकाएं संपूर्ण भारत	बालिकाएं छत्तीसगढ़
2006	8.05	9.29	9.29	12.41
2007	5.33	7.25	7.25	8.43
2008	5.50	7.22	7.22	8.72
2009	5.48	5.46	5.46	5.41
2010	4.92	3.32	3.32	3.57
2011	5.01	4.38	4.38	4.44
2012	4.90	5.10	5.10	5.20
2013	4.90	4.20	4.20	4.50
2014	4.70	4.00	4.00	3.60

स्रोत: असर (ASER) surveys 2006—2014

14.3 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :- यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के 146 विकासखंड के सभी शासकीय विद्यालयों को अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत है।

तालिका 14.3 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय
2013-14	3727377	418 करोड़
2014-15	3542832	374 करोड़

14.4 सर्व शिक्षा अभियान:- राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से नवीन, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शाला खोलने, अधोसंरचना निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों को विभिन्न सुविधाएँ यथा अनुदान, विद्यालयों एवं शिक्षकों की स्वीकृति भवन निर्माण, समावेशी शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

नवीन विद्यालयों की स्थापना

तालिका - 14.4 वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या

क्र.	संस्था का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	प्राथ. शाला	9	1	319	193	8	45	0
2	माध्य. शाला	25	404	85	140	30	35	0
3	हाई स्कूल	276	09	218	1033	0	70	10
4	उ. मा. शाला	146	31	95	119	217	150	9
5	कुल योग	456	445	717	1485	255	300	19

तालिका - 14.5 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2014-15

क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		योग
			छात्र	छात्राएँ	
1	हायर सेकेण्डरी	3715	285242	270629	555871
2	हाई स्कूल	2609	491973	500209	992182
3	माध्यमिक स्कूल	16692	843219	817071	1660290
4	प्राथमिक स्कूल	36992	1476517	1410715	2887232
5	पूर्व प्राथमिक स्कूल	1012	100080	84259	184339
	कुल योग	61020	3197031	3082883	6279914

तालिका 14.6 शिक्षक संख्या वर्ष 2014-15

क्र.	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग		
1	हायर सेकेण्डरी	18394	13494	31888	70	1:17
2	हाई स्कूल	8506	6083	14589	67	1:68
3	माध्यमिक स्कूल	52240	32621	84861	77	1:20
4	प्राथमिक स्कूल	78630	46984	125614	76	1:23
5	पूर्व प्राथमिक स्कूल	3411	1749	4874	74	1:12
	कुल योग	161181	100931	261826	72.8	1:28

14.5 बालिका प्रोत्साहन योजना :- इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/बी.पी.एल.परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है।

14.6 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति :- केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित की जाती है। राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के सामान्य श्रेणी के छात्रों हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 50 प्रतिशत अंक होने एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो, परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। अनु.जा./अनु.ज.जा./निःशक्त संवर्ग के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता है। जिसमें कक्षा 8 वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

14.7 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :- शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश में चार जिलों को छोड़कर (रायपुर, दुर्ग, बालोद एवं राजनांदगांव) शेष जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है। यह विद्यालय उन विकासखंडों में संचालित है जहाँ महिला साक्षरता की दर देश में महिला साक्षरता की दर से कम हो। उक्त विद्यालय में 10 वर्ष आयु से अधिक शाला त्यागी/अप्रवेशी, पालक/अभिभावक से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन खंडस्तर पर किया जाता है।

14.8 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण। पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदंडों के अनुरूप सुदृढीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्ष एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008-09 से संचालित है।

14.9 साक्षर भारत कार्यक्रम :- साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास एवं सतत् शिक्षा द्वारा निरक्षरों को साक्षर कर मुख्य धारा से जोड़ना है। साक्षरता के माध्यम से प्रदेश में लोगों को न केवल पढ़ने-लिखने एवं अंकज्ञान में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है वरन् इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता, सशक्तिकरण और आगे सीखने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से 80 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। लिंग भेद को 10 प्रतिशत कम कर क्षेत्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा। क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक (जेण्डर) विषमताओं में कमी लाना, 15 वर्ष एवं अधिक आयु सीमा को शामिल करना है। इसकी कार्यकारी एजेंसी "राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण" है। जिसे राज्य स्तरीय साक्षर भारत पुरस्कार वर्ष 2014 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु जिला स्तर पर सरगुजा जिला, विकासखंड स्तर पर क्रमशः तिल्दा जिला रायपुर एवं अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव तथा 05 ग्राम पंचायतों को पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया।

14.10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :- बीजापुर एवं नारायणपुर तथा नवीन 09 जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में डाइट द्वारा डी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री तैयार करना, प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं क्रियान्वयन, शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना, सतत् मानिट्रिंग करना, डाइट द्वारा चुनिंदा विषयों पर सर्वे, बच्चों की उपलब्धि परीक्षण, विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन करना, प्रशिक्षण के फॉलोअप कार्यक्रम एवं सहायक सामग्री का निर्माण करना है।

14.11 मॉडल स्कूल :- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उच्च गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य के तहत मॉडल स्कूल योजना संचालित की जा रही है। विद्यालय में अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा से संबद्ध 6 वीं से 12 तक कक्षाएँ संचालित है। इसमें 74 विकासखंडों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार के छात्र-छात्राओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है। योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य शासन का अंशदान 25 प्रतिशत है।

14.12 कन्या छात्रावास :- शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंड, जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ बालिकाओं के उन्नयन में होने वाली बाधाओं को दूर करना। कन्या छात्रावास योजना 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं के लिए है। राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 74 विकासखंडों में 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्वीकृति भारत शासन द्वारा दी गई है, जिसमें 69 कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 3723 छात्राएं दर्ज हैं। प्रत्येक कन्या छात्रावास के लिए 107 लाख रुपये की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

14.13 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के समस्त बालक-बालिकाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं।

14.14 निःशुल्क गणवेश योजना :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र-छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिया जाता है।

14.15 सरस्वती सायकल योजना :- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है।

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या
2013-14	462
2014-15	196

14.16 छात्र दुर्घटना बीमा :- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र-छात्राओं हेतु छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/- की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 5,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषेजिक उपचार हेतु 500/- छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

14.17 जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र :- राज्य के 16 जिला मुख्यालयों में एक प्रमुख शाला में जिला कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना 2004-05 में की गई है। जो एक वातानुकूलित प्रयोगशाला, स्टोर, आफिस, फर्नीचर व 07 कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों आदि की सुविधा से युक्त है, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु प्रत्येक जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र हेतु व्याख्याता सहप्रोग्रामर के 60 पद स्वीकृत किये गये हैं। आई.सी.टी. योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2500 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण इन केन्द्रों पर सम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत आयोजित अनेक प्रशिक्षण व छात्रों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कार्यक्रम इन केन्द्रों पर सतत आयोजित किये जाते हैं।

14.18 शैक्षणिक सूचना संचार प्रणाली :- यह योजना वर्तमान में यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी योजना के अनुदान से संचालित की जा रही है। इसमें राज्य के सभी 146 विकासखंडों से शैक्षणिक डाटा संग्रहण का कार्य ऑफलाईन में कर उसका आनलाईन अपलोडिंग व रिपोर्टिंग इन्टरनेट पर किया जा रहा है। इसके लिये सभी विकासखंडों को इस कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट ब्राडबैंड व प्रिन्टर प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही डाटाकैपचर फॉर्मेट में छात्र, शिक्षक, शाला व योजना संबंधी जानकारी इसके माध्यम से सर्व सुलभ कराया जाना है। इस प्रकार इन्टरनेट पर संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेंगी।

14.19 स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना :- यह योजना मूलतः स्वास्थ्य विभाग की है, परन्तु इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है। विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर इन कार्यक्रमों को समुचित रूप से क्रियान्वित कराने के निर्देश पूर्व से जारी है। जिलों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है। विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

14.20 यूरोपियन कमीशन :- “यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी योजना” विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना है। मुख्यतः इसके दो लक्ष्य हैं। पहला-सेक्टर पॉलिसी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और दूसरा सेक्टर कन्वरेज एण्ड स्टैण्डर्स को संधारित करना है।

14.21 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :- छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम का क्रियान्वयन अप्रैल 2010 से किया जा रहा है। इस अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

14.22 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् :- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एस.सी.ई. आर.टी. को छ.ग.राज्य में अकादमिक प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है। राज्य की शालाओं में गुणवत्ता सुधार करने हेतु एस.सी.ई.आर.टी एक नोडल प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। इसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं –

- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 60 हजार शिक्षकों को संकुल स्तर पर तथा 40 हजार शिक्षकों को ब्लॉकस्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना और शिक्षकों को विभिन्न मुद्दों पर निरंतर शोध एवं नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का संचालन करना जैसे- राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा लेना आदि।
- विज्ञान एवं गणित शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
- राज्य स्तरीय इन्सपायर अवार्ड योजना :- बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने हेतु जिलों को आवश्यक मार्गदर्शन के अलावा विभिन्न स्तरों पर विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इन्सपायर अवार्ड के लिए राज्य स्तर पर 386 मॉडलों का चयन किया गया है और 29 मॉडल को आगे की प्रतियोगिता के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रादर्शों का चयन किया गया।
- सैनिक स्कूल :- अंबिकापुर जिले के मेण्ड्राकला में राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल संचालित है। जहां कक्षा 06 से 12 तक सेना के शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है।
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां- राज्य स्थित केन्द्रीय/शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में 10^{वीं} कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्रथम स्तर परीक्षा में चयनित होने पर परीक्षार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययनपर्यन्त रु 500/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क :- छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क की स्थापना सत्र 2006-07 में 50 एस.आई.टी. के साथ प्रारंभ हुई थी। इस समय इस नेटवर्क के अंतर्गत 230 एस.आई.टी. संचालित है। यह नेटवर्क सभी केन्द्र, प्रदेश के दो शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, सभी डाइट 01 बी.आर.सी. एवं शेष सभी शासकीय उ.मा.वि. में स्थापित है। इस नेटवर्क के माध्यम से 140-150 दिवस कार्यक्रम प्रसारण करने का लक्ष्य है।

14.23 शिक्षकों का प्रशिक्षण :- बी.एड., डी.एड एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षक तैयार करना एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

14.24 राजीव गांधी शिक्षा मिशन:-

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण है। इसके अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। सभी बसाहटों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस-पास की 1 किलो मीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जावेगा एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस-पास की 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाना है। प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत राज्य में नए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तथापि नवीन बसाहटों एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण शालाएं प्रारंभ की गई हैं तथा शिक्षकों के नए पद की स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रैंप निर्माण आदि का कार्य सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किया जाता है।

क्र. घटक (राशि लाख रू. में)	लक्ष्य 2014.15		उपलब्धि 2014.15	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	2690193	5045.79	2690193	0.00
2 निःशुल्क गणवेश वितरण	2520887	10083.55	2520000	10076.08
3 आवासीय विद्यालय (50 सीट पोटा केबिन)	24	180.00	24	44.90
4 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	279601	1338.34	125105	521.59
5 सामुदायिक गतिशीलता	27	997.60	27	16.50
6 शाला अनुदान (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	47676	2663.02	47676	2662.00
7 मरम्मत अनुदान (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	45859	2879.93	45859	2503.15
8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	93	4375.65	93	1354.90
9 आवासीय विद्यालय (500 सीट पोटा केबिन)	60	7554.60	60	2518.20
10 आवासीय छात्रावास (100 सीट पोटा केबिन)	10	319.50	10	105.90
11 आर.ई.एम.एस.	27	107.00	27	15.94
12 बी.आर.सी. व सी.आर.सी. अनुदान	2853	6290.44	150	500.00

14.25 शिक्षकों की स्थिति:- शिक्षा के अधिकार के मापदंड के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाला में न्यूनतम दो शिक्षक तथा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 करने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक शाला के अंतर्गत प्रत्येक शाला के लिये 1:35 में शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

14.7 शिक्षकों की स्थिति

क्र.	शिक्षकों की स्थिति	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
1	सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत पद	30353	28209	58562
2	सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पद	29669	27524	57193

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं –

राज्य गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 226 अशासकीय महाविद्यालय थे। विस्तार एवं विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए आज राज्य में 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 निजी विश्वविद्यालय, 206 शासकीय महाविद्यालय, 14 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 244 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। राज्य के आदिवासी अंचलों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, किन्तु वर्तमान में राज्य के प्रमुख आदिवासी अंचल बस्तर तथा सरगुजा में दो विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

14.26 उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या :-

तालिका 14.8 उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या

	वर्ष 2014-15 (वर्ष के दौरान)	वर्ष 2014-15 (वर्ष के अंत में)	वर्ष 2015-16 (दिस0 15)
1 .महाविद्यालय			
शासकीय	204	209	214
अशासकीय अनुदान प्राप्त	241	244	253
स्वशासी	11	11	11
अशासकीय अनुदान अप्राप्त	14	14	14
2.विश्वविद्यालय			
राजकीय*(उच्च शिक्षा विभाग)	07	08	08
निजी	06	08	08
केन्द्रीय	01	01	01
कुल	14	17	17

*इसके अतिरिक्त तकनीकी, चिकित्सा, कृषि, विधि, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय संबंधित विभागों द्वारा संचालित हैं।

14.27 संवर्गवार छात्र छात्राओं की संख्या –

तालिका 14.9 संवर्गवार छात्र छात्राओं की संख्या

विषय	2014-15			2015-16		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
कला	34652	44729	79381	36224	47563	83787
वाणिज्य	11752	12013	23765	11968	13009	24977
विज्ञान	23459	28290	51749	25249	31943	57192
विधि	642	327	969	729	422	1151
प्रबंधन	31	16	47	57	37	94
कम्प्यूटर	1272	1451	2723	1244	1491	2735
अन्य	206	564	770	179	533	712

संवर्ग	2014-15			2015-16*		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
अनु.जाति	11474	12160	23634	12277	13619	25896
अनु.जनजाति	17884	19738	37622	18038	21830	39868
अन्य पिछड़ा वर्ग	33347	39842	73189	36497	44040	80537
सामान्य	9309	15650	24959	8838	15518	24356
कुल -	72014	87390	159404	75650	95007	170657

*वर्ष 2015-16 के छात्र संख्या अंतिम आंकड़े नहीं है।

10.28 स्नातक स्तर के विद्यार्थी

तालिका 14.10 स्नातक स्तर के विद्यार्थी

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ावर्ग	अनारक्षित	कुल योग
2013-14	18172	30823	56686	19914	125595
2014-15	20384	33582	64018	20642	138626

14.29 स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी

तालिका 14.11 स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ावर्ग	अनारक्षित	कुल योग
2013-14	3113	3625	8563	4070	19371
2014-15	3250	4040	9171	4317	20778

14.30 NAAC (National Assessment & Accrediation Council) :- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आंकलन हेतु समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे नैक द्वारा दिये गये ग्रेड के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण कर सकें। प्रदेश के 33 शासकीय तथा 12 अशासकीय महाविद्यालयों का मूल्यांकन हो चुका है। जिसमें से 1. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 2. शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. महाविद्यालय दुर्ग, 3. शासकीय ई.राघवेन्द्रराव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, 4. शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, 5. अशासकीय सी.एम.डी. कॉलेज बिलासपुर को 'A' ग्रेड दिया गया है।

14.31 राष्ट्रीय सेवा योजना - महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के समग्र विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। दिन प्रतिदिन इसमें भागीदारी बढ़ रही है। जिसमें 600 रु प्रति स्वयंसेवक नियमित गतिविधियों तथा 450 रु. प्रति स्वयंसेवक स्पेशल कैम्प के लिये वर्ष इकाईयां पंजीकृत छात्र-छात्रायें प्रावधानित है।

वर्ष	इकाईयां	पंजीकृत छात्र-छात्रायें
2010-11	1053	90750
2015-16	1106	93000

14.32 निजी विश्वविद्यालय- निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी

रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय उपरवारा, अभनपुर रायपुर एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है।

14.33 आधारभूत विज्ञान संस्थान :- पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर में आधारभूत विज्ञान संस्थान (Institute of Basic Science) की स्थापना की गई।

- वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा 05 शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है एवं 03 अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।
- वर्ष 2014-15 में जनभागीदारी/स्ववित्तीय योजनांतर्गत 04 शासकीय महाविद्यालयों में 12 नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।
- सत्र 2014-15 में 46 महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं/विषयों में कुल 1668 सीट वृद्धि की अनुमति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में उच्च शिक्षा हेतु कुल रु.618.62 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 26.09 प्रतिशत अधिक है।
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्र/छात्राओं को पुस्तकें/स्टेशनरी प्रदाय हेतु वर्ष 2013-14 में कुल प्रावधानित राशि रु. 160 लाख में वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2014.15 हेतु रु. 170लाख प्रस्तावित किया गया है।

14.34 बी.पी.एल. छात्रवृत्ति – उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्र-छात्राओं हेतु बीपीएल छात्रवृत्ति प्रतिमाह रु. 300/- की दर से 10 माह में रु. 3000/- तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी को रु. 500/- की दर से 10 माह में रु. 5000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में इस योजना से स्नातक स्तर पर 1276 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 1767 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

14.35 बी. पी. एल. बुक बैंक योजना :- योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुहैया हो सके, इस हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित अभिनव योजना के तहत बीपीएल के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 206 शासकीय महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हुये हैं।

14.36 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/किताबें प्रदान करना :-इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/- प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/- की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/- प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/- की पुस्तकें देने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत कुल 61256 छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुये तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 पॉच वर्षों में अब तक इस योजना से लगभग 3,92,064 छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुये हैं।

14.37 संस्कृत भाषा सम्मान :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्वान को सम्मानित किया जाता है। संस्कृत सम्मान पुरस्कार हेतु राशि रु. 2.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष यह सम्मान श्री गणेश शंकर कौशिक को दिया गया।

14.38 सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना:- 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी विकास प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस दिशा में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन जनवरी 2014 में किया गया है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं अधोसंरचना विकास के साथ साथ योग्य संकाय, नैक प्रत्यायन, सेमिनार, कार्यशालाओं एवं अनुसंधान के माध्यम महाविद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु से प्रयास किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा हेतु प्रावधान किया गया है। छात्र/छात्राओं को टैबलेट प्रदान किये जा रहे हैं।

14.39 छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा:- छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है जिससे महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का लैंगिक अनुपात 1:1.2 प्राप्त किया जा सका है, अर्थात् छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। शासकीय महाविद्यालयों की संवर्ग-वार छात्र संख्या में 15.66 प्रतिशत सामान्य, 14.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 23.60 प्रतिशत अनु.जनजाति एवं 45.91 प्रतिशत अ.पि.वर्ग की रही है।

14.40 सकल प्रवेश अनुपात:- 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल प्रवेश अनुपात (जीईआर) 25 प्रतिशत एवं 2020-21 तक 30 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में वर्ष 2015-16 में जीईआर 13.5 प्रतिशत हासिल किया जा सका है, जिसमें निजी एवं डिस्टेंस मोड में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की जीईआर को शामिल नहीं किया गया है।

सत्र 2015-16 में राज्य में विभाग द्वारा 05 जिला मुख्यालय क्रमश- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगलदपुर में नवीन आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की गई तथा 09 अशासकीय महाविद्यालय (1.श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टीट्यूट लॉ कॉलेज, 2. अग्रसेन महाविद्यालय, डंगनिया, गुण्डरदेही, बालोद, 3.आदर्श महाविद्यालय, दतरंगा, रायपुर 4. प्रतिभा फूलझर कॉलेज, बालसी, सरायपाली, महासमुन्द, 5.सेंट जेवियर कॉलेज, कोटा बिलासपुर, 6.आई.बी.ए.एम. कॉलेज, मोटियारीडीह, सिमगा, बलौदाबाजार, 7.आर.आई.टी. ग्लोबल कॉलेज, डूमरतालाब, रायपुर, 8. स्वामी अजय गुरुदेव इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, आईटीबीपी, मुड़पार, खरोरा, तिल्दा रायपुर एवं 9. सी.आई.टी. कॉलेज पार्री नाला, राजनांदगांव) प्रारंभ करने की अनुमति दी गयी।

दुर्ग में नवीन राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है एवं 02 अशासकीय विश्वविद्यालय ओ.पी.जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ एवं एमिटी यूनिवर्सिटी रायपुर की स्थापना की गई है।

तकनीकी शिक्षा

आर्थिक उन्नति हेतु राज्य में उपलब्ध संसाधनों के समुचित तकनीकी कौशल से उपयोग की आवश्यकता है। मूल्यपरक गुणात्मक तकनीकी शिक्षा, शोध एवं मार्गदर्शन के लिए 01 नवम्बर, 2000 में तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, कम्प्यूटर उपायोजन और फार्मसी जैसे विषय सम्मिलित किये गये हैं।

तालिका 14.12 राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क्र. संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में		2014-15 की स्थिति में	
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
1 इंजीनियरिंग	11	2750	47	18390
2 पॉलीटेक्निक	10	1495	50	8140
3 एम.सी.ए.	4	210	10	660
4 एम.बी.ए.	3	160	16	1380
5 एम. फार्मा	0	0	04	138
6 बी. फार्मा	0	0	10	780
7 डी. फार्मा	01	30	08	510
8 आर्किटेक्चर	01	20	01	80
9 एम.ई/एम.टेक.	0	0	11	754

14.41 उपलब्धियां :-

राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों (कांकेर, कोरिया, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर गरियाबंद, सुकमा, रामानुजगंज एवं बस्तर) में भी शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अधीनस्थ केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत 10 पालीटेक्निक संस्थाएं शासकीय पॉलीटेक्निक धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, दुर्ग, तखतपुर, खैरागढ़ तथा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्था रायपुर, जगदलपुर, एवं राजनांदगांव संचालित हैं।

14.42 छात्र कल्याण योजनाएं :-

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये मेरिट एवं मेरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप दी जाती है जो कि निम्नानुसार है :-

तालिका 14.13 मेरिट एवं मेरिट-कम-मीन्स स्कालरशिप		
इंजीनियरिंग महाविद्यालय	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति रु. प्रतिमाह
मेरिट स्कालरशिप	16	1,000
मेरिट स्कालरशिप (राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए)	8	2,000
मेरिट - कम - मीन्स	81	1,000
योग:-	105	
पालीटेक्निक		
मेरिट स्कालरशिप	65	600
मेरिट - कम - मीन्स	312	600
योग:-	377	

14.43 पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप :- आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा उन छात्र छात्राओं को प्रदाय की जाती है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु. 1 लाख तक हो, जो कि निम्नानुसार है:-

तालिका 14.14 पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप		
पाठ्यक्रम	छात्रावासी/गैर छात्रावासी	छात्रवृत्ति दर (रु. प्रतिमाह)
बी.ई.	छात्रावासी छात्र/छात्राओं को	740
	गैर छात्रावासी छात्र/छात्राओं को	330
पालीटेक्निक संस्थाएं	छात्रावासी छात्रछात्राओं को	510
	गैर छात्रावासी छात्रछात्राओं को	330

14.44 सामुदायिक विकास योजना:- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पॉलीटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना राज्य के 3 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं- (रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव) और 7 शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं (धमतरी, दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, तखतपुर एवं खैरागढ़) में संचालित है। जिसके तहत छात्रों को कौशल विकास कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।

TEQIP-2 तकनीकी महाविद्यालयों/संस्थाओं में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार :- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-2 प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्र-छात्राओं में रोजगारपरकता बढ़ाना है। प्रोजेक्ट में 3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर) व एक निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय रूंगटा कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भिलाई का चयन किया गया है।

14.45 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना- तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः माह जो पहले हो) के उपरान्त ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना आरंभ की है। इस योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के शिक्षार्थियों को शून्य प्रतिशत एवं अन्य जिलों के शिक्षार्थियों को 1 प्रतिशत की दर से ब्याज वहन करना होगा।

14.46 बी पी एल छात्रवृत्ति:- प्रदेश में स्थित समस्त इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिनके पालक बी पी एल कार्डधारक हैं, उनके लिये यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी को रु 1000/- प्रतिमाह तथा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के विद्यार्थी को रु 500/- प्रति माह दिये जाने का प्रावधान है।

14.47 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)- इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रावधान किया गया है।

14.48 बुक बैंक की स्थापना:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिये पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रदाय की जाती हैं।

IIIT की स्थापना :- राज्य में IIIT सत्र 2010-11 से रायपुर में प्रारंभ। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए N.T.P.C के सहयोग से IIIT की स्थापना किया गया। राज्य में देश की महत्वपूर्ण प्रबंध संस्थान IIM संचालित है।

वर्ष 2010-11 से बी.ई., बी. फॉर्मैसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।

छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में IT खड़गपुर के अध्याय की शुरुआत वर्ष 2012-13 से हो चुकी है।

जिला नवाचार निधि योजना वित्तीय वर्ष 2012.13 से प्रारंभ की जा चुकी है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

14.49 स्वास्थ्य सेवाएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है।" इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी एक आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाती है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्चस्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

14.50 राज्य का स्वास्थ्य पर व्यय

चित्र 1 में दर्शाया गया है के वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक राज्य के स्वास्थ्य व्यय में जीएसडीपी का अनुपात 0.75% से बढ़कर 1.33% हो गया है।

चित्र 2 में कुल व्यय में चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रतिशत को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता





Fig 1 Exp. on health as % of GSDP, CG

Source: Dept. of Finance and Planning, CG

है कि वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में इन सेवाओं पर 4.1 प्रतिशत व्यय किया जा रहा था, जो कि राज्यों के औसत 4.6 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2014-15 में राज्य में यह व्यय बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गया है, जो कि राज्यों के औसत 4.9 प्रतिशत से अधिक है।

भारत एवं छत्तीसगढ़ में यद्यपि पूर्व वर्षों की तुलना में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि हुई है। किंतु यह व्यय देश एवं राज्य दोनों में बहुत कम है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय किये जाने की आवश्यकता है, ताकि देश में लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाएं मिल सकें तथा देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।



Source :RBI State Finances A Study of Budgets of 2014-15

Fig 2Exp. on Medical and Public Health and Family Welfare – As Ratio to Aggregate Expenditure

वर्ष 2000 में 189 देशों द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हस्ताक्षरित किया गया। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने हेतु प्रमुख मानव विकास लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं। 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के क्रम में विशेषज्ञों के दल द्वारा 21 मापने योग्य लक्ष्य व 60 सूचकांक निर्धारित किए गये हैं। जिसमें कि ज्यादातर लक्ष्य व सूचकांक स्वास्थ्य संबंधित हैं।

14.51 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवं राज्य की स्थिति

सहस्राब्दी विकास के प्रमुख लक्ष्यों के संदर्भ में भारत एवं राज्य की स्थिति निम्नानुसार है :-

लक्ष्य : शिशु मृत्यु दर में कमी लाना

वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में दो तिहाई कमी लाना।

वर्ष 2015 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर में कमी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर भारत में 42 एवं छत्तीसगढ़ में 49 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण पूर्व वर्षों की तुलना में शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। विभागीय प्रतिवेदन 2014-15 के अनुसार राज्य में 7 शिशु गहन इकाई प्रारंभ हो चुकी है। नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए New Born Stabilization Unit 16 एवं 289 New Born Stabilization Care Unit संचालित हैं। कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए 58 पोषण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित हैं जहां 2015 तक 5955 बच्चों को इलाज हेतु भर्ती किया गया। खसरा टीकाकरण के अंतर्गत 368089 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है।

शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली सुधार कार्य किए गए हैं।

5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर 1990 में भारत में 125 एवं छत्तीसगढ़ में 148 प्रतिशत थी, वर्ष 2013 में यह दर घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 49 व 53 प्रतिशत रह गयी।

वर्ष 1990 से 2015 के बीच 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में दो तिहाई कमी लाना।

वर्ष 2015 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में शिशुओं की मृत्यु दर घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर भारत में 27 एवं छत्तीसगढ़ में 37 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिशु मृत्यु दर 1990 में भारत में 80 एवं छत्तीसगढ़ में 111 प्रतिशत थी, वर्ष 2013 में यह दर घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 40 व 46 प्रतिशत हो गयी।

खसरे के प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत भारत एवं छत्तीसगढ़ में वर्ष 1990 से 2015 के बीच एक वर्ष तक के बच्चों में खसरे के विरुद्ध प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण कवरेज शत प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1992-93 में एक वर्ष के शिशुओं में खसरे के प्रतिरक्षण हेतु टीकाकरण कवरेज जहां भारत में 40 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ में 42.2 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2012-13 में टीकाकरण कवरेज भारत एवं छत्तीसगढ़ दोनों में 90 प्रतिशत हो गया।

लक्ष्य : वर्ष 1990 से वर्ष 2015 के बीच मातृत्व मृत्यु दर को 75 प्रतिशत घटाना

मातृत्व मृत्यु अनुपात में कमी लाना

वर्ष 2015 तक मातृत्व मृत्यु दर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 109 व 151 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मातृ मृत्यु दर 1990 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 437 तथा राज्य में 603 थी। जो घटकर वर्ष 2013 में भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 167 व 221 हो गया।

कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराये गये प्रसव का अनुपात

वर्ष 2015 तक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराये गये प्रसव का अनुपात शत प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1992-93 में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराये गये प्रसव का अनुपात भारत में 32.0 प्रतिशत और राज्य में 33.3 प्रतिशत था जो बढ़कर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 56.4 व 76.2 हो गया।

राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था तथा प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। परंतु अभी भी नव प्रसव मृत्यु दर में कमी में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

लक्ष्य : 2015 तक मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम

मलेरिया प्रसार एवं मृत्यु दर

मृत्यु दर 1990 में भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 2.57 व 5.5 थी जो घटकर वर्ष 2013 में भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 0.72 व 4.20 हो गया। मृत्युदर में मामूली कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। राज्य के समक्ष संचारी रोग जैसे मलेरिया, तपेदिक तथा गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह,

उच्च रक्तचाप, कैंसर, मस्तिष्क रोग आदि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं। वर्ष 2013 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अपने दो उप मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन एवं आधारिक संरचना के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन नवगठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कर रहा है।

तालिका 14.15 स्वास्थ्य संसाधन

क्र.	मद	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015
1	जिला अस्पताल	24	27
2	कुष्ठ आरोग्य आश्रम एवं अस्पताल	03	3
3	पॉली क्लीनिक	01	1
4	नागरिक औषधालय	31	31
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	155	158
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	792	801
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5180	5167
8	राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण केन्द्र	01	01
9	जिला प्रशिक्षण केन्द्र	14	14
10	सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र	10	10
11	महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता स्कूल	18	18
12	पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता स्कूल	03	3

राज्य की कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत ग्रामीण है। गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य पद्धति के अंतर्गत निम्नानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है।

14.52 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

योजनाएं (ग्रामीण)

राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पॉली क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रशिक्षण केन्द्र आदि संचालित हैं जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय की जा रही हैं। 31 मार्च 2014 एवं 2015 की स्थिति निम्नानुसार है –

14.53 माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल

राज्य योजना

1. मुख्यमंत्री दवा पेटी

वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य 66220 मितानिनों (स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों) को समय पर दवा की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रु. 240.00 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रु. 100.00 लाख है।

2. जीवन ज्योति मोबाईल औषधालय की स्थापना

इस योजना को मोबाईल के माध्यम से समय पर स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 से प्रारंभ किया गया है। राज्य में 2 मोबाईल डिस्पेंसरी सेवाएं संचालित हैं। वर्ष 2014–15 में परिव्यय रु. 166.90 लाख के विरुद्ध व्यय रु.59.51 लाख था। वर्ष 2015–16 में परिव्यय रु.154.80 लाख के विरुद्ध जून 2015 तक व्यय रु.5.60 लाख है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना

छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि

इस कार्यक्रम का लाभ प्रदाय करने हेतु निम्न बिंदु का परीक्षण किया जाता है।

- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी
- मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना –बीपीएल कार्ड
- खर्च का अनुमान
- आपात स्थिति के मामले में दाखिले के 7 दिनों के भीतर प्रस्ताव
- सामान्य रोग में अधिकतम 1.50 लाख रुपये, गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में 01 लाख एवं मस्तिष्क चोट के मामले में 2 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

यह केंद्र प्रवर्तित योजना राज्य तथा केंद्र के 50–50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में संचालित है। वर्ष 2014–15 में परिव्यय रु. 1730.00 लाख के विरुद्ध व्यय रु. 2000.00 लाख था। वर्ष 2015–16 में परिव्यय रु 2230.00 लाख है।

14.54 चिकित्सा शिक्षा

प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिये सतत प्रयासरत है। राज्य में संचालित चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं एवं उनकी क्षमता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका क्र. 14.16 चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय		
क्र.	चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय	बिस्तर संख्या
01	डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर	750
02	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सालय बिलासपुर	500
03	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सालय जगदलपुर	500
04	स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सालय रायगढ़	325
05	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	300
06	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	300

स्रोत- प्रशासकीय प्रतिवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2014–15

14.55 संचारी रोग नियंत्रण

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बीमारियां प्रचलित हैं : मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनसेफालाइटिस एवं कालाजर। राज्य के 20 जिले में मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में तीन बीमारियां, मलेरिया, फायलेरिया एवं डेंगू पाया जाता है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ.ग. के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया तथा शहरी क्षेत्र में डेंगू के रोगी पाए जाते हैं।

मलेरिया केन्द्रीय प्रयोगशाला

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014 में 6 जिलो में ब्लकों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कीटनाशक नेट प्रदान किया गया। मलेरिया के मामलों में तत्काल निदान हेतु रेपिड डायग्नोस्टिक किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मलेरिया के कारण होने वाली जटिलता एवं मौत पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सका है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रु. 1855.60 लाख के विरुद्ध व्यय रु. 999.20 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रु.1842.90 लाख के विरुद्ध जून 2015 तक व्यय रु.45.90 है।

भौतिक प्रगति –

मलेरिया नियंत्रण :- भारत सरकार के द्वारा डोमेस्टिक बजट सपोर्ट में मलेरिया/फायलेरिया एवं डेंगू प्रभावित अतिसंवेदनशील जिलों में नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही, मानव संसाधन, प्रशिक्षण क्षमता, विकसित करने तथा मोबिलिटी सपोर्ट की व्यवस्था की गई है।

तालिका 14.17 वर्ष 2013 से 2015 में मलेरिया रोग की एपियोडेमिऑलॉजिकल स्थिति				
क्र	विवरण	2013	2014	दिसं. 2015 तक
1	रक्तपट्टी संग्रहण एवं परीक्षण	3776658	3942498	3772847
2	सकारात्मक	110145	128993	144698
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	89418	108874	124184
4	रक्त पट्टी सकारात्मक दर	2.92	3.27	3.84
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	4.18	4.72	5.21
6	रक्त पट्टी फेल्सीपेरम दर	2.37	2.76	3.29
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	81.18	84.40	85.82
8	मृत्यु	43	53	21

14.56 गैर संचारी रोग नियंत्रण

योजना का उद्देश्य गैर संचारी रोगों हृदय रोग, मधुमेह, आघात, कैंसर आदि के प्रभावी नियंत्रण हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। इस तरह के रोग मुख्य रूप से अस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और तंबाकू के उपयोग से तथा जीवन शैली के संबंधित कारकों के परिणाम से होता है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम/नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावी रूप से सुनिश्चित करके रोगियों की सेवा करना है।

1. गलगंड रोग का नियंत्रण

यह योजना वर्ष 2000 में गलगंड नियंत्रण और प्रबंधन के लिये प्रारम्भ की गयी थी, इस योजना के तहत रोग के परिचालन लागत और स्थापना व्यय को शामिल किया गया है।

वर्ष 2014-15 में 55.40 लाख का प्रावधान के विरुद्ध व्यय रू. 21.60 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रू. 55.40 लाख है।

2. सिकलसेल विकृति के नियंत्रण कार्यक्रम

इस योजना को सिकलसेल नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। जो इस योजना के संचालन और स्थापना की लागत में शामिल है।

वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू. 20.00 लाख के विरुद्ध व्यय रू. 42.78 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रू. 20.00 लाख है।

3. सिकलसेल विकृति नियंत्रण हेतु रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अनुदान

इस योजना के अंतर्गत सिकलसेल के नियंत्रण हेतु रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अनुदान प्रदान की जाती है।

सिकलसेल के नियंत्रण हेतु वर्ष 2014-15 में राशि रू. 17.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015-16 में राशि रू. 17.00 लाख प्रावधानित है।

14.57 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सभी कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों की पहचान कर मल्टी ड्रग थेरेपी सेवाओं के तहत उनके इलाज को पूरा करने और

तालिका 14.18 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम छत्तीसगढ़			
विवरण	31 मार्च 2015	नवंबर 2015	
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	8847	7674	
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	8605	5647	
उपचाररत मरीजों की संख्या	5941	7968	
विकृति सुधार शल्यक्रिया	171	110	

इस जानलेवा बीमारी पर एवं उसके प्रसार पर नियंत्रण हासिल करना है। प्रति 1 लाख की आबादी में वार्षिक नवीन मामले की दर 30 रोगी और प्रति 10000 आबादी पर प्रसार की दर 1 रोगी से कम करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है।

14.58 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ :-

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 में नये कुष्ठ खोजी दर 85.9 प्रति एक लाख जनसंख्या थी, जो कि माह मार्च 2015 में 33.82 प्रति एक लाख जनसंख्या है एवं मार्च 2003 में कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति दस हजार जनसंख्या थी जो मार्च 2015 में 2.27 प्रति दस हजार है। यह नियंत्रण राज्य में प्रभावी एवं क्रमबद्ध कार्य बनाकर करने से हुआ है। बहुऔषधि उपचार के

अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। राज्य बनने के बाद समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बहुऔषधि उपचार की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में औषधि की कोई कमी नहीं है तथा आगामी वर्ष तक के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे विकासखण्ड जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक था उन विकासखण्डों में परामर्श एवं सघन प्रचार-प्रसार अभियान 19 जुलाई 2015 से 02 अक्टूबर 2015 में अधिक प्रभाव दर वाले विकासखण्ड (72) में विशेष खोज अभियान चलाया गया है जिसके तहत क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लालपुर-रायपुर में चिकित्सा अधिकारियों एवं एन.एम.एस./एन.एम.ए. का कुष्ठ प्रशिक्षण दिया गया।

14.59 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

एचआईवी एक महामारी का राज्य में वर्तमान प्रसार 0.28 प्रतिशत है। जिसकी रोकथाम के लिये उपाय किये जा रहे हैं। मोबाईल सेवा वैन दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर में कार्य कर रही है। राज्य में 5 प्रमुख रक्त बैंक रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव और दुर्ग पर स्थापित किया गया है। नौ जिला स्तर पर एक रेडक्रास ब्लड बैंक भी कार्य कर रही है। दो ब्लड बैंक जशपुर और जांजगीर चांपा जिले में खोला जाना सुनिश्चित किया गया है। दो जोनल रक्त परीक्षण केन्द्र रायपुर और बिलासपुर में हैं। राज्य रक्त दान परिषद का गठन किया गया है। 19 एसटीडी क्लिनिक प्रारम्भ किया गया है और नारायणपुर में 1 क्लिनिक खोला जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी. की स्थिति :- नवम्बर 2015 तक

○ कुल एच.आई.वी. जाँच की संख्या:(ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या)	-1518554
○ कुल एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या:(ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या)	-22036
○ एच.आई.वी जाँच की संख्या (अप्रैल 14 से नवम्बर 2015)	-205794
○ एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या: (अप्रैल 15 से नवम्बर 2015)	-1573
○ पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत	-37%
○ पॉजिटिव पुरुषों का प्रतिशत	-63%
○ सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग	-25-49 वर्ष
○ सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत	-77%
○ कुल ए.एन.सी. जाँच (अप्रैल 14 से नवम्बर 2015)	-88584
○ कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव (अप्रैल 14 से नवम्बर 2015)	-102
○ राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल 14 से नव.2015)	-84%
○ HIV Careके लिए ART में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या	-16867
○ HIV Careके लिए ARTपर मरीजों की संख्या	-7937

तालिका 14.19 उपलब्ध सेवाएं—

केन्द्र	संख्या	स्थान
<i>ICTC (Integrated Counseling & Testing Centre)</i> समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र	114	मेडिकल कॉलेज — 6 जिला अस्पताल — 28 सामुदायिक स्वा. केन्द्र — 64 सिविल अस्पताल — 10 प्राथमिक स्वा. केन्द्र — 5 सहकारी अस्पताल — 1
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	16	जिला अस्पताल — 12 मेडिकल कॉलेज — 3 रेड क्रॉस, रायपुर — 1
ए.आर.टी. प्लस	01	रायपुर
ए.आर.टी. केन्द्र	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
लिंक ए.आर.टी. केन्द्र	06	महासमुंद, कोरबा, कांकेर, जाजगीर, जशपुर कोरिया
केयर एंड सर्पोट सेंटर	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लीनिक	29	मेडिकल कॉलेज — 3 जिला अस्पताल — 27
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम)	45	राज्य के 21 जिलों में संचालित
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	01	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
चलित समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जागदलपुर, अंबिकापुर
लिंक वर्कर स्कीम	04	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाव
<i>OST</i> सेंटर	04	बिलासपुर— 2 दुर्ग कोरबा

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

तालिका 14.20 वर्षवार कुल एचआईवी0 पॉजिटिव (जनवरी से दिसंबर 14)

वर्ष	कुल एचआईवी जाँच	एचआईवी पॉजिटिव (आईसीटीसी)	प्रतिशत
2003	3395	37	1.1
2004	2725	209	7.7
2005	4663	344	7.4
2006	8369	639	7.6
2007	25048	1119	4.5
2008	51333	1508	2.9
2009	108479	2184	2.0
2010	147482	2287	1.6
2011	144287	2563	1.8
2012	208522	2910	1.4
2013	251547	2838	1.1
2014	283346	3246	1.2
2015 (जन-नवम्बर)	292798	2152	0.8
कुल	1218554	22036	1.5

14.60 संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में प्रारम्भ किया गया है। लगभग 2.3 लाख टीबी रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। विकेन्द्रीकृत डॉट केन्द्रों पर 1.38 लाख रोगी का जीवन बचाया गया है। 27 जिले टीबी केन्द्रों, 85 उपचार इकाई और 345 नामित सूक्ष्म केन्द्र राज्य में निदान और निःशुल्क उपचार प्रदान कर रहे हैं। राज्य

में सभी 3 मेडिकल कालेजों में दवा प्रतिरोधी टी.बी. सेंटर है जहां मरीजों के लिये वार्ड भी है। तीन दिनों में एमडीआर टीबी का तेजी से पता लगाने एवं तीव्र जांच परख के लिए रायपुर में मान्यता प्राप्त इंटरमीडियेट संदर्भ प्रयोगशाला में नवीनतम नैदानिक उपकरण स्थापित किया गया है।

14.61 राष्ट्रीय दृष्टि हीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य में पन्द्रह जिला अस्पतालों और 3 मेडिकल कालेजों में इंट्रा नेत्र लेंस सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई है। मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में नेत्र बैंक सुविधा है। 2014-15 में विभाग द्वारा 89010 मोतियाबिंद सर्जरी के मुकाबले 76050 अर्थात् 85.43 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। इसके अलावा 24882 निःशुल्क चश्मे 15 लाख छात्रों की आंख जांच के पश्चात दिया गया है।

तालिका 14.21 राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	मोतियाबिन्द ऑपरेशन लक्ष्य	उपलब्धि	स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण	निःशुल्क चश्मे	नेत्र दान
2013-14	89000	83926	1156650	22225	111
2014-15	89000	76050	1213780	24882	238
2015-16 (दिस.15)	89010	70200	1010171	16759	182

14.62 एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

परियोजनांतर्गत संचारी और गैर संचारी रोग शामिल हैं। मलेरिया, तीव्र दस्त रोग, हैजा, टाईफाइड, टीबी, खसरा, पोलियो, प्लेग, इन्सेफलइटिस, श्वसन संकट, रक्त स्त्रावी बुखार, एचआईवी, एचबीवी, एचसीवी और विशेष रूप से संचारी रोगों पर नजर रखी जा रही है तथा कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, नवजात टिटनेस, डिप्थीरिया पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में (राज्यांश राशि) वर्ष 2014-15 में राशि रु. 80000.00 लाख प्रावधानित था जिसमें 49133.28 लाख उपयोग किया गया। वर्ष 2015-16 के लिये रु. 88000.00 लाख प्रावधानित है।

14.63 अन्य योजनायें

1. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड के कार्यक्रमों में 2 साल के लिये वैधता दी गई है। अक्टूबर 2012 के बाद से राज्य में यह योजना कार्य कर रही है। योजना में परिवार के मुखिया और अतिरिक्त 4 सदस्यों के प्रतिवर्ष 30000 रुपये की अधिकतम लाभ प्राप्त करने की सुविधा है। इस योजना के तहत अब तक 81270 लाभार्थियों की कुल लाभांशित किया गया है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रु. 5000.00 लाख के विरुद्ध व्यय रु.8800.00 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रु.5100.00 लाख है।

2. मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

शहरी लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जून 2012 में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्ष 2014-15 में 400.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015-16 में राशि 500.00 लाख प्रावधानित है।

3.स्वास्थ्य पंचायत योजना

यह योजना स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और स्थानीय स्वास्थ्य योजना में पंचायत और गांव स्तर के संस्थानों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से 2005-06में प्रारम्भ की गई है। बेहतर पुरस्कार देने के लिये आर्थिक रूप से कमजोर पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसमें कुछ अच्छे और कुछ पंचायतों में खराब प्रदर्शन भी हुये है। 125 ब्लॉक के 7000 ग्राम पंचायतों को 2012-13 से कवर किया गया है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू. 61.00 लाख के विरुद्ध व्यय रू. 81.07 लाख था। वर्ष 2015 -16 में परिव्यय रू. 61.10 लाख है।

4.नसबंदी कार्यक्रम

इस योजना में भारत सरकार समर्थित परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत परिवहन घटक पर होने वाले खर्च के लिये रखा जाता है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू. 130.00 लाख के विरुद्ध व्यय रू.9.72 लाख था। वर्ष 2015-16में परिव्यय रू.157.40 लाख है।

5.मानसिक चिकित्सालय

योजनान्तर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोसेफलोग्राफी उपचार शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में एमएससी नर्सिंग प्रारंभ कर दी है। जिसके तहत आयुष विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिल चुका है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू. 295.80 लाख के विरुद्ध व्यय रू.295.80 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रू.421.00 लाख के विरुद्ध जून 2015 तक व्यय रू.97.95 लाख है।

6.छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना

चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में प्राथमिक उपचार सहित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 102 महतारी एक्सप्रेस, 108 संजीवनी एक्सप्रेस राज्य भर में आपातकालीन सेवा चालू की गई है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू.2075.00 लाख के विरुद्ध व्यय रू.2075.00 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रू.3173.70 लाख है। वर्ष 2016-17 में प्रावधान रू. 4000.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। मितानिन स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने और उनके लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस योजना के उद्देश्य के साथ 2011 में प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2014-15 में परिव्यय रू.2500.00 लाख के विरुद्ध व्यय रू.2500.00 लाख था। वर्ष 2015-16 में परिव्यय रू.2500.00 लाख है।

7. चिकित्सा सेवा निगम

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम सभी मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरिक दवा, चिकित्सा उपकरणों और ईमारत के निर्माण की खरीद की सुविधा के उद्देश्य से 2010 के बाद से शुरू किया गया है। इस योजना में निर्माण और निगम की परिचालन लागत को शामिल किया गया। वर्ष 2014-15 में राशि रू. 100 लाख प्रावधानित था। वर्ष 2015-16 में राशि रू.100 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें जून 2015 तक कोई राशि का उपयोग नहीं किया गया।

8 .मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना

अप्रैल 2010 में प्रारम्भ किये गये इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी 15 वर्ष तक के सभी हृदय रोग पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। चयनित 7 रोगों वेंट्रीकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आट्रियल, सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालाजीऑफ फैलोटा,पेंटेड डक्टस आट्रियोसिस, पल्मोनेरी स्टेनोसिस, कोआर्कटेशन ऑफआरटा और आरडीएच विथ वाल्वूलर डिसिस के लिये राज्य के 6 अस्पताल अपोलो बीएसआर भिलाई, एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर, रामकृष्ण केयर हास्पिटल रायपुर, अपोलो अस्पताल बिलासपुर, नारायणा एमएमआई अस्पताल रायपुर और श्री बालाजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रायपुर को शासन द्वारा अनुबंधित किया गया है। वर्ष 2014-15 में राशि 500.00 लाख का प्रावधानित था। वर्ष 2015-16 में राशि 700.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

9 .निःशुल्क नमक प्रदाय योजना

इस योजना में प्रतिमाह 1 किलो की माप के साथ पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और शिशु के जन्म के बाद 3 महीने तक दिया जाता है। योजना के तहत अधिकतम 12 महीने तक लाभ दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में राशि 700 लाख प्रावधानित था। वर्ष 2015-16 में राशि 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि 1.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

14.64 केन्द्र प्रवर्तित योजना

1. बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की जरूरत को समझते हुये व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रारंभ करने हेतु एक मामूली प्रयास के रूप में इस योजना में बुढ़ापे में निवारक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2015-16 में राशि रु. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. कैंसर, मधुमेह, हृदय एवं अन्य रोगों के नियंत्रण

कैंसर, मधुमेह, हृदय एवं अन्य रोगों के नियंत्रण के लिये जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम राज्य में वर्ष 2010-11 से संचालित है। इस योजना के तहत वित्त पोषण राज्य में 75:25 प्रतिशत है वर्ष 2014-15 में राशि 26.20 लाख प्रावधानित था। वर्ष 2015-16 में राशि 25 लाख का प्रावधान है।

3.राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये अस्पतालों में भर्ती होने और सर्जरी से जुड़े रोगों के उपचार के एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा देखभाल के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया। अन्य लाभार्थियों के लिये योजना में सुधार किया गया। जिससे अब यह योजना भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, मनरेगा

के तहत अधिक से अधिक 15 या उससे अधिक दिनों तक काम कर रहे श्रमिकों, हॉकरों, बीड़ी मजदूरों, घरेलू कामगारों, रेल्वे कुली में, मुखिया और परिवार के अन्य 4 सदस्यों के लिये यह योजना रू. 30,000 हजार तक स्वास्थ्य बीमा कव्हर करती है। वर्ष 2012 में 264 परिवारों को और 324 निजी अस्पतालों की कुल योजना के तहत पंजीकृत किया गया। अब तक 3.08 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया। भारत सरकार ने रांची, झारखंड और केरल के राष्ट्रीय कार्यशालाओं में अपनी उपलब्धि के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2014-15 में राशि रू. 16800.00 लाख का प्रावधानित था, जिसमें राशि रू. 9080.76 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 में राशि रू.10944.00 लाख प्रावधान किया गया है।

4. बाल श्रवण योजना

यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया। जिसमें राशि रू. 200 लाख का प्रावधान है।

5. राज्य कैसर संस्थान

यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुई है। जिसमें राशि रू. 1000 लाख प्रावधान किया गया है।

6. बर्न एवं ट्रामा केयर सेंटर

यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुई। जिसमें राशि रू. 239 लाख का प्रावधान किया गया है।

7. मुख्यमंत्री बाल मधुमेह योजना

यह योजना 2015-16 में प्रारंभ हुई, वर्ष 2015-16में राशि रू. 300 लाख का प्रावधान किया गया है।

8. टी.बी. से रोगी संरक्षण रोग और आहार प्रदान करना

यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुई। वर्ष 2015-16 में राशि रू. 1200.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि रू.1300.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल रू. 3555.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रथम तीन वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रावधानित संशोधित परिव्यय रू. 2675.38 करोड़ के विरुद्ध 1992.36 करोड़ व्यय किया गया है। तीन वर्षों के अंतर्गत औसतन व्यय संशोधित परिव्यय का 74.47 प्रतिशत है। वार्षिक योजना 2015-16 के लिये प्रावधानित रू. 1125.65 करोड़ के विरुद्ध माह जून 2015 तक रू. 101.73 करोड़ व्यय किया गया है। चार वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत कुल रू. 3822.94 करोड़ का (अनुमोदित परिव्यय) प्रावधान किया गया है। योजना आकार में औसतन वार्षिक वृद्धि दर 18.47 प्रतिशत रही है।

महिला एवं बाल विकास

नवंबर 2000 को गठित नवराज्य छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति के पथ पर आगे ले जाने हेतु महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के प्रथम चार राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं बच्चों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है। राज्य की महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से संरक्षण के लिये राज्य की राजधानी रायपुर में भारत का पहला "वन-स्टॉप सेंटर" (सखी) 16 जुलाई 2015 से आरंभ किया गया।

14.65 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, बच्चे राष्ट्र का भविष्य :- बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना शुरू की गई। जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा उचित पोषण की आवश्यकता पूरी करना है। राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत 43591 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6387 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनके माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को छः प्रकार की सेवायें प्रभावी रूप से दी जा रही हैं तथा दुर्बल बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रति माह 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती हैं:-

तालिका 14.22 सेवाएं		
क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएं एवं 0-6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जाँच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0-6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0-6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें एवं शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती माताएँ, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15-45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की, 03-06 वर्ष तक के समस्त बच्च

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्ड:-

- ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :
 1. 400-800 जनसंख्या पर - 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
 2. 800-1600 जनसंख्या पर - 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
 3. 1600-2400 जनसंख्या पर - 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

- ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :
- 150-400 जनसंख्या पर — 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र
- आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :
- 300-800 जनसंख्या पर — 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
- मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :
- 150-300 जनसंख्या पर — 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

14.66 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण— आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है:—

तालिका 14.23 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण							
क्र.	केंद्र/परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005-06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007-08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (10-11) एवं 11-12	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	220	220
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	43763	43591
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	6548	6387
	योग (23)	21125	9148	6983	13055	50311	50198

आईसीडीएस अन्तर्गत पूरक पोषण आहार का प्रदाय—

- 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिये आहार :- इस श्रेणी के हितग्राहियों को टेक होम राशन पद्धति से खाने के लिए तैयार भोजन, मुर्दा लड्डू एवं डबल फोर्टिफाइड नमक दिया जाता है।
- हितग्राहियों में वृद्धि—राज्य गठन के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं को समुदाय के अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के प्रति जन-जागरूकता में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2000-01 में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 11.64 लाख थी। वहीं वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 24.94 लाख हो चुकी है।
- 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन:— आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले इन हितग्राहियों को साप्ताहिक मेन्यू अनुसार नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।

- खाने के लिए तैयार भोजन का निर्माण 1578 महिला स्वसहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन 21003 महिला स्वसहायता समूहों, के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ नमक योजना –06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के सामान्य तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय पूरक पोषण आहार मद से विभाग द्वारा किया जाता है।
- महतारी लइका नमक योजना –आंगनबाड़ी केंद्रों की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- वर्ष 2013–14 में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 5.22 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्ष के 21.42 लाख बच्चे, इस प्रकार कुल 26.63 लाख हितग्राही पोषण आहार से लाभान्वित हुए हैं। सितम्बर 2014 तक 4.60 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्ष के 20.58 लाख बच्चे, इस प्रकार कुल 25.18 लाख हितग्राही पोषण आहार से लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2015 में हितग्राहियों की संख्या 26.62 लाख हो गई है जो 2014 की तुलना में 4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

14.67 कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ – शासन द्वारा द्वारा सहस्रत्राब्दि विकास लक्ष्यों की चुनौती को स्वीकार करते हुए कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शासन समाज की सहभागिता को मानक सिद्धांत बनाते हुए कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत समुदाय में सुपोषण की अवधारणा को स्थापित करने हेतु प्रचार–प्रसार, समुदाय की सक्रिय सहभागिता तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली छः सेवाओं को प्रभाव पूर्ण रूप से हितग्राहियों तक पहुंचाने अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बच्चों में वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे मापदण्ड के अनुसार 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की दर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 47 प्रतिशत थी। कुपोषण के आंकलन हेतु प्रदेश में वर्ष 2012–13 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। मार्च 2015 में आयोजित किये गये वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण का स्तर 30.38 प्रतिशत है।

तालिका 14.24 नवजात मृत्यु दर का वार्षिक अनुमान		2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	भारत	53	50	47	44	42	40
	छ.ग.	57	54	51	48	47	46
पुरुष	भारत	52	49	46	43	41	39
	छ.ग.	57	50	48	47	46	45
महिला	भारत	55	52	49	46	44	42
	छ.ग.	58	57	54	50	47	47

कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनायें संचालित किये जा रहे हैं :-

- पूरक पोषण आहार कार्यक्रम (6 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं हेतु)
- सबला योजना (11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना (0 से 05 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)
- स्नेह शिविर (0 से 05 वर्ष के मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)
- सुपोषण चौपाल (0 से 05 वर्ष के मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)
- दत्तकपुत्री सुपोषण योजना (0 से 05 वर्ष के गंभीर कुपोषित बालिकाओं हेतु)
- नवाजतन योजना (0 से 42 माह के मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)

उपरोक्त सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समन्वित प्रयास से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

14.68 सबला योजना —. सबला योजना प्रदेश के 10 जिलों – रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिले में संचालित है। योजनान्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। योजना अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला त्यागी बालिकाओं तथा 14 से 18 वर्ष आयु समूह की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 165 ग्राम प्रति हितग्राही के मान से टेक होम राशन पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को रेडी-टू-ईट फूड का प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्वास्थ्य पोषण, प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल, गृह प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण, किशोरी दिवस आयोजन, सार्वजनिक सुविधाओं का एक्सपोजर विजिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आई.एफ.ए. तथा कृमि नाशक टेबलेट प्रदान एवं स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा का लाभ दिया जाता है।

तालिका 14.25 सबला योजनान्तर्गत गैर पोषण आहार मद में वर्षवार लाभान्वितों की जानकारी				
क्र	प्रशिक्षण मद	2012-12	2013-14	2014-15
1	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा	192891	199383	147350
2	स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा	115157	164708	101224
3	किशोरियों का प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य	160688	112864	112817
4	जीवन कौशल	108838	75866	73068
5	एक्सपोजर विजिट	34775	21903	25976
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण	5597	1244	1817
7	आई एफ ए	138468	217175	225732

गैर सबला जिलों में किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार – राज्य में सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त शेष सभी 17 जिलों में राज्य के निधि से किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। 2015-16 में 5.3 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु 86.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

14.69 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना— गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 06 जून 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ किया गया है।

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
2012-13	101237
2013-14	62054
2014-15	126751
दिसंबर 15 तक	77714

14.70 सुपोषण चौपाल — मातृ एवं बाल पोषण की स्थिति को बेहतर बनाए जाने के लिए एक नवीन गतिविधि सुपोषण चौपाल माह जनवरी 2015 से हमारे राज्य के 17 हाई बर्डन जिलों में विश्व बैंक सहायित परियोजना स्निप के तहत 28682 आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गतिविधियां जैसे गोदभराई, अन्नप्राशन और बालभोज के आयोजन में पंचायत, स्वसहायता समूह, मितानिन, किशोरी बालिकाएं व परिवारजनों को शामिल कर समुदाय की सक्रिय भागीदारी से बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ ही समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाओं एवं सेवाओं के फॉलोअप करने में सहयोग लिया जाता है। सुपोषण चौपाल के आयोजन के दौरान संदेश व प्रश्नोत्तरी की गतिविधि भी होती है जिसमें हितग्राही एवं उनके परिवार सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

14.71 नवाजतन योजना — नवाजतन योजना के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में सुपोषण मित्रों द्वारा अधिक से अधिक कम वजन वाले मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों के पालकों के ज्ञान एवं कौशल को स्थानीय संदर्भ में बेहतर कर उन्हें समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए तैयार कर बच्चों की स्थिति में छः माह में सुधार लाना लक्षित किया गया है। स्वसहायता समूहों/महिला मंडलों/स्वैच्छिक संस्थाओं/कार्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से अधिक से अधिक कुपोषित बच्चों को छः माह की अवधि में सामान्य स्तर पर लाया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय से 1990 स्व-सहायता समूह, 3060 सुपोषण मित्र की सेवाएँ ली जा रही हैं तथा 126 मुख्यमंत्री सुपोषण दूत भी कार्य कर रहे हैं।

तालिका 14.26 नवाजतन योजना के परिणाम

चरण	वर्ष	लक्षित बच्चों की संख्या	सामान्य स्तर पर आए बच्चों की संख्या	सामान्य स्तर पर आए बच्चों का प्रतिशत
प्रथम	2012 - 13	22329	7036	35.12
द्वितीय	2013 - 14	38291	16341	48.78
तृतीय	2014 - 15	63106	29363	46.53
चतुर्थ	2015 - 16	75600		

14.72 वजन त्यौहार — प्रदेश में कुपोषण के आंकलन हेतु 2012 से प्रत्येक वर्ष वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर वजन लेकर बच्चों के वजन की पूर्ण विवरण सहित वजन त्यौहार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाती है। वजन त्यौहार की वेबसाइट पर कोई भी पालक अपने बच्चों का पोषण स्तर जान सकता है। वर्ष 2015 में आयोजित वजन त्यौहार अंतर्गत 22 लाख से अधिक बच्चों के वजन साफ्टवेयर में दर्ज किये गये हैं। सम्पूर्ण भारत वर्ष में वजन त्यौहार का आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है।

14.73 किशोरी शक्ति योजना – प्रदेश के 17 जिलों दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर, बेमेतरा, बालोद में संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति परियोजना चयनित 300 किशोरी बालिकाओं को योजना परिचय, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी विषय, पोषण संबंधी विषय, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, किशोरी प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी विषय पर 06 दिवसीय प्रशिक्षण (06 माह की अवधि में प्रत्येक माह एक निश्चित दिवस) दिया जाता है। योजनान्तर्गत लक्षित बालिकाओं की संख्या 27600 है जिन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।

14.74 एनीमिया बचाव कार्यक्रम – किशोरवयीन बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु प्रदेश में 01 जुलाई 2013 से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 10 से 19 वर्ष आयु समूह के शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं को प्रति मंगलवार शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को प्रति शनिवार आंगनबाड़ी केन्द्र में आई.एफ.ए.टेबलेट प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष में दो बार— माह अगस्त एवं माह फरवरी में प्रथम शनिवार को कृमिनाशक (400 mg) दवाई शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं को शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र में वितरण किया जाता है।

14.75 ईसीसीई – दिनांक 20.09.13 को भारत शासन द्वारा ईसीसीई पालिसी को अंगीकृत किया गया है। जिसके तहत 03 से 06 आयु वर्ग के बच्चों को विकास अनुकूल शाला पूर्व शिक्षा संरचनात्मक रूप से देकर आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षा का स्तर निजी शालाओं के समकक्ष लाना है।

14.76 मॉडल आंगनबाड़ी :- शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को उन्नत करने, खेल उपकरण उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंतरिक साज-सज्जा द्वारा केन्द्रों को बाल सुलभ बनाने तथा स्वयं के भवन युक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये सामग्री क्रय करने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रति आंगनबाड़ी 10,000 रुपये के मान से 3300 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये कुल रुपये 330.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2014-15 तक कुल 6667 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु सामग्री/राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2015-16 में 3300 केन्द्रों का चयन मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में किया गया है।

14.77 आंगनबाड़ी सह क्रैश – आईसीडीएस योजना के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के तहत 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी सह क्रैश केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

14.78 फुलवारी :- प्रदेश के 85 आदिवासी विकास खण्डों में वर्तमान में कुल 2593 फुलवारी केन्द्र संचालित है। फुलवारी केन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु आबटित राशि को ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति तक हस्तांतरित करने हेतु एवं फुलवारी केन्द्रों तक राशि का प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। फुलवारी योजना के तहत पालकों की समिति द्वारा तय क्रय समिति आवश्यक सामग्री क्रय करती है तथा समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत को प्रेषित करती है। फुलवारी योजना समुदाय आधारित प्रबंधन है। इसके लिए वर्तमान में 30 करोड़ का बजट

प्रावधान है। गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को आवश्यक सलाह प्रदान करना, हितग्राही बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इस योजना के मुख्य कार्य है।

14.79 एकीकृत बाल संरक्षण (ICPS) योजना –एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत घुमन्तू, जरूरतमंद, बेसहारा तथा फुटपाथ में रहने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई है राज्य में बच्चों की सुरक्षा तंत्र को सृष्ट करने तथा किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी प्रकार की सुविधायें मुहैया करायी गई है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों में मुख्य रूप से निम्नानुसार शामिल है :-

- बच्चों से संबंधित मामलों व योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बाल संरक्षण समिति गठित की गई है। जिसे सभी वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।
- राज्य स्तर पर बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से सभी विभागों के मध्य समन्वय, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की निगरानी तथा बाल देखरेख कार्यक्रम के लिए 13 पद स्वीकृत किये गये है।
- जिला कलेक्टर की अगुवाई में जिला बाल संरक्षण इकाई गठन हेतु 378 पदों की संशोधित पदसंरचना स्वीकृत की गई है तथा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है।
- विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों के लिए राज्य में पूर्व में 6 बाल संरक्षण गृह संचालित थे। कोरबा, रायगढ़, जशपुर एवं दंतेवाड़ा में नवीन बाल संरक्षण गृहों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी वर्ग के 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पृथक से सुरक्षित गृह की व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में सुरक्षित गृहों के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शासकीय बाल गृहों के संचालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए 102 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन गृहों में परामर्शदाता एवं सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर रूप से बच्चों के संपर्क में रहकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ेंगे।
- राज्य में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 40 बाल गृहों के संचालन के लिए 755 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन गृहों में भी शासकीय बाल गृहों की तरह बच्चों को समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 15 बाल गृहों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।
- वर्तमान में प्रदेश में बच्चों के लिए 5 खुला आश्रय गृह संचालित है। इस वर्ष से दंतेवाड़ा, सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर एवं जशपुर में खुला आश्रय गृह प्रारंभ किये गये है।

- दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने हेतु पूर्व से संचालित 5 जिलों के अतिरिक्त महासमुन्द, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कवर्धा में दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी प्रारंभ किये गये हैं।
- बच्चों की गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम के अन्तर्गत स्पान्सरशिप, फास्टरकेयर कार्यक्रम एवं पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम से बच्चों को बाल देखरेख गृहों से अलग रखते हुए पारिवारिक माहौल में रखा जा सकेगा। इस हेतु हितग्राहियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
- सभी बाल देखरेख संस्थाओं में कपडे, बिस्तर तथा भोजन के संबंध में एक समान मानक लागू करने हेतु समिति द्वारा मानक मापदण्ड/डाइट चार्ट तथा बच्चों में रचनात्मक अभिरूचियों के विकास के लिए वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार कर लागू किया गया है। पंचायत स्तर पर देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता तथा बच्चों की परिस्थितियों के आंकलन के लिए सर्वेक्षण कराया गया है।
- राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा में चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- बच्चों के प्रकरणों के निपटारे के लिए राज्य के सभी 27 जिलों में बालक कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है।

14.80 कन्याओं को बचाने एवं उन्हें पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान—बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ योजना—

भारत शासन द्वारा पूरे देश के 100 चयनित जिलों, जिसमें छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दिनांक 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया है। रायगढ़ जिले में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 943 है जो राज्य के सभी जिलों से न्यूनतम है यद्यपि यह राष्ट्रीय औसत 918 से अधिक है। रायगढ़ जिले के 361 पंचायतों में अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु गुड्डा/गुड़िया बोर्ड लगाये गये हैं।

14.81 नोनी सुरक्षा योजना (लाडली लक्ष्मी योजना) —

बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिये राज्य में 'नोनी सुरक्षा योजना' 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरान्त जन्मी अधिकतम 2 बालिकाएं पात्र होंगी। पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपये परिपक्वता राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत 10 हजार से अधिक हितग्राहियों का चिन्हांकन किया गया है।

14.82 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – यह योजना निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों के निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकने एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, विवाहों से दहेज के लेन-देन की रोकथाम करने आदि के उद्देश्य से संचालित है। योजना अंतर्गत पात्र कन्या को 11500 रुपये की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में तथा 1000 रुपये चेक/ड्राफ्ट के रूप में एवं 2500 रुपये प्रति कन्या विवाह आयोजन पर इस प्रकार कुल 15000 रुपये की सहायता राशि देय होती है। योजना आरम्भ से अब तक 61636 कन्याओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 10 हजार कन्याओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

क्र.	वर्ष	कुल लाभान्वित
1	2012-13	9518
2	2013-14	7818
3	2014-15	6197

14.83 स्व सहायता समूहों का पंजीयन/प्रशिक्षण/सशक्तिकरण एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण।

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 15-08-2003 से यह योजना संचालित है जिसमें केवल 3 प्रतिशत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की ऋण स्वीकृति की जाती है। योजना प्रारंभ से अब तक समूहों को 51 करोड़ 54 लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
मार्च 2013 तक	23576	36.22 करोड़
मार्च 2014 तक	24800	39 करोड़

सक्षम योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में “सक्षम योजना” आरंभ की गई है जिससे ऐसी महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर आसान किश्तों में की जाती है। ऋण की स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किये गये हैं।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
मार्च 2013 तक	661	3.89 करोड़
दिसंबर 2014 तक	882	5.15 करोड़

स्वावलंबन योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई जिससे निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाये हैं, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने हेतु आय उपाार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों एवं राशि की जानकारी तालिका में प्रदर्शित है।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
2012-13	138	412780
2013-14	172	774000

- **वन स्टॉप सेंटर (सखी)**— राज्य की महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से संरक्षण के लिये राज्य की राजधानी रायपुर में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी 16 जुलाई 2015 से आरंभ किया गया है ।

14.84 मध्याह्न भोजन रेडी टू ईट वितरण, गणवेश वितरण का कार्य — प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट उत्पादन एवं वितरण का कार्य समग्र रूप से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है इस कार्य में 1570 महिला स्व सहायता समूह लगे हुए हैं इसके अतिरिक्त 19409 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन भी दिया जा रहा है ।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम के अंतर्गत हितग्राहियों का पूरक पोषण आहार प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु टेक टू होम राशन के हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड की तर्ज पर पूरक पोषण आहार कार्ड प्रदाय किया गया ।

गणवेश वितरण का कार्य महिला स्व सहायता समूह को — अनुसूचित क्षेत्र की परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले 03 से 06 वर्ष आयु समूह के बच्चों को गणवेश प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । बजट उपलब्धता अनुसार परियोजनाओं का चयन कर हितग्राहियों को गणवेश उपलब्ध कराया जाता है । गणवेश सिलाई एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से कराये जाने हेतु स्थायी निर्देश जारी किये गये हैं । गणवेश हेतु कपड़ा छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित से क्रय कर महिला स्वसहायता समूह को उपलब्ध कराया जाता है ।

14.85 गिनी माता सम्मान:— राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला /स्वैच्छिक संस्था को गिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है । वर्ष 2015 के लिए यह सम्मान उर्मिला सोनवानी, गरियाबंद एवं संकल्प सांस्कृतिक समिति, रायपुर को संयुक्त रूप से दिया गया है ।

14.86 सुकन्या समृद्धि योजना :— इस योजना के तहत राज्य में महिला बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है एवं राज्य में अधिकाधिक बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु बैंक खाते खुलवाये जा रहे हैं ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मापदंडों एवं राज्य शासन के अवधारणानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराने एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संपादित करता है। विभागीय योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

14.87 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(1) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम :-

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19716 ग्रामों के 73848 बसाहटों में 257063 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 2587 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2774 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 54130 शालाओं एवं 27781 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
- सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना – ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहां पर सोलर पंप आधारित पेयजल योजना के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 1278 योजनाओं का क्रियान्वयन तथा आई.ए.पी. के 10 जिलों में एन.सी.ई.एफ. कार्यक्रम के अंतर्गत 981 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। जिसके माध्यम से ग्रामीणजनों को बिना परंपरागत बिजली के पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- शासन द्वारा पेयजल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 18 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला तथा 18 चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।
- राज्य के जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 18 ग्रामों के लिए रु. 28 करोड़ की पेयजल योजना तथा साजा, नवागढ़ एवं बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित 154 ग्रामों के लिए रु. 190 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों/बसाहटों में 549 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1841 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम :-

- 99 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 79 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

(3) पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था :-

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800-233-0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 887 प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जा चुका है। यह व्यवस्था सतत जारी है।

समाज सेवा

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबंधित दायित्वों का सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों की देख-रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख-रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

14.88 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- राज्य शासन द्वारा संचालित सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रू. 350.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :-

- 06 से 17 वर्ष आयुवर्ग के अध्ययनरत निःशक्त बच्चे।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150.00 राज्यांश सम्मिलित है।

(3) **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** :- योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रु. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(4) **सुखद सहारा योजना** :- इसके अन्तर्गत 18-39 वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को 350 रुपये प्रतिमाह-पेंशन राशि भुगतान की जाती है।

(5) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रु. 350.00 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में से राशि रु. 50.00 राज्यांश सम्मिलित है।

(6) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना** :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रु. 350.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में से राशि रु. 50.00 राज्यांश सम्मिलित है।

सारणी 14.27 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

पेंशन योजना	2014-15		2015-16 नवम्बर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	24503.83	549078	18050.87	536443
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18740.90	675681	12449.03	674388
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1849.80	9391	1247.80	6267
सुखद सहारा योजना	8471.95	250864	5898.90	243770
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	4827.51	138285	3370.54	145418
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	1294.25	36329	895.39	36262

14.89 अन्य सामाजिक योजनाएं :- समाज सेवा के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान-निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि बाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं।

14.90 निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना :- इस योजनान्तर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रु. 50 से 240 प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रु. 50 से 100 वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

14.91 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना :- इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवार्यें उनकी आय सीमा रु. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रु. 5001 से रु. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु दी जाती हैं।

14.92. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :- निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरुष के विवाह हेतु राशि रु. 21000 प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है।

14.93 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :- विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित है।

सारणी 14.28 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2014-15		2015-16 नवम्बर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	317.32	2328	130.99	2435
निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	79.32	13150	14.12	5102
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	68.34	2369	14.06	1015
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	130.00	619	65.10	310
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं	929.18	1117	533.73	1012

14.94 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को "अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस" के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 21 वृद्धाश्रम संचालित है। जहाँ 499 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

14.95 छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना :- योजना 04 दिसंबर 2012 से प्रभावशील है। योजनांतर्गत छत्तीसगढ़के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक) को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति

सामान्यतः अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) भारत में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों के विभिन्न समूहों को दिया पदनाम हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और विभिन्न समूह एक या अधिक श्रेणी में नामित है। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दलित वर्ग के रूप में जाने जाते थे।

आधुनिक युग में, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यदाकदा "दलित" वर्ग जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए "आदिवासी" वर्ग प्रयोग किया जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भारत की आबादी का, क्रमशः 16.6 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत शामिल है। भारतीय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 अनुसार 29 राज्यों में 1108 जातियों का तथा भारतीय संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 अनुसार 22 राज्यों में 744 अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ में देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 7.48% जबकि अनुसूचित जाति का 1.63% है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का क्रमशः 12.82% तथा 30.62% है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की 44 सूची में 102 जातियां तथा अनुसूचित जनजाति की 42 सूची में 146 जनजातियाँ हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया गया है।

तालिका 10.29 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसँख्या

कुल	छत्तीसगढ़			भारत		
	जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित जनजाति	7822902	3873191	3949711	104545716	52547215	51998501
अनुसूचित जाति	3274269	1641738	1632531	201378372	103535314	97843058
ग्रामीण						
अनुसूचित जनजाति	7231082	3577134	3653948	94083844	47263733	46820111
अनुसूचित जाति	2511949	1258559	1253390	153850848	79118287	74732561
शहरी						
अनुसूचित जनजाति	591820	296057	295763	10461872	5283482	5178390
अनुसूचित जाति	762320	383179	379141	47527524	24417027	23110497

तालिका 10.30 लिंगानुपात

	छत्तीसगढ़						भारत					
	कुल	कुल	6 साल से नीचे			कुल	6 साल से नीचे			कुल	6 साल से नीचे	
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जनजाति	1020	1021	999	992	994	972	990	991	980	957	958	940
अनुसूचित जाति	994	996	989	967	970	954	945	945	946	933	936	922

तालिका 10.31 साक्षरता दर							
कुल		छत्तीसगढ़			भारत		
		जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित	जनजाति	59.09	69.67	48.76	58.95	68.51	49.36
अनुसूचित	जाति	70.76	81.66	59.86	66.07	75.17	56.46
	ग्रामीण						
अनुसूचित	जनजाति	57.57	68.36	47.06	56.89	66.8	46.94
अनुसूचित	जाति	68.97	80.48	57.46	62.85	72.58	52.56
	शहरी						
अनुसूचित	जनजाति	76.94	84.92	68.97	76.78	83.16	70.32
अनुसूचित	जाति	76.57	85.48	67.61	76.17	83.32	68.64

तालिका 10.32 कार्य बल भागीदारी दर (WPR)							
कुल		छत्तीसगढ़			भारत		
		जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित	जनजाति	52.82	57.19	48.53	48.72	53.87	43.51
अनुसूचित	जाति	45.24	52.14	38.31	40.87	52.75	28.3
	ग्रामीण						
अनुसूचित	जनजाति	54.08	57.73	50.51	50	54.32	45.64
अनुसूचित	जाति	48.07	52.64	43.49	42.4	52.87	31.31
	शहरी						
अनुसूचित	जनजाति	37.41	50.67	24.13	37.18	49.84	24.26
अनुसूचित	जाति	35.92	50.5	21.19	35.93	52.39	18.54

स्रोत- जनगणना कार्यालय

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इनकी स्थिति सुधारने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कल्याणकारी कार्य क्रियान्वित कर रही है। जिनमे से प्रमुख निम्नानुसार हैं :-

14.96 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास :-

- (1) **शालेय शिक्षा:-** राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएँ संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा 14533 प्राथमिक शालाएँ, 5379 माध्यमिक शालाएँ, 884 हाई स्कूल, 454 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 13 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 गुरुकुल विद्यालय एवं 14 खेल परिसर संचालित हैं।
- (2) **राज्य छात्रवृत्तियाँ:-** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।
- (3) **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :-** कक्षा 11वीं एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- (4) **अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ:**— अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र-छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।
- (5) **छात्रावास:**— प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1633 ग्री मेट्रिक एवं 403 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।
- (6) **आश्रम शाला योजना :**— प्रदेश के वनोच्चल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा नहीं है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 710 एवं अनु. जनजाति के लिए 1175 आश्रम शालाएँ संचालित है।
- (7) **निःशुल्क गणवेश प्रदाय:**— अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक-बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।
- (8) **छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय:**— नवमी एवं दसवीं में अध्ययनरत् छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दी गई है।
- (9) **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना:**— योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रु. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- (10) **अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :**— सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।
- (11) **स्वरोजगार योजना:**— योजनांतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर स्वरोजगार हेतु अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास के माध्यम से ऋण दिया जाता है।
- (12) **मध्याह्न भोजन योजना :**— प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।
- (13) **अशासकीय संस्थाओं को अनुदान:**— अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।
- (18) **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना:**— इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी

छात्र/छात्राओं को जो दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 15 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

- (19) **स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना:**— विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
- (20) **वाहन चालक प्रोत्साहन योजना:**— अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है।
- (21) **एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना:**—योजनांतर्गत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के युवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।
- (22) **सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना:**— अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रु. 1.00 लाख एवं रु. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रु. 0.20 लाख राशि प्रदान की जाती है।

तालिका 10.33 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति (राशि लाख रु.)

वर्ग	2014-15 (Sep)		2014-15		2015-16 (Sep)	
	भौतिक		भौतिक			
राज्य छात्रवृत्तियाँ						
अनुसूचित जाति	205380	1720	513452	5070.15	211541	1708
अनुसूचित जनजाति	421037	1400	1052593	10509.09	433668	2800.00
पिछड़ा वर्ग	456820	2120	1142052	4833.4	470520	2200.00
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ						
अनुसूचित जाति	35643	2100.00	89108	4938.84	—	—
अनुसूचित जनजाति	54622	2741.48	136557	6208.12	—	—
पिछड़ा वर्ग	99152	5012.09	247882	8808.37	—	—
अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ						
अनुसूचित जाति	7038	100.00	17597	406.77	7742	162.00
छात्रावास						
अनुसूचित जाति	14671	471.31	16296	1873	14874	713.00
अनुसूचित जनजाति	60033	2037.11	64760	5140	59793	2870.07
पिछड़ा वर्ग	358	14.16	378	35	378	14.00
आश्रम स्कूल योजना						
अनुसूचित जाति	2987	92.30	2990	253.19	3026	145.25
अनुसूचित जनजाति	74462	249.40	74717	5664.14	75136	3244.50

तालिका 10.34 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना

अनुसूचित जाति	300	45.00	300	45.00	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित
अनुसूचित जनजाति	700	105.00	700	105.00	.	.

तालिका 10.35 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति (राशि लाख रू.)

वर्ग	2013-14 सितंबर		2013-14 मार्च		2014-15 सितंबर	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
निःशुल्क गणवेश प्रदाय						
अनुसूचित जाति	47587	335.00	47587	335.00	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित
अनुसूचित जनजाति	411852	2431.98	411852	4093.00	.	.
विशेष पिछड़ी जनजाति
पिछड़ा वर्ग	202648	1070.69	202648	1100	.	.
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना						
अनुसूचित जाति	8806	44.03	36000	180.00	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित
अनुसूचित जनजाति	16150	80.75	92768	463.84	.	.
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम						
अनुसूचित जाति	240	85.00	478	71.08	178	62.50
अनुसूचित जनजाति	205	95.00	431	195.04	193	53.20
मध्याह्न भोजन योजना						
छात्र/छात्राएं	1470494	9624.98	1495920	20538.80	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित	शिक्षा विभाग को हस्तांतरित
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान						
अनुसूचित जाति	03	172	06	488.04	03	191.00
अनुसूचित जनजाति	30	2137.89	111	5896.10	30	2405.72
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कार्य	1605	3698.72	489	111.40	.	.
स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना						
अनुसूचित जाति	3987	16.00	5416	22.06	5416	16.00
अनुसूचित जनजाति	59357	38.00	65147	95	65147	34.50
वाहन चालक प्रोत्साहन योजना						
अनुसूचित जाति	33	4.50	6	1.00	.	.
अनुसूचित जनजाति	33	4.50	6	1.00	.	.
एयर होस्टेस प्रशिक्षण योजना						
अनुसूचित जाति	.	.	44	15.42	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
अनुसूचित जनजाति	.	.	17	5.49	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना						
अनुसूचित जाति	70	7.00	76	12.50	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
अनुसूचित जनजाति	102	17.00	125	18.20	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन

14.97 नागरिक पंजीयन प्रणाली :-

“हर व्यक्ति को गिने जाने का और उनके जन्म और मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त किए जाने का अधिकार है।”



सिविल पंजीकरण एवं जीवनांक सांख्यिकी (CRVS) महत्वपूर्ण घटनाओं (जैसे— जन्म, मृत्यु, मृत्यु के कारण, गोद लेना, शादी इत्यादि) की सार्वभौमिक, अनिवार्य विशेषताओं की स्थायी रिकॉर्डिंग है। इस प्रक्रिया में राज्य या देश की कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार विनियमन के माध्यम से व एकत्र आंकड़ों के संकलन के माध्यम से जीवनांक सांख्यिकी उत्पन्न की जाती है। CRVS एक स्थायी रिकार्ड है जो नागरिकों को उनके कानूनी अस्तित्व को साबित करने में मदद करता है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत इस देश के नागरिक या भारत में हर जन्म और मृत्यु घटना पंजीकृत होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु पंजीकरण राज्य शासन के “ छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम 2001” के नाम से राज्य में लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को लागू करने व इसकी निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है, जबकी वास्तविक पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा व शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है व सभी सरकारी संस्थानों को उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले जन्म-मृत्यु की घटनाओं के लिए रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।


पिछले कुछ वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में CRVS का पुनोत्थान हुआ है। इन ठोस प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ में होने वाली जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के स्तर एवं भारत के सभी राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ के पद में काफी सुधार हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों में जिला विशिष्ट स्तर में भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण में सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में जिलों में पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप थोक में देरी के पंजीकरण, *delayed registration* को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।




टिप्पणी: (()) में दर्शित संख्या छत्तीसगढ़ का रैंक दर्शित करता है।


जन्म पंजीकरण स्तर 2012




जन्म पंजीकरण स्तर 2013



जन्म पंजीकरण स्तर 2014




जन्म पंजीकरण स्तर 2015 (MIS Data)




टिप्पणी- विलंबित पंजीयन एवं घटना के स्थान पर पंजीकरण के कारण पंजीयन स्तर 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।


जन्म पंजीकरण स्तर 2012




जन्म पंजीकरण स्तर 2012



मृत्यु पंजीकरण स्तर 2012



मृत्यु पंजीकरण स्तर 2013



टिप्पणी- विलंबित पंजीयन एवं घटना के स्थान पर पंजीकरण के कारण पंजीयन स्तर 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

ଅଧ୍ୟାୟ

୧୮

ମହାଭାରତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ
ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଧ୍ୟାୟ

15. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

मुख्य बिन्दु

- नीति आयोग के गठन से राज्य योजना आयोग की भूमिका में बदलाव
- 12वीं पंचवर्षीय योजना 2015–16 हेतु अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 57.44% सामाजिक क्षेत्र हेतु
- वार्षिक योजना 2015–16 में TSP Component 35.34% तथा SCSP Component 14.12%
- संचालित योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास।

भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। फलस्वरूप इसकी भूमिका में बदलाव आ गया है। वर्तमान में नीति आयोग को Think-Tank संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और आयोजन का सम्पूर्ण दायित्व राज्यों पर होगा। इस बदली हुई परिस्थिति में राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राज्य के सीमित संसाधन एवं स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप योजना बनाने का दायित्व आयोग पर होगा। परिवर्तित स्थिति में राज्य योजना आयोग के दायित्व में विस्तार होने के कारण नवीन प्रस्तावित कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:-

1. राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के समावेशी विकास में इसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना।
2. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उसका समाधान ढूँढना तथा उपयुक्त सुझाव प्रदान करना।
3. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय तथा सामाजिक असंतुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना।
4. राज्य हेतु दीर्घ अवधि एवं वार्षिक योजना बनाना तथा समयानुसार नियोजन के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
5. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गठित विभागों के विभागीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करना।
6. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनरावलोकन करना तथा नीतियों और उपयोग में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरूरी हो।
7. विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन को गति देते हुए ग्राम स्तर से सूक्ष्म नियोजन करने के लिए जिलों का क्षमता विकास एवं क्रियान्वयन के लिए सहयोग करना।
8. कार्यों के उचित संपादन के लिए टॉस्क फोर्स, कार्यकारी समूह/आर्थिक एवं शोध संस्थाओं/सलाहकारों के माध्यम से ऐसे अध्ययन सर्वेक्षण एवं शोध जैसा भी आवश्यक हो करवाना।
9. नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना, तथा
10. ऐसे अन्य कार्य, जो राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किये जायें।

12 वीं पंचवर्षीय योजना

राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी गयी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश और प्रदेशों का विकास पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता है। 12^{वीं} पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल रु. 131728.00 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

तालिका 15.1 पंचवर्षीय योजनाएं— परिव्यय एवं व्यय की स्थिति (राशि— करोड़ रूपये में)				
क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का प्रक्षेपित परिव्यय	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक संशोधित परिव्यय	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	8283.74	8905.93	7402.55
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	2240.15	2224.98
3.	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	3313.50	2823.11	1400.30
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	5277.01	4843.88
5.	ऊर्जा	7337.03	3380.00	3226.79
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	910.90	916.32
7.	यातायात	13017.31	6934.49	5939.12
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2840.14	1727.46	1456.75
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	1502.08	1328.24
10.	सामाजिक सेवायें	61260.26	33955.83	28129.87
11.	सामान्य सेवायें	0.00	920.86	385.69
12.	एकमुश्त केंद्रीय सहायता योग	0.00	0.00	175.66
		118852.00	68577.82	57430.15
13.	स्थानीय निकायों के संसाधन	4421.00	0.00	0.00
14.	PSEs	8455.00	0.00	0.00

प्रथम तीन वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रावधानित संशोधित परिव्यय रु. 68577.82 करोड़ के विरुद्ध रु. 57430.15 करोड़ व्यय किया गया है जो 83.74 प्रतिशत है।

वार्षिक योजनाएँ

वार्षिक योजना 2014-15 के पुनरीक्षित परिव्यय रु. 25596.95 करोड़ के विरुद्ध रु. 21347.80 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि कुल परिव्यय का 82.94 प्रतिशत है। सामाजिक सेवायें, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, सामान्य आर्थिक सेवायें तथा विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हेतु आंबटित राशि का केवल क्रमशः 73.44, 68.12, 35.36 तथा 13.25 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है। यही कारण है कि योजना का व्यय कुल परिव्यय के विरुद्ध कुछ कम परिलक्षित होता है।

तालिका 152 वार्षिक योजनाएं – परिव्यय एवं व्यय की स्थिति (राशि करोड़ रूपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2013-14			वार्षिक योजना 2014-15			वार्षिक योजना 2015-16	
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	प्रस्तावित राशि	क्षेत्रक प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	2304.98	1709.82	74.18	4072.76	3405.35	83.61	1326.31	4.46
2	ग्रामीण विकास	993.53	770.01	77.50	982.78	2315.22	235.58	1258.36	4.23
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	840.43	518.43	61.69	859.50	143.97	16.75	211.32	0.71
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2088.85	1734.45	83.03	1898.59	1511.36	79.60	2171.72	7.30
5	उर्जा	924.36	801.71	86.73	580.36	1174.19	202.32	2256.10	7.58
6	उद्योग तथा खनिकर्म	289.48	307.99	106.39	327.24	367.06	112.17	548.81	1.84
7	यातायात	2589.25	1906.11	73.62	2900.21	2445.73	84.33	3920.04	13.18
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	530.77	493.01	92.89	573.61	413.62	72.11	587.56	1.97
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	675.99	634.86	93.92	163.03	58.68	35.99	158.62	0.53
10	सामाजिक सेवायें	11756.84	9396.06	79.92	13865.31	9388.95	67.72	17090.72	57.44
11	सामान्य सेवायें एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	255.67 59.00	101.70 59.00	39.78 100.00	274.95 116.66	45.02 116.66	16.37 100.00	223.58 0.00	0.75 0.00
	योग	23309.14	18433.16	79.28	26615.00	21385.83	80.35	29753.15	100.00
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1940.86							
	कुल योग	25250.0	18433.16	73.00	26615.00	21385.83	80.35	29753.15	100.00

वार्षिक योजना 2015-16 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रू. 29753.15 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रू.1326.31 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए रू. 1258.36 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए रू. 2171.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 57.44 प्रतिशत राशि रू.17090.72 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास हेतु योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान

नीति आयोग (योजना आयोग) भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में योजनाओं में प्रावधान किया जाना है। प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 30.62 तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82 है। वार्षिक योजना 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के लिए (टीएसपी कम्पोनेन्ट) 35.34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए (एससीएसपी कम्पोनेन्ट) 14.12 प्रतिशत रखा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है—

तालिका 15.3 (करोड़ रुपये में)

क्र.	प्रमुख क्षेत्रक कम्पोनेन्ट	वार्षिक योजना वर्ष 2015-16		
		अनुमोदित राशि	टीएसपी कम्पोनेन्ट	एससीएसपी कम्पोनेन्ट
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	1326.31	387.05	116.32
2	ग्रामीण विकास	1258.36	430.58	564.07
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	211.32	211.03	0.00
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2171.72	615.93	324.60
5	उर्जा	2256.10	869.99	422.96
6	उद्योग तथा खनिकर्म	548.81	110.39	67.89
7	यातायात	3920.04	1288.89	561.01
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	587.56	266.15	75.15
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	158.62	29.03	10.01
10	सामाजिक सेवायें	17090.72	6276.87	2059.73
योग		29753.15	10513.42	4201.74
प्रतिशत			35.34	14.12

जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73^{वें} एवं 74^{वें} संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2016-17 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं जनवरी, 2016 तक प्राप्त किया जाना है।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियां

1. यूनीसेफ तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2016-17 के निर्माण के लिए जिले के स्थिति विश्लेषण हेतु निर्धारित सात क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, उर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार किया गया है।
2. विकेन्द्रीकृत योजना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भारत सरकार-UNDP की परियोजना-“विकेन्द्रीकृत योजना हेतु क्षमता संवर्धन (Strengthening Capacities for Decentralised Planning - SCDP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3. DPC के सदस्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन “प्रिया” संस्था द्वारा जिला योजना समिति (District Planning Committee_DPC) के सदस्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन राज्य योजना आयोग के तत्वाधान में किया गया। जिसके आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, अंतिम रिपोर्ट आवश्यक संशोधनों के साथ शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में DPC के कार्यों के नियमन पर जोर दिया गया है।
4. जेण्डर एकीकृत विकेन्द्रीकृत जिला योजना प्रशिक्षण – इसके अंतर्गत तीन जिलों के अधिकारियों को “प्रिया” संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

5. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु क्षमता संवर्धन – राज्य द्वारा संचालित पाँच योजनाओं NRDWP, SBM&G, MDM, NSAP, TPDS के सामाजिक अंकेक्षण हेतु परियोजना के संचालन वाले जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। दो जिलों में पायलेट आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation):—

प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक की सहायता से वेब आधारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है। साफ्टवेयर पूर्णता की स्थिति में है। पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में सॉफ्टवेयर का परीक्षण चल रहा है। इन विभागों के द्वारा सॉफ्टवेयर के उपयोग पश्चात अंतिम रूप से सभी विभाग द्वारा इसे उपयोग में लाया जावेगा। पद्धति के विकास पश्चात कम्प्यूटर की एक क्लिक पर योजनाओं की प्रगति की जानकारी अनुश्रवणकर्ता अधिकारी के समक्ष होगी। राज्य जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों संबंधी अद्यतन जानकारी इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। योजनाओं में हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा। साथ ही यदि किसी योजना की प्रगति आशातीत नहीं हो तो योजना में बाधा कहां पर आ रही है जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। हितग्राही मूलक एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के योजनाओं की प्रकृति भिन्न-भिन्न होते हुये भी इन सभी का अनुश्रवण इस पद्धति के द्वारा किया जाना संभव हो सकेगा।

छत्तीसगढ़
एक दृष्टि में

16

अध्याय

16. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

छत्तीसगढ़ 135,192 वर्ग किलोमीटर (सर्वे ऑफ इंडिया अनुसार) क्षेत्रफल के साथ भारत का दसवां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का सोलहवां बड़ा राज्य है। 01 नवंबर 2000 को अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के छत्तीसगढ़ी बोली वाले 16 दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ अलग होकर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 26^{वाँ} राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। रायपुर शहर को राज्य की राजधानी का दर्जा दिया गया, जो कि मुख्यतः व्यापार, अर्थव्यवस्था, और प्रशासन का केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमायें सात राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घिरी हैं। इन राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रभाव सीमावर्ती क्षेत्रों में स्पष्टतः देखा जा सकता है।

भौगोलिक क्षेत्र एवं समाजार्थिक अवलोकन

छत्तीसगढ़ राज्य 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°24' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है जिसकी अक्षांशीय लंबाई 700 कि.मी. तथा देशांतरीय लंबाई 435 कि.मी. है। यह राज्य भारतीय संघ के हृदयस्थल पर स्थित है, यहाँ से होकर कर्क रेखा (23 1/2°) उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय मानक समय (IST 82 1/2°) पूर्वी देशांतर रेखाएँ गुजरती है, जो की सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। समुद्री घोड़े की आकृति में प्रदेश के उत्तरी भाग में बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश अवस्थित है, मध्य भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में दंडकारण्य का पठार, पूर्व में पूर्वी उच्च भूमि व पश्चिम में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है।

प्रशासनिक संरचना

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 5 राजस्व संभाग, 27 जिले, 149 तहसील व 146 विकासखंड है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संरचना के अधीन 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत व 10971 ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका व 111 नगर पंचायत अवस्थित है।

जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ 16^{वें} स्थान पर है जो भारत संघ की कुल जनसंख्या का 2.11% है राज्य की जनसंख्या 1.28 करोड़ पुरुष जनसंख्या व 1.27 करोड़ महिला जनसंख्या के साथ 76.76% ग्रामीण जनसंख्या तथा 23.24% नगरीय जनसंख्या में विभाजित है। 22.61% दशकीय जनसंख्या वृद्धि के साथ राज्य में सकल लिंगानुपात 991 है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1001 एवं शहरी क्षेत्र का 956 है। 189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. जनघनत्व के साथ राज्य का संघ में 26 वां स्थान है। सर्वाधिक जनघनत्व जाँजगीर चांपा (421 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) व न्यूनतम जनघनत्व नारायणपुर जिला (20 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.) है।

साक्षरता

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, पुरुष साक्षरता दर 80.27% व महिला साक्षरता दर 60.24% है। जनगणना 2001 की तुलना में महिला साक्षरता दर में लगभग 8 % की अधिक वृद्धि हुई है। दुर्ग जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक 82.56% है।

जलवायु

छत्तीसगढ़ राज्य एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, जो की ऊष्ण आर्द्र जलवायु के साथ मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। राज्य में मानसून की शुरुआत जून माह में होती है तथा वर्षा जून से अक्टूबर माह तक होती है, यहाँ औसतन 125–150 से.मी. वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा कवर्धा क्षेत्र में होती है। ठंड नवम्बर माह से जनवरी माह तक पड़ती है इस मौसम में तापमान निम्न व आर्द्रता कम होती है तथा औसत तापमान 0–25°C होता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 45°C तक पहुँच जाता है, मई माह में सर्वाधिक गर्मी रहती है।

प्राकृतिक संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र पर्वतों से आच्छादित है, जबकि मध्य भाग उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। भारत के तीसरे बड़े वन क्षेत्रफल वाले राज्य के रूप में राज्य का 44% वन क्षेत्रफल के साथ भारत के सापेक्ष लगभग 8% वन क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। औषधीय वनोपज आदिवासी जनजीवन, कृषि प्रधानता, विद्युत उत्पादन, खनिज, पर्यटन आदि राज्य की विशेषता दर्शाता है।

वन राज्य की धरोहर है। साल (सरई) को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है, साथ ही वन भैंसा (वाइल्ड बफैलो) राजकीय पशु व पहाड़ी मैना (हिल मैना) राजकीय पक्षी के तौर पर विद्यमान है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में गंगा अपवाह तंत्र अवस्थित है, जहां रिहंद नदी प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार व पश्चिमी क्षेत्र में सतपुड़ा श्रेणी अवस्थित है, यह पर्वतीय पट्टी महानदी अपवाह क्षेत्र को गंगा अपवाह क्षेत्र से पृथक करती है। राज्य का मध्य मैदानी क्षेत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो अपनी उच्च उर्वरा क्षमता के लिए जाना जाता है, महानदी को राज्य की जीवनरेखा कहा जाता है। राज्य का दक्षिणी क्षेत्र गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दक्षिण क्षेत्र की जीवनरेखा इंद्रावती नदी है।

कृषि व उद्यानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य की 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं मुख्यतः कृषि व लघु उद्योगों पर निर्भर है। राज्य में बोयी जाने वाली फसलों में धान, मक्का, गेहूँ, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, दलहन, तिलहन प्रमुख हैं। धान के उत्पादन की अधिकता के कारण राज्य को “धान का कटोरा” कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में मूँगफली, सोयाबीन व व्यापारिक फसलों में गन्ना, तंबाकू आदि का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है।

खनिज

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है। मैनपाट पठारी क्षेत्र में बाक्साइट की प्रचुरता है, बैलाडीला का लौह अयस्क विश्व के सर्वाधिक उच्च किस्म के लौह अयस्क भंडारों में एक है। इसी प्रकार गरियाबंद जिले में मैनपुर एवं देवभोग क्षेत्र हीरे के प्रचुरता व लाटापार क्षेत्र एलेक्जेंड्राइट, दँतेवाड़ा का तोंगापाल क्षेत्र टिन, बलौदाबजार का सोनाखान क्षेत्र स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में चूनापत्थर की बहुतायत में उपलब्धता के कारण सीमेंट संयंत्रों की संख्या अधिक है। देश में लौह अयस्क के 18.67%, कोयले के 17.42%, टिन अयस्क के 37.69%, डोलोमाइट के 11.24%, चूना पत्थर के 5.15% व बाक्साइट के 5% भंडार है। समग्र देश में राज्य का लौह अयस्क, कोयले एवं डोलोमाइट के भंडारण में तीसरा, बाक्साइट के भंडारण में चौथा व चूना पत्थर भंडारण में पांचवां स्थान है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 38% इस्पात, 11% सीमेंट, 20% एल्यूमिनियम का उत्पादन हो रहा है, निकट भविष्य में इसके उत्पादन में वृद्धि संभावित है। इस प्रकार 16% भागीदारी के साथ यह राज्य खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है।

परिवहन

छत्तीसगढ़ में परिवहन हेतु सड़क, रेलमार्ग व वायुमार्ग की सुविधा उपलब्ध है। दिसंबर 2015 अंत की स्थिति में छत्तीसगढ़ में PWD सड़कों की कुल लंबाई 32232 कि.मी. है जिसमें राजमार्गों की लंबाई 3073 कि.मी., राज्य मार्गों की लंबाई 4374 कि.मी., मुख्य जिला सड़कों की लंबाई 11111 कि.मी., व ग्रामीण सड़कों की लंबाई 13674 कि.मी. है। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेलमार्ग से जुड़े हुए हैं, राज्य में रेलमार्ग की लंबाई 953 कि.मी. है। बिलासपुर में देश का 16^{वाँ} रेलवे जोन स्थापित है जो कि सर्वाधिक माल ढोने वाला रेलवे जोन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध है।

विद्युत

छत्तीसगढ़ राज्य सघन विद्युत क्षमता से सम्पन्न है जिससे अनेक उद्योग प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं, तथा राज्य की छवि देश में पावर हब के रूप में बनी है चूंकि यह राज्य भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है अतः विद्युत पारेषण हेतु सुविधाजनक है साथ ही साथ कोयले के विपुल भंडार होने के कारण विद्युत उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य का कोरबा जिला कई दशकों से ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 2425 मेगावाट है तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 1547 यूनिट है। राज्य में 97.38% गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं के साथ उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली मिल रही है। छत्तीसगढ़ किसानों को कृषि कार्य के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य 1 जनवरी 2008 से एकमात्र जीरो पावर कट राज्य के रूप में प्रतिष्ठित है।

पर्यटन

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सम्पन्न है। बस्तर के चित्रकोट एवं तीरथगढ़ जलप्रपात प्रसिद्ध है। चित्रकोट जलप्रपात भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में सिरपुर, मैनपाट, भोरमदेव, डिपाडीह, केशकाल घाटी, कैलाश गुफा, डोंगरगढ़ राजिम, बारसुर जैसे अनेक पर्यटन स्थल विद्यमान हैं। बस्तर का पारंपरिक दशहरा उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की प्रफुल्ल संस्कृति का परिचायक है। सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ अनेक विभिन्नताओं को सँजोये पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनायें रखता है। वर्तमान में राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से वन क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है जिससे राज्य के पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर चुका है। प्रशासनिक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा नवीनता लाने हेतु चिप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके अंतर्गत च्वाइस केन्द्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को लैपटाप तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला, विज्ञान, आदि विषयों के अंतिम वर्ष के छात्रों को टैबलेट दिया गया है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी 27 जिलों के शासकीय कार्यालयों को आपस में जोड़ दिया गया है।

स्वास्थ्य

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है राज्य गठन से अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर तक बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी गयी है। वर्तमान में राज्य में 24 जिला अस्पताल, 155 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 790 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5186 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। प्रदेश में 6 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में आपातकालीन सेवा हेतु संजीवनी एंबुलेंस 108, आसान प्रसव सुविधा मुहैया करने हेतु महतारी एंबुलेंस 102 सेवा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, टी. बी. के मरीजों के लिए अक्षय पोषण योजना, चिरायु योजना तथा कुपोषण दूर करने हेतु नवा जतन योजना जैसे अनेक योजनाएँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रियान्वित है। राज्य में शिशु मृत्यु दर सन् 2000 में 77 प्रति हजार थी जो घटकर 46 हो चुकी है।

उद्योग

वर्तमान में राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति 2014-19 प्रभावशील है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की तर्ज पर "मेक इन इंडिया" की भांति "मेक इन छत्तीसगढ़" के अंतर्गत विनिर्माण से संबन्धित उद्योगों को प्राथमिकता से बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र व औद्योगिक पार्क की

स्थापना की जा रही है, ग्राम रांवाभौंटा में मेटल पार्क, ग्राम हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क तथा ग्राम बगौदा में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है इसके अतिरिक्त राज्य में कई नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।

राज्यीय आय

छत्तीसगढ़ में सत्र 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2011-12, बाजार मूल्य अनुसार 20218017 लाख रुपए अनुमानित है, जबकि सत्र 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 18882990 लाख रुपए था। छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास की दिशा में गतिशील राज्य है, जहां जीडीपी वृद्धि दर सत्र 2015-16 में 7.07% है। राज्य में वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 81756 रुपए अनुमानित है जो की वर्ष 2014-15 में 73758 रुपए थी।



छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
भौगोलिक क्षेत्रफल(जनगणना प्रशासनिक संरचना)	000 वर्ग किमी.	135	135	135	135	135
अनुविभाग	संख्या	3	3	4	5	5
जिला	संख्या	16	18	27	27	27
तहसील	संख्या	96	149	149	149	149
नगर निगम	संख्या	6	10	10	10	12
नगर पालिका	संख्या	20	32	32	32	44
नगर पंचायत	संख्या	49	126	127	127	113
विकास खण्ड	संख्या	146	146	146	146	146
आदिवासी विकास खण्ड	संख्या	85	85	85	85	85
कुल ग्राम	संख्या	20379	20308	20306	20294	20199
ग्राम पंचायत	संख्या	9129	9734	9734	9733	10971
राजस्व निरीक्षक मण्डल	संख्या	.	257	257	257	257
जनसंख्या (जनगणना के अनुसार)	2001			2011		
कुल जनसंख्या	हजार संख्या		20834			25545
पुरुष	हजार संख्या		10474			12833
स्त्री	हजार संख्या		10360			12712
ग्रामीण	हजार संख्या		16648			19608
नगरीय	हजार संख्या		4186			5937
अनुसूचित जाति	हजार संख्या		2419			3274
अनुसूचित जन जाति	हजार संख्या		6617			7823
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग किमी.		154			189
स्त्री पुरुष अनुपात	प्रति ह पुरुष		989			991
साक्षरता दर	प्रतिशत		64.66			70.28
पुरुष साक्षरता दर	प्रतिशत		77.38			80.27
महिला साक्षरता दर	प्रतिशत		51.85			60.24
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	प्रतिशत		18.27			22.61
कृषि संगणना		2000-01		2005-06		2010-11
कृषि जोतों की संख्या	लाख	32.55		34.61		37.46
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	52.23		52.1		50.84
कृषि जोतों का आकार	हेक्टेयर	1.6		1.51		1.36

मद	इकाई	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
कृषि क्षेत्र						
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	4763	4697	4671	4686	4681
कुल बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	5325	5672	5691	5698	5728
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	977	1075	1449	1462	1468
कुल सिंचित क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	1042	1148	1725	1751	1787
कृषि उत्पादन						
1) अनाज						
धान	हजार मे. टन	2372	6638	7848	7103	7978
गेहूँ	हजार मे. टन	79	122	143	141	153
मक्का	हजार मे. टन	126	190	225	254	235
कोदो कुटकी	हजार मे. टन	32	26	24	21	21
अन्य अनाज	हजार मे. टन	17	19	16	14	16
कुल अनाज	हजार मे. टन	2626	6995	8256	7533	8403
2) दाल						
चना	हजार मे. टन	72	240	305	222	311
तुअर	हजार मे. टन	21	24	31	29	35
उड़द	हजार मे. टन	34	31	31	30	30
कुल्थी	हजार मे. टन	19	15	15	14	14
अन्य दालें	हजार मे. टन	140	239	177	190	315
कुल दाल	हजार मे. टन	286	549	559	485	705
खाद्यान्न (अनाज+दाल)	हजार मे. टन	2912	7544	8815	8018	9108
3) तिलहन						
सोयाबीन	हजार मे. टन	7	112	126	112	50
मूँगफली	हजार मे. टन	32	37	41	42	41
तिलधरामतिल	हजार मे. टन	17	19	17	17	19
सरसों	हजार मे. टन	27	21	24	27	25
अन्य तिलहन	हजार मे. टन	25	12	15	12	12
तिलहन	हजार मे. टन	107	201	223	210	147

मद	इकाई	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
मत्स्यकी						
मतस्योत्पादन	हजार मे. टन	अप्राप्त	228	256	285	314
आर्थिक गणना		2005		2013		
कुल उद्यम	हजार संख्या	638		773		
ग्रामीण क्षेत्र उद्यम	हजार संख्या	438		512		
नगरीय क्षेत्र उद्यम	हजार संख्या	200		261		
कुल कामगार	हजार संख्या	1515		1875		
पुरुष कामगार	हजार संख्या	946		1325		
महिला कामगार	हजार संख्या	569		550		
राज्यीय आय (आ. वर्ष.2011-12)		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव)*	लाख रु.	15807383	16723160	17509133	18882990	20218017
कृषि एवं संबन्धित (स्थिर भाव)**	लाख रु.	2685950	2850360	2932703	3212257	3227211
औद्योगिक क्षेत्र (स्थिर भाव)**	लाख रु.	7016612	7326445	7738552	8296098	8882620
सेवा क्षेत्र (स्थिर भाव)**	लाख रु.	5140421	5505498	5948676	6410450	7039198
प्रति व्यक्ति आय ***	रूपए	55177	61356	66438	73758	81756
भौगोलिक क्षेत्रफल(जनगणना)	000 वर्ग किमी	135	135	135	135	135
वन क्षेत्र	000 वर्ग किमी	59	60	60	60	60
आरक्षित वन	000 वर्ग किमी	24	26	26	26	26
संरक्षित वन	000 वर्ग किमी	31	24	24	24	24
अवर्गीकृत	000 वर्ग किमी	4	10	10	10	10
राष्ट्रीय उद्यान	संख्या	3	3	2	2	2
अभ्यारण	संख्या	11	11	8	8	8
टाइगर रिजर्व	संख्या	—	3	3	3	3
जैव मण्डल क्षेत्र	संख्या	—	1	1	1	1
पशु संगणना		2007		2012		
कुल पशुधन	लाख में	144.16		150.40		
कुल कुक्कुट	लाख में	142.45		179.54		
गौवंशीय पशु	लाख में	94.90		98.13		
भैंस वंशीय पशु	लाख में	16.04		13.90		
भेड़धेड़ी	लाख में	1.40		1.68		
बकराध्वकरी	लाख में	27.68		32.25		
सूअर	लाख में	4.13		4.39		
अन्य पशु	लाख में	0.01		0.036		

मद	इकाई	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
शैक्षणिक संस्थाएँ						
पूर्व प्राथ/प्राथमिकशाला	संख्या	29951	38160	38722	38767	38004
माध्यमिक शाला	संख्या	6033	16224	16572	16607	16692
उच्च माध्यमिक शाला	संख्या	1049	2260	2849	2753	2609
उच्चतर माध्यमिक शाला	संख्या	1250	2788	3177	3327	3715
शासकीय महाविद्यालय	संख्या	116	165	206	206	209
राज्य शासन प्रवर्तित विश्वविद्यालय	संख्या	2	11	12	12	13
केन्द्रीय विश्व विद्यालय	संख्या	—	1	1	1	1
निजी विश्व विद्यालय	संख्या	—	5	6	6	8
पोलिटेक्निक कालेज	संख्या	10	23	43	50	50
इंजीनयरिंग कालेज	संख्या	—	50	49	47	47
मेडिकल कालेज	संख्या	1	3	4	5	6
जनांकिकी		2001	2011	2012	2013	2014
जन्म दर	प्रति हजार जनसंख्या	26.5	24.9	24.5	24.4	अप्राप्त
मृत्यु दर	प्रति हजार जनसंख्या	8.8	7.9	7.9	7.9	अप्राप्त
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवितजन्म	77	48	47	46	अप्राप्त
स्वास्थ्य सेवायें						
जिला अस्पताल	संख्या	6	18	27	24	24
सिविल डिस्पेंसरी	संख्या	17	29	29	31	31
सामुदायिक स्वास्थ्यकेंद्र	संख्या	114	149	156	155	155
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	512	755	783	792	790
उप स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	3818	5111	5161	5180	5186
खनन						
कोयला	' 000 टन	50226	113824	117830	127095	134396
लौह अयस्क	' 000 टन	20016	29320	27963	29250	29418
बाक्सआईट	' 000 टन	557	2110	1818	1314	1566
चूना पत्थर	' 000 टन	13954	19241	20172	21217	23505
डोलोमाइट	' 000 टन	691	1593	1970	2638	2438
टिन	कि.ग्राम	12979	60643	47774	34862	24689
विद्युत						
अधिस्थापित उत्पादन क्षमता	मेगावाट	1360.20	1924.70	1924.70	2424.70	2424.70
कुल उत्पादन	मि.यूनिट	7372.45	14057.70	12465.99	12863.55	15931.29
कुल उपभोग	मि.यूनिट	4998.00	12139.13	14200.41	14789.89	17101.44
उद्धम क्षेत्र उपभोग	मि.यूनिट	2391.32	6019.08	5587.43	5783.44	6787.78

मद	इकाई	2000-01	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
कृषि क्षेत्र उपभोग	मि.यूनिट	635.32	1676.57	2517.35	2504.25	3133.21
घरेलू उपभोग	मि.यूनिट	1006.70	2958.01	3753.28	4097.16	4634.80
उपभोगकर्ताओं की संख्या	हजार संख्या	1892	3305	3803	4042	4296
घरेलू उपभोगकर्ता	हजार संख्या	1639	2958	3185	3360	3558
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	17910	19177	19224	19055	18487
बैंकिंग						
बैंक कार्यालयों की संख्या	संख्या	1042	1705	2084	2334	2454
जमा राशि	करोड़ रु.	7458	59032.73	87338.91	92771.84	105022.5
ऋण राशि	करोड़ रु.	2966	33022.25	49093.72	58630.22	67690.99
आर्थिक गणना		2005		2013		
कुल उद्यम	हजार संख्या	638		773.375		
ग्रामीण क्षेत्र उद्यम	हजार संख्या	438		512.295		
नगरीय क्षेत्र उद्यम	हजार संख्या	200		261.08		
कुल कामगार	हजार संख्या	1515		1874.796		
पुरुष कामगार	हजार संख्या	946		1325.018		
महिला कामगार	हजार संख्या	569		549.751		
पुलिस व्यवस्था						
केंद्रीय जेल	संख्या	4	5	5	5	5
जिला जेल	संख्या	2	10	10	10	10
उप जेल	संख्या	20	12	15	15	15

छत्तीसगढ़-भारत तुलनात्मक अध्ययन

मद	इकाई	छत्तीसगढ़	भारत	भारत से तुलना (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1. जनगणना (2011)				
1.1 कुल जनसंख्या	संख्या	255,45,198	12108,54,977	2.11
पुरुष	—"	128,32,895	6232,70,258	2.06
स्त्री	—"	127,12,303	5875,84,719	2.16
1.2 ग्रामीण जनसंख्या	—"	196,07,961	8337,48,852	2.35
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	%	76.76	68.86	.
1.3 नगरिया जनसंख्या	संख्या	59,37,237	3771,06,125	1.57
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	%	23.24	31.14	.
1.4 लिंगानुपात	प्रति ह जार पुरु षों पर महिला	991	943	.
1.5 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	%	22.61	17.70	.
1.6 साक्षरता दर	%	70.28	73.00	.
1.7 अनुसूचित जाति जनसंख्या	संख्या	32,74,269	2013,78,372	1.63
1.8 अनुसूचित जन जाति जनसंख्या	संख्या	78,22,902	1045,45,716	7.48
1.9 कुल श्रमिक	संख्या	121,80,225	4818,88,898	2.53
1.10 भौगोलिक क्षेत्र (जनगणना 2011)	वर्ग कि.मी.	1.35	32.87	4.11
2. कृषि (2013-14)				
2.1 प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (2013-14)				
(1) चाँवल	हजार हेक्टेयर	3,987.72	44,136	9.04
(2) गेँहू	—"	105.03	30,473	0.34
(3) ज्वार	—"	5.15	5,793	0.09
(4) मक्का	—"	123.43	9,066	1.36
(5) चना	—"	289.73	9,927	2.92
(6) तुअर	—"	52.82	3,905	1.35
(7) कुलअनाज	—"	4,359.35	99,829	4.37
(8) कुलखाद्य	—"	5,215.29	1,25,040	4.17
(9) मूँगफली	—"	29.19	5,505	0.53
(10) तिल	—"	17.02	1,679	1.01
(11) कुलतिलहन	—"	301.23	28,051	1.07
(12) गन्ना	—"	23.93	4,993	0.48
2.2 प्रमुख फसलों का उत्पादन (2013-14)				
(1) चाँवल	हजार मेट. टन	7,102.73	106645.54	6.66
(2) गेँहू	—"	140.76	95849.83	0.15
(3) ज्वार	—"	3.32	5541.8	0.06
(4) मक्का	—"	254.13	24259.51	1.05
(5) चना	—"	221.57	9526.31	2.33
(6) तुअर	—"	29.45	3174.4	0.93
(7) कुलअनाज	—"	7,532.74	245790.28	3.06
(8) कुलखाद्य	—"	8,018.37	265044.37	3.03
(9) मूँगफली	—"	42.34	9713.90	0.44
(10) तिल	—"	4.80	714.58	0.67
(11) कुलतिलहन	—"	209.77	32749.39	0.64
(12) गन्ना	—"	23.83	352141.83	0.01
2.3 कृषि संगणना (2010-11)				
कृषि जोतों की संख्या	लाख	37.46	1,377.57	2.72
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	50.84	1,591.80	3.19

मद	इकाई	छत्तीसगढ़	भारत	भारत से तुलना (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
कृषि जोतों का आकार	हेक्टेयर	1.36	1.16	.
3. 19वीं पशु संगणना 2012				
3.1 कुल पशुधन	हजार	150.39	5,121	2.94
3.2 कुल कुक्कुट	हजार	179.54	7,292	2.46
3.3 दूध का उत्पादन 2014-15	हजार टन	1,232	1,46,314	0.84
3.4 अंडे का उत्पादन 2014-15	करोड़	147.30	7848.40	1.88
4. वन (2014-15)				
4.1 कुल वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	59,772	7,71,821	7.74
5. आर्थिक गणना (2012-13)अनन्तिम				
(1) उद्यमों की संख्या	संख्या	7,73,375	584,70,096	1.32
(2) श्रमिकों की संख्या	संख्या	18,74,769	1277,08,076	1.47
(3) पुरुष कामगार	संख्या	13,25,018	950,63,428	1.39
(4) महिला कामगार	संख्या	5,49,751	326,44,648	1.68
6. विद्युत (सी.ई.ए. रिपोर्ट)				
6.1 कुल उत्पादन (अप्रैल 15 से दिसंबर 15)	गीगा वॉट प्रति घंटा	63929.47	829848.87	7.70
6.2 स्थापित क्षमता (31-12-2015)	मेगा वॉट	14151.29	284303.39	4.98
6.5 विद्युती कृत बी पी एल परिवार (30-09-2015)	संख्या	12333	607295	2.03
7. शिक्षा (डाईस रिपोर्ट, 2014-15)				
7.1 (अ) सकल नामांकन दर	%	103.08	100.08	.
7.1 (ब) सकल नामांकन दर	%	101.23	91.24	.
7.2 (अ) शुद्ध नामांकन दर	%	93.37	87.41	.
7.2 (ब) शुद्ध नामांकन दर	%	78.45	72.48	.
7.3 (अ) छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिकशिक्षा)	%	21	25	.
7.3 (ब) छात्र शिक्षक अनुपात (माध्यमिकशिक्षा)	%	33	31	.
8. स्वास्थ्य (एस.आर.एस. बुलेटिन 2013)				
8.1 जन्म दर	प्रति हजार ज.सं.	24.4	21.4	.
8.2 मृत्यु दर	प्रति हजार ज.सं.	7.9	7.0	.
8.2 शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म	46	40	.
9. बैंकिंग (रिजर्व बैंक, सितंबर 2015)				
9.1 बैंकों की संख्या				
(1) एस.बी.आई. व अधिकृतबैंक	संख्या	387	24220	1.60
(2) राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	1004	64965	1.55
(3) अन्य सार्वजनिक बैंक	संख्या	69	2011	3.43
(4) विदेशी बैंक	संख्या	1	336	0.30
(5) ग्रामीण बैंक	संख्या	596	20409	2.92
(6) निजी बैंक	संख्या	256	21634	1.18
10. राज्य-राष्ट्रीय आय (2014-15)				
10.1 जीएसडीपी/जीडीपी (स्थिर भाव 2011-12)	करोड़ रु.			
10.2 जीएसडीपी/जीडीपी (प्रचलित भाव 2014-15)	करोड़ रु.			
10.3 प्रति व्यक्ति आयएनएसडीपीधएनएनआई (प्रचलित भाव 2014-15)	रु.			

भारतीय राज्यों के महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतांक

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्गकि.मी.)	वन क्षेत्रफल (वर्गकि.मी.)	जनसंख्या (लाख)	जन घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	भारत की जनसंख्या से राज्य किजनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत)	लिंगानुपात	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष आयु समूह)
संदर्भ वर्ष	2011	2013	2011	2011	2011	2011	2001-2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश [^]	2.75	63,814	845.81	308	33.36	7.00	10.98	993	939
अरुणाचल प्रदेश	0.84	51,541	13.84	17	22.94	0.11	26.03	938	972
असम	0.78	26,832	312.06	398	14.10	2.58	17.07	958	962
बिहार	0.94	6,473	1,040.99	1,106	11.29	8.60	25.42	918	935
छत्तीसगढ़	1.35	59,772	255.45	189	23.24	2.11	22.61	991	969
गोवा	0.04	1,225	14.59	394	62.17	0.12	8.23	973	942
गुजरात	1.96	21,647	604.40	308	42.60	4.99	19.28	919	890
हरयाणा	0.44	1,559	253.51	573	34.88	2.09	19.90	879	834
हिमाचल प्रदेश	0.56	37,033	68.65	123	10.03	0.57	12.94	972	909
जम्मू कश्मीर	2.22	20,230	125.41	124	27.38	1.04	23.64	889	862
झारखंड	0.80	23,605	329.88	414	24.05	2.72	22.42	949	948
कर्नाटक	1.92	38,284	610.95	319	38.67	5.05	15.60	973	948
केरल	0.39	11,309	334.06	860	47.70	2.76	4.91	1,084	964
मध्य प्रदेश	3.08	94,689	726.27	236	27.63	6.00	20.35	931	918
महाराष्ट्र	3.08	61,357	1,123.74	365	45.22	9.28	16.00	929	894
मणिपुर	0.22	17,418	28.56	128	29.21	0.24	24.50	985	930
मेघालय	0.22	9,496	29.67	132	20.07	0.25	27.95	989	970
मिजोरम	0.21	16,717	10.97	52	52.11	0.09	23.48	976	970
नागालैंड	0.17	9,222	19.79	119	28.86	0.16	-0.58	931	943
ओड़ीसा	1.56	58,136	419.74	270	16.69	3.47	14.05	979	941
पंजाब	0.50	3,084	277.43	551	37.48	2.29	13.89	895	846
राजस्थान	3.42	32,737	685.48	200	24.87	5.66	21.31	928	888
सिक्किम	0.07	5,841	6.11	86	25.15	0.05	12.89	890	957
तमिल नाडु	1.30	22,877	721.47	555	48.40	5.96	15.61	996	943
त्रिपुरा	0.10	6,294	36.74	350	26.17	0.30	14.84	960	957
उत्तर प्रदेश	2.41	16,583	1,998.12	829	22.27	16.50	20.23	912	902
उत्तराखंड	0.53	34,651	100.86	189	30.23	0.83	18.81	963	890
पश्चिम बंगाल	0.89	11,879	912.76	1,028	31.87	7.54	13.84	950	956
भारत *	32.87	7,71,821	12,108.55	382	31.14	100.00	17.70	943	919

नोट : [^]तेलंगाना राज्य, आंध्रप्रदेश में शामिल है, *संघ शासित प्रदेश सम्मिलित है।

राज्य	मुख्य कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	कृषि कार्यशील जनसंख्या का कुल कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत	कार्यशील महिला भागीदारी दर	कुल परिवार (लाख)	पेय जल सुविधा उपलब्ध परिवारों का प्रतिशत	विद्युत सुविधा उपलब्ध परिवारों का प्रतिशत	शौचालय सुविधा उपलब्ध परिवारों का प्रतिशत	विकलांग जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	स्वाम आबादी का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
संदर्भ वर्ष	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
आंध्र प्रदेश	39.06	59.51	36.16	210.23	90.50	92.20	49.60	2.68	36.10
अरुणाचल प्रदेश	34.60	57.67	35.44	2.71	78.60	65.70	62.00	1.93	4.90
असम	27.84	49.35	22.46	64.06	69.90	37.00	64.90	1.54	4.48
बिहार	20.52	73.55	19.07	189.14	94.00	16.40	23.10	2.24	10.53
छत्तीसगढ़	32.26	74.68	39.70	56.51	86.30	75.30	24.60	2.45	31.98
गोवा	32.64	10.07	21.92	3.44	85.70	96.90	79.70	2.26	2.89
गुजरात	33.70	49.61	23.38	122.48	90.30	90.40	57.30	1.81	6.53
हरियाणा	27.67	44.96	17.79	48.58	93.80	90.50	68.60	2.16	18.80
हिमाचल प्रदेश	30.05	62.85	44.82	14.83	93.70	96.80	69.10	2.26	8.90
जम्मू कश्मीर	21.08	41.48	19.11	21.20	76.80	85.10	51.20	2.88	19.28
झारखंड	20.67	62.99	29.10	62.56	60.10	45.80	22.00	2.33	4.70
कर्नाटक	38.30	49.28	31.87	133.57	87.50	90.60	51.20	2.17	13.93
केरल	27.93	17.15	18.23	78.54	33.50	94.40	95.20	2.28	1.27
मध्य प्रदेश	31.26	69.79	32.64	150.93	78.00	67.10	28.80	2.14	28.35
महाराष्ट्र	38.94	52.71	31.06	244.22	83.40	83.90	53.10	2.64	23.32
मणिपुर	33.26	52.81	39.88	5.58	45.40	69.30	87.00	1.89	—
मेघालय	31.06	58.45	32.67	5.48	44.70	60.90	62.90	1.49	9.64
मिजोरम	37.83	55.76	36.16	2.23	60.40	84.20	91.90	1.38	13.74
नागालैंड	37.46	61.66	44.74	3.96	53.40	81.60	76.50	1.50	14.42
ओड़ीसा	25.51	61.82	27.16	96.38	75.30	43.00	22.00	2.96	22.28
पंजाब	30.46	35.59	13.91	55.13	97.60	96.60	79.30	2.36	14.04
राजस्थान	30.72	62.10	35.12	127.11	78.10	67.00	35.00	2.28	12.13
सिक्किम	37.73	46.53	39.57	1.29	85.30	92.50	87.20	2.98	20.43
तमिल नाडु	38.73	42.13	31.80	185.25	92.50	93.40	48.30	1.64	16.61
त्रिपुरा	29.32	44.20	23.57	8.56	67.50	68.40	86.00	1.75	14.54
उत्तर प्रदेश	22.34	59.25	16.75	334.48	95.10	36.80	35.60	2.08	14.02
उत्तराखण्ड	28.46	51.23	26.68	20.57	92.20	87.00	65.80	1.84	16.00
पश्चिम बंगाल	28.14	44.04	18.08	203.80	92.20	54.50	58.80	2.21	22.06
भारत *	29.94	54.61	25.51	2,495.02	85.50	67.30	46.90	2.21	17.37

राज्य	अनु. जाति व अनु. जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	0-6 वर्ष समूह जनसंख्या	7 वर्ष से अधिक जनसंख्या	साक्षरता दर (%)	पुरुष साक्षरता दर (%)	महिला साक्षरता दर (%)	जन्म दर	मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर
संदर्भ वर्ष	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2013	2013	2013
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
आंध्र प्रदेश	23.41	91.43	754.38	67.00	74.90	59.10	17.40	7.30	39
अरुणाचल प्रदेश	68.79	2.12	11.72	65.40	72.60	57.70	19.30	5.80	32
असम	19.60	46.38	265.67	72.20	77.80	66.30	22.40	7.80	54
बिहार	17.20	191.34	849.65	61.80	71.20	51.50	27.60	6.60	42
छत्तीसगढ़	43.44	36.62	218.84	70.30	80.30	60.20	24.40	7.90	46
गोवा	11.98	1.45	13.14	88.70	92.60	84.70	13.00	6.60	9
गुजरात	21.50	77.77	526.62	78.00	85.80	69.70	20.80	6.50	36
हरयाणा	20.17	33.81	219.71	75.60	84.10	65.90	21.30	6.30	41
हिमाचल प्रदेश	30.90	7.78	60.87	82.80	89.50	75.90	16.00	6.70	35
जम्मू कश्मीर	19.28	20.19	105.22	67.20	76.80	56.40	17.50	5.30	37
झारखंड	38.29	53.89	275.99	66.40	76.80	55.40	24.60	6.80	37
कर्नाटक	24.10	71.61	539.34	75.40	82.50	68.10	18.30	7.00	31
केरल	10.55	34.73	299.33	94.00	96.10	92.10	14.70	6.90	12
मध्य प्रदेश	36.71	108.09	618.17	69.30	78.70	59.20	26.30	8.00	54
महाराष्ट्र	21.17	133.27	990.48	82.30	88.40	75.90	16.50	6.20	24
मणिपुर	44.29	3.75	24.80	76.90	83.60	70.30	14.70	4.00	10
मेघालय	86.73	5.69	23.98	74.40	76.00	72.90	23.90	7.60	47
मिजोरम	94.54	1.69	9.29	91.30	93.30	89.30	16.10	4.30	35
नागालैंड	86.48	2.91	16.87	79.60	82.80	76.10	15.40	3.10	18
ओड़ीसा	39.98	52.73	367.01	72.90	81.60	64.00	19.60	8.40	51
पंजाब	31.94	30.76	246.67	75.80	80.40	70.70	15.70	6.70	26
राजस्थान	31.31	106.50	578.99	66.10	79.20	52.10	25.60	6.50	47
सिक्किम	38.43	0.64	5.46	81.40	86.60	75.60	17.10	5.20	22
तमिलनाडु	21.11	74.24	647.23	80.10	86.80	73.40	15.60	7.30	21
त्रिपुरा	49.59	4.58	32.16	87.20	91.50	82.70	13.70	4.70	26
उत्तरप्रदेश	21.27	307.91	1,690.21	67.70	77.30	57.20	27.20	7.70	50
उत्तराखंड	21.66	13.56	87.30	78.80	87.40	70.00	18.20	6.10	32
पश्चिम बंगाल	29.32	105.81	806.95	76.30	81.70	70.50	16.00	6.40	31
भारत *	25.27	1,645.15	10,463.40	73.00	80.90	64.60	21.40	7.00	40

राज्य	औसतन उत्पादन (कि ग्रा हेक्टेयर)				गन्ना	कुल पशुधन (हजार संख्या)	कुल कुक्कुट (हजार संख्या)	अण्डे का उत्पादन (दस लाखसंख्या)	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)
	कुल अनाज	कुल दालें	कुल खाद्यान्न	कुल तिलहन					
संदर्भ वर्ष	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2012	2012	2014-15	2014-15
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
आंध्रप्रदेश	3,597	797	2,653	778	74,294	56,099	1,61,334	2,371.50	13,863.00
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1,413	2,244	4.20	46.00
असम	1,464	642	2,012	628	35,897	19,082	27,216	47.30	829.00
बिहार	2,987	830	1,948	1,058	55,188	32,939	12,748	98.40	7,775.00
छत्तीसगढ़	1,070	834	1,433	595	2,665	15,044	23,102	147.30	1,232.00
गोवा	—	—	—	—	—	146	292	0.70	67.00
गुजरात	1,540	912	1,955	1,551	68,922	27,128	15,006	165.60	11,691.00
हरयाणा	1,739	692	3,772	1,415	75,743	8,820	42,821	457.90	7,901.00
हिमाचल प्रदेश	2,397	1,251	2,011	591	12,283	4,844	1,104	10.80	1,172.00
जम्मू कश्मीर	1,359	292	1,379	670	1,053	9,201	8,274	49.60	1,951.00
झारखंड	1,714	1,004	1,855	652	69,500	18,053	13,560	46.60	1,734.00
कर्नाटक	1,992	644	1,684	773	93,100	27,702	53,442	439.70	6,121.00
केरल	1,010	1,158	2,805	1,179	99,314	2,735	24,282	250.40	2,711.00
मध्य प्रदेश	1,697	877	1,719	1,090	41,144	36,333	11,905	117.80	10,779.00
महाराष्ट्र	1,025	554	1,043	658	78,120	32,489	77,795	507.90	9,542.00
मणिपुर	—	—	—	—	—	696	2,500	11.30	82.00
मेघालय	—	—	—	—	—	1,958	3,400	10.60	83.00
मिजोरम	—	—	—	—	—	312	1,271	3.80	20.00
नागालैंड	—	—	—	—	—	911	2,178	3.50	76.00
ओड़ीसा	1,402	527	1,733	692	71,929	20,732	19,891	192.50	1,903.00
पंजाब	3,635	894	4,144	1,065	74,883	8,117	16,794	426.40	10,351.00
राजस्थान	1,257	580	1,535	1,192	73,391	57,732	8,024	132.00	16,934.00
सिक्किम	—	—	—	—	—	292	452	0.60	50.00
तमिलनाडु	3,063	689	2,529	2,292	92,997	22,723	1,17,349	1,592.50	7,132.00
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	1,936	4,273	19.80	141.00
उत्तर प्रदेश	1,787	618	2,117	699	62,155	68,715	18,668	207.80	25,198.00
उत्तराखंड	1,428	799	1,824	892	60,147	4,795	4,642	37.00	1,565.00
पश्चिम बंगाल	4,033	713	2,691	1,194	1,09,983	30,348	52,838	481.40	4,961.00
भारत *	1,729	744	2,070	1,037	69,859	5,12,057	7,29,209	7848.40	1,46,314.00

संदर्भ वर्ष	सकल नामांकन अनुपात		छात्र नामांकन का प्रतिशत	छात्र शिक्षक अनुपात		महिला शिक्षक का प्रतिशत	प्रति व्यक्ति आय (चालूदर पर)	उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण	
	राज्य	प्राथमिक शिक्षा		माध्यमिक शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा			माध्यमिक शिक्षा	कारखानों की संख्या
41	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2015	49	50
आंध्र प्रदेश	88.21	79.47	48.40	20	23	47.50		29014	991776
अरुणाचल प्रदेश	128.13	122.53	49.40	15	26	41.40		.	.
असम	114.96	95.86	50.30	20	15	35.20		3303	140896
बिहार	101.09	98.07	49.80	49	64	36.70		3345	100512
छत्तीसगढ़	103.08	101.23	49.00	21	33	42.40		2441	137950
गोवा	103.97	100.19	47.90	18	15	79.10		597	37338
गुजरात	98.72	93.56	46.20	29	33	55.80		22587	1046462
हरयाणा	97.57	96.03	45.40	20	18	54.50		6163	431425
हिमाचल प्रदेश	99.43	103.09	47.60	10	17	46.60		2654	133727
जम्मू कश्मीर	85.97	70.89	47.60	12	20	45.00		955	49050
झारखंड	108.40	99.97	49.30	38	66	33.30		2697	127287
कर्नाटक	101.86	93.18	48.40	26	19	59.40		11753	665597
केरल	95.11	96.89	48.80	16	18	77.70		7129	319582
मध्य प्रदेश	101.11	96.63	47.90	26	40	42.70		4206	223790
महाराष्ट्र	98.95	98.82	46.80	25	28	44.60		28949	1233341
मणिपुर	134.37	118.77	49.60	13	15	48.70		128	5213
मेघालय	138.40	122.03	50.70	18	14	54.20		116	9483
मिजोरम	122.66	126.83	48.20	11	11	46.20		.	.
नागालैंड	100.57	97.67	49.00	12	18	49.60		106	2677
ओड़ीसा	105.53	90.13	48.40	21	20	42.30		2854	213079
पंजाब	105.11	96.77	44.90	17	21	73.00		12427	468127
राजस्थान	98.64	85.79	45.80	19	28	33.90		8782	339700
सिक्किम	112.57	140.66	48.90	8	19	53.30		65	8052
तमिलनाडु	103.11	94.58	48.70	17	23	73.60		36869	1602447
तेलंगाना	103.57	90.89	48.60	20	25	50.80		.	.
त्रिपुरा	109.98	120.54	49.10	12	19	28.90		534	25793
उत्तर प्रदेश	95.00	74.54	49.10	36	72	39.10		2911	267268
उत्तराखंड	100.54	85.53	47.50	17	24	46.60		14440	635759
पश्चिम बंगाल	102.33	103.17	50.10	23	44	42.20		8607	537284
भारत *	100.08	91.24	48.30	25	31	47.70		222120	10051629



...reception along
...the structure the
...is an market.



यह प्रकाशन www.descg.gov.in वेबसाइट में अपलोड है